दशम माला, खंड 16, अंक 6

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1992
10 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

लोक सभा वाद-विवाद, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1992/10 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 101 से 104, 106 और 107	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—271
तारांकित प्रश्न संख्या : 105 और 108 से 120	22—70
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1151 से 1231, 1233 से 1268, 1270 से 1295 और 1297 से 1386	71—271
सम्राट अकबर की वर्षगांठ के बारे में दिनांक 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	271—291
राज्य सभा से सन्देश	291—292
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया	
कृषि समिति	292
पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	292
पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	293—294
जामिया मिलिया इस्लामिया	
श्री अर्जुन सिंह	293
समितियों के लिए निर्वाचन	294—295
(एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग	
(दो) भारतीय नर्स परिषद् नई दिल्ली	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	295
नियम 377 के अधीन मामले	296—299
(एक) भारी वर्षा से प्रभावित केरल के इडुक्की और पठानमिट्ठा जिलों के लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	296
(दो) महाराष्ट्र की गंगेश्वर, लांजा और राजापुर तहसीलों के लिए कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुधीर सावंत	296
(तीन) अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान स्वर्गीय श्री काशाबा जाधव को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने और उनकी विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	297
(चार) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में एरोमेटिक्स काम्प्लेक्स की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा० लाल बहादुर रावल	297
(पांच) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कतिपय मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	298
(छः) बिहार के रोहतास जिले में दुर्गावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री छेदी पासवान	298
(सात) सीमा पार से बंगलादेश के घुसपैठियों को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	298
सभा पटल पर रखे गए पत्र	299—301
पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक	302—337
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वी० धनंजय कुमार	302

श्री अयूब खां	303
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	307
डा० असीम बाला	309
श्री कमला मिश्र मधुकर	310
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	311
श्री पी० एम० सईद	313
श्री अन्ना जोशी	314
श्रीमती सुशीला गोपालन	316
डा० सी० सिलवेरा	317
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	318
श्री पी० सी० चाक्को	320
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	322
श्रीमती गिरिजा देवी	322
श्री के० पी० सिंह देव	323
श्री मणि शंकर अय्यर	323
श्री गिरधारी लाल भार्गव	324
श्री सुनील दत्त	325
श्री नीतीश कुमार	325
श्री मृत्युन्जय नायक	327
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	327
श्री बूटा सिंह	328
श्री रघुनंदन लाल भाटिया	330
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रघुनंदन लाल भाटिया	337
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक	338—343
(नये भाग 9 का अंतःस्थापन)	
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० वेंकट स्वामी	338
नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव	344

विषय	पृष्ठ
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक (नए भाग 9क का अंतःस्थापन)	344—351
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	344
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक (नए भाग 9 का अंतःस्थापन)	351—370
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
और	
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक (नए भाग 9क का अंतःस्थापन)	
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री काशी राम राणा	351
श्री पवन कुमार बंसल	358
श्री मोहन सिंह	363
श्री अनिल बसु	367
कार्य मंत्रणा समिति	356
तेईसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	

लोक सभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1992/10 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से चीन गणराज्य की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उप-सभापति और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की विदेश संबंधी मामलों की समिति के सभापति महामहिम श्री लियाओ हेशांग तथा शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुए हैं।

शिष्टमण्डल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :

1. श्री वेंग वी
2. श्री एक्स यू कैडगेंग
3. श्री वेंग जेग

यह शिष्टमण्डल 30 नवम्बर, 1992 को सायं दिल्ली पहुंचा। संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से चीन गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहां की सरकार तथा जनता को शुभकामनायें देते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाल-विकास

*101. **श्री मनोरंजन भक्त**† :

श्री वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से भारत बच्चों के जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु कोई योजना शुरू करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की जानी है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) महिलाओं और बाल विकास सम्बन्धी विविध कार्यों के लिए भारत को यूनिसेफ सहायता उपलब्ध है । भारत को यूनिसेफ सहायता हेतु एक बृहत् कार्य योजना 1991-95 की अवधि के लिए तैयार करके अनुमोदित की गई थी यह योजना चालू है ।

(ख) यूनिसेफ कार्य योजना (एम०पी०ओ०) में महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर विशेषकर राष्ट्रीय तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यों को तेज करने की अपेक्षा की गई है : जिससे कि शिशु मृत्यु दर जो 1988 में 93 थी उसे 1995 में कम करके 75 किया जा सके, पांच वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो 1988 में लगभग 146 थी उसे 1993 में कम करके 125 किया जाए मातृ मृत्यु दर जो अब लगभग 400 है उसे लगभग एक तिहाई कम किया जा सके । शिशुओं और बच्चों की रुग्णता को कम किया जा सके । सबके लिए पेयजल उपलब्ध कराया जा सके । सभी बच्चों और महिलाओं के लिये बुनियादी शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं और प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाई जा सके ।

(ग) प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1991, 1992 और 1993 के लिए यूनिसेफ (एम०पी०ओ०) आवंटन की राशि क्रमश: 76.7 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 230.10 करोड़ रुपये) 87.7 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 263.10 करोड़ रुपये) और 105.2 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 315.60 करोड़ रुपये) दिखाई हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1990 में न्यूयार्क में एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 70 राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकारों ने इसमें भाग लिया था । उसमें की गई 'विश्व घोषणा' में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता था । यद्यपि भारत का प्रतिनिधित्व किसी वरिष्ठ मन्त्रियों ने नहीं किया था । हालांकि भारत की ओर से किसी वरिष्ठ मन्त्री ने इसमें भाग लिया । फिर भी सौभाग्यवश बच्चों के जीवन, संरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित की गई घोषणा में भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है ।

दुर्भाग्य से भारत ने उसका अनुसमर्थन नहीं किया है । यद्यपि सार्क देशों के छ: सदस्यों में से पांच ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है, सरकार अभी भी बच्चों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारूप योजना तैयार कर रही है । इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मैं माननीय मन्त्री से राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं । इस देश में बच्चों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है और भारत में पांच वर्ष की आयु के बाद बच्चों की मृत्यु-दर 1000 में से 149 है जबकि चीन में यह 38 है और यू० एस० आर० में इससे भी बहुत कम है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री मनोरंजन भक्त : मैं प्रश्न रखने जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य बहुत से सदस्य हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं । आप सीधे प्रश्न पर आइए ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं केवल तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने चार मिनट ले लिये हैं और भी बहुत से सदस्य हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा हूं।

इस तरह से अब विकासशील देशों में मृत्युदर बहुत कम है, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत कब तक प्रारूप योजना को अन्तिम रूप दे देगा और इसे कब तक लागू किया जायेगा। यही मेरा प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि भारत ने उस घोषणा का अनुसमर्थन कर दिया है। मन्त्रिमण्डल ने इसका अनुमोदन कर दिया है। जहां तक बच्चों के अधिकारों का सवाल है, मेरे विचार से भारत अपनी वचनबद्धता तथा बच्चों को संरक्षण देने और उनकी भलाई करने में विश्व में किसी भी देश से पीछे नहीं है। यह प्रश्न मुख्यतः 'यूनिसेफ' से सम्बन्धित है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को, सुरक्षा प्रदान करने के मामले में हम प्राथमिकता देते हैं। लड़कियों के बारे में कार्य योजना घोषित कर दी गई है। हम इसे लागू कर रहे हैं। बच्चों के कार्यक्रम सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग ने पहले से ही राष्ट्र को यह बता दिया है कि वे क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि भारत बच्चों को संरक्षण के मामले में अपना वायदा निभाने में पीछे रहा है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि भारत ने भी इसका अनुसमर्थन कर दिया है। हर रोज हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सुनते हैं तथा अखबारों और रिपोर्टों में पढ़ते हैं। देश में लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने उन बच्चों के लिए एक योजना का निर्णय लिया है, जो विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, मानव आपदाओं, शरणार्थी बच्चों, गरीब बच्चों, झुग्गी झोंपड़ी तथा प्रवासी बच्चों, अनाथ तथा निस्सहाय एड्स से पीड़ित बच्चों, एड्स से पीड़ित माता-पिताओं के बच्चे आदि से सम्बन्धित है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या का पता लगाने हेतु देश में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ताकि इस समस्या के समाधान हेतु सरकार पर्याप्त वित्तीय आवंटन कर सके क्योंकि अभी ही माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि जब ग्रामीण विकास तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु धनराशि आवंटित की जाती है तो अपने आप ही यह अतिसंवेदनशील क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हो जायेगा। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या के हल हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार कठिनाई महसूस कर रही है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, प्रथम पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा अन्य विभागों द्वारा बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं से निपटा जा रहा है तथा इस सम्पूर्ण समस्या के प्रति एक समन्वयकारी रवैया अपनाया गया है। इन सभी विभागों के बीच निरन्तर अन्तरक्रिया बनी हुई है। मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि यहां खड़ा होकर मैं सामाजिक कल्याण विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्तर दूं। लेकिन मूल रूप से मैं इस सम्मानीय सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि बच्चों की समस्याओं के लिए बहुत ही भलीभांति विचार कर एक समन्वयकारी रवैया तैयार किया जा रहा है और सर्वेक्षण या अन्य किसी प्रकार से जो भी जानकारी सामने आयेगी उस आधार पर हम इस समस्या से निपटने के लिए तैयार होंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मुझे मन्त्री महोदय का उत्तर सुनकर ताज्जुब हुआ, जब उन्होंने कहा कि इसका संकेत निर्भर करता है। यह प्रश्न यूनीसेफ के बारे में पूछा गया है, तो क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि यूनीसेफ के मौजूदा प्रेसीडेंट के प्रेडिसिसर प्रो० मायरन वेनर ने अपनी किताब "चाइल्ड एण्ड दी स्टेट आफ इण्डिया" में लिखा है कि जब तक चाइल्ड लेबरर का खात्मा हिन्दुस्तान में नहीं होता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। खासकर उन्होंने शिवाकाशी में कार्यरत चाइल्ड लेबरर का जिक्र किया है। हिन्दुस्तान भर में शिवाकाशी को चाइल्ड लेबरर के लिए प्रतीक के रूप माना गया है और सारी दुनिया में इसकी वजह से हिन्दुस्तान की बदनामी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों के वेलफेयर के सिलसिले में क्या सरकार जरूरी नहीं समझती है कि चाइल्ड लेबर को, जैसे शिवकाशी में और दूसरी जगह पर चाइल्ड लेबर काम करती है, खत्म किया जाए ताकि चाइल्ड का भला हो। इसके बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बाल श्रमिक प्रथा सबसे अधिक घृणित कार्य है। लेकिन यदि आप यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमने क्या कदम उठाये गये हैं तो अभी तुरन्त मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बच्चों से सम्बन्धित ये समस्त समस्यायें, जिस किसी भी विभाग के अन्तर्गत वे हैं, उन्हें उतनी ही गम्भीरतापूर्वक देखा जा रहा है जितना ध्यान उन पर दिया जाना चाहिए। इस समस्या की भी जांच की जा रही है। यदि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं तो मैं माननीय प्रधानमन्त्री की अनुमति प्राप्त करूंगा और हम एक वक्तव्य जारी कर सकते हैं जिसके द्वारा इस सम्माननीय सभा को विस्तारपूर्वक यह ज्ञात हो जायेगा कि प्रत्येक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के प्रति न्याय कैसे किया जाए। जिस तरीके से ये जवाब देते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं इस सम्माननीय संसद से बचने वालों अथवा इसे टालने वालों में से नहीं हूं। अतः मेरी अक्षमता चाहे जो भी हो, मैं जो करना चाहता हूं, उसे टालने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वास्तविकता भिन्न है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : आप बताइए कैसे किया जाए, चाइल्ड का क्या होगा। सवाल तो यह है।...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले पूरी बात समझनी चाहिए। यह यूनिसेफ कोष से सम्बन्धित प्रश्न है। यह पूरे भारत में बच्चों के मामलों से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। यह यूनिसेफ तक सीमित है। यदि आप उसके बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होगी।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ के बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए उपाय तथा उसके राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम आए हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं? यूनिसेफ कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बाल कल्याण के कार्यक्रम लिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपको बताया कि यह प्रश्न यूनाइटेड नेशन्ज इण्टरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फण्ड के सम्बन्ध में है।

श्री सत्य नारायण जटिया : जो प्रश्न का उत्तर आया है उसी के अन्तर्गत यह कहा गया है कि "प्राथमिक विद्यालय में जाने योग्य बालकों को प्रोत्साहित करना" उसी प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले बालकों की संख्या में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। जो उत्तर में दिया गया है उसी आधार पर मैं पूछ रहा हूं कि प्राथमिक विद्यालयों में जाने योग्य बालकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब्सिडरी क्वेश्चयन आपके मेन क्वेश्चयन से निकलना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : सर, मेन क्वेश्चयन से निकला हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आपका प्रश्न अप्रासंगिक है। कृपया प्रश्न पढ़िए।

[हिन्दी]

अब आप आरगूमेंट करने लग गए। पहले प्रश्न पढ़िए।

(व्यवधान)

प्रजनन नियंत्रण

[अनुवाद]

*102. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रजनन-नियन्त्रण के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान को कितनी राशि की सहायता दी गई है; और

(ग) अनुसंधान के परिणामों को कब तक सार्वजनिक रूप से सूचित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) प्रजननता नियन्त्रण के क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परियोजनायें चला रहा है जो मूल रूप से पशुओं पर किए गए अनुसंधान के माध्यम से नवीनतम और सुरक्षित गर्भनिरोधक तरीकों के विकास की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में है। नवीनतम गर्भनिरोधक तरीकों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए चिकित्सीय अनुसन्धान भी किए जा रहे हैं। ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं में जैसी कि इनकी प्रकृति है, कई वर्ष लग जाते हैं। इन परियोजनाओं पर चल रहा कार्य सन्तोषजनक है।

चल रही इन परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग, बेदूसड़ा मेरीलैंड, स० रा०अमेरिका द्वारा चलाई जा रही है। 1992-95 की अवधि के लिए 17.16 लाख रुपये की राशि की वित्तीय सहायता संयुक्त राज्य भारत निधि से प्रदान की गई है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना के लिए प्राप्त की गई सहायता 28.50 लाख रुपए है। इस अनुसंधान के परिणामों की जानकारी इस परियोजना के पूरा होने के उपरांत ही मिल सकती है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां मैंने पूछा था कि जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की परियोजनायें चल रही हैं उसके लिए जो बाहर से धन मिल रहा है वह सहायता राशि कितनी है, उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि वहां जो अनुसंधान चल रहा है वह पशुओं पर चल रहा है। उसके मातहत हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि के उपाय करने वाले हैं। उसमें भी और अनुसंधान परियोजनाओं में भी, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, कई वर्ष लग जाते हैं। इन परियोजनाओं पर चल रहा कार्य सन्तोषजनक है, ऐसा उत्तर मिला है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्लानिंग कमीशन में घड़ी लगी है जिसके मुताबिक 24 घण्टे में इस देश में 7800 नये बालक पैदा होते हैं। 20 अक्तूबर, 1992 को इसके मुताबिक हमारे देश में लोक संख्या 90 करोड़ से ऊपर हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का अनुसंधान जो प्रादेशिक धन से आप कर रहे हैं उसका परिणाम इसी तरह से आना चाहिए? जी० ए० गैलब्रेथ हमारे देश में एम्बेसेडर थे। 1984 में उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो प्रगत राष्ट्र हैं उनकी तरह जो कापी करने की कोशिश करते हैं अपने देश में जनसंख्या रोकने का प्रयत्न करते हैं ऐसे परिणामों को छोड़ दें, उस देश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जैसी हो उसके मुताबिक अनुसंधान करें। क्या मन्त्री महोदय उनके कथन से सहमत हैं?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं कहता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही सीमित उद्देश्य से सम्बन्धित है अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रजनन नियन्त्रण पर अनुसंधान। मैंने इस विषय पर यह उत्तर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गयी सहायता राशि द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह अनुसंधान किया

जा रहा है और इस शोध के उद्देश्य बहुत ही सीमित है—गर्भाशय में अंडाणु प्रत्यारोपण की प्रक्रिया तथा प्रजनन नियन्त्रण के उद्देश्य हेतु इस प्रक्रिया को जारी रखना। यह बहुत ही सीमित उद्देश्य है। अमरीका में भी शोध किया जा रहा है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी अनुसंधान किया जा रहा है। हम अपने अनुभवों के साथ उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम अपने अनुभव को उनके साथ बांट रहे हैं और वे अनुभवों को हमारे साथ बांट रहे हैं। डाक्टरी जांच के लिए कुछ करने से पूर्व मूल शोध जानवरों, बन्दरों पर किया जा रहा है। अतः बन्दरों अथवा जानवरों पर यह अनुसंधान करने में कोई खराबी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : मन्त्री महोदय के लिए एक सवाल था कि जो प्रगत राष्ट्रों की कापी करते हैं और अपने देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक जनसंख्या रोकने का प्रयत्न नहीं करते। क्या आप इस बात से सहमत हैं और उसके अन्तर्गत हमारे देश में हमारी परिस्थितियों में लोक संख्या रोकने की कोई कोशिश हो रही है?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं सदस्य महोदय की बात से सहमत हूं क्योंकि प्रश्न जन-संख्या नियन्त्रण का नहीं है बल्कि प्रश्न जननशक्ति नियन्त्रण पर अनुसन्धान सम्बन्धी सीमित पहलू पर आधारित है। चूंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जनसंख्या पर नियन्त्रण से लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं, तो मेरे विचार में हम उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। उसके लिए गत समय में बहुत से उपाय अपनाए गए। अभी भी जननशक्ति के नियन्त्रण के लिए आई० यू० डी०, माला एन, माला डी और सहेली, जिसे हमने काफी बाद में चलाया है तथा कुछ अन्य एक या दो नारप्लान्ट्स अपनाये जा रहे हैं। नारप्लान्ट-6 पर अभी और आगे जांच-पड़ताल चल रही है। मेरे विचार में कदम उठाए जा रहे हैं जन्म-दर पर नियन्त्रण पाया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण का जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया उसमें से केवल 2 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई है। बार-बार यह कहा जाता है कि इसमें स्त्रियों का योगदान 80 प्रतिशत है। परिवार कल्याण के लिए जो भी रिसर्च होती है उसमें महिलाओं को जो दवायें लेनी पड़ती हैं उससे अक्सर रिएक्शन होते हैं और दवा घटने से उनके कार्यक्रमों में भी व्यवधान आता है। क्या पुरुषों के लिए कुछ दवाओं को बनाने की बात जैसे कि खबर अखबारों में भी आती है उसकी व्यवस्था की गई है या नहीं, जिससे पुरुष भी इसमें शामिल हो सकें तथा इसके बारे में क्या रिसर्च हो रही है?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्या को मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरुषों के बारे में भी कैसे यह फेर्टिलिटी कन्ट्रोल हो जाये उसके बारे में भी अनुसन्धान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से इस अनुसंधान परियोजना के मूलभूत सिद्धान्त के बारे में जानना चाहता हूं तथा जननशक्ति नियन्त्रण का वह सिद्धांत, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार किया है, तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

परिषद परियोजना, जो डाक्टर तलवार द्वारा चलाई गई है, क्या वह भ्रूण प्रत्यारोपण से अलग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रणाली पर रोक लगाई जानी है अथवा प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के सहयोग से थर्मो एन्टी-प्रोजेस्टिन के माध्यम से जननशक्ति पर रोक लगाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बन्दरों पर कुछ और प्रयोग किया जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दो सिद्धांतों के आधार पर अपना अनुसन्धान चला रहे हैं अथवा मनुष्यों पर भी अन्य मूलभूत चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग किए जा रहे हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि हमें जननशक्ति पर नियन्त्रण करने के वास्ते नई विधियां खोजने के लिए कदम उठाने हैं। अतः इस नीति के कार्यान्वियन में यह अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है। माननीय सदस्य का प्रश्न अति उचित है और मैं उनको बताता हूं कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में पुनर्जनन के विज्ञान को समझना है तथा उसके लिए हमें शुक्राणु के गर्भाशय से जुड़ने और गर्भ धारण करने की प्रक्रियाओं को समझना होगा।

जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अमरीका में कुछ वैज्ञानिकों के साथ दक्षता में भागीदारी करें तथा वे भी इस परियोजना में हमारे साथ दक्षता में भागीदारी करें। एक बार हम इस परियोजना में सफल हो जायें जिसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा, उसके पश्चात् हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस परियोजना का यह एक सीमित उद्देश्य है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस परियोजना का यह सीमित लक्ष्य है।

रणथम्भौर अभयारण्य में चोरी-छिपे शिकार

*103. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा** :
श्रीराम सिंह काश्वां :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रणथम्भौर अभयारण्य में चोरी-छिपे शिकार के आरोपों की जांच करने हेतु कोई जांच-समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने इस अभयारण्य में चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने रणथम्भौर में चोरी-छिपे शिकार किए जाने के आरोपों की जांच करने के लिए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव श्री आर० एस० कूम्त को नियुक्त किया था।

(ख) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कूमत रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाई गई है।

विवरण

जांच के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. वर्ष 1992 में की गई गणना को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय कुछ कठिनाइयां थीं। बाघों की वास्तविक संख्या का तभी पता चल सकता है जब स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और नए सिरे से गणना कराई जाए। गणना के कार्य में वन कर्मचारियों के अलावा, बाहर के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए।

2. चोरी-छिपे शिकार के कुछ सबूत मिले हैं। कितने जानवरों का शिकार किया गया — इसका पता पुलिस जांच पूरी हो जाने के बाद ही चल सकेगा।

3. जांच में किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेवार न ठहराकर मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे और उस ढांचे में मौजूद कार्यप्रणाली को दोषी माना गया है।

रणथम्भौर बाघ रिजर्व में चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. रेंजर के स्तर पर पदों को भर दिया गया है और सुरक्षा कर्मचारियों के कुछ नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

2. क्षेत्र निदेशक को एक जीप और एक छोटा ट्रक सौंपने के अलावा उन्हें यह भी अधिकार दे दिया गया है कि कर्मचारियों की गश्त के लिए जीपें किराए पर ले सकते हैं।

3. क्षेत्र निदेशक को सलाह दी गई है कि चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए उद्यान के चारों ओर के गांवों और कृषि फार्मों में नियमित गश्त सुनिश्चित करें।

4. गश्त लगाने वाले कर्मचारियों को हथियार प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैट अप में मौजूदा सिस्टम में सुधार के लिए जो कदम उठाये गए हैं, उसके फलस्वरूप चोरी-छिपे शिकार की कितनी घटनायें दर्ज की गयी हैं और इसमें कितने दोषी शिकारी और अन्य व्यक्ति पकड़े गए और उनके खिलाफ क्या कारवाई की गयी ?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : यह जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी। मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि टाईगर्स की वास्तविक गिनती के कार्य में कोई प्रगति हुई है, यदि हां तो उसकी डिटेल्ज क्या है और यह गिनती कब तक पूरी हो जाएगी ? इसी के साथ अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा देश

के दूसरे पक्षी विहारों में इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हां, तो किन-किन स्थानों के ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो यहां शेरों का है, पंछियों का मैं बता नहीं सकता और विशेषकर रणथम्भौर में।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : जानवर तो सब एक जगह ही आ जायेंगे। शेर भी आ जायेंगे और पक्षी भी आ जायेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्या की बात से मैं सहमत हूं। पक्षी और शेर तथा और भी जीव-जन्तु सभी रहेंगे और वह उसी प्रकार से रहें जैसे रहना चाहिए, यही इस विभाग का कार्य है। सवाल यह है कि चूंकि प्रश्न आपने शेरों के बारे में पूछा है तो अब उत्तर भी शेरों के बारे में आएगा और वह भी एक सीमित जगह रणथम्भौर के सम्बन्ध में।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : शेरों के बारे में ही आप बता दें कि उनकी कितनी खालें चोरी हुई हैं और कितने शिकार वहां पर हुए हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की है, उनसे जानकारी लेकर मैं आपको दे सकता हूं। अभी मेरे पास इस सम्बन्ध में जो जानकारी है वह यह है कि हमने फिर से इसको सेन्सस के लिए जारी किया है और उस सेंन्सस को मानीटर करने के लिए एक समिति बनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दो सदस्य नामजद किए हैं और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर इस सेन्सस को पूरा करेंगी और 1993 के अन्त तक इसकी रिपोर्ट देंगी।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समिति आपकी 11-8-92 से शुरू हुई है और इसको तीन महीने पूरे हो चुके हैं। यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपके दोनों प्रश्न पूरे हो गए हैं।

श्री राम सिंह काश्वां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो शेरों का शिकार होता है और उसके अलावा भी जो शेर मरते हैं, जैसे किसान के खेत में आते हैं तो वे उन्हें पायजन देते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ? इसी प्रकार से हमारे यहां एक दुधवा नेशनल पार्क है और वहां बहुत जंगल हैं तथा जो शेर मर जाते हैं उसको रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सिर्फ रणथम्भौर के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि शेरों की रक्षा जरूरी है और उसके लिए मैं समझता हूं कि जो "प्रोजेक्ट टाइगर" है वह काफी सफल है और सारे देश में शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। लेकिन रणथम्भौर की स्थिति जरूर थोड़ी सी भिन्न है और यह प्रश्न इसीलिए उसके बारे में पूछा गया है। वहां पर दोबारा सेन्सस होने के बाद ही हम कह सकेंगे कि संख्या में कितनी कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं। ये सब उसके माध्यम से सामने आएंगे। जहां तक सामान्य रूप से ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का सवाल है, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, तो उसके लिए अलग-अलग उपाय अलग-अलग राज्यों में किए गए हैं। जहां शेर मनुष्यों को मारते हैं वहां उनको कम्पनसेशन दिया जाता है और जहां कोई पोचिंग होती

है, उनको वाइल्डलाइफ ऐक्ट के अन्तर्गत सजा होती है। यह तो इम्प्लीमेंटेशन आफ वेरियस लाज हैं। इनको विभिन्न राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट कर रही हैं।

[अनुवाद]

श्री राम सिंह काश्वां : कम्पनसेशन के नाम पर पांच हजार रुपए है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि 26-6-92 को बाघ परियोजना के अन्तर्गत जो रिपोर्ट आई है जिसकी सूचना राज्य सरकार ने आपको भी भिजवाई है और जिसमें यह प्रमाणित हुआ है कि खलील अहमद नाम का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना जो पकड़ा गया और जिसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मैंने 10 साल में 20 बाघों की खालें, 300 लोमड़ियों की खालें, 2000 गोह की खालें और दो मगरों की खालें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों को निर्यात की हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तेजी से बाघ परियोजना में बाघों का क्षरण हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से उनको मारा जा रहा है, आपने अभी कानून की दुहाई दी और कहा कि हम कानून के तहत सजा दिलाते हैं। आपकी सजा नगण्य है और आज भी उस बाघ परियोजना में लोगों के लिए शस्त्र प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, जिसके कारण वहां आये दिन शिकारी विदेशों के लिए इस प्रकार खालें भेजने का धन्धा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सुरक्षात्मक कानून बना-कर, उस योजना के कर्मचारियों को शस्त्र प्रोवाइड करके, हमारे देश में आज जिस तरह तेजी से बाघों की संख्या कम होती जा रही है, कई नस्लें समाप्त हो गयी हैं, उसको रोकने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : चूंकि यह विषय शेरों से सम्बन्धित है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की राजनीति का समावेश होने की गुंजाइश ही नहीं है। यह बात अपनी जगह सही है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कानूनों के रहते हुए भी कुछ लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और वे नुकसान पहुंचाते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है और आपको भी होगी कि राजस्थान सरकार इस विषय पर बहुत ही सजग है और पूरी तरह से हम उसका इस मामले में सहयोग करना चाहते हैं और जैसी वे कार्यवाही करना चाहेंगे, हम उसमें उनकी सहायता करेंगे।

वाराणसी में कैंसर संस्थान

[अनुवाद]

*104. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाराणसी में भारतीय रेलवे कैंसर संस्थान स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) क्या इस संस्थान में अभी भी अनेक मूल सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) रेल मन्त्रालय ने वाराणसी में भारतीय रेल कैंसर अनुसन्धान संस्थान की स्थापना 1980 में पूर्वोत्तर रेलवे के नियन्त्रण में की है, कैंसर अनुसन्धान संस्थान की आधारशिला 6 अप्रैल, 1980 को रखी गई थी, इस संस्थान को अलग-अलग चरणों में विकसित किया जा रहा है, बहिरंग उपचार और कोबाल्ट थेरापी से सम्बन्धित पहला चरण, लगभग 1.86 करोड़ रुपये की लागत से, 9-11-1993 को चालू किया गया था, अन्तरंग उपचार और "बराकी थेरापी" से सम्बन्धित दूसरा चरण, लगभग 1.94 करोड़ रुपये की लागत से, 1988-89 में चालू किया गया था, तीसरे चरण के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें आपरेशन थियेटर, इंटेंसिव केयर यूनिट और अन्य सुविधाओं का सृजन शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, रेल मन्त्रालय ने 1980 में वाराणसी में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया भारतीय रेल कैंसर अनुसन्धान संस्थान। इसकी स्थापना के पीछे सरकार की भावना थी कि 17 लाख रेल कर्मचारियों के लगभग एक करोड़ परिवार के सदस्य इसका लाभ उठा सकें। अब उस संस्थान की स्थापना हुए लगभग 12 वर्ष यानी एक युग के आसपास हो गया है, लेकिन 500 बैडों के भव्य वाले इस अस्पताल में आज मुश्किल से 50 बैड ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। अस्पताल में बैडों की भारी कमी है, स्टाफ क्वार्टर्स नहीं हैं और आवश्यक दवाएं नहीं हैं यहां तक कि पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित डाक्टर्स भी उपलब्ध नहीं हैं। किसी कैंसर अस्पताल में अत्यन्त आवश्यक उपकरण होता है—होल बौडी कैट स्कैन आपरेटिंग माइक्रो स्कोप—लेकिन अफसोस की बात है कि वह भी इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जबकि उसको खरीदने की स्वीकृति 1988 में दी जा चुकी है। इस यन्त्र के अलावा कौलिकोस्कोप, मेमोग्राफ, फाईबर औप्टिक, लैरिंगोस्कोप, लेजर, बेसीयापी आदि उपकरण भी अस्पताल में नहीं हैं। मेरा पहला सवाल है कि मन्त्री जी इन उपकरणों को कब तक अस्पताल में उपलब्ध करा देंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस संस्थान के लिए स्वीकृत 17 डाक्टरों में से अब केवल 10 डाक्टर हैं, 18 स्वीकृत नर्सों के पदों के विरुद्ध केवल 13 नर्सें कार्य कर रही हैं और जूनियर साधारण डाक्टर तो एक भी नहीं है। इस अस्पताल में, 1986 में संकल्प्य टैलीकाम फर्नीचर को भी नौकरशाही के चलते आज तक पूरा नहीं किया गया, खरीदा नहीं गया, जिसके बिना अस्पताल का काम पूर्णत: अवरुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस चालू वित्तीय वर्ष में, रेल मन्त्री जी इन सभी उपकरणों को इस अस्पताल में उपलब्ध करा देंगे। मैं अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं कि मन्त्री जी मेरे प्रश्न का स्पष्ट और सही जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री जी स्पष्ट जवाब दें, अस्पष्ट न दें।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा और स्पष्ट जवाब दूंगा ताकि माननीय सदस्य भी समझें और बिना मेरे समझे तो मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकता हूं।

[अनुवाद]

वाराणसी में वर्ष 1980 में कैंसर अनुसन्धान संस्थान शुरू करने की अभिकल्पना अच्छी है तथा इसमें प्रगति हो रही है। आऊटडोर कोबाल्ट ट्रीटमेंट से सम्बन्धित पहला चरण 9 नवम्बर, 1983 में 1.86 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था। दूसरा चरण भी वर्ष 1988-89 में 1.94 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था।

दूसरे चरण में ब्रेची थेरेपी, अन्तरंग सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

तीसरे चरण में हमें निश्चित रूप से अन्य मुद्दों को लेना होगा।

जहां तक प्रश्न के दो पहलुओं का सम्बन्ध है, भले ही फाइबरापटिक एन्डोस्कोप सुविधाएं उपलब्ध हों अथवा न हों, कैंसर के मरीज की जांच के लिए केवल लैप्रास्कोप, लैरिंगोस्कोप, गैस्ट्रो-ड्यूडेनोस्कोप, कोलोनोस्कोप, ब्रॉन्चोस्कोप जैसी फाइबरॉपटिक एन्डोस्कोप्स सुविधाएं तथा ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जहां तक चिकित्सा के पहलू का सम्बन्ध है, 60-कोबाल्ट थेरेपी उपलब्ध हैं और वह विशेष मशीन कैनेडा से आयात किया गया है जो अभी भी कार्य कर रही है और इसके साथ-साथ ब्रेची थेरेफी भी चल रही है जिसके लिए नेदरलैण्ड से सेलेक्ट्रॉन का आयात किया गया है।

जहां तक सी० टी० स्कैनर का प्रश्न है, मन्त्रालय स्तर पर इसकी जांच की गई है परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा यदि मैं तृतीय एवं चतुर्थ जेनरेशन सी० टी० स्कैनर लूं तो इसमें लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस समय हम वह स्कैनर नहीं लेंगे। फिर भी, इस तरह के तीन अथवा चार मामले, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी अस्पतालों को सौंप दिए गए हैं जहां वापसी की जाती है।

जहां तक चिकित्सा अधिकारियों का प्रश्न है, 18 समूह 'क' चिकित्सा अधिकारियों में से, 12 अधिकारी पहले से ही कार्यरत हैं और हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ और अधिकारियों की नियुक्ति होने की आशा कर रहे हैं और चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने में हमें कोई रोक-टोक नहीं है।

जहां तक नर्सों और अन्य लोगों का प्रश्न है, हमारे पास समूह 'ग' और समूह 'घ' में 37 और 48 का प्रावधान है। इस समय, हमारे पास समूह 'ग' और समूह 'घ' में 29 और 47 नर्स अन्य लोग हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर कुछ सही नहीं दिया। होल बॉडी कैट स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के लिए आपने कहा है कि हम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्थान की सहायता लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह वहां भी उपलब्ध नहीं है। यह होल बॉडी कैट स्कैनिंग वहां भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि कुछ मशीनों की बिल्डिंगों के लिए जैसा कि आपने अपने उत्तर में भी बताया है कि 1988-89 में 1 करोड़ 94 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई, इसके लिए ऑपरेशन थिएटर, इन्टेंसिव केयर यूनिट बननी थी जिसके लिए टैंडर भी अधिकारियों ने कर दिया, लेकिन रेल अधिकारियों की उपेक्षा और लापरवाही से यह काम अब तक रुका हुआ है और इसके साथ ही साथ जिन थोड़े से उपकरणों की आपने चर्चा की, वे वहां हैं तो, किन्तु अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरण, जिनका आपने अपने उत्तर में जिक्र किया था, वे वहां आज तक नहीं हैं। कहा जाता है कि उनको मंगाने के लिए फण्ड नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि हम शीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो आने वाला बजट है, उसमें इन उक्त उपकरणों के लिए जो उपर्युक्त बजट है, उसको इस्तेमाल करने का आप आदेश देंगे जो 1988-89 में स्वीकृत हो चुका है और इस अस्पताल को जो उत्तर प्रदेश, बिहार और आधे मध्य प्रदेश के लोग हैं और लगभग 20 करोड़ की आबादी है, इसमें आम जनता को भी कम खर्च पर इलाज कराने की सुविधा माननीय मन्त्री जी देंगे और साथ ही सर यह बड़ी गम्भीर स्थिति हो जाती है जब लोग बाहर से आते हैं, मरीजों को देखने के लिए तो वहां पर एक जलपान गृह भी नहीं है और उनके रहने, ठहरने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या मन्त्री जी वहां इन सुविधाओं को उपलब्ध करावेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तीसरे चरण में नए आपरेशन थिएटर तथा अन्य सुविधाओं हेतु लगभग एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जहां तक रेल कर्मचारियों को छोड़, अन्य लोगों की सुविधाओं का प्रश्न है, हम रेल कर्मचारियों की चिकित्सा के अतिरिक्त 20 प्रतिशत नियमित भुगतान करते हैं। इन सभी लोगों का विशेषकर पूर्वोत्तर रेल, एन० एफ० रेल, उत्तर रेल, डी० एल० डब्ल्यू० तथा सी० एल० डब्ल्यू० के लोगों का उपचार इस अनुसन्धान संस्थान में किया जा रहा है।

बिहार को औषधियों की आपूर्ति

[हिन्दी]

*106 **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मेडिकल स्टोर्स संगठन से दवाओं की आपूर्ति का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जब भी दवाओं की आवश्यकता पड़ी, तभी मेडिकल स्टोर्स संगठन ने उनकी आपूर्ति की; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार ने 1-4-1992 से 26-11-1992 के बीच चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो कलकत्ता को 307 औषधों की मांग भेजी थी। इनमें से 78 औषधें चिकित्सा सामग्री संगठन की स्वीकृत सूची में शामिल नहीं की गई थीं, इसलिए कलकत्ता डिपो द्वारा इनकी आपूर्ति नहीं की जा सकी।

चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, कलकत्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शेष 229 मदों में से 169 मदों की पूरी या आंशिक रूप से आपूर्ति की गई। बाकी 60 मदों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) स्टाक में उपलब्ध होने पर मांग को शीघ्रता से पूरा किया जाता है। फिर भी, जब औषधों की आपूर्ति खरीद के बाद की जानी होती है, तब मांग पूरी करने में लगभग तीन माह तक लग जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार एक बहुत ही गरीब प्रदेश है और यहां पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बराबर होती रहती हैं। उसमें खासतौर से कालाजार का मामला बहुत दयनीय है। बिहार सरकार ने बहुत सारी दवाइयां, खासतौर से डी०डी०टी० मांगी थी, जो अब तक उसको नहीं दी गई है। साथ ही कालाजार के इलाज के लिए पैन्टामैडीन, स्नैक के लिए एंटीवीनम सीरम, कुत्ते के काटने पर रेबीज इन्जेक्शन और इनीशियल वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी दवाइयों की बिहार सरकार ने जो मांग की है, उसे आपने अब तक देने का काम नहीं किया है। आपके जवाब में, जो हमने देखा है, आपने स्वीकार किया कि दवाइयां नहीं मिली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार को ये सब चीजें कब तक मिल जायेंगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य के दो प्रश्न हैं—एक यह कि कालाजार के बारे में भारत सरकार ने क्या किया है और जो मैडीसन देनी थीं, क्या वे दी गई हैं या नहीं ? दूसरा यह कि बिहार सरकार केन्द्र सरकार से जो मैडीसन खरीदती है, उसके बारे में उन्होंने जो इनडैंट दिया था, उसमें कितनी मैडीसन्स दी गयीं और कितनी नहीं दी गईं ? जहां तक कालाजार का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता कि उसके लिए जितनी भी दवाई दरकार थी, जितनी भी डी०डी०टी दरकार थी, जितनी भी पैनटामैडीन दरकार थी, वह सब हमने कालाजार फेस करने के लिए बिहार सरकार को उपलब्ध की है। मैं समझता हूं कि उसके लिए बिहार सरकार को कोई भी शिकायत नहीं है। यदि कालाजार के बारे में किसी भी दवाई की जरूरत है तो हम वह दवाई दे देंगे। मुश्किल यह है कि वहां के डाक्टर रूरल एरियाज में नहीं जाते हैं। हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि डाक्टर्स को रूरल एरियाज में भेजें ताकि वह लोगों की देखभाल करें।

दूसरा प्रश्न जो पूछा है वह यह है कि बिहार सरकार ने कौन-कौन-सी दवाइयां मांगी थीं और कितनी दी गई हैं ? बिहार सरकार ने दो दवाइयां मांगी थीं वह 309 की एक एप्रूव्ड लिस्ट है। वे हर महीने उस लिस्ट में से कोई न कोई दवाई मांगते हैं। उनमें से जो इमीडिएटली उपलब्ध करते हैं उसमें दवाई इनडैन्ट होने के बाद तीन महीने लगते हैं। मेरी लिस्ट के मुताबिक

जो दवाइयां जरूरी थीं और जिनका इनडैन्ट भेजा था, उनमें से तीन महीने के अन्दर-अन्दर कुछ दवाइयां दी गई हैं। हाल ही में 26 नवम्बर को इनडैन्ट भेजा है। यह सम्भव नहीं है कि वह इमीडिएटली भेजी जाएंगी लेकिन अगर वह इमरजैंसी मैडीसन है और हमारे पास उपलब्ध है तो एक हफ्ते तक हम दे देते हैं। जैसे इसी वर्ष उन्होंने कुछ इमरजैंसी मैडीसन्स के बारे में कहा है। उन्होंने कोई 26 आइटम्स मांगे थे और उसमें से 15 आइटम्स हमने फौरी तौर पर एक हफ्ते में उपलब्ध करा दिए थे। उन 15 आइटम्स में से 5 आइटम्स ऐसे थे जो क्रिटिकल बीमारियों की मैडिसन्स थीं। हमारी तरफ से कोई देर नहीं हुई लेकिन थोड़ा बहुत राज्य सरकार को भी समय पर हमें इन्डेंट भेजना चाहिए ताकि दवाइयां उपलब्ध करायी जा सकें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, अभी जो मन्त्री जी ने जवाब दिया, मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं कि कालाजार के लिये सारी दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। अब भी हजारों लोग बिहार में इस बीमारी से ग्रस्त हैं और उनके लिये दवाइयों का इन्तजाम नहीं हो रहा है। उनको क्यू में लगना पड़ता है। बिहार सरकार ने आपसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिये 9 अरब 141 करोड़ रुपये की मांग की थी। जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके हिसाब से आपने सिर्फ बिहार सरकार को 836 लाख रुपया दिया। बिहार सरकार को अब भी 8 करोड़ 305 करोड़ रुपये चाहिये। साथ ही फैमिली प्लानिंग जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रापर्टी है, उसमें भी बिहार सरकार ने आपसे मांग की थी। उसमें से अभी आपको 6 अरब 272 करोड़ रुपये उसे देने हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह राशि उसको उपलब्ध करा दी जायेगी? साथ ही बिहार से आज हजारों लोग आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज के लिये आते हैं। क्या आपका इरादा ए०आई०आई०एम०एस० के बराबर का कोई एक हैल्थ सैंटर पटना में खोलने का है जिससे वहीं उनको सारी सुविधायें मिल सकें। गरीब आदमी इलाज के लिए यहां घूमते हैं और हमें आपको लिखना पड़ता है।

श्री एम०एल० फोतैदार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जितने हिसाब में कमजोर हैं, उतना ही मैं भी कमजोर हूं। 6 अरब का मसला नहीं हो सकता है, 6 करोड़ रुपये का मसला हो सकता है। यह एक सही बात है कि कुछ रुपये बकाया हैं जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बिहार सरकार को देने हैं लेकिन बहुत सा पैसा अभी आडिट नहीं हुआ है। जब तक आडिट किया हुआ ऐमाउन्ट भरतजी सरकार के पास नहीं आ जाता तब तक वह पैसा रिलीज नहीं हो सकता है। हमने बिहार सरकार से बहुत नम्र निवेदन किया है कि वह समय पर बिल भेजा करें जिससे समय पर उस ऐमाउन्ट को रिलीज किया जा सके। आज भी कुछ रकम बकाया है और बहुत-सी रकम आडिटेन हीं हुई है। हमने प्लानिंग कमीशन से आग्रह किया है कि वह समय पर इसके लिये पैसा दे दे। इसी तरह माननीय सदस्य ने कहा है कि कैंसर के इलाज के लिये बिहार से लोगों को यहां आना पड़ता है। हमनेइसके लिये आनकालोजी डिपार्टमेंट को अपग्रेड-किया है और हम कैंसर निवारण के लिये पैसा भी देते हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल और कुछ दूसरे अस्पतालों के लिये हमने पिछले साल 50 लाख रुपया दिया। हमारी इत्तला के मुताबिक उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर बिहार सरकार चाहे तो जहां कहीं भी खास तौर पर रूरल एरिया में अगर मेडिकल कालेज होगा, आनकालोजी डिपार्टमेंट उसके अपग्रेडेशन के लिये पैसा चाहे तो मैं उस पर ध्यान दे दूंगा। कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है जिसको कि हम दूर करना चाहते हैं। नार्थ के जितने एरियाज हैं, जहां यह बीमारी फैली हुई है, उसको कम करने के लिये अगर बिहार सरकार कहेगी तो उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और जिस हद तक हो सके, मदद कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि

पिछली महीने बिहार में मेडिकल स्टोर डिपो से बच्चों के स्वास्थ्य के लिये ट्रिपलएंटिजन या एंटी पोलिवा वैक्सिन्स प्राइमरी हैल्थ सेंटर भेजी गई, वे आउट ऑफ डेट और एक्सपायर्ड पायी गई। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद उनका प्रयोग बन्द कर देना पड़ा। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है? अगर जानकारी नहीं है तो क्या वह इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे? अगर जानकारी है तो इन्होंने कौन-सी कार्रवाई की या कौन-सी कार्रवाई करना चाहते हैं ताकि जानलेवा दवाइयां बच्चों को कम से कम न दी जायें जो कि उनका जीवन बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती हैं और ऐसी गलत दवाइयां का उनके जीवन का पूर्ण रूप से विनाश करने के लिये इस्तेमाल न हो सकें, उसके लिये वह क्या करने जा रहे हैं?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य का आभारी हू कि उन्होंने कुछ मसले उठाये। मैं बिहार सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं और मुख्य मंत्री से हाउस के माध्यम से बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं। एक दो बातें हुई हैं कि जो उनको दवाइयां देनी थीं, अप टू दि एण्ड लास्ट मन्थ, 7.5 करोड़ का उनका इन्डैण्ट था, पांच करोड़ की दवाइयां आई०यू०फ्लूड्स हमने दे दी हैं। आई० यू० फ्लूड्स प्लास्टिक बैग्स में दिया जाता है, प्लास्टिक बॉटल्स में दिया जाता है तो बिहार सरकार ने कहा कि हम यह नहीं लेंगे, क्योंकि यहां चूहे बहुत हैं, चूहे आई०यू० फ्लूड्स के बैग्स खाते हैं इसलिए आप ग्लास बोटल्स दीजिए इसलिए चूहों के लिये दवाइयां भी यहां से बिहार सरकार को देनी हैं।

तीसनी बात जो माननीय सदस्य ने कही एण्टी पोलियो वैक्सीन के बारे में, मेरे नोटिस में यह बात आ गई कि यहां यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं हो रहा है, आप ही के कुछ सदस्यों ने यह कहा कि वहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले जोइण्ट सैक्रेटरी कन्सन्र्ड हैं, उनको भेजा, उन्होंने टूर किया और वहां के आफिसर्स ने खुद इस बात को तसलीम किया है, जो वहां मैडीकल आफिसर्स हैं, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया। बाद में मैंने सैक्रेटरी, फैमिली वैलफेयर को बिहार भेजा। वह तीन दिन का प्रोग्राम करके गांवों में गये, जहां-जहां भी यह प्रोग्राम है, वहां बहुत जगह यह फेल हुआ था, जो कोड चेन सिस्टम है और बिहार सरकार ने उसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमने बिहार सरकार को आग्रह किया है कि अगर बड़ों का नहीं तो कम से कम बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों के पालन-पोषण के लिये जो भी दवाइयां यहां से दी जाती हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और समय पर इस्तेमाल करें।

श्री नीतीश कुमार : हमने दवा की खराबी के बारे में पूछा है, अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटैक्शन चाहिये। हमने दवा को खराबी के बारे में पूछा है, यहां से जो दवा गई, वह दवा खराब थी, अध्यक्ष महोदय, यह हमने पूछा। यह बहुत ही गम्भीर मसला है, यहां से दवा खराब भेजी गई।

शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना

[अनुवाद]

*107. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल की सुविधा प्रदान करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) शिक्षा के आयोजन तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने तथा इसे देश के विकास और जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं; और

(घ) प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए ठोस संसाधन आधार बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रा० शै० अनु० व प्र० परिषद द्वारा किए गए 5वें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार, 94.45 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए उनकी अपनी बस्तियों या एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल/सैक्शन है। जनसंख्या के बहुत छोटे हिस्से (1.40%) के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तक कोई प्राथमिक स्कूल सैक्शन नहीं है। 5.58 लाख प्राथमिक स्कूलों के अतिरिक्त, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में 2.70 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं ताकि स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों, पूर्ण दिवसीय स्कूल न जा सकने वाले कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०) 1986 में शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्ध पद्धति की पूरी तरह जांच करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य विकसित हो सके तथा यह देश के विकास तथा जनशक्ति की जरूरतों के साथ समाकलित हो सके। संशोधित कार्य-योजना 1992 में, इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है तथा इसकी एक प्रति भी 19 अगस्त, 1992 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए हैं। अपर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए भी शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

(घ) स्कूल शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ संसाधन आधार बनाने के लिए, अब तक 307 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों की कार्य-प्रणाली को गतिशील बनाने तथा उन्हें और अधिक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव है। जिला स्तरों पर, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा पद्धतियों को शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 300 से भी अधिक जिला संसाधन एकक संस्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, पहले भाषा को लेकर एक छोटी-सी समस्या, जो इस प्रश्न से उपस्थित हुई है, उसको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैंने यह प्रश्न अंग्रेजी में दिया था और यह प्रश्न अंग्रेजी में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है और उसके "डी" में उसी शब्द का फिर वहां इस्तेमाल किया गया है लेकिन हिन्दी में यूनिवर्सलाइजेशन का तर्जुमा अनिवार्य बनाना करके कर दिया है। लेकिन आगे जाकर जब उत्तर दिया है, जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें सर्वसुलभीकरण है। यूनिवर्सलाइजेशन का सर्व सुलभीकरण करके कर दिया है। यह भाषा की समस्या अगर शिक्षा मन्त्रालय में ही हो तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या हालत हो सकती है, जहां इन सारी चीजों को पढ़ाने की बात है।

अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जो जानना चाहता हूं, वह यह है कि शिक्षा क्षेत्र में जो गैर बराबरी का एक ढांचा अंग्रेजों ने बनाया था, राज करने के लिए जिनका इस्तेमाल करना था, उनके लिए एक शिक्षण और औरों के लिए कोई शिक्षण नहीं। लेकिन आजादी के बाद औरों के लिए वही शिक्षण, जिसका कोई विशेष मतलब नहीं और राज करने वाले या जिनके हाथों में साधन हैं, उनके लिए एक अलग प्रकार का शिक्षण, जिसका नमूना जब हम स्कूल की तरफ नजर डालते हैं तो यह दिखाई देता है कि सम्पन्न लोगों के लिए महीने में 500 और हजार रुपया अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने की क्षमता और जो म्यूनिसिपल और गांव के प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए महीने में पांच और दस रुपये वाली शिक्षा का इन्तजाम तो यह जो विषमता को बरकरार रखने की आपकी योजना है, इसको बदलने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने निश्चित ही एक बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू पर यहां पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह कहने की स्थिति में तो नहीं हूं कि इस दिशा में जो कुछ किया जाना था, वह सब कुछ किया जा चुका है लेकिन इतना मैं आपसे विनम्रता से जरूर कहना चाहूंगा कि इस विषमता को और बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास नहीं है, जो हमारे पास साधन हैं, उनसे अलग-अलग तरीकों से इस विषमता को घटाने के लिए ही कोशिश की जा रही है। उसमें हम किस हद तक सफल हुए हैं, वह एक अलग सवाल है।

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : बराबरी की शिक्षा।

श्री अर्जुन सिंह : बराबरी की शिक्षा का ही मेरा तात्पर्य था, जो आपने यहां पर कहा है।

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : इससे अर्थ यह होता है कि कोई आशा रखना गलत होगा।

अध्यक्ष जी, अभी चन्द महीनों पहले एन०सी०ई०आर०टी०की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है ग्रामीण इलाकों में 50 प्रतिशत से अधिक स्कूलों के लिए मकान नहीं है, 60 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है और 70-80 प्रतिशत स्कूलों में पखाना जैसी एक आवश्यक जगह का भी इन्तजाम नहीं है। विशेषकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो उससे उनको अधिक तकलीफ है। लाइब्रेरी नाम की कोई चीज की चर्चा करना बेकार है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, यह जो दो-तीन महीने पहले एन०सी०ई०आर०टी० की रिपोर्ट आई है, क्या मन्त्री महोदय ने उस रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है ? यह जो गांवों में प्राइमरी स्कूलों से लेकर बच्चों की पढ़ाई की जो लाचारी है, उसको दूर करने के लिए अगर आप बराबरी वाली बात नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सही जगहों पर उनके लिए पढ़ने का इन्तजाम करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थितियां समय-समय पर सामने आई हैं। रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें भी कुछ तथ्य सामने लाए गए हैं। इस दिशा में समय-

समय पर कई योजनाएं जैसे आपरेशन ब्लैक बोर्ड, बिल्डिंग्स का प्रोग्राम, फैसीलिटीज का प्रोग्राम प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रैंथन करने के लिए हाथ में लिया गया है। सब हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनमें कुछ शुरूआत की गई है। चूंकि स्पष्ट है कि यह समस्या इतनी बड़ी है और साधनों की कमी के कारण हम उस हद तक समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिस हद तक समाधान होना आपके ही मत में और मेरे भी मत में आवश्यक है। यह सही परिस्थिति है।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को स्तरीय शिक्षा दी जाये। इस क्षेत्र में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों की है। ज्यादातर गांवों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रो के भावों में अच्छे अध्यापक नहीं मिलते हैं।

, दूसरी बात यह है कि खाली पदों को भरा नहीं जाता है।

तीसरी बात यह है कि गांवों में रहने वाल लोग वर्तमान अध्यापकों से सन्तुष्ट नहीं हैं। अतः इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

पचायती राज विधेयक लागू होने से हमें एक ऐसी व्यवस्था पर विचार करना होगा जिसके अन्तर्गत प्रायमिक अध्यापकों पर राज्य स्तर पर नियन्त्रण रखने की बजाय प्रभावित गांव स्वयं नियन्त्रण रख सकें।

मैं मन्त्री जी से इस बात का उत्तर देने के लिए अनुरोध करूंगा कि : क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के बारे में कोई कदम उठा रही है कि विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति हो सके ?

दूसरी बात यह है कि क्या अध्यापकों के अध्यापन-स्तर को कायम रखा जा रहा है।

तीसरी, क्या ग्राम पंचायत को अध्यापकों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाएगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि अध्यापकों की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि वे विद्यालयों में अच्छी तरह से कार्य कर सकें, ये दोनों अलग बातें हैं। जिछले दो वर्षों में हमने लगभग 80,000 से भी अधिक अध्यापकों को नियुक्त किए जाने के लिए आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड के अन्तर्गत अनुदान दिया है।

यह सच्चाई है कि अधिकतर अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि यह तो राज्यों को ही देखना होता है कि जिन अध्यापकों की जहां नियुक्ति हुई है, वे वहां जाकर सेवा करें और वे किसी और स्थान पर स्थानान्तरण का अनुरोध न करें।

जहां तक अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ किए जाने की बात के सम्बन्ध में है, मैं सोचता हूं कि हमने अध्यापक प्रशिक्षण परियोजना निकायों की स्थापना कर इस बारे में बहुत से कदम उठाए हैं। इनके द्वारा, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो अध्यापक सेवा करते हैं, उनमें जागरूकता और सक्षमता दोनों बातों का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

जहां तक विकेन्द्रीयकरण की बात का सम्बन्ध है, इस बारे में पंचायती राज अधिनियम बन जाने के बाद देखा जा सकेगा। अभी भी राज्य सरकारों से परामर्श करने पर वर्ष 1992 की जो

कार्य योजना बन पाई है, उसमें भी कहा गया है कि शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण करना और शैक्षणिक प्रशासन को सुदृढ़ किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी बीच हमने योजना में यह सुझाव दिया है कि हम ग्राम शिक्षा समितियों, स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से लोगों को इसमें शामिल करेंगे तथा विद्यालय और शिक्षा परिसरों की स्थापना करके, राज्य सलाहकार निकायों और शिक्षा बोर्डों की स्थापना करके लोगों को इनमें शामिल किया जायेगा।

ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि समेकित रूप से विकेन्द्रीयकरण के बारे में और शैक्षणिक कार्यक्रमों को लागू किया जाने के पक्ष में हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, हम इस विषय पर आधे घण्टे तक चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप सूचना दे दें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से केवल एक बात जानना चाहती हूं। शिक्षा के मामले में बजट सम्बन्धी सहायता कम किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का सुधार आवश्यक है, वैसा सुधार सम्भव नहीं हो सकता। यद्यपि शिक्षा पर खर्च होने वाले कुल बजट में से प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होने वाले बजट के भाग में वृद्धि हुई है, शिक्षा के मामले में कुल बजट सहायता में काफी कमी की गई है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा में वास्तविक सुधार लाने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा इस कमी को किस तरह से पूरा किया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह : संसाधनों की कमी के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि किया जाना स्वयं इस बात का द्योतक है कि हम प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च महत्व प्रदान कर रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन शिक्षा के लिए कुल बजट आवंटन तो कम हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन में सही माइनों में वृद्धि हुई है?

श्री अर्जुन सिंह : सही माइनों से आपका क्या अभिप्राय है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सही माइनों का अर्थ है कीमतों को ध्यान में रखा जाना।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन कुल बजट आबंटन तो कम हुआ है।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे पता है और मैं भी यही कह रहा हूं कि भले ही कुल आवंटन में कमी हुई है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनके दृष्टिगत हमने प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक बजट आवंटित किया है। जहां तक कुल बजट आबंटन का सम्बन्ध है, दुख इस बात का है कि हमारे पास संसाधनों का भारी अभाव है और मैं अपनी ओर से इस बात का विशेष रूप से उत्तर नहीं दे सकता कि संसाधनों में वृद्धि की जायेगी। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वानिकी अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

*105. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वानिकी अनुसन्धान के लिए भारतीय वानिकी अनुसन्धान परिषद और शिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय/तकनीकि सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से कौन-कौन-सी योजनायें चलाई जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत "भारतीय वानिकी अनुसन्धान और शिक्षा परिषद् के सुदृढ़ीकरण और विकास" के लिए एक परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है। यह परियोजना वर्ष 1992-97 तक की पांच वर्षों की अवधि के अन्दर कार्यान्वित की जानी है।

भारत सरकार का अंशदान तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत सहायता क्रमशः 21.94 मिलियन रुपये तथा 2.56 मिलियन अमरीकी डालर हैं। परियोजना की मुख्य मदों में उपकरण और सामग्री की खरीद, किसानों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शनों का आयोजन, प्रौद्योगिकीय पैकेजों के प्रचार के लिए राज्य अनुसन्धान संगठनों के साथ सहयोग, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवाओं का उपयोग तथा वानिकी की समस्याओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण और अध्ययन शुरू करना शामिल है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

*108. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्तपालों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐसे अस्पताल खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) भारत सरकार अपने समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है । इस बारे में उठाए गए कदम हैं—शिक्षा में सुधार; प्रत्येक पद्धति के सिद्धान्तों और दर्शन पर मुख्य रूप से अनुसन्धान कार्य को बढ़ावा देना; औषधीय पादपों का विकास, भेषजीय मानक निर्धारित करना और औषधि परीक्षण सुविधायें प्रदान करना ।

विवरण

अस्पतालों की संख्या

क्र०स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	6	—	2	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	—	—	—
3.	असम	2	—	—	—	1
4.	बिहार	9	2	—	1	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	44	—	—	—	1
7.	हरियाणा	6	1	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13	—	—	1	—
9.	जम्मू व कश्मीर	2	—	—	1	—
10.	कर्नाटक	19	4	1	1	3
11.	केरल	104	—	—	1	—
12.	मध्य प्रदेश	33	2	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	30	3	—	4	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	8	1	—	—	—
19.	पंजाब	9	—	—	—	—
20.	राजस्थान	87	6	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7
21	सिक्किम	1	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2	2	105	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1139	80	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	4	1	—	—	1
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	1	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—
29.	दमण व दीप	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	7	2	—	—	1
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	1	1	—	—
	अखिल भारत	1530	110	107	15	7

नोट : सूचित नहीं की गई ।

कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम

*109. **संदीपन भगवान थोरात :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई, उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रुपये)		
	1989-90	1990-91	1991-92
आंध्र प्रदेश	—	20.00	70.00
असम	24.00		70.00
बिहार	—	50.00	—
दिल्ली	51.00	60.00	52.50
गोवा	12.00	—	—
गुजरात	20.00	35.00	25.00
जम्मू और कश्मीर	12.00	—	70.00
कर्नाटक	25.00	35.00	50.00
केरल	32.00	35 00	50.00
मध्य प्रदेश	15.00	55.00	40.00
महाराष्ट्र	12.00	—	7.50
मणिपुर	—	50.00	—
उड़ीसा	18.00	40.00	15.00
पंजाब	—	20.00	—
राजस्थान	24.00	—	90.00
सिक्किम	—	—	2.50
तमिलनाडु	69.00	50.00	55 00
त्रिपुरा	—	20.00	—
उत्तर प्रदेश	12.00	—	120.00
पश्चिम बंगाल	196.50	244.70	368.30

(ख) उक्त वित्तीय सहायता निम्नलिखित स्कीमों के लिए दी गई थी :

1. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान देने की स्कीम*

2. कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता की योजना*

3. कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निवारक स्वास्थ्य शिक्षा, शुरू में ही पता लगाने और प्रशामक उपचार के लिए जिला परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की स्कीम**

4. मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के आन्कालाजी विंग के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की स्कीम**

5. कैंसर की निवारक स्वास्थ्य शिक्षा और उसका शुरू में ही पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम**

*ये चल रही स्कीमें हैं।

**ये स्कीमें नई हैं और 1990-91 में आरम्भ की गई थीं।

[हिन्दी]

महिला तथा बाल कल्याण कार्यक्रम

*110. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिला तथा बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं/कार्यक्रम की उपयोगिता और उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण करने हेतु कोई विश्लेषण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सहायता प्रदान करती है। मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) जिसमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० योजना और आई० सी० डी० एस० प्रशिक्षण शामिल हैं।

(2) गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०)।

(4) महिला विकास परियोजना।

(5) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्रों/सस्थानों की स्थापना करना।

(6) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण की योजना।

(7) किशोर कुसमंजन निवारण एव नियन्त्रण योजना।

(8) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :

(क) सर्व व्यापक रोग प्रतिरोधन कार्यक्रम

(ख) मौखिक पुनर्जलीकरण उपचार कार्यक्रम

(ग) रोग प्रतिक्षरण कार्यक्रम

निम्नलिखित योजनायें इस वर्ष के दौरान राज्यों में अन्तरित कर दी गई हैं :

(1) गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम ।

(2) महिला विकास परियोजना ।

(3) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना ।

(4) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण की योजना ।

वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान और 1992-93 से अब तक आबंटित राशि, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा खर्च की गई धनराशि और लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के ब्योरे विवरण (क) से (ज) में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) सभी कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण, विश्लेषण और प्रबोधन/मूल्यांकन किया जाता हैं और उनमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं ।

विवरण-1 (क)

आई० सी० डी० एस० योजनाओं के सतत कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता-अनुदान तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	प्रदेश का नाम	1990-91		1991-92		1992-93
		दी गई धनराशि	किया गया खर्च	दी गई धनराशि	किया गया खर्च	23-11-92 तक जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1157.95	820.58	1062.12	1147.07	1061.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.80	111.19	148.20	131.57	196.26
3.	असम	762.91	624.05	664.59	756.32	480.29
4.	बिहार	2383.01	1915.93	2234.27	2451.08	1897.91
5.	गोवा	145.05	101.22	103.32	107.76	85.23
6.	गुजरात	1801.49	1604.50	1791.82	1667.21	844.39
7.	हरियाणा	444.24	313.70	355.99	448.66	379.58
8.	हिमाचल प्रदेश	342.05	291.71	350.08	323.78	263.39
9.	जम्मू और कश्मीर	313.14	303.18	331.98	268.45	224.90

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	1217.43	859.12	1010.02	1458.79	914.12
11.	केरल	931.50	817.42	519.65	699.18	511.29
12.	मध्य प्रदेश	1814.39	1705.67	1909.14	2000.84	1789.51
13.	महाराष्ट्र	2444.88	2063.49	2222.41	2210.95	1355.68
14.	मणिपुर	209.69	131.11	199.95	235.29	193.68
15.	मेघालय	179.92	111.26	104.40	166.78	170.60
16.	मिजोरम	229.91	144.65	172.38	234.84	147.19
17.	नागालैण्ड	231.82	180.94	208.68	233.79	201.42
18.	उड़ीसा	923.54	557.30	596.16	597.44	693.94
19.	पंजाब	589.48	461.06	553.29	527.83	355.19
20.	राजस्थान	1270.69	832.36	963.23	1086.48	819.58
21.	सिक्किम	53.12	43.28	50.29	43.08	30.99
22.	तमिलनाडु	1155.32	848.52	946.60	1058.41	859.90
23.	त्रिपुरा	120.01	43.96	92.25	167.73	147.12
24.	उत्तर प्रदेश	2422.89	2422.89	1914.58	2136.94	2127.07
25.	पश्चिम बंगाल	1693.57	1608.34	1642.60	1631.03	1425.41
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.36	27.36	31.89	31.36	31.02
27.	चण्डीगढ़	24.00	24.00	25.43	24.05	25.51
28.	दादर और नगर हवेली	12.70	12.70	15.11	15.12	12.77
29.	दमन और द्वीप	8.00	8.00	8.53	8.74	15.51
30.	दिल्ली	373.62	371.80	378.89	352.40	318.92
31.	लक्षद्वीप	6.42	6.42	6.51	6.51	7.77
32.	पाण्डेचेरी	70.00	70.13	74.64	74.65	53.01

विवरण-1 (क)

गत तीन वर्षों के दौरान आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों (0-6) तथा माताओं की संख्या

कुल लाभ प्राप्त कर्ता

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1992-93			1991-92			1990-91		
		माताएं	बच्चे	योग	माताएं	बच्चे	योग	माताएं	बच्चे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	261177	1209917	1471094	168654	766057	934711	159130	757250	916380
2.	असम	61198	275747	336945	28395	171601	199996	405470	274010	319480
3.	बिहार	121426	831656	953082	118676	823615	942291	133600	925420	1059020
4.	गुजरात	151212	871312	1022524	139476	804427	943903	128940	780100	909040
5	हरियाणा	173492	638618	812110	144162	532701	676863	154160	535590	689750
6	हिमाचल प्रदेश	24602	119360	143962	20169	94028	114197	21240	85380	106620
7.	जम्मू और कश्मीर	30994	145872	176866	28117	130437	158554	28050	129980	158030
8.	कर्नाटक	194840	1332223	1527063	162416	1126951	1289367	139660	964330	1103990
9.	केरल	123416	603398	726814	102204	598160	700364	99340	548850	648190
10.	मध्य प्रदेश	242924	1185130	1428054	202503	904386	1106889	181220	854960	1036180
11.	महाराष्ट्र	336016	1642630	1978646	351824	1553297	1905121	267840	1266830	1534670
12.	मणिपुर	12008	57977	69985	22979	81220	104199	33590	133410	167000
13.	मेघालय	9526	68589	78115	10104	59434	69538	11800	57080	68880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	नागालैंड	23105	104223	127328	24765	107082	131847	26370	125190	151560
15.	उड़ीसा	134947	831379	966526	121071	722197	843268	110010	660940	770950
16.	पंजाब	59152	236914	296066	27620	138013	165633	44360	209820	254180
17.	राजस्थान	126348	223747	850095	114440	634691	749131	115530	644880	760410
18.	सिक्किम	2153	12419	14572	2837	15476	18313	3560	12690	16250
19.	तमिलनाडु	31762	454228	535990	70266	336995	407261	44310	296100	360500
20.	त्रिपुरा	6570	48200	54770	6786	60876	57662	7320	60020	67340
21.	उत्तर प्रदेश	248073	1022419	1270492	227028	990428	1217456	252980	1066770	1319750
22.	वैस्ट बंगाल	157242	1076963	1434205	128988	868173	997161	129320	887950	1017270
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3232	11994	15226	4656	16903	21559	5600	19440	25040
24.	गोवा	8928	36953	45881	7607	32367	39974	8050	33440	41490
25.	अरुणाचल प्रदेश	10039	46779	56818	10064	62276	52340	8110	43230	51340
26.	चण्डीगढ़	3779	12587	16366	3344	6856	10200	3380	7220	10600
27.	दादर और नागर हवेली	3782	12545	16327	3262	9583	12845	3350	9430	12780
28.	दिल्ली	47704	257298	305002	54620	286933	341553	57110	282470	339580
29.	दमन और दीयू	1204	4883	6067	1262	4738	6000	1200	4600	5800
30.	लक्ष्यद्वीप	2022	8558	5580	2925	5546	8471	3000	5100	8100
31.	मिजोरम	12229	54560	66789	13517	61154	74671	13320	59220	72540
32.	पाण्डेचेरी	10874	45717	56591	10440	33808	44248	10080	37280	47360

विवरण-1 (ग)

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-95 के दौरान (अब तक) राज्य सरकारों को दी गई धनराशि तथा इसी अवधि के दौरान किया गया व्यय।

(लाख रुपये में)

राज्य	1990-91		1991-92		1992-93	
	दी गई अनुदान राशि	किया गया खर्च*	जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च	25-11-92 तक जारी किया गया अनुदान	30-6-92 तक किया गया खर्च
1. आंध्र प्रदेश	500	247.69	2800.00	530.00	1000	61.08
2. उड़ीसा	450	422.16	3595.96	1543.83	शून्य	422.77
3. बिहार	शून्य	शून्य	3.00	**	शून्य	—
4. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	1.01	**	1.00	—

*1-10-89 से 22-1-90 तक की अवधि के दौरान किया गया व्यय भी शामिल है जिसके लिए विश्व बैंक से पूर्व प्रभावी वित्त पोषण अनुमेय है।

**सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-1 (घ)

आई० सी० डी० एस० प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया गया आबंटन/दी गई अनुदान सहायता*

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1990-91		1991-92		1992-93	
		आबंटित राशि	व्यय	आबंटित राशि	व्यय	आबंटित राशि 30-10-92 तक	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.38	43.90	47.14	शून्य	11.12	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.75	0.76	—	शून्य	1.51	—
3.	असम	8.04	3.47	6.28	शून्य	3.02	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	36.14	16.00	13.79	24.96	24.14	—
5.	गोआ	2.75	2.02	शून्य	—	शून्य	—
6.	गुजरात	41.00	38.87	36.95	38.84	18.25	17.17
7.	हरियाणा	8.03	3.82	शून्य	5.07	3.02	—
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
9.	जम्मू और कश्मीर	12.05	6.24	शून्य	5.52	6.00	—
10.	कर्नाटक	33.63	28.63	25.68	41.39	21.12	—
11.	केरल	17.98	13.43	2.84	9.14	13.58	2.68
12.	मध्य प्रदेश	49.23	39.93	33.01	48.97	21.12	—
13.	महाराष्ट्र	44.96	40.06	41.02	44.40	18.10	23.05
14.	मणिपुर	2.21	0.33	0.33	1.92	1.51	1.51
15.	मेघालय	4.02	6.66	3.76	7.82	3.02	—
16.	मिजोरम	3.02	3.92	3.24	3.77	1.51	—
17.	नागालैण्ड	3.23	3.02	3.02	प्रतीक्षित	1.51	1.65
18.	उड़ीसा	18.55	8.57	9.05	4.05	4.54	—
19.	पंजाब	7.53	7.17	3.59	5.03	4.52	—
20.	राजस्थान	45.25	23.55	23.55	29.29	10.10	6.43
21.	सिक्किम	2.79	1.67	शून्य	1.44	1.51	—
22.	तमिलनाडु	21.76	13.42	12.92	23.96	4.23	—
23.	त्रिपुरा	0.75	0.92	3.37	7.14	4.52	0.77
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	46.25	32.83	30.45	32.04	17.50	—

सूचना प्रतीक्षित है।

*इसमें भारत सरकार द्वारा सीधे तौर पर वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थानों के सीधे प्राप्तकर्ता शामिल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है।

विवरण-1 (क)

आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्त्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं) सम्बन्धी ब्यौरे*

	1990-91	1991-92	1992-93 (अक्तूबर 92 तक)
1. आंध्र प्रदेश	2,716	2,753	1,516
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3. असम	1,126	1,456	665
4. बिहार	2,271	2,250	862
5. गोवा	151	62	—
6. गुजरात	2,571	3,057	1,566
7. हरियाणा	1,325	2,067	687
8. हिमाचल प्रदेश	—	205	—
9. जम्मू और कश्मीर	276	205	32
10. कर्नाटक	2,525	2,384	1,296
11. केरल	1,312	1,323	56
12. मध्य प्रदेश	2,311	6,775	2,402
13. महाराष्ट्र	2,825	2,838	775
14. मणिपुर	—	—	—
15. मेघालय	265	142	206
16. मिजोरम	—	50	—
17. नागालैंड	—	31	—
18. उड़ीसा	551	3,773	194
19. पंजाब	58	2,052	135
20. राजस्थान	1,441	1,854	508
21. सिक्किम	—	—	11
22. तमिलनाडु	—	—	—
23. त्रिपुरा	—	574	129
24. उत्तर प्रदेश	3,388	4,633	4,431
25. वैस्ट बंगाल	3,793	2,043	1,227

*इसमें इन राज्यों में भारत सरकार से सीधे तौर पर सहायता प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण संस्थानों के लाभ प्राप्तकर्त्ता शामिल हैं।

—सूचना प्रतिशित है।

विवरण-1 (ख)

आई० सी० डी० एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं (अन्य आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं) के ब्यौरे

प्रशिक्षण	वर्ष 1990-91	1991-92	1992-93 (31-10-92 की स्थिति अनुसार)
बाल विकास परियोजना अधिकारी/ सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी			
कार्य प्रशिक्षण	323	304	235
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	230	178	130
सुपर बाजार			
कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1063	1076	650
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	484	579	399
एस० ओ० एस०, बा०वि०प०अ० का प्रशिक्षण			
नियमित पाठ्यक्रम	3850	3071	1151 (30-9-92 तक)
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	6340	5959	1889 (30-9-92 तक)
अन्य प्रशिक्षण			
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र/मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशालाओं आदि के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	1827	710	409

विवरण-II

11. गेहूं-आधारित पोषाहार कार्यक्रम

वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान आवंटित राशि, खर्च की गई राशि तथा लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	90-91 के दौरान दी गई राशि	लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं की संख्या	91-92 के दौरान खर्च की गई राशि	91-92 के दौरान दी गई राशि	लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या	91-92 के दौरान खर्च की गई राशि	लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या	1992-93 के दौरान जारी की गई धन-राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	197.40	0.580	101.00	479.82	4.20	507.55	2.20	192.00
2.	असम	29.61	0.665	—	71.47	1.29	118.83	0.97	29.00
3.	बिहार	22.20	0.800	—	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दादर	8.00	0.086	0.21	2.72	0.04	3.66	0.04	1.00
5.	दमन	1.00	0.020	0.17	8.08	0.08	2.84	0.03	1.00
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	1.21	0.02	1.08	0.01	0.50
7.	गुजरात	49.60	0.660	42.34	47.67	0.37	81.07	0.40	19.00
8.	हरियाणा	92.12	0.814	77.04	93.07	0.77	84.61	0.41	37.00
9.	हिमाचल प्रदेश	22.20	—	6.96	17.15	0.33	19.87	0.17	7.00
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	—	64.35	1.15	57.60	0.61	26.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मध्य प्रदेश	44.85	2.550	44.35	87.47	2.55	191.23	1.34	35.00
12.	महाराष्ट्र	782.68	6.806	782.63	1047.58	6.29	747.83	3.33	327.00
13.	मेघालय	—	0.080	—	3.32	0.03	उ० न०	0.02	1.00
14.	उड़ीसा	487.68	7.890	403.72	594.80	7.39	631.94	3.85	233.00
15.	पाण्डेचेरी	18.00	0.497	12.41	8.15	0.44	12.23	0.16	3.00
16.	राजस्थान	84.85	0.770	48.36	53.29	0.66	50.70	0.52	21.00
17.	तमिलनाडु	114.85	1.888	111.40	183.11	1.20	98.96	0.63	76.00
18.	उत्तर प्रदेश	84.85	—	—	269.82	3 53	257.53	1.87	108.00
19.	वैस्ट बंगाल	19.74	0.510	—	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

—सूचना प्रतिक्षित है ।

विवरण-III

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०)

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	1990-91 आवंटित धनराशि	1990-91 खर्च की गई धनराशि	1990-91 सदस्यता की कुल संख्या	1991-92 आवंटित धनराशि	1991-92 किया गया व्यय	1991-92 सदस्यता की कुल संख्या	1992-93 (अक्तूबर) आवंटित धनराशि	1992-93 (अक्तूबर) किया गया व्यय	1992-93 (अक्तूबर) सदस्यता की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	54.00	94.00	8746	61.24	95.24	8572	15.15	6.81	126
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.10	10.10	4616	14.14	6.41	1508	10.10	0.15	1431
3.	असम	23.00	37.00	309	25.25	31.14	1188	31.46	10.84	1042
4.	बिहार	73.00	41.00	2890	75.75	37.33	7430	10.16	5.76	3487
5.	गोवा	5.00	5.00	420	4.20	9.66	1000	0 31	—	—
6.	गुजरात	11.00	39.00	3861	45.61	67.39	7679	6.06	5.48	378
7.	हरियाणा	37.00	6.00	3323	52.15	87.64	5558	13.13	30.98	2013
8.	हिमाचल प्रदेश	43.00	20.00	1774	28.11	32.54	7085	10.10	9.39	11176
9.	जम्मू और कश्मीर	10.00	31.00	1375	—	16.95	3384	3.03	1.37	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	45.00	57.00	6852	43.66	44.78	3675	9.09	11.36	1516
11.	केरल	29.00	9.00	2057	30.07	60.62	57311	12.70	18.50	564
12.	मध्य प्रदेश	43.00	25.00	11222	74.93	84.54	15507	20.26	45.08	5681
13.	महाराष्ट्र	47.00	30.00	3530	39.43	32.62	4601	20.20	6.32	604
14.	मणिपुर	—	12.00	3000	47.11	16.15	2526	5.05	—	—
15.	मेघालय	5.00	6.00	780	5.05	5.48	660	5.05	4.64	835
16.	मिजोरम	13.00	20.00	1500	10.59	16.12	596	3.03	1.69	1356
17.	नागालैंड	10.00	7.00	—	24.14	13.84	2100	20.88	22.10	3000
18.	उड़ीसा	24.00	74.00	3691	60.99	43.79	5460	5.05	8.63	930
19.	पंजाब	24.00	28.00	3006	33.74	41.39	5457	7.68	8.39	895
20.	राजस्थान	35.00	21.00	6389	78.79	34.75	5936	17.97	1.07	1137
21	सिक्किम	1.00	8.00	575	5.05	6.35	1099	—	7.59	315
22	तमिलनाडु	57.00	27.00	11007	47.20	33.74	2020	10.10	9.60	622
23.	त्रिपुरा	13.00	12.00	3107	1.33	7.15	849	3.03	4.50	70
24.	उत्तर प्रदेश	128.00	93.00	20554	104.04	119.39	50199	7.00	15.67	3335
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	21.00	3292	32.98	59.50	5650	10.10	3.16	378
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	1.00	1616	2.64	2.19	828	5.32	0.27	199

27. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. दादर और नगर हवेली	—	—	474	7.60	7.60	75	—	0.75	—
29. दमन और दीव	—	—	—	—	0.15	17	—	—	—
30. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. लक्ष्यद्वीप	—	3.00	72	2.88	4.35	30	—	0.43	—
32. पाण्डेचेरी	3.00	2.00	—	4.05	2.27	211	—	0.58	—
योग :	774.00	739.00	109557	962.72	1072.49	208499	261.89	241.09	31191

विवरण-IV

महिला विकास परियोजना

महिला विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा राजस्थान में आबंटित राशि का ब्यौरा

(रु० लाखों में)

राज्य का नाम	आबंटित राशि		
	1990-91	1991-92	1992-93
राजस्थान	24.00	52.00	शून्य

एन० बी० यह एक जन जागृति विकास कार्यक्रम है। लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

विवरण-V

संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की सहायता योजना

संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान धनराशि के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार आबंटन तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990-91		1991-92		1992-93
		आबंटित धनराशि	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या	आबंटित धनराशि	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या	आबंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1.97	310	3.19	3.75	1.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	0.27	25	—	—	—
4.	बिहार	—	—	25	—	0.12
5.	गोवा	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	0.20	100	0.73	50	0.48
7.	हरियाणा	0.52	80	0.46	80	0.20
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	7.69	920	9.36	250	2.57
11.	केरल	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	240	2.70	400	1.40
13.	महाराष्ट्र	4.26	—	0.48	50	10
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	2.98	245	1.85	1.55	1.29
19.	पंजाब	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	3.30	320	8.95	815	3.02
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1.17	160	4.56	590	1.40
25.	वैस्ट बंगाल	1.97	185	0.86	150	1.15
26.	दिल्ली	2.77	230	3.84	260	2.00

विवरण-VI

देखभाल और संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण की योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई अनुदान राशि

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990-91 जारी की गई धनराशि	1990-91 किया गया व्यय	1990-91 लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं की संख्या	1991-92 जारी की गई धनराशि	1991-92 किया गया व्यय	1991-92 लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं की संख्या	1992-93 जारी की गई धनराशि	1992-93 लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10,40,026	31,59,552	3225	22,88,699	उ०न०	3250	22,88,699	3250
2.	असम	9,69,570	19,39,140	920	8,06,650	उ०न०	920	8,06,650	920
3.	बिहार	8,24,850	उपलब्ध नहीं	1550	2,82,914	उ०न०	1550	2,82,914	1550
4.	गुजरात	20,92,500	22,00,915	1228	10,82,521	21,51,153	1318	10,82,521	1318
5.	हरियाणा	5,80,448	11,82,192	609	6,56,125	उ०न०	659	6,56,125	659
6.	हिमाचल प्रदेश	90,451	72,500	82	1,44,864	1,56,623	82	1,44,864	82
7.	कर्नाटक	53,88,127	53,42 572	5065	48,21,201	उ०न०	5865	48,21,201	5865
8.	केरल	16,13,709	10,26,948	1200	15,18,750	उ०न०	1200	15,18,750	1200
9.	मध्य प्रदेश	6,41,250	12,53,737	875	6,41,250	उ०न०	875	6,41,250	875
10.	महाराष्ट्र	48,37,500	उ०न०	3045	34,82,330	उ०न०	3170	34,82,330	3170
11.	मणिपुर	2,56,950	2,66,980	175	1,35,000	उ०न०	175	1,35,000	175
12.	मेघालय	7,17,638	10,63,122	550	7,87,500	उ०न०	600	7,87,500	600

13. नागालैण्ड	6,29,460	उ०न०	425	5,73,750	उ०न०	425	5,73,750	425
14. उड़ीसा	49,61,310	77,92,890	3288	50,90,914	उ०न०	3803	50,90,914	3830
15. राजस्थान	11,81,867	10,63,825	2825	6,95,700	9,98,292	2825	6,95,700	2825
16. पंजाब	1,18,200	96,96,075	286	2,23,876	उ०न०	332	2,23,876	332
17. तमिलनाडु	1,30,44,956	1,49,48,076	10593	48,85,583	उ०न०	10893	48,83,583	10893
18. उत्तर प्रदेश	8,888	उ०न०	3167	31,09,488	उ०न०	3192	31,09,488	3192
19. त्रिपुरा	6,26,400	16,83,364	475	5,40,000	उ०न०	475	5,40,000	475
20. सिक्किम	1,35,000	2,70,000	—	1,35,000	2,70,000	100	1,35,000	100
21. वैस्ट बंगाल	68,92,613	82,71,698	5535	68,23,464	97,93,348	5760	68,23,464	5760
22. अरुणाचल प्रदेश	2,59,200	3,01,860	345	3,10,500	5,12,460	345	8,10,500	345
23. गोवा	6,43,240	12,70,994	420	4,98,600	उ०न०	470	4,98,600	470
24. मिजोरम	33,750	उ०न०	25	33,750	उ०न०	25	33,750	25
25. जम्मू और कश्मीर	—	उ०न०	—	44,775	उ०न०	25	44,775	25
26. दिल्ली	7,02,000	5,10,476	1245	9,45,000	6,10,421	1245	9,45,000	1245
27. अण्डमान और निकोबार	2,97,000	उ०न०	100	2,70,000	उ०न०	100	2,70,000	100
28. पाण्डिचेरी	14,99,184	9,66,689	350	12,90,005	उ०न०	350	12,90,005	350

उ०न० : उपलब्ध नहीं।

विवरण-VII

किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान

क्र० सं०	राज्य का नाम	2990-91 के दौरान जारी धनराशि (बी०ई० 400 लाख रु०)	1991-92 के दौरान जारी धनराशि (बी० ई० 400 लाख रु०)	1992-93 के दौरान जारी धनराशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	8.36	7.06
2.	असम	19.26	3.00	0.26
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.64	—	—
4.	बिहार	19.17	6.74	—
5	गोवा	2.18	.54	23.46
6.	गुजरात	15.70	39.97	11.88
7.	हरियाणा	12.27	.54	0.74
8	हिमाचल प्रदेश	1.69	.05	—
9.	कर्नाटक	46.74	80.29	—
10.	केरल	5.17	28.38	3.07
11.	मध्य प्रदेश	32.09	32.98	1.81
12.	महाराष्ट्र	71.14	69.50	—
13.	मणिपुर	1.64	—	—
14	मेघालय	2.61	9.00	—
15.	मिजोरम	1.89	2.00	0.21
16.	नागालैण्ड	1.64	—	—
17.	उड़ीसा	18.04	17.58	1.80

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	3.85	30.38	1.87
19.	राजस्थान	2.95	15.73	1.10
20.	सिक्किम	1.64	—	—
21.	तमिलनाडु	26.29	55.05	29.55
22.	त्रिपुरा	1.64	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	48.71	10.60	8.96
24.	वैस्ट बंगाल	52.57	47.55	15.00
25.	दिल्ली (यू टी)	निल	—	—
26.	पांडिचेरी	2.14	.50	0.43
27.	जम्मू और कश्मीर	1.64	—	—
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.64	—	—
29.	दमन और दीव	1.64	—	—
30.	लक्षद्वीप	1.64	—	—

—शून्य

विवरण-VIII (क)

एम० सी० एच० कार्यक्रमों के लिए रोकड़ आबंटन और रिपोर्टिड व्यय की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार राशि दर्शाने वाला विवरण

(क) सर्वव्यापक रोगप्रतिरोधन कार्यक्रम

(ख) मौखिक पुनर्जलीकरण उपचार कार्यक्रम

(ग) रोग प्रतिरक्षण योजना

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आबंटन 1990-91	आबंटन 1991-92	आबंटन 1992-93	रिपोर्टिड व्यय 1990-91	रिपोर्टिड व्यय 1991-92	रिपोर्टिड व्यय 1992-93 (सितम्बर, 92 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	134.16	173.82	167.13	67.39	115.26	.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.15	14.83	30.74	8.07	10.81	.00
3.	असम	70.19	83.52	100.64	51.77	74.37	8.84
4.	बिहार	179.49	193.55	235.53	32.94	47.00	.00
5.	गोआ	6.19	7.70	8.22	1.27	1.25	.56
6.	गुजरात	98.87	121.58	118.50	80.09	86.17	.00
7.	हरियाणा	40.28	51.77	77.58	37.20	13.67	7.67
8.	हिमाचल प्रदेश	27.96	33.15	43.62	17.64	4.37	2.49

9. जम्मू और कश्मीर	34.10	39.23	56.61	.00	.00	.00
10. कर्नाटक	100.48	122.33	125.19	65.86	36.49	.00
11. केरल	75.98	90.56	77.16	57.67	63.44	8.57
12. मध्य प्रदेश	156.76	197.70	225.80	71.31	36.55	.00
13. महाराष्ट्र	169.70	20.88	193.15	154.87	190.99	7.45
14. मणिपुर	14.67	18.58	26.57	14.72	20.14	.00
15. मेघालय	12.27	15.57	18.84	9.74	16.49	.00
16. मिजोरम	9.16	12.87	12.76	9.74	12.23	4.52
17. नागालैण्ड	14.01	17.39	22.63	6.64	.00	.00
18. उड़ीसा	74.36	96.24	109.47	71.57	88.29	.00
19. पंजाब	49.00	59.94	73.69	40.73	53.39	7.44
20. राजस्थान	116.46	143.21	156.66	88.20	52.68	.00
21. सिक्किम	7.71	9.64	11.49	3.29	4.92	.00
22. तमिलनाडु	116.94	146.53	142.66	102.70	97.12	44.45
23. त्रिपुरा	10.49	13.86	15.08	6.34	5.54	.00
24. उत्तर प्रदेश	288.95	343.62	370.23	256.88	290.59	25.29
25. पश्चिम बंगाल	127.22	160.60	174.15	.00	24.46	.00

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5.42	7.58	6.01	4.82	6.13	.50
27.	चण्डीगढ़	3.56	5.57	4.75	1.66	2.98	.50
28.	दादर नगर हवेली	3.39	4.84	4.28	1.53	2.00	.98
29.	दमन एवं दीव	3.18	4.74	5.08	.04	1.06	.11
30.	दिल्ली	11.95	15.87	25.29	9.47	8.73	3.31
31.	लक्षद्वीप	3.33	4.71	3.74	.03	2.57	1.01
32.	पांडिचेरी	8.30	9.62	11.21	2.96	10.86	.00
	जोड़	1986.68	2421.63	2654.46	1277.08	1381.30	123.73

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-VIII (ख)

सर्वव्यापी रोग-प्रतिरोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां

1990-91

राज्य	डी० पी० टी० (तीसरी खुराक)	ओ० पी० वी० (तीसरी खुराक)	बी० जी० सी०	एम० एस० एल०	टी०टी०पीं०डब्ल्यू० (दूसरी+बी)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1638762	1638102	1698545	1448593	1784781
असम	635072	637440	715288	574645	405363
बिहार	2559537	2521744	2215471	2261125	1692120
गुजरात	1051018	1062752	1072771	1020560	1077554
हरियाणा	489832	498830	505562	384704	382252
कर्नाटक	1050591	1156211	1225046	992704	1174829
केरल	591714	607516	656370	543196	644001
मध्य प्रदेश	1827763	1854131	2008106	1785020	1700151
महाराष्ट्र	1873842	1960192	1946212	1694152	1625322
उड़ीसा	743292	742855	825513	697532	645916
पंजाब	516823	518280	510383	471403	464543
राजस्थान	1362283	1364932	1351947	1269960	1260179
तमिलनाडु	1261753	1274634	1281890	1217179	1286288
उत्तर प्रदेश	4469000	4332000	4269000	4009000	3885000

1	2	3	4	5	6
वैस्ट बंगाल	1484308	1525331	1750383	1198484	1259433
हिमाचल प्रदेश	112874	113159	106121	130324	101842
जम्मू और कश्मीर	128714	125803	154962	94144	69056
मणिपुर	32304	32622	36658	26619	33547
मेघालय	33894	34527	37148	15981	39844
नागालैण्ड	8964	8146	12679	8200	6658
सिक्किम	10371	8869	10779	7591	5654
त्रिपुरा	43028	43432	78020	36334	25990
अण्डमान और निकोबार	6878	7183	7065	5855	4855
अरुणाचल प्रदेश	15007	15115	14769	9286	9786
चण्डीगढ़	12666	12551	17591	10265	12700
दादर और नगर हवेली	4491	4490	3705	3795	3009
दिल्ली	202216	202851	272057	173900	154516
गोवा	19600	20079	20567	17438	18351
दमन और दीव	1969	1963	2262	2285	1423
लक्षद्वीप	1629	1720	1653	1655	1331
मिजोरम	17516	17305	20336	15390	15690
पाण्डिचेरी	20151	20557	28520	18401	17911

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-VIII (ग)

सर्वव्यापक रोगप्रतिरोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां 1991-92

उपलब्धि : ऐब्सील्यूट वैल्यू

राज्य	डी. पी. टी. (तीसरी खुराक)	ओ. पी. वी. (तीसरी खुराक)	बी. सी. जी.	एम. एस. एल	टी. टी. (पी. डब्ल्यू.) (दूसरी + बी)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1552943	1571629	1611652	1391824	1857297
असम	467263	469032	434133	432420	388597
बिहार	1634464	1632148	1488876	1604368	1253224
गुजरात	1049216	1056910	1054675	994063	1085260
हरियाणा	454405	460191	501139	432150	456885
कर्नाटक	1065616	1057586	1133730	970836	1183935
केरल	573794	587605	638453	512188	608204
मध्य प्रदेश	1655510	1680809	1627822	1659185	1600864
महाराष्ट्र	2089091	2100213	2112338	1962195	1987482
उड़ीसा	736128	737502	816112	639384	697431
पंजाब	543722	540484	6848358	536104	551020
राजस्थान	1367966	1369980	1362970	13840 4	1279395

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	1224135	1232481	1355141	1244970	1278807
उत्तर प्रदेश	4335000	4241000	4255000	4055000	3942000
वस्ट बंगाल	1455994	1490141	1624480	1207612	1447703
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	125774	125205	132309	116223	111923
जम्मू और कश्मीर	141129	138981	191856	162194	81983
मणिपुर	33659	33922	39283	30684	32458
मेघालय	22371	22514	25059	14088	16711
नागालैण्ड	9274	8611	12720	9058	5219
सिक्किम	9223	9272	9901	7772	5414
त्रिपुरा	28040	28038	45951	25137	32233
अण्डमान और निकोबार द्वीप	6603	6679	6689	6091	5613
अरुणाचल प्रदेश	15516	15296	19417	9920	3935
चण्डीगढ़	14471	14627	20150	14032	15855
दादरा और नगर हवेली	4244	4244	4414	3921	3524
दिल्ली	209325	219380	270918	211730	208712
गोवा	21021	21276	23004	19989	18252

दमन और दीव	1730	1730	1976	1898	1308
लक्षद्वीप	1402	1406	1272	1406	1535
मिजोरम	18117	20828	21011	16572	16393
पाण्डिचेरी	19288	19547	30231	17840	16705
कुल योग	20886440	20929267	21434110	19664918	20102399

नोट : आंकड़े अन्तिम हैं।

आंकड़े जनवरी तक हैं।

विवरण-VIII (ख)

सर्वव्यापक रोगप्रतिरोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां 1992-93 (सितम्बर, 92 तक)

राज्य/ बड़े राज्य	उपलब्धि : एब्सील्यूट वैल्थ				
	डी० पी० टी० (तीसरी खुराक)	ओ० पी० वी० (तीसरी खुराक)	बी० सी० जी०	एम० एस० एल०	टी०टी० (पी०डब्ल्यू०) (दूसरी + बी)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	678700	678168	772383	653441	847786
असम**	139753	140420	161847	118799	110568
बिहार	917148	923251	1079378	956408	608879
गुजरात	422800	430100	491900	427100	491400
हरियाणा	204003	207753	240145	201786	213627
कर्नाटक	480678	494878	583544	455271	589206
केरल	265275	272040	300322	230966	282008
मध्य प्रदेश	670474	682591	732714	806347	717526
महाराष्ट्र	798283	843906	931316	804493	883697
उड़ीसा	268318	212233	254568	160400	301393
पंजाब	245987	247674	244826	272486	244497

राजस्थान	448156	447920	468120	455604	481233
तमिलनाडु	549109	553548	654188	556146	611990
उत्तर प्रदेश	1664000	1669000	2010000	2013000	1573000
प० बंगाल	554038	565785	550097	414887	479256
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	56679	56935	57571	55134	52178
जम्मू और कश्मीर*	22586	22270	29878	23591	11945
मणिपुर	15677	15690	16176	12203	15102
मेघालय*	5669	5297	9976	4432	5289
नागालैण्ड	6514	6462	5541	7203	4132
सिक्किम*	4108	4130	4582	3390	3146
त्रिपुरा	20390	20513	32665	19600	12555
अण्डमान और निकोबार	2420	2782	2959	2596	2150
अरुणाचल प्रदेश	5216	5046	6788	3961	2847
चण्डीगढ़	6628	6716	8442	6181	8547
दादर और नगर हवेली*	1562	1563	1825	1156	1434
दिल्ली	94270	95065	134950	98575	101425

1	2	3	4	5	6
गोवा	9926	9908	11377	9272	8015
दमन और दीव	1719	1802	1312	1032	558
लक्षद्वीप**	449	428	430	395	430
मिजोरम	8762	8700	8810	7979	7882
पांडिचेरी	7850	7900	15200	7900	8100

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

*आंकड़े अगस्त तक

**आंकड़े जुलाई तक

विवरण-VIII (क)

पोषाहारीय रक्तक्षीणता के लिए रोग प्रतिरक्षण के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990-91		1991-92		1992-93	
		महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1445016	1437045	1210651	1279981	185847	202944
2.	असम	208683	240704	155893	164904	139622	136539
3	बिहार	52590	49891	170005	159086	192321	179506
4.	गुजरात	1105087	1461756	1352444	1478093	396460	311931
5.	हरियाणा	496010	554681	481383	682370	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
6.	कर्नाटक	1037279	1090813	1227061	1297550	304896	300663
7.	केरल	579047	989803	575948	877481	1160471	272879
8	मध्य प्रदेश	1321802	1436429	1222100	1228986	403349	542606
9.	महाराष्ट्र	2451904	2829400	1830571	2374064	404000	521108
10.	उड़ीसा	820647	1601923	522695	841324	273838	334165
11	पंजाब	504315	568826	518632	624183	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
12.	राजस्थान	631365	541587	549491	513789	204667	122983
13	तमिलनाडु	979865	2630306	342312	1149385	24821	5[illegible]8093
14.	उत्तर प्रदेश	2352000	2256000	1840000	1643000	718000	500000
15.	वैस्ट बंगाल	374330	324593	1149867	772762	228728	146046

1	2	3	4	5	6	7	8
16	हिमाचल प्रदेश	189754	215416	174671	186174	45914	27301
17.	जम्मू और कश्मीर	39250	28774	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
18.	मणिपुर	244569	18960	15461	6322	2674	795
19.	मेघालय	32388	52251	34011	38110	10653	8763
20.	नागालैंड	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	54	70
21.	सिक्किम	17288	14921	9625	9427	6012	1488
22.	त्रिपुरा	72519	63712	58618	33147	23306	5554
23.	अण्डमान और निकोबार	9642	12981	5631	7681	2838	2650
24	अरुणाचल प्रदेश	11187	5056	5630	3463	6516	187
25.	चण्डीगढ़	14140	10601	6733	8109	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
26.	दादर और नगर हवेली	3861	7030	733	1433	"	"
27	दिल्ली	149567	65275	148255	73405	47799	14150
28.	गोवा	20337	32603	1179	40476	176	2371
29.	दमन और दीव	1430	1743	776	1581	382	568
30.	लक्षद्वीप	10522	10300	7332	4443	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
31.	मिजोरम	8872	56904	12487	20252	3635	3923
32.	पांडिचेरी	12428	19389	14708	21184	409	307

ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-VIII (ख)

विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के लिए रोगप्रतिरक्षण के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्त्ताओं की संख्या

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990-91	1991-92	1982-93 (अप्रैल-अगस्त)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1870359	3142069	558154
2.	असम	352399	271621	263475
3.	बिहार	93599	एन०आर०	एन०आर०
4.	गुजरात	3261812	2400847	517652
5.	हरियाणा	1411477	1224234	एन०आर०
6.	कर्नाटक	3633128	2527346	एन०आर०
7.	केरल	1864024	1117063	256601
8.	मध्य प्रदेश	3263359	3729281	474516
9.	महाराष्ट्र	4403766	4886134	925983
10.	उड़ीसा	3293554	2935033	940518
11.	पंजाब	1247758	1513327	एन०आर०
12	राजस्थान	1093126	1337804	498013
13.	तमिलनाडु	3202578	5483305	2130681
14.	उत्तर प्रदेश	1180000	1718000	165000
15.	पश्चिम बंगाल	743181	1806068	473036
16.	हिमाचल प्रदेश	388882	428493	157281
17.	जम्मू और कश्मीर	53013	एन०आर०	एन०आर०
18.	मणिपुर	56838	30919	5635
19.	मेघालय	100549	84608	30164
20.	नागालैण्ड	एन०आर०	एन०आर०	31
21.	सिक्किम	26456	21987	13602
22.	त्रिपुरा	68567	53141	26965
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	17791	12557	6657

1	2	3	4	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	15629	7678	6962
25.	चण्डीगढ़	18002	15212	एन०आर०
26	दादर और नागर हवेली	8083	150	एन०आर०
27.	दिल्ली	115729	190628	57120
28.	गोवा	62656	65045	7673
29.	दमन और दीव	3418	3224	689
30	लक्षदीप	4793	2319	एन०आर०
31.	मिजोरम	338784	321616	140131
32.	पांडिचेरी	42177	48511	3446

आंकड़े अनन्तिम हैं।

रेलवे की भूमि

*111. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालय

*112. **श्री सूर्यनारायण यादव :**
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार देश में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में जिलों को कुल संख्या कितनी-कितनी है तथा उनमें से इस योजना के अंतर्गत कितने लाये गये हैं;

(ग) 1992 में अब तक जिन जिलों में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार से आवश्यक सुविधाओं सहित नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य के शेष बचे जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय कब तक खोला जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सभापटल पर रखे गए विवरण-पत्र में आवश्यक सूचना दी गई है ।

(ङ) नवोदय विद्यालय समिति, राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा आवश्यक सुविधायें और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते ही देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने को उत्सुक है ।

विवरण

अब तक खोले गए नवोदय विद्यालय

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	जिलों की सं०	91-92 तक खोले गए	92-93 में खोले गए	खोले गए नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या	नए प्राप्त प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	23	21	—	21	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	05	—	05	—
3.	बिहार	50	26	1	27	13
4.	गोवा	02	02	—	02	—
5.	गुजरात	19	09	2	11	02
6.	हरियाणा	16	09	3	12	02
7.	हिमाचल प्रदेश	12	08	2	10	—
8.	जम्मू और कश्मीर	14	14	—	14	—
9.	केरल	14	11	—	11	01
10.	कर्नाटक	20	18	--	18	02
11.	मध्य प्रदेश	45	30	12	42	02
12.	महाराष्ट्र	33	20	4	24	06
13.	मणिपुर	08	07	—	07	01
14.	मेघालय	05	04	—	04	0
15.	मिजोरम	03	02	1	03	—

1	2	3	4	5	6	7
16.	उड़ीसा	13	12	—	12	0
17.	पंजाब	12	08	2	0	—
18	राजस्थान	28	20	3	23	05
19.	सिक्किम	04	01	1	02	—
20.	नागालैण्ड	07	02	—	02	02
21.	त्रिपुरा	03	02	—	02	—
22.	उत्तर प्रदेश	63	36	8	44	05
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	02	—	02	—
24.	चडीगढ़	01	01	—	01	—
25.	दादर और नागर हवेली	01	01	—	01	—
26.	दमन और दीव	02	02	—	02	—
27.	दिल्ली	04	02	—	02	—
28.	लक्षद्वीप	01	01	—	01	—
29.	पांडिचेरी	04	04	—	04	—
30.	असम	23	—	1	01	04
	योग	443*	280	40	320	49

* तमिलनाडु (23 जिले) तथा पश्चिम बंगाल (20 जिले) राज्यों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें

*113. श्री के० प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ट्रस्ट ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समकालीन साहित्य की कृतियों के अनुवाद, पुस्तक मेलों, उत्सवों तथा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की समाचार पत्रिका के प्रकाशन, क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के वितरण तथा उनका स्टाक तैयार करने के लिए एजेन्टों के रूप में प्राइवेट पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकृत करने, अनुवाद के लिए चुनिन्दा बाल पुस्तकों की सूचियां तैयार करने, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पुरस्कार विजेता पुस्तकों की प्रदर्शनी, और प्राइवेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशनों की विशेष प्रदर्शनी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से पहले ही क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकों को प्रोन्नत कर रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 1 अप्रैल, 1989 से असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू में 1800 से अधिक उचित मूल्य के शीर्षक प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त, न्यास ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकों की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. 16 पुस्तक मेले/उत्सव आयोजित किए और उसने भारत के विभिन्न भागों में आयोजित 65 पुस्तक मेलों/उत्सवों में भाग लिया;

2. मई, 1990 और नवम्बर, 1991 में पंजाबी जत्थों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया। न्यास ने अगस्त-सितम्बर, 1992 में पंजाब में एक पंजाबी पुस्तक यात्रा का भी आयोजन किया;

3. बंगला, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की समाचार पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया;

4. क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों के वितरकों, स्टाकिस्टों तथा एजेन्टों के रूप में 109 पुस्तक विक्रेताओं को नामांकित किया; और

5. एक नये कार्यक्रम के अंतर्गत, रा० पु० न्यास ने सम्बन्धित राज्य में विभिन्न स्थानों को शामिल करके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रकाशित पुस्तकों सहित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशनों की विशेष प्रदर्शनी एवं बिक्री शुरू की है। शुरू में, तमिल में पुस्तकों की प्रदर्शनी-एवं-बिक्री अक्तूबर, 1992 में शुरू की गई और मई, 1993 तक तमिलनाडु में 32 स्थान शामिल करना निश्चित है। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हिन्दी प्रकाशनों के लिए शुरू किया गया है और इन दो राज्यों में 31 स्थानों को शामिल करना निश्चित है।

मलेरिया की रोकथाम

*114. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री शरद दिघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिए कुछ नई नीतियां बनाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एक संयुक्त कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयुक्त कृतिक बल ने मलेरिया के रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और इसके इतने बड़े पैमाने पर फैलने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मलेरिया नियंत्रण के लिए संशोधित नीति तैयार करने हेतु भूतपूर्व सलाहकार (योजना आयोग), डा० हरचरण सिंह की अध्यक्षता में एक कार्य-दल का गठन किया गया है । कार्य-दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) सभी सम्बन्धित घटकों और अन्य बातों के साथ-साथ 3 से 7 फरवरी, 1992 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (सीरो), नई दिल्ली में हुई मलेरिया सम्बन्धी अंतर-क्षेत्रीय बैठक की सिफारिशों पर विचार करते हुए देश में मलेरिया नियंत्रण सम्बन्धी सभी विकल्पों के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन और अपनाई जाने वाली नीतियों की सिफारिश करना ।

(ii) सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया की समस्या से निबटने के लिए विशिष्ट नीतियों की सिफारिश करना ।

(iii) मलेरिया-जनक स्तरीकरण और अन्य अस्थानिकमारी वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा अंतिम रूप दी जा रही कार्य-योजना की पुनरीक्षा करना ।

(iv) सितम्बर, 1992 के अंत तक एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसके बाद विचारार्थ विषयों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से संशोधन किया जाए ।

(v) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना दस्तावेज तैयार करना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कार्य-दल ने अक्तूबर, 1992 में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 1993 के अंत तक प्रस्तुत करने की आशा है। आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के लिए अंतरिम रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(I) जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा मलेरिया नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के लिए मलेरिया-जनक स्तरीकरण पर आधारित जिला स्तरीय सूक्ष्म नियोजन।

(II) पहले से उपलब्ध बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता के अतिरिक्त मलेरिया सम्बन्धी कार्यकर्ता की शुरुआत। यह मलेरिया सम्बन्धी कार्यकर्ता स्वैच्छिक आधार पर लिया गया एक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए जिसे मलेरिया सम्बन्धी कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

(III) जिला स्तरीय जानपदिक निगरानी कक्षों की स्थापना ताकि समय पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए उस जिले के आंकड़ों का विश्लेषण और महामारियों और प्रकोपों का अनुमान लगाया जा सके।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

*115. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम को निरस्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के निरसन/उसमें संशोधन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, ताकि विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

(ग) फरवरी, 1992 में आयोजित राज्य वन मंत्रियों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच के कार्य को और अधिक विकेन्द्रीकृत किया जाए तथा इसे सरल बनाया जाय। तदनुसार, 21-5-92 को वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 में समुचित संशोधन किया गया और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच करने के सम्बन्ध में 25-10-92 को संशोधित समेकित दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

[हिन्दी]

महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण

*116. श्री रामकृष्ण कुसमरिया :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों में विभिन्न उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से पर्यावरण के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के अंतर्गत किन-किन उद्योगों का पता लगाया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नहीं लगाया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और घरेलू अपशिष्ट हैं।

(ग) जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण नहीं लगाए हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव, उत्सर्जन और परिवेशी शोर सम्बन्धी मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन करें;

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे यह देखें कि निर्धारित मानकों का एक समय-सीमा के भीतर अनुपालन किया जाए। दोषी इकाइयों के विरुद्ध, अधिनियम के उपबन्धों के तहत कार्रवाई की जाती है;

(4) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में आने वाले बड़े और मझोले उद्योगों के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है।

[अनुवाद]

मेडिकल शिक्षा नीति

*117. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
प्रो० रीता वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल शिक्षा नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान संशोधित नीति के कार्यान्वयन पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के अस्पतालों में एम्बुलेंस

*118. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री शरद यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस गाड़ियों की अस्पताल-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन एम्बुलेंसों में से कितनी गाड़ियां चलने योग्य हैं;

(ग) क्या शहर में दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए इतनी एम्बुलेंसें पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि करने तथा उनके समुचित रख-रखाव के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) दिल्ली के अस्पतालों से एकत्र की गई सूचना से पता चलता है कि कुल 111 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जिनमें से 102 चालू हालत में हैं। अस्पताल-वार ब्यौरे संलग्न हैं।

दिल्ली प्रशासन ने दुर्घटना और अभिघात से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 19 विशेषीकृत एम्बुलेंस लगाई हैं। इन एम्बुलैंसों में वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस पी० सी० आर० गाड़ियां भी दुर्घटना से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का कार्य कर रही हैं।

विवरण

दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध तथा चालू हालत वाली एम्बुलैंसों की संख्या

क्र०सं०	अस्पताल का नाम	उपलब्ध एम्बुलैंसों की संख्या	चालू एम्बुलैंसों की संख्या
1	2	3	4
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	7	7
2.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	8	6
3.	सफदरजंग अस्पताल	16	16
4.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	3	3
5.	नई दिल्ली नगर पालिका :		
	(i) चरक पालिका अस्पताल, मोती बाग	2	2

1	2	3	4
	(ii) पालिका प्रसूति अस्पताल, लोधी कालोनी	1	1
6.	दिल्ली प्रशासन :		
	(i) गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली	6	5
	(ii) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर	4	3
	(iii) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	10	10
	(iv) सिविल अस्पताल	1	1
	(v) मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा	2	2
	(vi) संजय गांधी स्मृति अस्पताल, मंगोलपुरी	1	1
	(vii) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर	1	1
	(viii) राव तुलाराम स्मृति अस्पताल, जफरपुर	1	1
	(ix) डा० एन० सी० जोशी स्मृति अस्पताल, करोल बाग	1	1
	(x) नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी	1	1
	(xi) केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवाएं	19	19
7.	दिल्ली नगर-निगम :		
	(i) हिंदू राव अस्पताल	7	6
	(ii) स्वामी दयानन्द अस्पताल	5	3
	(iii) श्रीमती गिरधारीलाल प्रसूति अस्पताल	3	1
	(iv) राजन बाबू क्षयरोग अस्पाल	2	2
	(v) कस्तूरबा अस्पताल	2	2
	(vi) संक्रमी रोग अस्पताल	1	1
	(vii) मालवीय नगर कालोनी अस्पताल	1	1
	(viii) लाजपत नगर अस्पताल	1	1

(ix) कालकाजी कालोनी अस्पताल	1	1
(x) तिलक नगर कालोनी अस्पताल	1	1
(xi) मोती नगर अस्पताल	1	1
(xii) पटेल नगर अस्पताल	1	1
(xiii) बालक राम अस्पताल	1	1
कुल	111	102

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण-नीति

*119. **श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से समय-समय पर यथा-घोषित भारत सरकार की आरक्षण नीति को अपनाने की अपेक्षा की जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे सरकार की आरक्षण नीति का पालन करें । तथापि, विश्वविद्यालयों का स्वायत्त स्वरूप होने के कारण, उनका निर्णय लेने का अपना तन्त्र है और कुछ विश्वविद्यालयों में आरक्षण, सरकार की आरक्षण-नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सीमा तक नहीं हुआ है । इस मामले की उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई के लिए समीक्षा की जा रही है ।

महिला पालीटेकनिक

*120. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों में राज्य सरकारों से और अधिक महिला पाली-टेकनिक खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, पिछले दो वर्षों के दौरान, महिला पालीटेकनिक स्थापित करने (खोलने) के लिए, 52 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उसने 17 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं । इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन एक अनवरत प्रक्रिया है और वह जन-शक्ति-मांग, प्रस्ताव की वित्तीय और शैक्षिक व्यवहार्यता और अखिल भारतीत तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा-निर्धारित, राज्य-सरकार आदि द्वारा अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है।

विवरण

महिला पालीटेकनिक स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से पिछले दो वर्षों के दौरान, प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	अ० भा० त० शि० परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव
1.	आंध्र प्रदेश	4	शून्य
2.	कर्नाटक	2	शून्य
3.	केरल	1	1
4.	तमिलनाडु	3	शून्य
5.	गोवा	1	शून्य
6.	मध्य प्रदेश	2	1
7.	महाराष्ट्र	17	7
8.	दिल्ली	1	शून्य
9.	जम्मू व काश्मीर	1	शून्य
10.	पंजाब	3	3
11.	उत्तर प्रदेश	3	1
12.	राजस्थान	5	शून्य
13.	बिहार	4	1
14.	मणिपुर	1	1
15.	मेघालय	1	शून्य
16.	मिजोरम	1	1
17.	उड़ीसा	1	1
18.	पश्चिम बंगाल	1	शून्य
	कुल	52	17

[हिन्दी]

इलैक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटरों में प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी माध्यम

1151. **श्री राम सागर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटरों में शिक्षा देने के लिए हिन्दी माध्यम अपनाने के सम्बन्ध में झा समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग शुरू करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकें, पत्रिकाएं, प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) झा समिति की सिफारिशों के आधार पर, इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने निम्नलिखित कार्रवाइयां आरम्भ की हैं :

(i) डेढ़ वर्ष की अवधि का संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पी०जी०डी०सी०ए०) 9 संस्थाओं में आरम्भ किया गया है और संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के हिन्दी कार्यक्रमों पर 80.05 लाख रुपए खर्च किए गए हैं ।

(ii) भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास परियोजना में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रोसेसिंग के लिए, अपेक्षित प्रौद्योगिकी विकसित करने की योजना है ।

(iii) इलैक्ट्रोनिकी पर हिन्दी में पुस्तकें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और वित्तीय सहायता की स्कीम भी शुरू की गई है ।

[अनुवाद]

आधुनिक शिक्षा प्रणाली

1152. **श्री गोविन्द राव निकाम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार को देश के जाने-माने शिक्षाविदों के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुझावों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर अत्याचार (ज्यादतियां) की घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०) 1986 में संशोधनों को सूत्रपात करने के वाले संशोधित नीति निर्धारक तत्वों को अन्तिम रूप देते समय सरकार ने शिक्षा

प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार किया है। संसद के दोनों सदनों में रखे गए इन संशोधनों और कार्यवाई योजना, 1992 को व्यापक विचार-विमर्श और सर्वसम्मति से विकसित किया गया था जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और प्रख्यात शिक्षाविदों से युक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के दृष्टिकोणों को भी स्थान दिया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को मूर्त रूप देने हेतु नए प्रयास करने के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने छात्रों पर शैक्षिक बोझ कम करने के लिए उपाय सुझाने के वास्ते मार्च, 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी।

कनाडा से खाद्यान्नवाहक

1153. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा से खाद्यान्न लाने वाले जहाजों को विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों पर बर्थ उपलब्ध न होने के कारण कई दिन तक इन्तजार करना पड़ता है जबकि कलकत्ता बन्दरगाह पर खाद्यान्न उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी सुविधाओं से लैस कई बर्थ यातायात के अभाव में पूर्णत: खाली पड़ी रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आने वाले महीनों में कुछ खाद्यान्नवाहकों की कलकत्ता तथा हल्दिया गोदियों को आबंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं। कनाडियन गेहूं से लदे कनाडा से आए सभी जहाजों ने किसी असाधारण प्रतीक्षा के बिना लंगर डाल दिए थे। ट्रांसचार्ट (जल-भूतल परिवहन मंत्रालय) द्वारा चार्टर किए गए जहाजों का आकार इतना था कि वे ड्राफ्ट और बीम बाधाओं के कारण कलकत्ता की बन्दरगाह पर नहीं पहुंच सकते थे।

(ख) और (ग) ट्रांसचार्ट को हल्दिया/कलकत्ता के लिए उपयुक्त जहाजों को चार्टर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, नवम्बर, 1992 के अन्त से तथा उसके बाद से हल्दिया/कलकत्ता में खाद्यान्नों के जहाजों से काम लेने की शुरूआत कर दी गई है। एक सुपर टैंकर पहुंच गया है जो कि कलकत्ता/हल्दिया में उपयुक्त अनुजात जहाजों के जरिये गेहूं की सुपुर्दगी करेगा।

शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन

1154. **श्री वी० धनंजय कुमार :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक छात्रों को उनसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं और ऐसा न करने पर उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा में कम अंक देकर दण्डित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों को कोई अनुदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अनुदेशों को जनता को सूचनार्थ प्रचारित कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं की गई है। संगठन ने शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर मई, 1990 में लगाए प्रतिबन्ध से सम्बन्धित अपनी हिदायतों को दोहराया है। इन हिदायतों की प्रतियां विद्यालयों में प्रदर्शित कर दी गई हैं। हिदायतों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

टी० एस० भुजंग राव
उपायुक्त (शैक्षिक)
मि० स० 12-1-90 के० वि० सं० (शै०)

जे० एन० यू० परिसर
नया महरौली रोड,
नई दिल्ली-110067
17 मई, 1990

विषयकेन्द्री—य विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विस्तृत हिदायतें जारी की हैं जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को उनके प्रधानाचार्यों के माध्यम से प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाने के लिए सूचित किया गया है (देखिए अ० शा० प० सं० सी०/के० वि० सं०/75/1529 दिनांक 8 जुलाई, 1975)। ऐसा प्रतीत होता है कि इन हिदायतों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है इसलिए इन हिदायतों को दोहराना तथा इनका कड़ाई से पालन करने को सुनिश्चत करना आवश्यक हो गया है। 8 जुलाई, 1975 को जारी हिदायतों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :

"केन्द्रीय विद्यालय संगठन की एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने में लगे हुए हैं। विगत में हुए प्रधानाचार्यों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई तथा संगठन ने 1971 में ही यह नीति तैयार की कि उसके किसी भी शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन के अनेक परोक्ष प्रभाव होते हैं तथा इसकी बुराइयां सुविख्यात हैं। इसके अतिरिक्त यह नीति कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में उन कमियों को पूरा कर सकते हैं जो कक्षा-शिक्षण में रह जाती हैं, शिक्षा शास्त्र के सभी सिद्धांतों के प्रतिकूल है। शिक्षा की कोई भी प्रणाली या संस्था, जो दूरदर्शी है तथा जो प्रगतिशील पद्धतियों पर दृष्टि रखती है, विशिष्ट शिक्षण को शिक्षण के क्षेत्र में प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में तत्काल मान्यता प्रदान करेगी। इस प्रकार विशिष्ट ध्यान कक्षा-शिक्षण का मुख्य कृत्य होना चाहिए तथा इसे प्राइवेट ट्यूशन के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। यह देखना शिक्षक का कर्त्तव्य बनता है कि सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षण मिल रहा है अथवा नहीं तथा चाहे आप इसे "उपचारात्मक शिक्षण" कहें या उत्कृष्ट

छात्रों को सहायता करना कहें या छात्रों की उपलब्धि में सुधार लाने के लिए प्रयास कहें—ये सभी विशिष्ट कार्यकलाप शिक्षण योजना अवश्य ही मुख्य अंग होने चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया जायेगा तो यह बात तुरन्त मान ली जाएगी कि प्राइवेट ट्यूशन के लिए इस प्रणाली में कोई स्थान नहीं है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, बल्कि यह भी मान लिया जाएगा कि यह इसकी अवधारणा के प्रतिकूल भी है।

संगठन ने काफी तन्मयता से इस बात को देखा है कि इसके कुछ शिक्षकों में गुप्त रूप से इस कार्य में शामिल होने की प्रवृत्ति है जिसे नियम के द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि कक्षा और स्कूल का सम्पूर्ण वातावरण दूषित हो गया है। इन कार्यों में लगे शिक्षक समाज के दुश्मन के समान हैं जिनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा सम्भवतः ऐसे शिक्षक बेहतर व्यवहार के लायक भी नहीं है। अतः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे शिक्षकों की जानकारी में ला दें तथा उन्हें किसी भी ट्यूशन में शामिल होने से मना करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध काफी कठोर कार्रवाई करें। यह देखना आपका उत्तरदायित्व होगा कि आपका कोई भी शिक्षक इस कार्य में न लगे तथा जब भी आपको ऐसी कोई सूचना मिले—तथा यदि आप नजर रखेंगे तो आपको ऐसी सूचना अवश्य मिल जाएगी—तो आपको समुचित ढंग से छानबीन कर और अपनी रिपोर्ट क्षेत्र के सहायक आयुक्त और हमें भी भेजें।

2. इन हिदायतों की एक प्रति विद्यालय के सूचना बोर्ड में तथा शिक्षकों के कामन रूम में भी लगाई जाए। इस आशय से कि शिक्षकों को इन हिदायतों के बारे में जानकारी मिल गई है, आप अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य से हस्ताक्षर भी करा सकते हैं।

3. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना में भेजें।

सादर,

आपका,
ह०/-
(टी० एस० भुजंगराव)

सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों
को (उनके नाम से)।

सूचना और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु के० वि० सं० के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक आयुक्तों को प्रतिलिपि प्रेषित।

ह०/-
(टी० एस० भुजंगराव)

वाहन प्रदूषण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1155. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :**
श्री ललित उरांव :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में वाहनों तथा अन्य कारणों से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने वर्ष 1988-89 के दौरान देश के 12 महानगरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट से निम्नलिखित मुख्य बातों का पता चला है :

(1) वाहनों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा नगरों में चल रहे वाहनों की संख्या के समानुपातिक है।

(2) दो पहिए और तीन पहिए वाले वाहनों से सबसे अधिक यानीय प्रदूषण होता है उसके बाद चार पहिये वाले वाहनों, ट्रकों और बसों का नम्बर आता है।

(3) वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में होता है उसके बाद बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और अहमदाबाद में होता है।

(ग) वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) मोटरगाड़ी नियमावली, 1989 के तहत सभी प्रकार के वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) डीजल और पैट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए वर्ष 1995 के लिए द्रव उत्सर्जन मानकों के सम्बन्ध में मोटरगाड़ी नियमावली, 1989 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है।

(3) प्रमुख महानगरों में पैंट्रोल और डीजल के वैकल्पिक ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(4) जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

दक्षेस सम्मेलन

1156. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1992 में हुए दक्षेस सम्मेलन में जिन भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्मेलन में भारत द्वारा बच्चों और महिलाओं की दशा में सुधार करने हेतु दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुझावों पर अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इस कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार का गुजरात और अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को कितनी धनराशि का आबंटन किया जायेगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व महिला और बाल विकास राज्य मन्त्री ने किया और उनके साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारियों में, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव और विदेश मन्त्रालय के संयुक्त सचिव शामिल थे।

(ख) भारतीय शिष्टमण्डल ने सम्मेलन में चर्चा के दौरान कारगर ढंग से भाग लिया और महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर सुधारने और स्वास्थ्य पोषाहार, रोग निरोधन, शिक्षा और जल तथा सफाई के क्षेत्र में, गर्भाधान के समय से लेकर किशोर अवस्था तक बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यों के संकेन्द्रण के जरिए बाल उत्तर जीविता, विकास और संरक्षण सम्बन्धी कारगर प्रयास करने का आह्वान किया।

(ग) भारतीय शिष्टमण्डल के सुझावों का अन्य देशों के सदस्यों ने स्वागत किया।

(घ) सम्मेलन की अधिकतर सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बाल उत्तर-जीविता, संरक्षण और विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्ययोजना में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ङ) इस कार्य-योजना के अन्तर्गत कोई अलग से वित्तीय नियतन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में जनजातीय महिलाओं के साथ छेड़खानी

1157. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने जनजातीय महिलाओं के साथ बलात्कार तथा छेड़छाड़ के आरोप की जांच करने हेतु कर्नाटक का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय

1158. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से खेल-कूद की गतिविधियों के प्रोत्साहन, विकास और निगरानी के लिए सारे देश में स्वतन्त्र क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने क्षेत्रों का चयन करके उन्हें मंजूर किया गया है तथा उनके मुख्यालय कहां-कहां होंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है :

(1) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष मध्य केन्द्र, नई दिल्ली।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।

(3) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उत्तरी केन्द्र, चण्डीगढ़।

(4) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उत्तरी-पूर्वी केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर)।

(5) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर (कर्नाटक)।

(6) भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रत्येक केन्द्र का अधिकार क्षेत्र निम्न प्रकार है :

केन्द्र	अधिकार क्षेत्र
मध्य प्रदेश नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली।
पूर्वी केन्द्र कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।
उत्तरी केन्द्र चण्डीगढ़	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर और चण्डीगढ़।
उत्तर पूर्वी केन्द्र, इम्फाल	असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश।
दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, तमिलनाडु, लक्षद्वीप।
पश्चिमी केन्द्र, गांधीनगर	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन

1159. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सितम्बर तक देश में चीनी के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना था ;

(ख) चीनी के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1991-92 (अक्तूबर-सितम्बर) मौसम के दौरान देश में हुए 132.77 लाख टन (अनन्तिम) चीनी के उत्पादन में से उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने 36.06 लाख टन चीनी का उत्पाद किया जो देश में चीनी के कुल उत्पादन का 27.16 प्रतिशत है।

(ख) उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने 1991-92 के दौरान 36.6 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष 1990-91 के दौरान हुए 29.75 लाख टन उत्पादन से 21.21 प्रतिशत ज्यादा था।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

चीनी वर्ष	उत्पादन लाख टन
अक्तूबर-सितम्बर	
1988-89	23.02
1989-90	30.08
1990-91	29.75

[अनुवाद]

श्रमिक विद्यापीठ

1160. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रमिक विद्यापीठ की कुछ शाखाएं खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विद्यालय कब तक खोल दिये जाएंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) श्रमिक विद्यापीठ योजना का विस्तार, व्यय वित्त समिति के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बख्तियारपुर स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का हाल्ट

1161. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के लिए हाल्ट स्टेशनों का चयन करने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या बिहार शरीफ, पावापुरी, नालन्दा और राजगीर की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु बख्तियारपुर में डीलक्स, तिनसुकिया मेल और अन्य सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का हाल्ट बनाने की कोई मांग की गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां हाल्ट बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुपर फास्ट गाड़ियों के ठहरावों की व्यवस्था सम्बन्धित गाड़ी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, टर्मिनलों के बीच यात्रा समय को कम से कम रखने और उन्हें केवल ऐसे रेल-शीर्षों पर रोकने के लिए की जाती है जो बड़े-बड़े शहरों और यात्री जनता के विशाल इलाकों को सेवित करते हैं;

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

पूर्वलक्षी वित्त प्रस्ताव

*1162. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार से कोई पूर्वलक्षी वित्त प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सम्भवतः, सन्दर्भ, तकनीक-शियन शिक्षा पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना, जो आजकल कार्यान्वयनाधीन है। के सम्बन्ध में है।

मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जिसमें तकनीशियन शिक्षा पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना, आजकल कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत, पूर्वलक्षी वित्त पोषण के जरिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिपूर्ति के लिए दो दावे प्रस्तुत किए हैं। ये दावे, राज्य द्वारा अनुमोदित परियोजना सम्बन्धी कार्यकलापों पर किए गए व्यय से सम्बन्धित हैं। दावा, 56,72833/- रुपये के व्यय से सम्बन्धित है, जिसके प्रति 45,50,058 रुपए की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। ये दावे, अब निपटाए जा चुके हैं।

(ग) (क) और (ख) में बताई गई स्थिति के कारण, प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के माल डिब्बे

1163. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे को निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने माल डिब्बे दिये गये और वर्ष 1991 के अन्त तक इस जोन के पास कितने माल डिब्बे थे;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में माल डिब्बों की कमी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने माल डिब्बे वास्तव में मरम्मत के लिए कार्यशाला में भेजे गये, कितने माल डिब्बों की मरम्मत की गई और कितने माल उपयोग के अयोग्य घोषित किये गये; और

(घ) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे में माल डिब्बों की खरीद और माल ढोने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 1991 के अन्त में उत्तर रेलवे पर माल डिब्बों (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) की धारिता का दैनिक औसत लक्ष्य और वास्तविक धारिता नीचे दी गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

आमान	लक्ष्य	धारिता
बड़ी लाइन	55640	56931
मीटर लाइन	8600	8986
	1991 के अन्त में (दिसम्बर, 1991)	
बड़ी लाइन	58000	59398
मीटर लाइन	7500	8751

(ख) मांगें सन्तोषजनक ढंग से पूरी की जा रही हैं परन्तु कभी-कभी माल डिब्बों की फुटकर मांग और सप्लाई के बीच समय अन्तराल आ जाता है।

(ग) जून, 1992 की स्थिति नीचे दी गई है :

(चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)

प्राप्त हुए माल डिब्बों की संख्या	2067
मरम्मत किये गये माल डिब्बों की संख्या	1804
नाकारा किये गये माल डिब्बों की संख्या	248

(घ) माल डिब्बों की खरीद योजना समूची भारतीय रेलों के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की जरूरतें इस सामान्य पूल की ही पूरी की जाती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़ी लाइन के 1,20,000 माल डिब्बों की खरीद की योजना है, बशर्ते कि धन उपलब्ध

हो। मीटर लाइन का कोई और माल डिब्बा नहीं खरीदा जायेगा। उत्तर रेलवे तथा अन्य रेलों पर जहां आमान परिवर्तन की योजना बनाई जाएगी, मीटर लाइन के फालतू माल डिब्बे अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण का इम्फाल में क्षेत्रीय कार्यालय

1164. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री उद्धव बर्मन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र को इम्फाल में अपने मुख्यालय की स्थापना के साथ अपने एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में चयन किया है तथा मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इम्फाल में क्षेत्रीय इकाई के लिए कोई क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसको उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पद को कब तक सूचित किया जायेगा ?

मानव संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र का मुख्यालय इम्फाल में है, इसके अधीन आठ राज्य अर्थात् असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। उत्तर-पूर्व क्षत्रीय केन्द्र का उप कंन्द्र गुवाहाटी में है।

(ग) से (ङ) क्षेत्रीय केन्द्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक का पद सृजित किया गया है, तथापि, इस समय इम्फाल के क्षेत्रीय एकक का प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाता है। उनके कार्यों में क्षेत्रीय केन्द्र में बुनियादी सुविधाओं की आयोजना और सृजन, क्षेत्र में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनागत स्कीमों पर कारंवाई करना शामिल है।

राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान

1165. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 6 मार्च, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं की राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का दर्जा देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई समिति बनाई है;

(च) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(छ) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ज) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिश पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था का दर्जा प्रदान करने के बारे में इस मंत्रालय में विचार किया गया तथा तदनुसार श्री टी० एन० चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि संस्कृत तथा श्रेण्य भाषाओं के लिए अलग से एक स्वायत्त आयोग का गठन करना उचित होगा जिसके मार्गदर्शन में संस्थान अपने क्रियाकलाप भी चला सकेगा। आयोग की स्थापना का प्रस्ताव, अभी भी सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस मामले में कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।

कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेल सम्पर्क

1166. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने के लिये कुछ वर्ष पूर्व सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उत्तरांचल क्षेत्र में रेल-लाइनों के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने की लागत बहुत अधिक है। रेलें संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं। संसाधनों की स्थिति में सुधार होने के बाद ही ऐसी लाइनें बिछाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

कलकत्ता में धनुर्विद्या केन्द्र

1167. **श्री हाराधन राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में खेल विकास प्राधिकरण का धनुर्विद्या केन्द्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भेड़ाघाट स्टेशन पर गाड़ियों का रोका जाना

1168. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट स्टेशन पर इटारसी बीना एक्सप्रेस और इन्दौर-बिलासपुर गाड़ियों को रोकने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1271/1272 इटारसी-बीना विंध्याचल एक्सप्रेस और 8233/8234 इन्दौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को भेराघाट में ठहराव दिए जाने के सम्बन्ध में मांग प्राप्त हुई है। इसकी जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कारणों और वाणिज्यिक औचित्य की कमी की वजह से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट से उधार लेना

1169. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने हाल ही में भारतीय यूनिट ट्रस्ट से भारी धनराशि उधार ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह धनराशि किस प्रयोजन के लिए उधार ली गई है;

(ग) बजट में आबंटित धन-राशि के भीतर कार्यों को पूरा न किये जाने क्या कारण हैं; और

(घ) रेल विभाग ने कितनी बार उधार लिया है तथा तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं, बहरहाल, भारतीय रेल वित्त निगम, जो रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, ने रेलों को पट्टे पर चल स्टाक देने के लिए उसकी खरीद के वास्ते सितम्बर, 1992 में यू० टी० आई० से 200 करोड़ रुपये अस्थाई तौर पर उधार लिए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि निगम बाजार से ऋण लेकर धनराशि नहीं जुटा सका था।

(घ) निगम ने यू० टी० आई० से पहली बार ऋण लिया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल नीति की पुनरीक्षा

1170. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेल-नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, खेल नीति पर कार्रवाई कार्यक्रम अगस्त, 1992 में बनाया गया था और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

कला के लिए छात्रवृत्ति

1171. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कला के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड निश्चित किये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विकास में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) "विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां" नामक योजना के अन्तर्गत युवा कलाकारों को 1000/- रुपये प्रति माह की दर से लगभग 200 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दी जाती हैं। छात्रवृत्ति का अवधि, आम तौर पर, दो वर्ष की होती है। प्रत्येक वर्ष 18-28 वर्ष के आयु वर्ग के उन महत्वाकांक्षी युवा कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो भारत के नागरिक हों और जिनके पास अपने प्रशिक्षण को कारगर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामान्य शिक्षा हो और जो इस बात का साक्ष्य दे सकें कि वे अपने कला के कार्य को व्यावसायिक जीवन में परिवर्तित करने की इच्छा रखते हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का चयन, प्रदर्शन/साक्षात्कार के आधार पर इस प्रयोजनार्थ गठित केन्द्रीय विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई स्थित मेडिकल स्टोर्स डिपो में कदाचार

1172. **श्री मोहन रावले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो, मुम्बई में कदाचार के कुछ मामलों की ओर उनके मंत्रालय का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां । अक्तूबर, 1991 में मुम्बई से प्रकाशित जनसत्ता में कुछ समाचार छपे थे जिनमें सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मुम्बई में कदाचार के बारे में आरोप लगाए गए थे ।

घटिया माइक्रोस्कोप खरीदने के बारे में एक शिकायत भी ध्यान में आई है । ऐसे आरोपों पर लागू सतर्कता प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों द्वारा दवाइयों की सप्लाई

1173. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों को विशेषज्ञों/अस्पतालों द्वारा लिखी गई दवाइयों के बदले उन दवाइयों की तथाकथित वैकल्कि दवाइयां दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी प्रकार की विशेष रूप से अच्छी दवाइयां न रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्रूफेन प्लेवसोन का विकल्प नहीं है;

(घ) यदि हां, तो ब्रूफेन के बदले में प्लेवसोन देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में, जो औषधें फार्मूलरी में सूचीबद्ध होती हैं, उनका भण्डारण किया जाता है और वे ही लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं न कि सामान्य नाम से । चूंकि फार्मूलरी सामान्य नाम से तैयार की जाती है न कि ब्रांड नाम से, इसलिए औषधालय में उपलब्ध ब्रांड नाम की आपूर्ति की जाती है । कभी-कभार निर्धारित की गई औषध को औषधालय द्वारा स्थानीय केमिस्ट से इडेंट भी किया जाता है और लाभार्थी को प्रदान किया जाता है । सभी मदों की हर समय सूची तैयार करना सम्भव नहीं है लेकिन फार्मूलरी सूची में सभी प्रमुख औषधें हैं ।

(ग) और (घ) कार्यात्मक रूप से ब्रूफेन और फ्लेक्जॉन, दोनों दर्द निवारक हैं और शोथ-रोधी हैं ।

(ङ) केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था जो कि तर्कसंगत नहीं पाया गया ।

विश्व टीकाकरण कार्यक्रम

1174. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा में भारत और कुछ राज्यों का वर्ष 1992 के दौरान विश्व टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशंसा का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

व्यापक रोग प्रतिरक्षण के कवरेज स्तरों को लेखबद्ध करने और इसकी सेवाओं, कोल्ड चेन और निगरानी सम्बन्धी पद्धतियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दलों ने इस कार्यक्रम की एक स्वतन्त्र समीक्षा की । प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 राज्यों के यादृच्छिक रूप से दो जिलों को चुना गया । इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं : हरियाणा (उत्तर), मध्य प्रदेश (केन्द्रीय), महाराष्ट्र (पश्चिम), उड़ीसा (पूर्व) और तमिलनाडु (दक्षिण) ।

इस समीक्षा से प्रथम सम्पर्क, जो शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में 77 प्रतिशत से लेकर तीन जिलों में शत-प्रतिशत तक है, सहित रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी सेवाओं की पहुंच का पता चला । ओ० पी० वी० की तीसरी खुराक के कवरेज स्तर 54 से 99 प्रतिशत के बीच हैं । तीन जिलों को छोड़कर सभी जिलों में इसकी खुराक बीच में ही छोड़ने वालों की दर 8 प्रतिशत से कम हैं । टेटनस टाक्सायड का टीका लेने वाली गर्भवती माताओं की कवरेज 53 से 97 प्रतिशत है । चार जिलों ने 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज स्तर प्राप्त कर लिये थे । दो जिलों को छोड़कर रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी सेवाओं के प्रति सामुदायिक जागरूकता और स्वीकार्यता बहुत ज्यादा थी ।

सभी जिलों में कोल्ड चेन और संचार-तंत्र के नेटवर्क को सन्तोषजनक ढंग से कार्य करते हुए पाया गया । ओ० पी० वी० की वैक्सीन की 3 खुराकों की बचाव प्रभावकारिता 83 से 98 प्रतिशत थी और उसकी अन्य देशों की दरों से तुलना की जा सकती थी । हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में निगरानी पद्धति सुस्थापित थी जबकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस पद्धति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी ।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

1175. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1990 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की संरचना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिनांक 30 सितम्बर, 1990 को केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार थी :

1. डॉ० शंकर दयाल शर्मा — अध्यक्ष
   भारत के उपराष्ट्रपति

2. डॉ० रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य विभागाध्यक्ष, प्राच्य शिक्षा अकादमी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी,	सदस्य
3. डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी डीन, संस्कृत अध्ययन संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
4. डॉ० एन० वी० वासुदेवाचार्य 117, कोथान्द्ररामा स्वामी कोली, सेंट, वेस्ट मंबालम मद्रास-600033	सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) प्रेम लता शर्मा कुलपति खैरागढ़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश	सदस्य
6. डॉ० मंडल मिश्र, प्रिंसिपल, लाल बहादुर शास्त्री, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कटवेरिया सराय, नई दिल्ली	सदस्य
7. डॉ० (श्रीमती) एस० एस० जानकी, निदेशक, कुप्पूस्वामी संस्कृत अनुसंधान संस्थान, 84, रायपेट हाई रोड माइलापुर, मद्रास-600004	सदस्य
8. श्री सुरेन्द्र ब्रह्मचारी बिहार विश्वविद्यालय, भूतपूर्व कुलपति, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ।	सदस्य
9. श्री किरीत जोशी सदस्य सचिव, राष्ट्रीय वेद विद्याप्रतिष्ठान 10 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य
10. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
11. निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ए-40, विशाल एन्क्लेव राजा गार्डन, नई दिल्ली	सदस्य

12.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
13.	कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	सदस्य
14.	कुलपति, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
15.	कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार	सदस्य
16.	कुलपति/प्रिंसिपल, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	सदस्य
17.	संयुक्त शिक्षा सलाहकार/अपर सचिव संस्कृत प्रभार का कार्य करने वाले	सदस्य
18.	उप शिक्षा सलाहकार (संस्कृत)	सदस्य सचिव

[हिन्दी]

डीजल जेनरेटिंग सेट चलाने के लिए अनुमति

1176. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ताज के आसपास के क्षेत्र सहित आगरा-मथुरा क्षेत्र में डीजल जेनरेटिंग सेट चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह वर्तमान ग्रिड प्रणाली से निरन्तर बिजली आपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था करें क्योंकि डीजल जेनरेटिंग सेटों के समग्र प्रभाव से क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी और इससे ताज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[अनुवाद]

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर गाड़ियां/सवारी डिब्बे

1177. **श्री अमल दत्त :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न सेक्शनों मे चल रही यात्री गाड़ियों रेकों/सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में गाड़ियों/रेकों/कोचों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) नई गाड़ियां चलाना और रेकों/सवारी डिब्बों का आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है जो आवश्यकता, वाणिज्यिक और परिचालनिक औचित्य तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

विवरण

(क) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों पर यात्री गाड़ियों/रेकों और सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार हैं :

	पूर्व रेलवे			दक्षिण पूर्व रेलवे		
	1990	1991	1992	1990	1991	1992
यात्री गाड़ियों की कुल संख्या	314	322	324	284	288	292
रेकों की कुल संख्या	219	223	228	184	195	209
सवारी डिब्बों की कुल संख्या	4074	4109	4168	2780	2859	2933

खण्ड-वार सूचना नहीं रखी जाती है ।

[हिन्दी]

नागपुर स्टेशन

1178. **श्री तेजसिंह राव भोंसले :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र नागपुर स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर शुरू किए गए कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्लेटफार्म सं० 6 और 7 पर ऊपरी पैदल पुल के विस्तार कार्य और

धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था को छोड़कर नागपुर स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने से सम्बन्धित सभी कार्य पूरे कर लिये गए हैं। शेष कार्य मार्च 1993 में पूरे करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

मुम्बई में उपरि पुल

1179. श्री राम नाईक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उपनगरीय रेलवे के अंधेरी और बोरिवली रेलवे स्टेशनों के बीच कितने रेल फाटक हैं;

(ख) वहां इन रेल फाटकों के स्थान पर उपरि पुलों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) यदि इस सेक्शन पर कोई उपरि पुल है तो इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नौ।

(ख) समपार सं० 28, 29, 29-ए और 32 के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। बृहत् बम्बई नगर निगम की ओर से अन्य पांच समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) अंधेरी और बोरिवली के बीच कोई ऊपरी सड़क पुल नहीं है।

(घ) जिन ऊपरी/निचले सड़क पुलों पर कार्य चल रहा है उनके 2 से 3 वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी की छतों पर यात्रा करना

1180. श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी की छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार की यात्रा से कितने यात्रियों की मृत्यु हुई; और

(घ) ऐसी यात्राओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दो व्यक्ति।

(घ) गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने को रोकने तथा इसे हतोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों में स्टेशन परिसरों में नोटिस तथा पोस्टरों का प्रदर्शन करना, छत पर यात्रा करने के

खतरे को उजागर करते हुए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्य से घोषणाएं करना, चल टिकट परीक्षकों द्वारा जांच करना, छापों/जांच के दौरान पकड़े गए दोषी व्यक्तियों पर रे० सु० ब०/रा० रे० पु० द्वारा मुकदमा चलाया जाना शामिल है। त्यौहारों आदि के दौरान अतिरिक्त मांग होने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था करके या अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर भी जहां तक संभव होता है क्षमता बढ़ाई जाती है।

केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटन

1181. **श्री रामपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 तथा 1991-92 के लिए केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई परिवार कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) राज्य सरकार को अब तक कितनी धनराशि दे दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार बाकी धनराशि कब तक दे देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को किए गए आबंटन और भुगतान की गई रकमें नीचे दी गई हैं :

वर्ष	आबंटन	भुगतान की गई रकम
		(लाख रुपये में)
1990-91	7219.54	7327.83*
1991-92	8187.70	10413.14

* इसके अतिरिक्त 1990-91 के दौरान पिछले बकाया का भुगतान करने हेतु 6000 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) 1990-91 और 1991-92 के बकाया के भुगतान का प्रश्न तभी उठेगा जब महा-लेखाकार से अंकेक्षित आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे।

[अनुवाद]

नवयुग स्कूल

1182. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कितने और कौन-कौन से नवयुग विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों में समान सुविधाएं दी जाती हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे पांच नवयुग विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) सीनियर नवयुग विद्यालय, सरोजिनी नगर।

(2) सीनियर नवयुग विद्यालय, पेशवा रोड।

(3) नवयुग विद्यालय मोतीबाग।

(4) नवयुग विद्यालय, लक्ष्मीबाई नगर।

(5) नवयुग विद्यालय, लोधी रोड।

(ख) और (ग) सीनियर नवयुग विद्यालय, सरोजिनी नगर के अतिरिक्त जहां इसके प्रारम्भ से ही भोजन दिया जाता है, नवयुग विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाएं समान हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण पर भारत-फिनलैंड समझौता

1183. **श्री सुभाष चन्द्र नायक** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के विकास और पर्यावरण में सुधार करने के लिए फ़िनलैण्ड के साथ कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 में फिनिश-भारतीय संयुक्त आयोग ने अपशिष्ट शोधन एवं निपटान, लुग्दी, कागज तथा प्लाईवुड उद्योग को उन्नत बनाने जैसी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी के अन्तरण को बढ़ावा देने और वानिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए इन दोनों देशों के मध्य सहयोग पर विचार किया। 1993-95 की अवधि के लिए भारत और फिनलैंड के मध्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत इन दोनों देशों के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की शिनाख्त की गई है, इनमें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के संस्थानों तथा फिनिश वन अनुसंधान संस्थानों के मध्य तथा हिमालय के शीतोष्ण वनों के संदर्भ में वनवर्धन, वन पुनरुत्पादन, वृक्ष सुधार, उद्गम स्थान अनुसंधान, आनुवंशिकी की दृष्टि से परिष्कृत बीज उत्पादन आदि के क्षेत्रों में वृक्ष प्रजनन संगठनों के मध्य सहयोग शामिल है।

सुरक्षित पेयजल

1184. **डा० आर० मल्लू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल में क्लोरीन तथा अन्य विरंजक पदार्थ मिलाने की स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित सीमा उसी प्रकार निर्धारित की गई है जिस प्रकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दुग्ध और कृषि उत्पादनों के सम्बन्ध में यह सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पेय जल के लिए तैयार किए गए मानकों में क्लोरीनयुक्त पेयजल में मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन की न्यूनतम वांछनीय सीमा 0.20 मिग्रा. । रखी गई है । जब विषाणु संक्रमण से सुरक्षा की जरूरत हो तो यह सीमा न्यूनतम 0.5 मिग्रा. । होनी चाहिए ।

[हिन्दी]

अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियां

1185. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त भण्डार है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या अस्पतालों में निर्धन व्यक्तियों को जीवन रक्षक औषधियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्धन व्यक्तियों को बिना विलम्ब के जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) दिल्ली के अस्पतालों में जीवनरक्षक औषधों की पर्याप्त मात्रा है । ये औषधें अस्पतालों के सामान्य वार्डों में भर्ती अन्तरंग रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

[अनुवाद]

कायमकुलम रेलवे स्टेशन

1186. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकुलम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान वहां पर अब तक कौन सी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा इन्हें उपलब्ध कराने पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष में इन पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कायनकुलम स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) कायनकुलम स्टेशन पर विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों में अलेप्पी-कायनकुलम नई लाइन परियोजना और कायनकुलम-कोल्लम दोहरीकरण योजना शामिल है और इन निर्माण कार्यों के लिए अलग से कोई वार्षिक आबंटन नहीं किया गया है; स्टेशन के विकास की कुल प्रत्याशित लागत 96 लाख रुपये है जिसमें से अब तक लगभग 85 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं;

(ग) और (घ) अल्लेप्पी-कायनकुलम नई लाइन परियोजना और कायनकुलम-कोल्लम दोहरीकरण योजना के तहत कायनकुलम स्टेशन पर किए गए/किए जा रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. दो अतिरिक्त लूप लाइनें,
2. 525 मी० लम्बा, 10 मी० चौड़ा द्वीप प्लेटफार्म,
3. ऊपरी पैदल पुल,
4. 30 मी० लम्बा यात्री सायबान,
5. पहुंच मार्ग को चौड़ा करना,
6. द्वीप प्लेटफार्म पर कंक्रीट सीमेंट का खड़ंजा लगाना,

अवसंरचनात्मक कार्यों अर्थात् ढांचा तैयार करने, पुलों के विस्तार आदि सहित उपर्युक्त निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत 96 लाख रुपए है। इसमें से उपर्युक्त सुविधाओं पर अब तक 90 प्रतिशत राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

नए शिक्षित व्यक्तियों के लिए शिक्षा

1187. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नये शिक्षित व्यक्तियों और आदिवासियों के लिए शिक्षा जारी रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ङ) जिलों में कार्यान्वित पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद नव-साक्षरों के लिए उत्तर-साक्षरता एवं सतत शिक्षा का दौर आरम्भ होता है, उत्तर साक्षरता के दौर का मुख्य उद्देश्य, पहले चरण के दौरान नव-साक्षरों द्वारा अर्जित साक्षरता दक्षता समेकित करना तथा उन्हें निर्दिष्ट शिक्षा से स्व-शिक्षा के योग्य बनाने के साथ-साथ पहले चरण के दौरान शामिल न हो सकने वाले तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले प्रौढ़ों को प्रोत्साहित करना है।

विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए पंजीकृत की गई जिला साक्षरता समिति, (जि० सा० स० या जिला साक्षरता सोसाइटी) जिसके अध्यक्ष जिला कलैक्टर होते हैं, द्वारा पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान कार्यान्वित किए जाते हैं। जिला कलैक्टर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तथा उसकी सिफारिश राज्य सरकार से करवाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के एक दल द्वारा जिले का दौरा करने तथा अभियान आरम्भ करने के लिए की गई तैयारियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, इस प्रस्ताव पर विचार करती है।

अभियानों के लिए, जिला साक्षरता समिति का वित्त पोषण सीधे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 2 : 1 के अनुपात से किया जाता है। चूंकि पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान, किसी विशेष क्षेत्र की सम्पूर्ण लक्षित जनसंख्या को शामिल करने के लिए अभिप्रेत है, अतः लाभग्राहियों में आदिवासियों को भी शामिल किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य के निम्न जिलों से उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

जिला	शामिल किए गए (व्यक्ति लाखों में)	समय-अवधि	प्रस्तावित बजट (रु० लाखों में)
दुर्ग	4.25	जून, 92 से दिसम्बर, 92	458.60
नरसिंहपुर	1.07	नहीं दी गई	131.37

इन जिलों में उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व सरकार को पूर्ण साक्षरता अभियान के सन्तोषजनक समापन के बारे में समुचित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में औद्योगिक प्रदूषण

1198. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में, विशेष रूप से जामनगर जिले में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। जामनगर जिले में तेल मिलों, एक रसायन कारखाने और कोयला उत्पादन यूनिट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है और रिपोर्ट दी है कि तेल मिलों और टाटा कैमिकल्स लिमिटेड में पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र हैं, जहां तक उस क्षेत्र की कोयला उत्पादन यूनिटों से होने वाले उत्सर्जन का प्रश्न है मामले की जांच-पड़ताल की गई है और कृषि भूमि को कोई नुकसान हुआ नहीं पाया गया। तथापि, बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर कम्पनी ने विविक्त कणों के उत्सर्जन को और कम करने के लिए प्रसंस्करण उपकरण में सुधार कर लिए हैं।

[हिन्दी]

दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान

1189. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना (बिहार) की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इस सम्बन्ध में अध्यापकों, गैर-अध्यापन कर्मचारियों तथा पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) इस संस्थान के विकास तथा इसमें विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना (बिहार) के बारे में, सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

*1190. **श्री रामदेव राम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार क्षेत्र के पलामू सबडिविजन में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डेल्टनगंज (पालमाऊ) बिहार में एक नया अध्ययन केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है। यदि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को प्राप्त प्रस्ताव व्यवहारिक प्रतीत हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तटवर्ती उड़ीसा में हरित पट्टी

1191. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के समुद्र तट पर हरित पट्टी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा वन विभाग और उड़ीसा वन विकास निगम, उड़ीसा समुद्रतट पर तटवर्ती सुरक्षा पट्टी वृक्षारोपण कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा वन विकास निगम के कटक, पुरी, बालासोर तथा गंजम जिलों में समुद्रतट के लगभग 1200 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया है जिसमें कैजुरीना मुख्य प्रजाति है। यह कार्यकलाप बराबर चलाया जाता है और इसके लिए राज्य वन विभाग की वार्षिक योजनाओं में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

देश में विश्वविद्यालय

1192. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 तक देश में राज्यवार कुल कितने विश्वविद्यालय थे, उनमें शिक्षा का माध्यम क्या था और इनका पाठ्यक्रम सामान्य है अथवा विशेषज्ञता का;

(ख) 1991-92 में कुल कितने छात्रों को पंजीकृत किया गया और 1 अप्रैल, 1992 को विश्वविद्यालय-वार कितने अध्यापक थे; और

(ग) योजना और गैर-योजना, अनुरक्षण तथा विकास व्यय सहित 1991-92 के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश में अप्रैल, 1992 को सम विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या सामान्य तथा विशिष्ट के अनुसार उनके ब्यौरों सहित संलग्न विवरण-1 में दी गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जा रहे शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में सूचना "विश्वविद्यालयों के हैण्डबुक-1992" में दी गई है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कालेजों में छात्रों के

दाखिले के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों और उनके संबद्ध कालेजों में अध्यापन स्टाफ की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) 1991-92 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिया गया योजनागत और योजनेत्तर अनुदान दर्शाने वाला एक विवरण-IV संलग्न है। राज्य विश्वविद्यालयों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिये जाते हैं और आयोग इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं रखता।

विवरण-I

"विशिष्ट" और "सामान्य" श्रेणियों के अनुसार 1-4-1992 को राज्यवार विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की संख्या

क्र०स०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशिष्ट विश्वविद्यालयों की संख्या	सामान्य विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	12	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	1
3.	असम	1	2	3
4.	बिहार	4	7	11
5.	गोआ	—	1	1
6.	गुजरात	2	8	10
7.	हरियाणा	2	2	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1	2	3
10.	कर्नाटक	2	7	9
11.	केरल	2	3	5
12.	मध्य प्रदेश	3	9	12
13.	महाराष्ट्र	6	13	19
14.	मणिपुर	—	1	1
15.	मेघालय/मिजोरम नागालैंड	—	1	1
16.	उड़ीसा	2	3	5
17.	पंजाब	2	3	5

1	2	3	4	5
18.	राजस्थान	2	8	10
19.	तमिलनाडु	5	10	15
20.	त्रिपुरा	—	—	1
21.	उत्तर प्रदेश	7	18	25
22.	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	3	7	10
23.	दिल्ली	5	4	9
24.	पाण्डिचेरी	—	1	1
	आल इण्डिया	55	125	180

विवरण-II

1991-92 में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और संबद्ध कालेजों में छात्रों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विश्वविद्यालय	छात्रों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. आंध्र	72600
	2. आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर	4152
	3. हैदराबाद	1163
	4. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	3963
	5. ककाटिया	15054
	6. नागार्जुन	61490
	7. उस्मानिया	90866
	8. श्री कृष्णा देव रांक्षा	1702
	9. श्री पद्मावती महिला	457
	10. श्री वेंकटेश्वरा	64139
	11. निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान**	435
	12. श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान†	550
	कुल	316659

1	2	3
असम	13. असम एग्रीकल्चर	1625
	14. डिब्रूगढ़	24993
	15. गुवाहाटी	62696
	कुल	89314
बिहार	16. भागलपुर	36173
	17. बिहार	43564
	18. बिड़ला एग्रीकल्चर	613
	19. के० एस० दरभंगा संस्कृति	11344
	20. ललिता नारायण मिथिला	57837
	21. मगध	80663
	22. पटना	15187
	23. राजेन्द्र एग्रीकल्चर	1373
	24. रांची	72370
	25. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान†	1842
	26. भारतीय खान स्कूल*	890
	कुल	321856
गुजरात	27. भावनगर	6318
	28. गुजरात	134255
	29. गुजरात एग्रीकल्चर	2861
	30. गुजरात आयुर्वेद	1749
	31. महाराणा सायाजी राव	23830
	32. सरदार पटेल	14392
	33. सौराष्ट्र	43393
	34. दक्षिण गुजरात	45585
	35. गुजरात विद्यापीठ	652
	कुल	273055

1	2	3
हरियाणा	36. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	3225
	37. कुरुक्षेत्र	50729
	38. महर्षि दयानन्द	44032
	कुल	97986
हिमाचल प्रदेश	39. हिमाचल प्रदेश	26416
	40. हिमाचल प्रदेश कृषि	1109
	कुल	27525
जम्मू एवं कश्मीर	41. जम्मू	15570
	42. कश्मीर	19273
	43. शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय	320
	कुल	35163
कर्नाटक	44. बंगलौर	99258
	45. गुलबर्गा	30371
	46. कर्नाटक	62303
	47. मंगलौर	31944
	48. मैसूर	70698
	49. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	4532
	50. भारतीय विज्ञान संस्थान	1728
	कुल	300834
केरल	51. कालीकट	60120
	52. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय	1273
	53. महात्मा गांधी	52261
	54. केरल	58025
	55. केरल कृषि	2141
	कुल	173820

1	2	3
मध्य प्रदेश	56. अवधेश प्रताप सिंह	32057
	57. बनल टुलाह	39685
	58. देवी अहिल्या	31353
	59. डा० हरीसिंह गौड़	49160
	60. गुरु घासी दास	24313
	61. इन्दिरा कला संगीत	1473
	62. जवाहर लाल नेहरू कृषि	3663
	63. जिवाजी	34382
	64. रानी दुर्गावती	27052
	65. रवि शंकर	41218
	66. विक्रम	37771
	कुल	322127
महाराष्ट्र	67. अमरावती	42100
	68. बम्बई	202487
	69. कौनकन कृषि	1140
	70. महात्मा फूले कृषि	2553
	71. मराठवाड़ा	57100
	72. मराठवाड़ा कृषि	2209
	73. नागपुर	74192
	74. पूना	142017
	75. पंजाब राव कृषि	2637
	76. श्रीमती नथीबाई दामोदर थाकरसे महिला	13562
	77. शिवाजी	83298
	78. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान*	362
	कुल	623657
मणिपुर	79. मणिपुर	14304
मेघालय	80. उत्तर पूर्वी पर्वतीय	13392

1	2	3
उड़ीसा	81. बहरामपुर	12371
	82. कृषि एवं प्रौद्योगिकी उस्मानिया विश्वविद्यालय	2555
	83. सम्बलपुर	21793
	84. श्री जगन्नाथ संस्कृत	411
	85. उत्कल	58694
	कुल	95824
पंजाब	86. गुरु नानक देव	58522
	87. पंजाब	73397
	88. पंजाब कृषि	3728
	89. पंजाबी	30340
	90. थापर इन्जीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान*	1183
	कुल	167180
राजस्थान	91. जोधपुर	14870
	92. मोहन लाल सुखाड़िया	5577
	93. राजस्थान	184508
	94. वन स्थली विद्यापीठ	1291
	95. बिरला प्रौद्योगिकी एव विज्ञान संस्थान*	2677
	कुल	208923
तमिलनाडु	96. अलगप्पा	561
	97. अन्ना	7951
	98. अन्नामलाई	8687
	99. भारथीयार	52703
	100. भारती दासन	67963
	101. मद्रास	159403
	102. मदुरै कामराज	127743

1	2	3
	103. तमिल	22
	104. तमिलनाडु कृषि	4590
	105. गांधी ग्रामीण संस्थान	1123
	कुल	430746
उत्तर प्रदेश	106. आगरा	61983
	107. अलीगढ़ मुस्लिम	11256
	108. इलाहाबाद	36724
	109. अवध	30681
	110. बनारस हिन्दू	20893
	111. बुन्देलखण्ड	21935
	112. चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय	1470
	113. जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय	2863
	114. गोरखपुर	128634
	115. हेमवती नन्दन बहुगुणा	18702
	116. कानपुर	78199
	117. काशी विद्यापीठ	7720
	118. कुमायूं	11659
	119. लखनऊ	50326
	120. मेरठ	74159
	121. नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय	213
	122. रोहिलखण्ड	40116
	123. रुड़की	3010
	124. सम्पूर्णानन्द संस्कृत	8070
	125. दयाल शैक्षिक संस्थान	1485
	126. गुरुकुल कांगड़ी	690

1	2	3
	127. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान*	289
	कुल	612077
पश्चिमी बंगाल	128. विधान चन्द्र कृषि	1684
	129. बुर्द्धवान	72403
	130. कलकत्ता	210244
	131. जादवपुर	8287
	132. कल्याणी	5034
	133. उत्तरी बंगाल	32308
	134. रविन्द्र भारती	7107
	135. विद्या सागर	24180
	136. विश्व भारती	2606
	कुल	363862
दिल्ली	137. दिल्ली	115904
	138. जामिया मिलिया इस्लामिया	2777
	139. जवाहर लाल नेहरू	2811
	140. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान*	725
	141. वास्तुकला एवं योजना स्कूल*	586
	कुल	122872
कुल योग	सम्पूर्ण भारत	4611107

*विश्वविद्यालय समझी जाने वाले संस्थान।

**राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्था।

नये विश्वविद्यालयों की सूची जिनके लिए वर्ष 1991-92 के अनुमानित नामांकन उपलब्ध नहीं है

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विश्वविद्यालय
1	2
आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश मुक्त
	2. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

1	2
	3. तेलुगू
	4. केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान
	5. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
अरुणाचल प्रदेश	6. अरुणाचल
बिहार	7. नालन्दा मुक्त
गोवा	8. गोवा
गुजरात	9. उत्तरी गुजरात
हरियाणा	10. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
हिमाचल प्रदेश	11. डा० वाई० एस० परमार बागवानी एवं वानकी विश्वविद्यालय
जम्मू एवं कश्मीर	12. शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान**
कर्नाटक	13. केवेम्पू
	14. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़
मध्य प्रदेश	15. इन्दिरा गांधी कृषि
महाराष्ट्र	16. उत्तरी महाराष्ट्र
	17. यशवन्त राव चव्हाण
	18. दक्कन उत्तर स्नातक कालेज एवं अनुसंधान संस्थान*
	19. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान*
	20. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ*
	21. केन्द्रीय मछली पालन शिक्षण संस्थान
राजस्थान	22. कोटा ओपन
	23. राजस्थान कृषि
	24. अजमेर विश्वविद्यालय
	25. राजस्थान विद्यापीठ
	26. जैन विश्व भारती संस्थान
	27. डा० एम० जी० आर० मेडीकल विश्वविद्यालय
	28. मदर टेरेसा महिला
	29. तमिलनाडु वेटेटिनरी पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
	30. श्री अविनाश लिंगम इंस्टीच्यूट फार होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फार वोमेन*

1	2
त्रिपुरा	31. त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	32. पूर्वांचल
	33. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडीकल साइंस**
	34. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हायर तिबतन स्टडीज**
	35. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
	36. जामिया हमदर्द*
	37. नेशनल म्यूजम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट कंजरवेशन एण्ड म्यूजिओ*
	38. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ**
	39. पांडिचेरी
पांडिचेरी (संघशासित प्रदेश)	

*विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था

**राज्य विधान मण्डल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

विवरण-III

1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों तथा सम्बद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विश्वविद्यालय	शिक्षण स्टाफ की संख्या		
		वि०शि०वि० वि० कालेज	सम्बद्ध कालेज	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1. आंध्र	684	4061	4945
	2. आंध्र प्रदेश कृषि	603	0	603
	3. हैदराबाद	153	0	153
	4. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	379	0	379
	5. काकतिया	264	769	1033
	6. नागार्जुन	122	4157	4279
	7. उस्मानिया	1317	4372	5889
	8. श्री कृष्ण देवराया	131	0	131
	9. श्री पदमावती महिला	53	0	53

1	2	3	4	5
	10. श्री वेंकटेश्वर	554	3319	3873
	11. के०अ०वि०भा० संस्थान*	100	0	100
	12. श्री सत्य साई* उच्च अध्ययन संस्थान	113	0	113
	कुल	4673	16678	213871
अरुणाचल प्रदेश	1. अरुणाचल	0	79	79
असम	1. असम कृषि	306	0	306
	2. डिब्रूगढ़	147	2225	2372
	3. गोहाटी	351	4398	4749
	कुल	804	6623	7427
बिहार	1. भागलपुर	2112	497	2609
	2. बिहार	2970	634	3604
	3. बिरसा कृषि	250	1201	1451
	4. के०एस०दरभंगा संस्कृत	38	0	38
	5. ललित नारायण मिथिला	3186	920	4106
	6. मगध	3269	2404	5673
	7. पटना	1196	116	1312
	8. राजेन्द्र कृषि	524	0	524
	9. रांची	2778	1627	4405
	10. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान*	223	0	223
	11. भारतीय खनन स्कूल*	163	0	163
	कुल	16709	7399	24106
गोवा	1. गोवा	31	0	31
गुजरात	1. भावनगर	192	89	28
	2. गुजरात	155	4270	4425
	3. गुजरात कृषि	502	0	502
	4. गुजरात आयुर्वेद	26	260	286

1	2	3	4	5
	5. महाराष्ट्र सयाजीराव	1186	0	1186
	6. सरदार पटेल	190	532	722
	7. सौराष्ट्र	80	1752	1832
	8. दक्षिण गुजरात	124	1432	1556
	9. गुजरात विद्यापीठ*	66	0	66
	कुल	2521	8335	10856
हरियाणा	1. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	470	0	470
	2. कुरुक्षेत्र	379	2650	3029
	3. महर्षि दयानन्द	317	2773	3090
	कुल	1166	5423	6569
हिमाचल प्रदेश	1. हिमाचल प्रदेश	192	1026	1218
	2. हिमाचल प्रदेश कृषि	372	0	372
	कुल	564	1026	1590
जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू	174	769	943
	2. कश्मीर	169	1347	1516
	3. शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय	71	0	71
	कुल	414	2116	2530
कर्नाटक	1. बंगलौर	557	5970	6527
	2. गुलबर्गा	160	2190	2350
	3. कर्नाटक	611	4210	4821
	4. मंगलौर	106	2329	2435
	5. मैसूर	693	4724	5017
	6. कृषि विश्व० बंगलौर	729	0	729
	7. भारतीय विज्ञान संस्थान*	475	0	475
	कुल	3531	19423	22954

1	2	3	4	5
केरल	1. कालीकट	196	5791	5987
	2. कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	188	0	188
	3. महात्मा गांधी	16	5603	5619
	4. केरल	496	5767	6263
	5. केरल कृषि	242	0	242
	कुल	1138	17161	18299
मध्य प्रदेश	1. अवधेश प्रताप सिंह	23	1419	1442
	2. वरकतुल्लाह	28	1455	1483
	3. देवी अहिल्या	61	1127	1188
	4. डा० हरिसिंह गौड़	415	1495	1910
	5. गुरु घासीदास	0	693	693
	6. इन्दिरा कला संगीत	48	332	380
	7. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	546	0	546
	8. जीवाजी	70	1424	1494
	9. रानी दुर्गावती	116	1198	1314
	10. रविशंकर	95	1393	1466
	11. विक्रम	262	1382	1644
	कुल	1664	11918	13582
महाराष्ट्र	1. अमरावती	5	2140	2145
	2. बम्बई	292	7915	8207
	3. कोंकण कृषि	246	0	264
	4. महात्मा फूले कृषि	351	0	351
	5. मराठवाड़ा	203	3246	3449
	6. मराठावाड़ा कृषि	233	0	233
	7. नागपुर	420	3202	3622
	8. पूना	360	5953	6313

1	2	3	4	5
	9. पंजाब राव कृषि	509	0	509
	10. श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	592	416	1008
	11. शिवाजी	180	4324	4504
	12. टाटा सामाजिक विज्ञान सस्थान*	76	0	76
	कुल	3485	27196	30681
मणिपुर	1. मणिपुर	168	1145	1313
मेघालय	1. पूर्वोत्तर पहाड़ी	371	1071	1442
उड़ीसा	1. बरनामपुर	152	1291	1443
	2. उड़ीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	242	0	242
	3. सम्बलपुर	285	1784	2069
	4. श्री जगन्नाथ संस्कृत	20	71	91
	5. उत्कल	250	4663	4913
	कुल	949	7809	8758
पंजाब	1. गुरु नानक देव	302	2898	3200
	2. पंजाब	727	4072	4799
	3. पंजाब कृषि	550	0	550
	4. पंजाब	322	2098	2420
	5. थापर इन्जीनियरी व प्रौ० संस्थान*	97	0	97
	कुल	1998	9068	11066
राजस्थान	1. जोधपुर	671	79	750
	2. मोहन लाल सुखाड़िया	625	0	625
	3. राजस्थान	829	0	829
	4. राजस्थान कृषि	0	7170	7110
	5. वनस्थली विद्यापीठ*	146	0	146
	6. बिरला प्रौ० व विज्ञान*	230	0	230
	कुल	2501	7249	9750

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	1. अलगप्पा	47	0	47
	2. अन्ना	425	0	425
	3. अन्नामलै	556	0	556
	4. भरतियार	49	2591	2640
	5. भारतीयादासन	32	3187	3219
	6. मद्रास	389	8788	9177
	7. मदुरै कामराज	250	6510	6760
	8. तमिल	34	0	34
	9. तमिलनाडु कृषि	781	0	781
	10. गांधीग्राम ग्रामीण सस्थान*	108	0	108
	कुल	2671	21076	23747
उत्तर प्रदेश	1. आगरा	59	2185	2244
	2. अलीगढ़ मुस्लिम	1280	0	1280
	3. इलाहाबाद	572	777	1349
	4. अवध	0	896	896
	5. बनारस हिन्दू	1918	121	2039
	6. बुन्देलखण्ड	135	564	719
	7. चन्द्र शेखर आजाद कृषि व प्रौ० विश्व०	427	0	427
	8. जी० बी० पन्त कृषि व प्रौ० विश्व०	416	0	416
	9. गोरखपुर	386	3437	3823
	10. हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय	201	685	886
	11. कानपुर	0	3048	3048
	12. काशी विद्यापीठ	170	0	170
	13. कुमाऊं	266	338	604
	14. लखनऊ	843	892	1735
	15. मेरठ	84	2530	2614

1	2	3	4	5
	16. नरेन्द्रदेव कृषि व प्रौ० विश्वविद्यालय	42	0	42
	17. रोहिलखण्ड	0	1273	1273
	18. रुड़की	574	0	574
	19. सम्पूर्णानन्द संस्कृत	88	828	916
	20. दयालबाग शैक्षिक संस्थान*	157	0	157
	21. गुरुकुल कांगड़ी*	66	0	66
	22. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान*	365	0	365
	कुल	8049	17594	25643
पश्चिम बंगाल	1. विधानचन्द्र कृषि	378	0	378
	2. बर्दमान	387	3335	3722
	3. कलकत्ता	1066	10494	11560
	4. जादवपुर	786	63	849
	5. कल्याणी	264	99	363
	6. उत्तर बंगाल	324	1288	1612
	7. रवीन्द्र भारती	470	1136	1606
	8. विश्वभारती	403	0	403
	कुल	4078	16415	20493
दिल्ली	1. दिल्ली	1836	4976	6812
	2. जामिया मिलिया इस्लामिया	245	0	245
	3. जवाहरलाल नेहरू	363	0	363
	4. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान*	487	0	487
	5. आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल*	239	0	239
	कुल	3170	4976	8146
कुल योग	भारत	60655	209780	270435

*सम विश्वविद्यालय

विवरण-IV

योजनेत्तर, योजनागत व धारा 111 के अधीन वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	रुपये लाखों में योजनेत्तर	योजनागत व धारा-111	कुल
1	2	3	4	5
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3672.92	494.00	4166.92
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	4558.68	607.97	5166.65
3.	दिल्ली	2557.58	351.34	2908.92
4.	हैदराबाद	780.64	332.76	1113.40
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	782.24	2173.42	2955.66
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1386.86	304.39	1691.25
7.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1097.84	265.76	1363.60
8.	पांडिचेरी	224.65	162.93	387.58
9.	विश्व-भारती	1062.38	104.46	1166.84
	कुल	16123.79	4797.03	20920.82
	सम-विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थान			
1.	अविनासीलिंगम संस्थान	110.04	46.73	156.77
2.	बनस्थली विद्यापीठ	0.05	20.54	20.59
3.	बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान	0.30	53.57	53.87
4.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	32 29	20.08	52.37
5.	केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान	257.08	82.66	339.74
6.	केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान	0.22	0.33	0.55
7.	दक्षिण कालेज स्नातकोत्तर आवासीय संस्थान	—	1.79	1.79

1	2	3	4	5
8.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान	65.12	53.69	118.81
9.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	140.19	40.68	180.87
10.	गुजरात विद्यापीठ	168.82	96.08	264.90
11.	गुरुकुल कांगडी आवासीय संस्थान	110.55	12.52	123.07
12.	भारतीय कृषि विश्वविद्यालय	0.25	0.47	0.72
13.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1907.19	354.80	2261.99
14.	भारतीय खान स्कूल	465.01	48.05	513.06
15.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	—	—	—
16.	भारतीय पशु चिकित्सा आवासीय संस्थान	—	2.00	2.00
17.	जामिया हमदर्द	39.41	131.47	170.88
18.	जैन विश्व भारती संस्थाम	—	2.00	2.00
19.	राष्ट्रीय डेयरी शोध	—	—	—
20.	राजस्थान विद्यापीठ	—	15.77	15.77
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	—	—	—
22.	स्कूल आफ प्लानिंग आर्किटैक्चर	—	2.81	2.81
23.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.35	1.04	1.39
24.	श्री सत्य साई अध्ययन संस्थान	0.06	38.25	38.31
25.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	—	6.00	6.00
26.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	176.75	21.31	198.06
27.	थापर इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान	—	9.26	9.26
	कुल	3473.68	1061.90	4535.58

1	2	3	4	5
		राज्य विश्वविद्यालय		
आंध्र प्रदेश				
1.	आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद	—	10.64	10.64
2.	आंध्र	27.38	164.98	192.36
3.	आंध्र प्रदेश कृषि	0.15	0.22	0.37
4.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी	0.75	15.54	16.29
5.	ककातिय	4.58	63.61	68.19
6.	नागार्जुन	1.00	37.79	38.79
7.	उस्मानिया	36.21	199.95	236.16
8.	श्री कृष्ण देवार्थ	0.53	74.30	74.83
9.	श्री वेंकटेश्वर	6.66	147.83	154.49
10.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति	0.16	53.52	53.68
11.	तेलुगू विश्वविद्यालय	0.43	9.24	9.67
12.	स्वास्थ्य विश्वविद्यालय	—	—	—
	कुल	77.85	777.62	855.47
अरुणाचल प्रदेश				
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय	—	—	—
	कुल	—	—	—
असम				
1.	असम कृषि	—	—	—
2.	डिब्रूगढ़	0.06	51.71	51.77
3.	गोवाहटी	0.89	57.71	58.60
	कुल	0.95	109.42	110.37
बिहार				
1.	भागलपुर	1.40	50.09	51.49
2.	बिहार	10.52	50.52	60.58

1	2	3	4	5
	3. बिरसा कृषि	—	—	—
	4. के० एस० दरभंगा संस्कृत	—	0.58	0.58
	5. मगध	10.00	47.80	57.80
	6. एल० एन० मिथिला	0.87	31.18	32.05
	7. पटना	0.31	17.35	17.66
	8. राजेन्द्र कृषि	—	—	—
	9. रांची	0.17	27.23	27.40
	कुल	23.27	224.29	247.56
	संघ शासित प्रदेश व दिल्ली			
	1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	—	—	—
	कुल	—	—	—
	हरियाणा			
	1. हरियाणा कृषि	0.19	1.79	1.98
	2. कुरुक्षेत्र	5.76	93.34	99.10
	3. महर्षि दयानंद	0.27	15.51	15.78
	कुल	6.22	110.64	116.86
	गुजरात राज्य			
	1. भावनगर	0.58	13.56	14.14
	2. गुजरात	15.26	38.70	53.96
	3. गुजरात कृषि	—	—	—
	4. गुजरात आयुर्वेद	—	—	—
	5. एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा	6.40	98.56	104.96
	6. उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	—	—	—
	7. सरदार पटेल	0.30	90.68	90.98
	8. सौराष्ट्र	0.32	35.65	35.97
	9. दक्षिण गुजरात	0.16	18.24	18.40
	कुल	23.02	295.39	318.41

1	2	3	4	5
गोवा राज्य				
	1. गोवा विश्वविद्यालय	0.50	54.54	55.04
	कुल	0.50	54.54	55.04
हिमाचल प्रदेश				
	1. हिमाचल प्रदेश	0.58	71.58	72.16
	2. हिमाचल प्रदेश कृषि	—	0.08	0.08
	3. डॉ० वाई० एस० पी० यूनि० आफ उद्यान विभाग व वनविद्या	—	—	—
	कुल	0.58	71.66	72.24
जम्मू व कश्मीर				
	1. जम्मू	3.11	94.95	98.06
	2. कश्मीर	—	37.54	37.54
	3. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—
	कुल	3.11	132.49	135.60
कर्नाटक				
	1. अलागप्पा	—	9.93	9.93
	2. बंगलौर	5.09	102.57	107.66
	3. गुलबर्गा	0.20	40.00	40.20
	4. कर्नाटक	0.66	68.08	68.74
	5. कोवेमपु	—	1.10	1.10
	6. मंगलौर	0.48	46.71	47.19
	7. मैसूर	15.49	69.99	85.48
	8. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	—	0.24	0.24
	9. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर	—	—	—
	कुल	21.92	338.62	360.54

1	2	3	4	5
केरल राज्य				
1.	कालीकट	11.84	48.41	60.25
2.	कोचीन विज्ञान व प्रौद्यो० विश्वविद्यालय	7.27	97.00	104.27
3.	केरल	0.50	158.90	159.40
4.	केरल कृषि	—	0.24	0.24
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम	2.17	39.68	41.85
	कुल	21.78	344.23	366.01
मणिपुर				
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल	0.39	135.46	135.85
	कुल	0.39	135.46	135.85
मध्य प्रदेश				
1.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	—	23.90	23.90
2.	भोपाल	1.36	63.56	64.92
3.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर	—	30.12	30.12
4.	इंदिरा कला संगीत	—	17.84	17.84
5.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	—	—	—
6.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	4.58	152.56	157.14
7.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	—	52.85	52.85
8.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	—	—	—
9.	शिवाजी	0.04	42.32	42.36
10.	रविशंकर	0.74	49.53	50.27
11.	डॉ० एच० एस० गौड़	4.03	78.94	82.97
12.	विक्रम विश्वविद्यालय	0.71	56.85	57.56
	कुल	11.46	568.47	579.93

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र राज्य			
1.	अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती	0.36	19.53	19.89
2.	बम्बई	24.87	138.40	163.27
3.	कोंकण कृषि	—	—	—
4.	महात्मा फुले कृषि	—	—	—
5.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ	—	—	—
6.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	2.72	62.20	64.92
7.	नागपुर	7.96	76.11	84.07
8.	पुणे	49.93	318.49	369.42
9.	पंजाबराव कृषि	—	—	—
10.	एस० एन० डी० टी० महिला	1.43	98.15	99.58
11.	शिवाजी	0.03	82 58	82.61
	कुल	87.30	795.46	882.76
	उड़ीसा राज्य			
1.	बेहरामपुर	0.11	46.18	46.29
2.	जगन्नाथ संस्कृत	—	16.95	16.95
3.	उड़ीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	0.44	0.44
4.	सम्बलपुर	3.25	73.18	76.43
5.	उत्कल	6.33	107.42	113.75
	कुल	9.69	244.17	253.86
	पंजाब राज्य			
1.	गुरु नानक देव	3.43	117.28	120.71
2.	पंजाब	2.18	141.78	143.96
3.	पंजाब कृषि	0.50	1.51	2.01
4.	पंजाबी	0.54	64.06	64.60
	कुल	6.65	324.63	331.28

1	2	3	4	5
राजस्थान राज्य				
1.	अजमेर विश्वविद्यालय	—	—	—
2.	जोधपुर विश्वविद्यालय	19.18	170.59	189.77
3.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय	—	0.49	0.49
4.	एम० एल० सुखाड़िया विश्वविद्यालय	1.30	48.58	49.88
5.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर	—	0.37	0.37
6.	राजस्थान विश्वविद्यालय	3.04	186.45	189.49
	कुल	23.52	406.48	430.00
तमिलनाडु राज्य				
1.	भारतीदेसन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	2.20	69.19	71.39
2.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	4.31	53.21	57.52
3.	अन्ना विश्वविद्यालय	107.40	140.17	247.57
4.	भारतीयर विश्वविद्यालय	2.60	80.70	83.30
5.	मद्रास विश्वविद्यालय	18.48	211.75	230.23
6.	मदुराई कामराज	27.77	208.69	236.46
7.	मदर टैरेसा महिला विश्वविद्यालय	0.25	5.94	6.19
8.	तमिलनाडु कृषि	—	—	—
9.	तमिल विश्वविद्यालय	0.12	12.61	12.73
	कुल	163.13	782.26	945.39
त्रिपुरा राज्य				
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	—	17.37	17.37
	कुल	—	17.37	17.37
उत्तर प्रदेश				
1.	आगरा विश्वविद्यालय	0.30	28.15	28.45
2.	इलाहाबाद	34.51	280.87	295.38

1	2	3	4	5
3.	अवध	0.11	5.18	5.29
4.	बुंदेलखंड	—	0.03	0.03
5.	चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—
6.	जी० बी० पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.71	2.31	3.02
7.	गढ़वाल विश्वविद्यालय	—	48.84	48.84
8.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	5.18	51.71	56.89
9.	कानपुर विश्वविद्यालय	—	4.81	4.81
10.	काशी विद्यापीठ	0.33	29.72	30.05
11.	कुमायूं विश्वविद्यालय	4.22	50.93	55.15
12.	लखनऊ विश्वविद्यालय	20.95	96.89	117.84
13.	मेरठ विश्वविद्यालय	6.45	14.05	20.50
14.	नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—
15.	रुहेलखंड विश्वविद्यालय	0.55	9.27	9.82
16.	रुड़की विश्वविद्यालय	125.20	172.75	297.95
17.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1.29	29.79	31.08
	कुल	199.80	805.30	1005.10
	पश्चिम बंगाल			
1.	बर्दमान विश्वविद्यालय	3.12	64.26	67.38
2.	बी० सी० कृषि विश्वविद्यालय	—	0.14	0.14
3.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	18.78	265.44	284.22
4.	जादवपुर विश्वविद्यालय	18.70	206.78	225.48
5.	कल्याणी विश्वविद्यालय	3.89	45.57	49.46
6.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	0.46	52.82	53.28
7.	रबिन्द्र भारती	0.68	32.00	32.68
8.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	—	2.60	2.60
	कुल	45.63	669.61	715.24
	कुल जोड़	20324.24	13067.04	33391.28

पर्यावरण निगरानी समिति

1193. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत हाल ही में किसी पर्यावरण निगरानी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) समिति द्वारा अब तक किन-किन स्थानों का दौरा किया गया है;

(घ) विभिन्न स्थानों का दौरा करने के पश्चात् समिति ने क्या सिफारिशें कीं; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-सहारनपुर लाइन पर रेलगाड़ियों को पुनः चलाना

1194. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से सहारनपुर बारस्ता बागपत रेलगाड़ी सं० 1-एस० एस० डी० और 8-एस०एस०डी० रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक कारणों की वजह से।

(ग) और (घ) 25-11-1992 से पुनः चला दी गई है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों की अर्थक्षमता

1195. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने हेतु सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) जो स्टेशन अर्थक्षम नहीं हैं उनकी जोनवार संख्या कितनी है; और

(घ) उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेलकूद उपकरण

1196. **श्री अनन्त राव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद उपकरणों को खुला सामान्य लाइसेंस नीति से अलग रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के हितों को सुरक्षित करने के लिए खेल सामग्री और उपस्करों को निगेटिव आयात सूची में रखा गया है।

भाषाओं को मान्यता

1197. **डा० बसन्त पवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी मान्यता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्राधिकरण के तहत किया जा रहा है और इस प्रयोजन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) साहित्य अकादमी की महा परिषद ने 13 मार्च, 1954 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि अकादमी केवल भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषाओं से ही सम्बन्धित नहीं होगी, बल्कि भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा अंग्रेजी में रचित साहित्यिक कृतियों के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं से भी सम्बन्धित होगी। इस प्रकार, अकादमी ने ऐसी 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है, जिनमें इसके कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इन 22 भाषाओं में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं भी सम्मिलित हैं। किसी भाषा को मान्यता दिए जाने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

I. सामाजिक भाषायी पहलू :

इसके अन्तर्गत, निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए :

1. क्या भाषा संरचनात्मक दृष्टि से एक स्वतन्त्र भाषा है अथवा किसी भाषा प्रणाली का एक अंग है;

2. क्या बोली से भिन्न इसका एक मानक रूप है;

3. क्या इसकी एक सतत साहित्यिक परम्परा तथा इतिहास है;

4. क्या आजकल काफी बड़ी संख्या में लोग साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की वाहिका के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।

II. साहित्यिक पहलू :

इसके अन्तर्गत, निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए :

1. क्या भाषा ने साहित्यिक विकास का ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया है जिससे इसे मान्यता दी जा सके। साहित्यिक विकास के स्तर का पता साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कि कथा साहित्य, काव्य नाटक, जीवनी, साहित्यिक समालोचना, साहित्य का इतिहास, पत्रिकाओं इत्यादि से चल सकता है, जिन्होंने अपनी स्वय की एक परम्परा विकसित की है और जिनमें आजकल साहित्य पर्याप्त मात्रा में विरचित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस भाषा में औसतन कितनी पुस्तकों की रचना की गई है।

2. सम्बन्धित भाषा के साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत साहित्यिक संस्थाए, यदि कोई हों, तो।

III. शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक पहलू :

इसके अन्तर्गत, निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए :

1. क्या इसे सम्बन्धित राज्य सरकार तथा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम तथा अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई है;

2. एक नई भाषा को मान्यता प्रदान करने के प्रशासनिक पहलू, जिसमें पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल है।

[हिन्दी]

रेलवे में गोल-माल

1198. **श्री साईमन मराण्डी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से अब तक रेलवे में गोल-माल के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) जांच-पड़ताल में कौन-कौन-सी एजेन्सियां लगी हुई हैं; और

(ग) विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है और कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे में मन्त्रालय स्तर पर एवं क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के स्तर पर एक सुव्यवस्थित सतर्कता संगठन विद्यमान है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो रेलवे के सतर्कता सम्बन्धी कार्य में सहायता करता है, के साथ नियमित रूप से और अक्सर सम्पर्क बनाए रखा जाता है। अधिकारियों के मामले में, केन्द्रीय सतर्कता

आयोग की सलाह भी ली जाती है। सन 1992 में जनवरी से अक्तूबर तक की अवधि के दौरान 18998 निवारक जांच की गई और 3175 शिकायतों की छानबीन की गई थी, इस अवधि के दौरान, 661 प्रलोभन जांच भी की गई थीं।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, 1992 तक के दौरान की गयी निवारक जांच, जिसमें प्रलोभन जांच और शिकायतों की छानबीन भी शामिल है, के फलस्वरूप, 1864 रेल पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़े दण्ड के लिए बर्खास्त करने, सेवा से हटाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने और ओहदे में कमी करने, आदि तथा 6961 के विरुद्ध छोटे दण्ड के लिए कार्यवाई शुरू की गई थी। इस अवधि के दौरान 706 पदाधिकारियों पर बड़ा दण्ड तथा 4923 पर छोटा दण्ड आरोपित किया गया था।

[अनुवाद]

रेल स्लीपर

1199. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेल स्लीपर बेचने के लिए राज्य सरकारों विशेषतः उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए उनके मन्त्रालय में लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन स्लीपरों की कुल लागत कितनी है तथा इनकी गुणवत्ता कितनी है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) 1991-92 तथा 1992-93 स्लीपर वर्षों के लक्ष्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात हरियाणा वन विकास निगम, गुजरात राज्य वन विकास निगम तथा उड़ीसा राज्य सरकार से रेलवे को साल स्लीपरों के 20,000 सी० एम० टी०, 25,000 सी० एम० टी० तथा 20,000 सी० एम० टी० की आपूर्ति के लिए लकड़ी के स्पेशल स्लीपरों के कोटे के आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अब तक किसी भी एजेन्सी ने आबंटित कोटे को छोड़ा नहीं है इसलिए लकड़ी के स्पेशल स्लीपरों की आपूर्ति के लिए कोटे को अन्तिम रूप में दिए जाने के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है, जब कोई एजेंसी लक्ष्य को पूरा न कर पाये।

खाद्यान्न डीलरों द्वारा ज्ञापन

1200. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न डीलरों/व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने 28 जुलाई, 1992 को प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी, नहीं। फेडरेशन आफ आल इण्डिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन ने 27-7-1992 को प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा था जिसमें आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की वैधता को बढ़ाने के सम्बन्ध में उनके शिष्टमण्डल के साथ 28-7-1992 को एक बैठक करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, यह बैठक नहीं हुई।

एसोसिएशन ने पहले 9-7-1992 को इसी विषय पर प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा था। सभी पहलुओं पर दृष्टिकोणों पर बिचार करने के बाद, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की वैधता 1-9-1992 से 5 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा 27-8-92 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। तथापि, यह व्यवस्था करने के लिए एक संशोधन किया गया था कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के स्तर से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी अथवा उसके द्वारा इसके लिए लिखित रूप में अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के लिए अभियुक्त ठहराए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1201. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री चित्त बसु :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर स्वतः संज्ञेय मानने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के गठन के समय से इसके द्वारा कितने मामलों पर स्वतः विचार किया गया; और

(ग) इन मामलों का ब्यौरा क्या है तथा ये इस समय किस स्थिति में हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में एक काम यह भी है कि आयोग शिकायतों की जांच करे, महिला अधिकारों की वंचना, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न करने और उनकी कठिनाईयों को कम करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों अथवा निर्देशों, निर्णयों, तथा नीति का पालन न करने और महिलाओं को सहायता देने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने सम्बन्धी मामलों पर स्वप्रेरणा से ध्यान दे।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मथुरा में मन्दिरों के ढांचे

1202. **श्री के० तुलसिऐया वाण्डायार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा के आस-पास मन्दिर परिसर बुरी हालत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो मन्दिरों के ढांचों में सुधार करने तथा पर्यटकों को उचित सुविधायें देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वृन्दावन के केवल चार मन्दिरों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में संरक्षित किया गया है और वे भलीभांति संरक्षित हैं। इसलिए उनके ढांचों को सुधारने के लिए कदम

उठाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक पर्यटकों के लिए सुविधाओं का सम्बन्ध है; हाल ही में, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने मथुरा में पर्यटक बंगले का निर्माण-कार्य अपने जिम्मे ले लिया है।

भाषाओं को प्रोत्साहन

1203. **श्री धर्मभिक्षम :**
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भावनात्मक एकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए, निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों का अनुरक्षण और वित्त-पोषण कर रही है :

(i) शब्दकोषों के प्रकाशन और पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,

(ii) हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली और विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण और प्रकाशन हेतु, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,

(iii) अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और शिक्षण सामग्रियां तैयार करने के लिए, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान,

(iv) संस्कृत के विकास और केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों को चलाने के लिए, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,

(v) संस्कृत के शिक्षण और अनुसन्धान के लिए, तिरुपति और नई दिल्ली में दो समकक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय,

(vi) वैदिक अध्ययन के प्रोत्साहन (संवर्धन) के लिए, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान,

(vii) उर्दू के प्रोत्साहन (संवर्धन) और उर्दू सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड/उर्दू प्रोन्नति का ब्यूरो,

(viii) क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, और

(ix) अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संवर्धन के लिए, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान।

2. उपर्युक्त के अलावा, यह मंत्रालय, भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए, निम्नलिखित केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का संचालन कर रहा है :

(क) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए, राज्यों को वित्तीय सहायता,

(ख) अहिन्दी भाषी राज्यों के स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता,

(ग) विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार,

(घ) हिन्दी के अलावा, अन्य भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता,

(ङ) क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अंग्रेजी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए जिला केन्द्रों को वित्तीय सहायता,

(च) संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी आदि के सवर्धन में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता,

(छ) सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं और ऊपर (च) पर बताई गई प्राचीन भाषाओं के लेखकों को पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, और

(ज) 200 प्रतियों तक, सभी भाषाओं की चुनिन्दा पुस्तकों की खरीद।

नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को मंजूरी

1204. **श्री हरिन पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर और सरकार सरोवर परियोजनाओं को वन अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी क्रमश: 7-10-1987 और 8-9-1987 को पहले ही दी जा चुकी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

1205. **श्री सुधीर सावंत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों के कमरों के निर्माण हेतु राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-1992 में कितने कमरों का निर्माण किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत, स्कूल भवनों के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, शिक्षा विभाग के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत, भवन-निर्माण के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के अनुसार, यदि राज्य, जवाहर रोजगार योजना राज्य हिस्से को 12% तथा गैर-जवाहर रोजगार योजना हिस्से को 40% बना लेते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना के केन्द्रीय (समान) हिस्से के रूप में भवन-निर्माण के लिए

48% निधियां प्रदान की जाएंगी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भवन निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता, वर्षवार तथा राज्यवार संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) वर्ष 1991 और 1992 में निर्मित कक्षा-कक्षों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	संख्या
1991	45585
1992	13967

विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश		578.19	95.94
2.	अरुणाचल प्रदेश		11.25	3.60
3.	असम		23.76	
4.	गोआ			24.00
5.	गुजरात		450.778	173.22
6.	हरियाणा		138.72	
7.	हिमाचल प्रदेश		135.93	
8.	जम्मू और कश्मीर		823.20	500.40
9.	कर्नाटक		1122.816	
10.	केरल			57.60
11.	मध्य प्रदेश	1384.50		
12.	महाराष्ट्र			302.81
13.	मेघालय		60.00	
14.	मिजोरम		15.60	
15.	उड़ीसा		3600.0	304.80
16.	पंजाब		635.352	
17.	राजस्थान	943.745	33.13	
18.	त्रिपुरा		33.696	27.32
19.	पश्चिम बंगाल		461.520	202.80
20.	पांडिचेरी	95.867		
	योग	2424.112	4883.942	1692.49

सवाई-माधोपुर-जयपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

1206. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री रामसिंह कस्वां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच मीटर लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(घ) इस रेल लाइन से किन-किन मुख्य शहरों को जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सवाई माधोपुर से फुलेरा तक समग्र परियोजना के लिए 133 करोड़ रुपये।

(ग) सवाई माधोपुर से जयपुर तक के खंड को 1992-93 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) यह आमान परिवर्तन मौजूदा मीटर लाइन के मार्ग पर है और इससे इस लाइन द्वारा जुड़े सभी स्टेशन सेवित होंगे।

[हिन्दी]

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

1207. **श्री सूरज मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में खासतौर पर झारखंड क्षेत्र तथा छोटा-नागपुर के अन्य जिलों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

1989-90	406.81 लाख रुपये
1990-91	560.53 लाख रुपये
1991-90	765.15 लाख रुपये

झारखंड क्षेत्रों और छोटा नागपुर के अन्य जिले से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर रेल सम्पर्क

1208. डा० जी० एल० कनौजिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के बीच नई बड़ी रेल लाइन (ब्राड गेज) बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण में प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित यातायात की अपर्याप्त संभावनाओं का पता चलने के कारण।

[अनुवाद]

हावड़ा-आमटा लाइन

1209. श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री हन्नान मोल्लाह :
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-आमटा रेल लाइन के निर्माण की कुल अनुशासित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना हेतु वर्ष 1990-93 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.43 करोड़ रुपये।

(ख) 1,000 रुपये।

(ग) से (ङ) संतरागाछी से बड़गछिया (24 कि०मी०) तक का खंड 1984-85 में खोला गया था। तत्पश्चात् संसाधनों की तंगी होने और इस लाइन को निम्न परिचालनिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण इसके लिए धन आबंटित करना संभव नहीं पाया गया है। इस परियोजना की आगे प्रगति और इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एड्स रोगी

1210. श्री प्यारे लाल जाटव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उनके मंत्रालय द्वारा संकलित एड्स रोगियों के आंकड़ों में कथित अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार पता लगाए गए एड्स रोगियों की संख्या में कोई विसंगतियां नहीं हैं। सरकार को एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें कुछ विसंगतियां बतलाई गई थीं। उन तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अध्यापकों को विदेशी भत्ता

1211. **श्री मुहिराम सैकिया :**
डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को (रूस) स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भारतीय अध्यापकों को देय विदेशी भत्ते की राशि में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को देय अन्य भत्तों में कोई वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय मास्को के अध्यापकों के विदेशी भत्ते का अंतिम निर्धारण 1987 में किया गया था। तब से कोई परिवर्धन नहीं किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई भत्तों की दरों का अनुसरण करता है। तथापि 4-5-92 से भुगतान के तरीके में परिवर्तन हुआ है; [illegible] 100 प्रतिशत [illegible] डच मार्क मुद्रा में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गंगा में [illegible]

1212. **श्री [illegible] :**
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री जीवन शर्मा :
श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "गंगा वाटर नाट सेफ

फार ड्रिंकिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या गंगा का जल पेय नहीं है तथा इसे प्रदूषित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां,,तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) नदी के जल क गुणवत्ता में सुधार करने तथा उद्योगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपने अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं । हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 7 अगस्त, 1992 को ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। हां,.7 नवम्बर 1992 को ऐसा एक समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) और (ग) गंगा नदी कई स्रोतों, जैसे नगरों एवं कस्बों से सीवेज गिरने, औद्योगिक बहि:स्रावों के प्रवाहित होने, कृषि क्षेत्रों से बहकर आए पदार्थों तथा अन्य गैर बिन्दु स्रोतों जैसे सामूहिक स्नान, जानवरों को नहलाने एवं मलत्याग इत्यादि द्वारा प्रदूषित हो रही है जिनकी वजह से गंगा जल बिना उपचार के पीने योग्य नहीं रह जाता है ।

(घ) और (ङ) 27 स्थानों पर गंगा जल की भौतिक रासायनिक एवं जीवाणु सम्बन्धी विशेषताओं की निगरानी की जाती है ।

(च) गंगा नदी के जल को गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से गंगा नदी के तट पर स्थित श्रेणी-1 के 25 नगरों में 261 स्कीमें हाथ में ली गई हैं। प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि उनके बहि:स्राव निर्धारित मानदंड को पूरा करें।

[अनुवाद]

आई० सी०एम०आर० की विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि

1213. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई० सी० एम० आर का वार्षिक बजट कितना था;

(ख) क्या आई० सी० एम० आर० विकास कार्यों में किसी वित्तीय बाधा का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वार्षिक बजट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजनेत्तर	योजनागत
1989-90	1572.00	3000.00
1990-91	1647.00	3029.00
1991-92	1828.03	2875.00

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि वे बाह्य विकासात्मक परियोजनाओं के सम्बन्ध में किसी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ थी। उपभोज्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि और चल रहे प्रमुख कार्यों में लिए आवश्यक अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना किए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1993-94 के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न आन्तरिक योजना गतिविधियों को चलाने के लिए 1754.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

असम में साक्षरता

1214. **श्री प्रवीन डेका :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में प्रौढ़ निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वहां फिलहाल कार्यरत विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भर्ती शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष साक्षर बनाये गए पौढ़ों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में साक्षरता की दर 53.42 प्रतिशत है। जबकि जनगणना के विस्तृत ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है, राज्य में (15 से 35 आयुवर्ग के) प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या का अनुमान प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर 26.43 लाख लगाया गया है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून, 1992 तक विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नामांकित शिक्षुओं की संख्या 2.46 लाख थी। जोरहाट जिला साक्षरता समिति तथा असम विज्ञान सोसाइटी द्वारा क्रमश: जोरहाट तथा 5 अन्य जिलों के भागों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए। इन दोनों अभियानों के तहत 3.45 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दो वर्षों की अवधि में 1.14 लाख शिक्षुओं को साक्षर बनाने के लिए 5 स्वैच्छिक एजेन्सियों को पूर्ण साक्षरता अभियान की परियोजनाएं सौंपी गईं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान साक्षर बनाए गए प्रौढ़ों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या
1988-89	1.57 लाख
1989-90	0.63 लाख
1990-91	2.05 लाख

(घ) राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खर्च की गई राशि क्रमश: 252.22 लाख रु०, 196.93 लाख रुपये तथा 176.34 लाख रु० थी। जोरहाट जिला साक्षरता समिति, असम विज्ञान सोसाइटी तथा 5 स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा शुरू किए गए पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए 333.52 लाख रु० की राशि है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

1215. श्री बी० राजारवि वर्मा :
डा० आर० मल्लू :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन में अत्यधिक विलंब किया गया है जिसके कारण प्रारूप अधिसूचना संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा और बढ़ायी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अग्रणी पर्यावरणविदों ने सरकार से प्रारूप अधिसूचना को तत्काल गजट में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 23 मई, 1986, को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 12 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1198 (ई) के द्वारा 19 नवम्बर, 1986 से यह सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बोर्ड का गठन

1216. श्री बी० कृष्ण राव :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान बोर्ड का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग में प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलेजा) : (क) से (घ) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के बोर्ड के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है । वि० अनु० आ० अधिनियम की धारा 5 (1) में यह प्रावधान है कि आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(i) एक अध्यक्ष

(ii) एक उपाध्यक्ष व

(iii) दस अन्य सदस्य

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे ।

2. अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं ।

3. उपधारा (i) के खण्ड (iii) में संदर्भित अन्य सदस्यों का

(क) दो का चयन उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से किया जाएगा;

(ख) चार व्यक्तियों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो चयन के समय विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं; तथा

(ग) शेष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनको—

(i) कृषि, वाणिज्य, वनविद्या या उद्योग में ज्ञान व अनुभव है;

(ii) जो व्यक्ति इजीनियरी, कानून, मेडिकल या किसी अन्य विद्धतापूर्ण व्यवसाय के सदस्य हैं; या

(iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या जो विश्वविद्यालयों के अध्यापक न होते हुए भी केन्द्रीय सरकार के विचार से विख्यात शिक्षाविद हैं या जिन्होंने उच्च शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त की है;

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत चुने गये व्यक्तियों की कम से कम आधी संख्या उन व्यक्तियों में से होगी जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में उपर्युक्त प्रावधानों के साथ सरकार द्वारा गठित किया गया था । आयोग के सदस्यों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

धारा 5 (I)

1. प्रो० जी० राम रेड्डी,
   अध्यक्ष, वि० अ० आ०,

2. प्रो० एस० के० खन्ना,
   उपाध्यक्ष, वि० अनु० आ०

धारा 5 (3) (क)

3. सचिव,
शिक्षा विभाग

4. सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय

धारा 5 (3) (ख)

5. डा० विपिन चंद्र
इतिहास प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई महरौली रोड, नई दिल्ली-110067

6. प्रो० प्रणब कुमार सेन,
दर्शन शास्त्र प्रोफेसर, जादवपुर विश्वविद्यालय
कलकत्ता-700032

7. प्रो० ए० एस० नीगावेकर,
भौतिकी विभाग, पुणे विश्वविद्यालय
पुणे 411007

8. प्रो० डी० आर० गाडेकर,
भूविज्ञान प्रोफेसर,
एम० एल० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा
डूगलेब के सामने, वदोदरा-390002

धारा 5 (3) (ग)

9. प्रो० बशीरूद्दीन अहमद
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

10. श्री सुभाष यादव,
नेफेड निदेशक,
सिद्धार्थ एन्क्लेव
रिंग रोड, आश्रम चौक,
नई दिल्ली-110014

11. प्रो० डी० पी० सिंह,
भूतपूर्व प्रोफेसर व अध्यक्ष
लोक प्रशासन विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

*12. प्रो० रामलाल पारिख,
कुलपति,
गुजरात विद्यापीठ

*रिक्त स्थान पर 16-6-90 से नियुक्त

शिक्षा पर व्यय

1217. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :
श्री नीतीश कुमार :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर खर्च करने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई और 1992-93 के नियत कुल व्यय में से शिक्षा के लिए कितने प्रतिशत व्यय आवंटित किया गया है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर उपरोक्त प्रतिशत से कम व्यय किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम प्रतिशत व्यय नियत करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए शिक्षा-क्षेत्र (सामान्य तथा तकनीकी) हेतु योजनागत आवंटन (केन्द्र तथा राज्य) 19599.73 करोड़ रु० है और वर्ष 1992-93 के लिए नियत किए गए, कुल योजनागत व्यय की शिक्षा के लिए आबंटन की प्रतिशतता 3.66 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुराने शहरी क्षेत्र में विद्यालय

1218. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के पुराने शहरी क्षेत्र में कितने सरकारी विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र की आबादी की मांग को पूरा करने हेतु इन विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो राजधानी के पुराने शहरी क्षेत्र में और विद्यालय खोलने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राजधानी के पुराने शहरी क्षेत्र में सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है :

	सरकारी	सहायता प्राप्त
दिल्ली प्रशासन	27	26
दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्र में नगर पालिका प्राथमिक विद्यालय	96	--

(ख) और (ग) प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए विद्यमान विद्यालयों में पर्याप्त स्थान हैं। जब भी आवश्यकता महसूस की जाती है तो इन विद्यालयों को खोला जाता है/दो भागों में बांट दिया जाता है/परिवर्धन किया जाता है।

रक्त घटक पृथककरण एकक की स्थापना

1219. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1992 के "पायनियर" में "एड्स स्केअर ट्रिगरज ब्लड इकोनोमि ड्राइव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रक्त के कम और औचित्यपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रक्त एक पृथककरण संयंत्र (ब्लड कम्पोनेंट पेपरेटर प्लांट) की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान, चलाए गए केन्द्रीय प्रायोजित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, रक्त निरापदता एक प्रमुख घटक है। अन्य घटकों में रक्त निरापदता के अतर्गत सरकार का विचार चरणबद्ध ढंग से अनेक शहरों में 30 रक्त घटक अलग करने वाले अर्थात् वर्ष 1992-93 के दौरान चार महानगरों में 4 यूनिटें, 1993-94 के दौरान 9 यूनिटें तथा 1994-95 के दौरान 17 यूनिटें स्थापित करने का है। प्रथम चरण में चार महानगरों में रक्त घटक अलग करने वाली यूनिटें स्थापित की जाएंगी। भारत सरकार वस्तु अनुदान के रूप में उपस्कर उपभोज्य वस्तुओं और आकस्मिक खर्चों के लिए आवर्ती अनुदान और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। कुल अनुमानित लागत के लिए प्रति यूनिट 27.69 लाख रुपये तथा आवर्ती अनुदानों के रूप में 11.22 लाख रुपये है।

(हिन्दी)

खाद्यान्नों का उत्पादन और आपूर्ति

1220. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्य की तुलना में किसानों को दिया जा रहा खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य बहुत कम था;

(ख) क्या फसलोपरान्त खाद्यान्नों के विपणन और बचे हुए खाद्यान्न के भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ग) सातवीं योजना के दौरान खाद्यान्नों का वर्षवार उत्पादन कितना हुआ और उनका औसत थोक मूल्य कितना था;

(घ) उक्त अवधि के दौरान 1 जनवरी से 1 दिसम्बर तक बफर स्टाक की वर्षवार स्थिति क्या थी;

(ङ) क्या बफर स्टाक से खाद्यान्नों की आपूर्ति काफी धीमी रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस सम्बन्ध में आठवी योजना को तदनुसार सफल बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जिसमें उत्पादन लागत और किसानों के लिए लाभ के उचित मार्जिन को कवर किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खुले बाजार के मूल्यों पर आधारित नहीं होते हैं।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें/ उनकी वसूली एजेंसियाँ खरीफ/ रबी विपणन मौसमों के दौरान विभिन्न वसूली राज्यों/सघ शासित प्रदेशों में भारी सख्या में क्रय केन्द्रों/मंडियों की योजना बनाते हैं और उन्हें चलाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अपनी पैदावार मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन बेचने के लिए लम्बी दूरियां तय न करनी पड़ें। किसानों को खाद्यान्नों के मूल्य का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर बैंकों द्वारा कर दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के पास वसूल किए गए खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए देश भर में फैली हुई पर्याप्त भण्डारण क्षमता है।

(ग) एक विवरण-I संलग्न है।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1985 से 1990 तक की अवधि में विभिन्न तारीखों को सरकार के पास रखे गए खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति दी गई है।

(ङ) और (च) जी, नही।

(छ) सरकार उत्पादन, मूल्य नीति, वसूली, प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के अधीन वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टाक का अनुरक्षण करने आदि जैसे खाद्य प्रबंध की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और विहित स्तर पर बफर स्टाक को बनाए रखने और देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण-I

1984-85 से 1989-90 के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बताने वाला विवरण (फसल वर्ष जुलाई-जून)

(मिलियन मीटरी टन में)

कुल खाद्यान्न	फसल वर्ष					
	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
खरीफ	84.52	85.25	80.20	74.56	95.64	100 99
रबी	61.02	65 19	63.22	65.79	74 28	70.05
जोड़	145.54	150.44	143 42	140 35	169.92	171.04

1985-86 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के वार्षिक औसत थोक मूल्य बताने वाला विवरण

(आधार 1981-82=100)
(अप्रैल-मार्च)

वर्ष	खाद्यान्नों के औसत थोक मूल्य सूचकांक					
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
खाद्यान्न (अनाज और और दालें)	124.5	129.4	141.3	161.8	265 4	179.2
अनाज	122.3	129 6	139 4	155.7	159.0	171.5

विवरण-II

1985-1990 के दौरान खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति (केन्द्रीय पूल + राज्य)

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	तारीख	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5	6
1985	1-1-1985	77.45	147.12	0.94	225.51
	1-4-1985	85.96	124.80	1 41	212.17
	1-7-1985	77.58	207.39	1.72	286.69

1	2	3	4	5	6
	1-10-1985	55.60	185.92	1.52	243.04
	1-11-1985	56.32	173.82	1.43	231.57
1986	1-1-1986	98.76	151.20	2.12	252.08
	1-4-1986	103.56	103.01	2.02	208.59
	1-7-1986	92.62	188.90	1.30	282.82
	1-10-1986	65.75	169.37	0.59	235.71
	1-11-1986	73.07	159.50	0.49	233.06
1987	1-1-1987	94.48	141.35	0.47	236.30
	1-4-1987	100.15	94.71	0.50	195.36
	1-7-1987	83.49	148.60	0.60	232.69
	1-10-1987	54.68	114.62	0.32	169.62
	1-11-1987	54.16	103.14	0.30	157.60
1988	1-1-1988	64.83	75.69	0.91	141.43
	1-4-1988	59.14	33.41	1.72	94.27
	1-7-1988	41.59	75.52	1.88	118.99
	1-10-1988	20.17	59.19	1.90	80.86
	1-11-1988	21.64	55.18	1.40	78.22
1989	1-1-1989	48.48	46.13	0.96	95.57
	1-4-1989	50.74	25.10	0.52	76.36
	1-7-1988	39.11	95.02	0.20	134.33
	1-10-1989	21.34	77.88	0.01	99.23
	1-11-1989	30.97	72.28	0.02	103.27
1990	1-1-1990	69.56	58.80	0.69	129.05
	1-4-1990	87.19	37.08	1.80	126.07
	1-7-1990	74.80	131.54	1.68	208.02
	1-10-1990	55.03	118.43	1.42	174.88
	1-11-1990	67.77	110.17	1.35	179.80

दिल्ली के अस्पतालों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य कर स्थिति

1221. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी अस्पतालों में "अस्पताल प्रबन्ध विभाग", हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विभाग यह सुनिश्चित करता है कि अस्पताल के भीतर और बाहर चारों ओर सफाई सुविधाएं स्वास्थ्य कर, स्वच्छ तथा जीवाणु/रोगाणु पैदा करने वाले संक्रमणों से मुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली के अस्पतालों के भीतर और बाहर समुचित सफाई सुविधाएं और स्वास्थ्य वातावरण बनाये रखने के लिए सरकार ने तत्सम्बन्धी क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) सामान्यतया दिल्ली के अस्पतालों में एक "अस्पताल प्रबन्ध" विभाग/सेल/समिति है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अस्पतालों का "अस्पताल प्रबन्ध" विभाग/सेल/समिति/प्रशासन लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि के सहयोग से इस बात का निरीक्षण करता है कि अस्पतालों में और उनके आस-पास सफाई ठीक प्रकार से और संक्रमण रहित है । वार्डों में संक्रमण के स्तर की मानीटरिंग भी की जाती है तथा अस्पताल प्रशासन द्वारा वार्डों में संक्रमण को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

बर्धमान-कटवा रेल-लिंक

1222. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्धमान-कटवा रेल लाइन के निर्माण के लिए किसी परियोजना की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह परियोजना किस स्थिति में है तथा इस पर कितनी लागत आएगी और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा रखी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति

1223. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) वह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति नीति पर केवल एक एप्रोच पेपर ही तैयार किया है। यह एप्रोच पेपर संसद के सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था तथा सदन के सभा पटल पर भी रख दिया गया था।

(ख) इस एप्रोच पेपर में विस्तृत उद्देश्य तथा लक्ष्य दिए गए थे। तथापि, एप्रोच पेपर में दिए गए मुख्य उद्देश्य सभी सांस्कृतिक कार्यकलापों को एकीकृत करना, अब तक केन्द्रीकृत कार्यों का विकेन्द्रीकरण करना, संस्कृति के क्षेत्र में स्वैच्छिक एव निजी प्रयासों को प्रोन्नत करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा जहां भी आवश्यक हो, आधारभूत सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना, समाप्त हो रहे कला-रूपों के परिरक्षण सहित जनजातीय एवं लोक कलाओं को प्रोन्नत करना तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना आदि हैं।

(ग) कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नीति अभी तैयार की जानी है।

बेलथारा रोड (बलिया) ताप विद्युत परियोजना

1224. **श्री राजवीर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलथारा रोड (बलिया) ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण इस परियोजना को दिनांक 9-6-1989 को नामंजूर कर दिया गया था। परियोजना प्राधिकारी से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इस परियोजना पर पर्यावरणीय दृष्टि से विचार किया जायेगा।

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल मार्ग का विस्तार

1225. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री सुधीर गिरि :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कोलाघाट, वक्रेश्वर और बालागढ़ विद्युत परियोजनाओं तक कोयला वैगनों की आवाजाही सुचारू बनाने हेतु पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के रेलमार्ग का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है अथवा कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

1226. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**
डा० के० वी० आर० चौधरी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री ब्रजेश पटेल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री के० मुरलीधरन :
श्री एन० जे० राठवा :
श्री उद्धव बर्मन :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नई पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपर-फास्ट रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या मानदंड अपना रखे हैं; और

(ख) विगत छह महीनों में आरम्भ की गई तथा निकट भविष्य में प्रत्येक जोन में चलाये जाने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यातायात का औचित्य, यातायात की किस्म, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें पिछले छः महीनों के दौरान चलाई गई गाड़ियों की सूची दी गई है। नई गाड़ी चलाया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

(ख) छः महीनों के दौरान चलाई गई रेलगाड़ियों की सूची।

1.	2613/2614	तिरुवनन्तपुरम-गांधीधाम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2.	2103/2104	बैंगलूरू-कुर्ला एक्सप्रेस
3.	9301/9302	निजामुद्दीन-कोटा-इंदौर एक्सप्रेस
4.	8301/8302	निजामुद्दीन-सबलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

5.	3141/3142	सियालदह-हल्दीबाड़ी/न्यू अलीपुरद्वार तीस्ता-तोरशा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
6.	5207/5208	बरौनी-अमृतसर एक्सप्रेस
7.	5013/5014	वाराणसी-गोरखपुर एक्सप्रेस
8.	9101/9102	वड़ोदरा-गांधीधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
9.	7001/7002	विजयवाड़ा-मद्रास पिनाकिनी एक्सप्रेस
10.	7003/7004	विजयवाड़ा-सिकन्दराबाद सतवाहन एक्सप्रेस
11.	7011/7012	हैदराबाद-बीदर मंजीरा एक्सप्रेस
12.	7013/7014	बीदर-बेंगलुरू हम्पी लिंक एक्सप्रेस
13.	6213/6214	तिरूपति-बेंगलूरू-मैसूर एक्सप्रेस
14.	2607/2608	मद्रास-बेंगलूरू लाल बाग एक्सप्रेस
15.	303/304	टाटानगर-चक्रधरपुर पैसेंजर
16.	1डी.डी./2डी.बी.	डूंगरगढ़-दुर्ग/भिलाई पैसेंजर
17.	521/522	मुजफ्फरपुर-सोनपुर पैसेंजर
18.	159/160	विरार-दहानू रोड पैसेंजर
19.	145/146	रतलाम-नागदा पैसेंजर
20.	357/358	सिकन्दराबाद-मानुगुरू पैसेंजर
21.	501	गुंटूर-विजयवाड़ा पैसेंजर
22.	9701/9702	सीकर-दिल्ली सैनिक एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
23.	425/426	दरभंगा-नरकटियागंज पैसेंजर
24.	441/442	मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर
25.	53/54	गुवाहाटी-न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर
26.	451/452	डभोई-मियागाम कर्जन पैसेंजर
27.	453/454	भरूच-सामनी पैसेंजर
28.	455/456	प्रतापनगर-बोदेली पैसेंजर
29.	519/520	भटनी-वाराणसी पैसेंजर
30.	253ए/254ए	जोल्लारपेट्टै-बेंगलूर पैसेंजर
31.	7015/7016	सिकन्द्राबाद-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
32.	1351/1352	मनमाड-औरंगाबाद पैसेंजर
33.	9057/9058	बड़ोदरा-वलसाड एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
34.	7589/7590	निजामाबाद-औरंगाबाद लिंक एक्सप्रेस

35.	1341/1342	मथुरा-आगरा कैंट पैसेंजर
36.	2619/2620	निजामुद्दीन-सिकन्द्राबाद-बेंगलूरू राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
37.	311/312	कायनकुलम-एल्लेप्पी पैसेंजर
38.	313/314	कायनकुलम-एल्लेप्पी पैसेंजर
39.	315/316	कायनकुलम-एल्लेप्पी पैसेंजर

अरुणाचल प्रदेश में आर्किड

1227. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में पाये जाने वाले आर्किडों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आर्किडो की विलुप्त हो रही प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अरुणाचल प्रदेश से आर्किडों का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में अब तक आर्किडों की 400 से अधिक प्रजातियां रिकार्ड की गई हैं, जिनमें 25 प्रजातियां स्थानीय आर्किडों की हैं। दुर्लभ और/अथवा विलुप्त हो रही आर्किड प्रजातियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश के किसी भी भाग से वन्य मूल के आर्किडों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के उपबन्धों के अनुसार आर्किड की तीन प्रजातियों अर्थात् ब्ल्यू वण्डा (वण्डा कोइरूलिया), लेडोज स्लीपर आर्किड्स (पाफियोपेडिलम स्पे) और रेड वण्डा (रानाटेरा इमसूटियाना) का निर्यात निषिद्ध है। इन तीन आर्किट प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के कार्य क्षेत्र में रखा गया है, ताकि वनों से उनके दोहन पर नियंत्रण लगाया जा सके। वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के तहत आने वाली शेष प्रजातियों के निर्यात को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

(ङ) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अपने आर्किडेरिया में 400 आर्किड प्रजातियों से सम्बन्धित लगभग 3000 जीवित पौधों का अनुसंरक्षण करता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी कामेंग जिले में तिपी स्थित अपने अनुसंधान केन्द्र में जीवित आर्किडों के बहुत बड़े संग्रहालय का अनुरक्षण करती है।

विभिन्न राज्यों में भारी संख्या में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीवमंडल रिजर्व बनाए गए हैं, जिनमें आर्किडों सहित प्राणिजात और वनस्पतिजात दोनों का परिरक्षण किया जाता है और इनमें से कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में आर्किडों की संकटापन्न प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

विवरण

1. अकान्थिफिपियम सिल्हेटेन्स
2. एनोएक्टोसिलस क्रिसपस
3. एनोएक्टोसिलस सिक्कीमेन्सी
4. बल्बोफिलम लोबी
5. बल्बोफिलम विरिडिफ्लोरम
6. बुलेविया युन्नानेन्सिया
7. कैलान्थि एलियामाएफालिया
8. कैलान्थि अल्पाइन
9. कैलान्थि अनौस्ता
10. सिम्बीडियम एबर्नियम
11. सिम्बीडियम हूकरिएनम
12. डेन्ड्रोवियम फाल्कोनेरी
13. डेन्ड्रोवियम नोबाइल
14. डन्ड्रोबियम सल्केटम
15. डेन्ड्रोबियम वार्डिएनम
16. एपिपोजियम सेसिएनम
17. इमेराल्डा कैथकर्टी
18. पेफियोपेडिलम फैरीएनम
19. पेफियोपेडिलम वार्डिएनम
20. प्लीयोन हूकरियाना
21. थूमिया मार्शलियाना
22. वण्डा कोएरुलिया

अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित नीति

1228. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करने के लिए खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक बैठकों/कार्यशालाओं में परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के प्रबन्धन और उनमें कमी करने के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिए गये हैं।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) नियमावली, 1989 तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबन्धन और संचालन के बारे में जारी दिशा-निर्देशों में परिसंकटमय अपशिष्टों पर राष्ट्रीय नियंत्रण लगाने की व्यवस्था है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों पर भी विधिवत् रूप से विचार किया गया है तथा इस मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1992 में जारी "प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण" में इसका पूरा ध्यान रखा गया है।

रेल पटरी का रख-रखाव

1229. **श्री तरित बरण तोपदार :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डिवीजनों/जोनों में रेल पटरी के रख-रखाव का कार्य ठेकेदारों को सौंपा गया है;

(ख) इस तरीके को अपनाने से लागत में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या इससे पटरियों के रख-रखाव में सुधार हुआ है तथा गाड़ियों के आवागमन में सुधार परिलक्षित हुआ है; और

(घ) ठेकेदारों को यह कार्य प्रदान करने में क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नीति के तौर पर नियमित रेल पथ अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराये जा रहे हैं।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण के लिए निधि

1230. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वृक्षारोपण हेतु राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष में इस समय कुल कितनी धनराशि है; और

(घ) इस कोष में से अब तक विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) परती भूमि विकास संबंधी कार्यों में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने तथा व्यक्तियों, नियमित व अनियमित दोनों संगठनों के संसाधनों को जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 जुलाई, 1990 को राष्ट्रीय वनीकरण तथा परती भूमि विकास कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष मंत्री (पर्यावरण और वन) हैं।

(ग) और (घ) इस समय कोष में कुल 11,01,855 रुपये की धनराशि उपलब्ध है जो कि सरकारी विभागों/व्यक्तियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों/सहकारिताओं/कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों पर खर्च की जाएगी। अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए कोष में से वित्तीय सहायता मांगी गई हो।

भोज नम भूमि परियोजना

1231. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से भोज नम भूमि परियोजना की स्वीकृति के लिए तथा धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भोज नमभूमि, देश में उन 16 नमभूमियों में से एक है, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नम भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए चुना गया है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार 1988-89 से भोज नमभूमि के लिए वार्षिक योजनायें तैयार करती रही है। अब तक इस प्रकार की कार्य-योजनाओं के अन्तर्गत क्रियाकलापों, जिनमें पौध-रोपण के जरिए भूमि कटाव नियंत्रण, खर-पतवार नियंत्रण, जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, जागरूकता पैदा करने आदि शामिल हैं, के लिए राज्य सरकार को 51 लाख रुपये प्रदान किए गये हैं।

[अनुवाद]

भगवान जगन्नाथ का मन्दिर

1233. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री शरद दिघे :
श्री रवि राय :
श्री गोविन्दराव निकाम :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के मन्दिर की मरम्मत का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मन्दिर के जीर्णोद्धार पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में सूक्ष्म भूकम्पीय गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए वहां एक चल भूकम्पकीय यूनिट (स्टेशन) स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मन्दिर के संरक्षण हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इस मन्दिर के संरक्षण और मरम्मत कार्य 1974 से किए जा रहे हैं।

इस मन्दिर का संरक्षण कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। चालू वर्ष में, 6·60 लाख रुपये आबंटित किए गये हैं; किन्तु व्यय, साधारणतया, जरूरत के अनुसार हुआ है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इस मन्दिर की सुरक्षा के लिए अन्य जो कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(i) मुख्य मन्दिर की सतह से एकीशनरी पलस्तर हटाना।

(ii) टूटे हुए/क्षतिग्रस्त पत्थरों के स्थान पर नये पत्थरों को लगाना तथा इमारत को सुदृढ़ करना।

(iii) जंग लगे लोहे के शिकंजों/मेखों के स्थान पर बिना जंग लगे शिकंजे/मेख लगाना।

(iv) इमारत में दरकों/दरारों की सिलाई करना।

(v) उधड़ी सतह का रासायनिक उपचार एवं संरक्षण करना।

[हिन्दी]

जलगांव स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना

1234 **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की भुसावल डिवीजन में जलगांव स्टेशन पर अनेक एक्सप्रेस रेलगाडियों के न रुकने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशन पर कौन-कौन-सी रेलगाड़ियों को रोकने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पहले ही 23 जोड़ी गाड़ियां जलगांव में ठहरती हैं। इस स्टेशन पर किसी अतिरिक्त गाड़ी को ठहराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संग्रहालय से कलात्मक वस्तुओं का गुम होना

1235. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली तथा प्रत्येक राज्य के अन्य पुरातत्व संग्रहालयों से वर्तमान वर्ष के दौरान कलात्मक वस्तुओं की चोरी और उनके गुम होने का ब्यौरा क्या है तथा उनकी कीमतें क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विकास एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन देश के विभिन्न भागों में स्थित पुरातत्वीय संग्रहालयों से वर्तमान वर्ष के दौरान न तो किसी कलात्मक वस्तु की चोरी हुई है और न ही कोई गुम पायी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दामोदर नदी के संबंध के अध्ययन

1236. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :
डा० सुधीर राय :
श्री हरकालन राय :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रामविलास पासवान :
श्री शरद यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर नदी के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(ग) नदी के जल में प्रदूषण तथा गुणवत्ता की गिरती स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) घरेलू अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण के साथ-साथ अशोधित औद्योगिक विसर्जन के परिणामस्वरूप दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित हुई है। सरकार ने दामोदर घाटी में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए पहले ही अनेक कदम उठा लिए हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं।

(3) उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करने को कहा गया है ताकि बहिस्राव और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखा जा सके।

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए

बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(5) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(7) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूह को साझा बहिस्राव शोधन संयत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में दामोदर नदी की सफाई को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तय किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से 50% लागत को वहन करने के बारे में आश्वासन भी प्राप्त हो गया है।

कोलाघाट के लिए वैगन

1237. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बगाल सरकार ने कोलाघाट में कोयले को तेजी से उतारने के लिए 500 विशेष प्रकार के वैगनों का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पश्चिम सरकार के बिजली और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री ने अपने 2-4-92 के पत्र द्वारा बी० ओ० बी० आर० माल डिब्बों में कोलाघाट ताप बिजली घर के IV, V और VI यूनिटों को कोयले की सप्लाई करने का अनुरोध किया था। इस बिजली घर में बी० ओ० बी० आर० माल डिब्बों की सप्लाई के लिए आवश्यक अवसंरचना की व्यवस्था नहीं है। बहरहाल, रेलों ने कोलाघाट ताप बिजली घर को कोयले के लदान के लिए 127 बी० ओ० बी० आर० माल डिब्बे देकर शुरूआत कर दी है।

उड़ीसा में रेल परियोजनायें

1238. **श्री० के० पी० सिंह देव** :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी पंचवर्षीय योजना से पहले उड़ीसा में शुरू की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पहले ही पूरी की जा चुकी प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा शेष परियोजनाओं में 30 अगस्त, 1992 तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेल परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू की गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सातवी पंचवर्षीय योजना से पहले उड़ीसा में शुरू की गई नई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम स०	खंड	आमान	लम्बाई (किमी०)	वर्ष जिसमें पूरा किया गया
पूरे कर लिए गए निर्माण कार्य				
1	नौमंडी बांसपानी	ब० ला०	28	58-59
2.	बोंडामुंडा-डुमरांव	ब० ला०	68	60-61
3.	बाराबिल-पानपोश जार्ज	ब० ला०	9	60-61
4.	बोंडामुंडा-बरसुआ की व्यवस्था स्थायी रूप से समाप्त करना	ब० ला०	3	61-62
5.	नवागांव-बोंडामुंडा	ब० ला०	19	62-63
6.	नवागांव-पुर्नापानी	ब० ला०	8	62-63
7.	सम्बलपुर-बारगढ़	ब० ला०	43	62-63
8.	टिटलागढ़-बोलंगीर	ब० ला०	64	62-63
9.	हटिया-नवागांव	ब० ला०	11	63-64
10.	बारगढ़-बोलंगीर	ब० ला०	75	63-64
11.	बिमलगढ़-किरिबुरू	ब० ला०	29	63-64
12.	कपिलास रोड-बालेगांव	ब० ला०	3	67-68
13.	राजाथगढ़-बारंग से रिटायरिंग संरेखन	ब० ला०	23	67-68
14.	कोट्टवलास-किरंदुल	ब० ला०	159	68-69
15.	कटक पारादीप	ब० ला०	85	73-74
16.	जखापुरा-दैतारी	ब० ला०	33	80-81

चालू काम

क्रम स०	खंड	आमान	लम्बाई	प्रत्याशित लागत	प्रगति
1.	कोरापुट-रायगडा [कोरापुट-मचिलिगुडा (20 कि० मी०) 1985-86 में पूरा कर लिया गया है]	ब० ला०	164	406.59 करोड़	91% 8/92 तक
2.	तालचेर-सम्बलपुर	ब० ला०	172	220.00 करोड़	26% 6/92 तक

(घ) कोई नहीं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ऊपरि पुल

1239. **श्री असलम शेर खां** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में वैतूल, अमला, हरदा, तीमली और खिकिया में ऊपरि पुलों के निर्माण का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बेतुल में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आमला, हरदा, तिमरनी और खिड़कियों में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बेतुल में 850/7-8 कि० मी० पर समपार संख्या 256-ए के स्थान पर 3.00 करोड़ की प्रत्याशित लागत पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधियों के लिए परिवार नियोजन के मानदंड

1240. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :
श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री वी० एस० विजय राघवन :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने उन व्यक्तियों को जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं पचायत से लेकर संसद तक की सभी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित करने का प्रस्ताव पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित करने का है जो सब नागरिकों पर लागू हो;

(घ) यदि हां, तो इस नई नीति को कब लागू कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाना है।

खान-पान सेवा का निजीकरण

1241. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री बलराज पासी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में रसोई-यान परिचालन को पूर्णतः निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान रसोई यानों को लगाने पर कुल कितना निवेश किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1992-93 के दौरान नये आधार रसोईघरों के लिए निवेश की कोई योजना नही बनायी गयी है ।

कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच धौली एक्सप्रेस चलाना

1242. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 के बाद से उड़ीसा में दक्षिणी पूर्वी रेलवे की चार जोड़े पैसेंजर गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच केवल धौली एक्सप्रेस (एक रेल सेवा) शुरू की गई है;

(ख) क्या धोली एक्सप्रेस के लिए दो रेक सेवा की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाड़ी सेवाओं को पुनः व्यवस्थित किये जाने के कारण 1988 में उड़ीसा को सेवित कर रही 5 जोड़ी गाड़ियां समाप्त कर दी गई थीं। इनमें से भुवनेश्वर और पलासा के बीच एक जोड़ी गाड़ी को 1-3-89 से पुनः बहाल कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1988 से उड़ीसा राज्य को सेवित कर रही 9 जोड़ी गाड़ियां (धौली एक्सप्रेस सहित) शुरू की गई हैं।

(ख) रिवर्स धौली एक्सप्रेस चलाने की मांगें भी प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (ङ) जाँच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों एवं संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

ओजोन कम करने वाले पदार्थों के बारे में रिपोर्ट

1243. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री विजय एन० पाटिल :

श्री कमल चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1992 के "हिन्दू" में "ओजीन विल टू हाई फार इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ओजोन कम करने वाले पदार्थों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। यह समाचार 24 अक्तूबर, 1992 को 'हिन्दू' में छपा था।

(ख) से (घ) ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना प्रतिपादित करने हेतु उद्योग मन्त्रालय द्वारा गठित कृत्यक बल ने जुलाई, 1992 में एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट की, विशेष रूप से माण्ट्रियल प्रोतोकाल के सम्बन्ध में हुई आगे की प्रगतियों के आलोक में, जांच की गई। उसी के आधार पर अब उद्योग मंत्रालय को सलाह दी गई है।

अंडाल सियालदह लाइन पर सवारी गाड़ियां

1244. **डा० सुधीर राय :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा पर यात्री यातायात को कम करने के लिए मंडाल-सियालदह रेल लाइन पर पैसेजर ट्रेनें शुरू करने की कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) यह दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे के बीच एक माल गाड़ी लाइन है जहां किसी यात्री गाड़ी को चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

रेल यात्री निवास

1245. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों में यात्री निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जोन-वार ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय संसाधनों की तंगी को देखते हुए अतिरिक्त रेल यात्री निवास के निर्माण की तत्काल कोई योजना नहीं है।

गुजरात में रेल पुल

1246. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेलवे में कितने रेल पुल हैं;

(ख) कितने पुलों की मरम्मत की जरूरत है;

(ग) 1990-91 के दौरान पुलों की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने पुलों की मरम्मत किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 6641

(ख) इनमें से 19 पुलों में भारी मरम्मत अपेक्षित है।

(ग) खर्च का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) निम्नलिखित 17 पुलों पर भारी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है :

पुल सं०	जिस खंड पर स्थित है
287 और 319	बम्बई-सूरत
560, 573, 574 और 575	सूरत-वडोदरा
639, 641, 644, 663 और 668	अहमदाबाद-वडोदरा
13	वडोदरा-गोधरा
37	वीरमगाम-खारमघोड़ा
952	मेहसानाया-अहमदाबाद
42	कलोल-कटोसन रोड
39 और 56	साबरमती-बटोद

चीन यात्रा

1247. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नवम्बर, 1992 के दौरान चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो चीन के नेताओं से हुई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष फरवरी में हस्ताक्षरित भारत और चीन के बीच शिक्षा सम्बन्धी नयाचार के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए चीनी राज्य काउंसलर तथा राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, महामहिम श्री ली तीयिन्स के साथ विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षकारों ने शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सम्पर्कों को और बढ़ाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री श्री पेन्ग और अन्य चीनी नेताओं के साथ भी बैठकें आयोजित की गई थीं। इस शिष्टमंडल ने अनेक स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं का दौरा किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रण की ऊंची लागत

1248. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण की ऊंची लागत होने के कारण लेखकों और पाठकों के बीच अंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) कागज और अन्य निवेशों की लागत में वृद्धि होने के कारण पुस्तकों के निर्माण की कुल लागत में वृद्धि हो गई है विभिन्न स्वायत्त संगठन जैसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद और साहित्य अकादमी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन प्रभाग उचित मूल्य पर अच्छी पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं जो आम जनता की पहुंच के भीतर है।

विश्वविद्यालयों के प्रशासन स्तर में सुधार

1249. **श्री विजय एन० पाटील :**
श्री कमल चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशासनीय तथा समान शैक्षणिक मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई व्यापक सुधार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आठवी योजनाविधि में लागू करने के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्व अनु० आ० द्वारा की गई सूचनानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 व कार्रवाई योजना के अनुसरण में आयोग ने विश्वविद्यालय पद्धति में नई मांगों के प्रकाश में

विभिन्न विश्वविद्यालयों/निकायों के ढांचे, भूमिकाओं व जिम्मेवारियों सहित प्रबंध पद्धतियों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति स्थापित की थी। समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1990 में दी तथा तथा तब से केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक उपसमिति इस पर विचार कर रही है। उपसमिति की इन सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को वितरित कर दिया जाएगा।

रा० शि० नी०-86 के अनुसरण में सरकार व विश्व० अनु० आ० ने उच्च अध्ययन के संस्थानों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई उपाय किए। इस सम्बन्ध में किये गए कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :

— कालेज व विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में 1-1-1986 से संशोधन। अध्यापकों को प्रशिक्षण व कैरियर प्रोन्नति के लिए अवसर प्रदान करना। अध्यापन व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रतिभा को आकृष्ट करने के लिए अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा आरम्भ की गई।

— विश्वविद्यालय व कालेज में नए नियुक्त अध्यापकों के पुन: अनुस्थापन के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।

— पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान व कला में 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार की गई।

— विशेष सहायता कार्यक्रमों के अधीन अध्यापन व शोध में सुधार के लिए विश्व अनु० आ० ने प्रोन्नत अध्ययन केन्द्र जैसे सी० ओ० एस० आई० पी०।

— सी० ओ० एच० एस० एस० आई० पी०, सी० ओ० एस० आई० एस० टी० आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की।

— विश्वविद्यालय पद्धति में शोध की प्रोन्नति के लिए प्रथम श्रेणी की सुविधाएं व सेवायें प्रदान करने के लिए वि० अनु० आ० द्वारा अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए गए।

— चुने हुए कालेजों व विश्वविद्यालय विभागों को स्वायत्तता देने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई।

— शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश वितरित किए गए। इन मार्ग-निर्देशों में विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिन करने पर बल दिया गया है।

— वि० अनु० आ० ने प्रथम डिग्री देने के न्यूनतम स्तर व न्यूनतम कार्य दिवसों आदि के लिए विनियम सूचित किए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र

1250. **श्रीमती बिभु कुमारी देवी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में कुल कितना वन क्षेत्र है और छठी और सातवी पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में इसके राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वन संरक्षण के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1981-83, 1985-87 और 1987-89 की अवधि से सम्बन्धित उपग्रह प्रतिबिम्बिकी की दृश्य व्याख्या के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से एकत्रित वन आवरण के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े निम्न-लिखित हैं :

क्रम सं०	राज्य का नाम	के आधार पर आंकलित वास्तविक वन आवरण		के तहत वास्तविक वन आवरण वर्ग कि० मी०
		1981-83 प्रतिबिम्बिकी	1985-87 प्रतिबिम्बिकी	1987-89* प्रतिबिम्बिकी
1.	अरुणाचल प्रदेश	60500	68763	68757
2.	असम	26386	26058	24751
3.	मणिपुर	17679	17885	17685
4.	मेघालय	16511	15690	15875
5.	मिजोरम	19092	18178	18853
6.	नागालैंड	14351	14356	14321
7.	त्रिपुरा	5743	5325	5535

*चाय बागानों के क्षेत्र को छोड़कर ।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों से बड़े पैमाने पर वन नाशन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) 7वीं योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए आबंटित और उपयोग में लाई गई तिथियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम सं० राज्य का नाम	1985-90	
	आबंटन	उपयोग में लाई गई
1. अरुणाचल प्रदेश	2419.85	1879.41
2. असम	9056.50	8031.08
3. मणिपुर	1948.85	1529.68
4. मेघालय	3433.10	2844.11
5. मिजोरम	2601.10	2615.21
6. नागालैण्ड	2150.35	1963.99
7. त्रिपुरा	2180.75	2162.89

एड्स का पता लगाने हेतु किटें

1251. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स का पता लगाने वाले सभी केन्द्रों में वेस्टर्न ब्लाक किटें उपलब्ध हैं जिनका एड्स की पुष्टि करने हेतु प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का देश में एड्स का पता लगाने वाले प्रत्येक केन्द्र को ये किटें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सभी 62 निगरानी केन्द्र, जहां एच० आई० वी० परीक्षण किया जाता है, निगरानी प्रयोजनों के लिए एलिसा लक्षण युक्त नमूनों की पुष्टि के लिए एक रेफरेन्स केन्द्र से सम्बद्ध हैं। एलिसा लक्षणयुक्त सीरा की पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लाट परीक्षण सुविधाएं इन रेफरेन्स केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

रक्त की निरापदता को सुनिश्चित करने के लिए एलिसा लक्षणयुक्त रक्तदाताओं के रक्त की पुष्टि आवश्यक नहीं है क्योंकि मौजूदा कार्यनीति के अनुसार एच० आई० वी० एण्टी बाडीज के लिए लक्षणयुक्त पाया गया रक्तदाताओं का रक्त फेंक दिया जाता है और इसके आगे परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

उड़ीसा में जौगढ़ किले का संरक्षण

1252. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जौगढ़ किले के 264 ईसा पूर्व के शिलालेखों के संरक्षण का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है जो शनैः शनैः टूटने और मिटते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जौगढ़ किले; पांड्या, जिला गंजम, उड़ीसा; का अशोक शिलालेख टूट या मिट नहीं रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसके संरक्षण और परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) शिलालेख को धूप और बारिस से बचाने के लिए खम्भेदार मंडप से ढक दिया गया है।

(ii) समय-समय पर रासायनिक उपचार और परिरक्षण किया जाता है।

(iii) एक ग्रिल लगा दी गई है ताकि दर्शक शिलालेख को न छू सकें।

(iv) अच्छी सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र के कुछ भाग को तारबाड़ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

थावे-देवरिया और लोहरदग्गा-टोरी के बीच रेल संपर्क

1253. **श्री ललित उरांव : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या बिहार के गोपालगंज जिले में थावे को उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा पलामू जिले में टोरी को लोहरदग्गा जिले में लोहरदग्गा के साथ रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। संसाधनों की तंगी के कारण।

[अनुवाद]

कोट्टायम क्षेत्र में गाड़ियों का पटरी से उतरना

1254. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कोट्टायम क्षेत्र में गाड़ियों के बार-बार पटरी से उतरने की घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान (नवंबर, 91-अक्तूबर, 92) इस खण्ड पर मालगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण 8 दुर्घटनाएं हुई हैं।

प्रत्येक दुर्घधना के कारण जानने के लिए विभागीय जांच की जाती हैं। इस खण्ड पर हुई

8 दुर्घटनाओं में से, 2 दुर्घटनाएं चल-स्टॉक की खराबी के कारण, 4 चल-स्टॉक सहित रेलपथ में खराबियों के कारण, एक दुघटना के कारणों का पता नहीं चल सका तथा एक मामले में जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(घ) इस खण्ड पर परिसंपत्तियों को अच्छी दशा में बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं और रेलपथ अनुरक्षण में सुधार करने हेतु निम्नलिखित अनुसार विनिर्दिष्ट कार्रवाई की गई है :

(i) रेलपथ संरचना के अपेक्षित नवीकरण सम्बन्धी कार्य में से 48 कि० मी० का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 28 कि० मी० का कार्य चालू वर्ष में शुरू किया गया है।

(ii) जहां आवश्यकता हो तल्प सुदृढ़ीकरण जैसे सुधार सहित रेलपथ संरचना को सशक्त एवं ग्रेडोन्नयन करके।

(iii) इंनुमबानम और तिरुनेलवेलि में सवारी डिब्बों और माल-डिब्बों की जांच को भी सशक्त बनाया गया है।

इस खण्ड पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दुर्घटनाओं पर उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का उपयोग

1255. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम देश में अपने गोदामों की क्षमता का भरपूर उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी हानि हुई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) पिछले दो मौसमों के दौरान कम वसूली होने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सरकार की अन्य योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का अधिक उठान होने के कारण इस समय भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षमता उपयोग कुछ कम है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम वाणिज्यिक आधार पर गोदाम नहीं चलाता है। इसके गोदामों का इस्तेमाल निगम के पास खाद्यान्नों के बफर और परिचालन स्टाक का भंडारण करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत छोड़ो आन्दोलन

1256. प्रो० प्रेम धूमल :
　　डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐतिहासिक "भारत छोड़ो" आन्दोलन के स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर अब तक शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास (मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन

1257. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**

डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में 25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक केन्द्र सरकार के तत्वावधान में खोले गए व्यावसायिक महा-विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन व्यावसायिक संस्थाओं के शिक्षा पूरी कर निकले छात्रों के लिए रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 तक 4400 स्कूलों/कालेजों में +2 स्तर पर 12543 व्यावसायिक सेक्शनों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन व्यावसायिक सर्वेक्षण, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरणों और जिला विकास योजनाओं के अन्तर्गत किए गए व्यक्तियों की आवश्यकताओं के सामान्य मूल्यांकन के आधार पर किया जाना होता है। केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक विद्यार्थियों के लिए परिश्रमिक/स्वरोजगार को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे व्यावसायिक विद्यार्थियों को रोजगार के पात्र बनाने के लिए भर्ती नियमावली की समीक्षा करें। शिक्षा विभाग ने विभिन्न विभागों और उनके अन्तर्गत संगठनों में उपलब्ध पदों के सम्बन्ध में विभागीय क्रम में स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति भी गठित की है ताकि सम्बद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सके।

(ii) प्रशिक्षुता योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत 60 विषय क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

(iii) व्यावसायिक विद्यार्थियों के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक को सहायता प्राप्त करना सम्भव है।

(iv) एस० एस० आई० विकास आयुक्त कार्यालय ने यह निर्णय लिया है कि जमा दो स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों को शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०) की योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और रेलवे के व्यावसायिक कर्मचारियों के लिए रोजगार से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(vi) स्व-रोजगार और ठेकेदारी को बढ़ावा देना अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का एक अनिवार्य अंग है।

(vii) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की पद्धति पर कार्रवाई शुरू करें।

(ङ) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। चालू वर्ष के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए लिये राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नवम्बर, 1992 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई निधियों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	दी गई निधियां
1	2	3
1.	मिजोरम	24,88,255
2.	मणिपुर	7,18,350
3.	उत्तर प्रदेश	4,31,39,000
4.	पंजाब	3,20,62,000
5.	कर्नाटक	6,65,18,000
6.	गोवा	92,56,261
7.	हिमाचल प्रदेश	59,41,700
8.	उड़ीसा	1,22,000
9.	राजस्थान	3,40,39,500
10.	महाराष्ट्र	18,20,33,300

1	2	3
11	दादर और हवेली	5,25,000
12.	गुजरात	10,70,73,700
13.	चण्डीगढ़	8,65,000
14.	आंध्र प्रदेश	12,66,63,800
15.	हरियाणा	1,13,44,000
16.	दिल्ली	46,38,000

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा स्वास्थ्य कर्मिकों को विदेश भेजा जाना

1258. **श्री कालका दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कितने स्वास्थ्य कार्मिकों को अध्येतावृत्ति के लिए विदेश भेजा गया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को भी अध्येतावृत्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन अध्येतावृत्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 118 चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कार्मिकों को अध्येतावृत्ति पर विदेश भेजा गया है। इन 118 व्यक्तियों में से आठ व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	अध्येतावृत्ति पर विदेश भेजे गए व्यक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या
1990-91	50	3
1991-92	29	2
	79	5

[हिन्दी]

नागपुर स्टेशन के लिए माल डिब्बे

1259. **श्री दत्ता मेघे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर स्टेशन पर वर्ष 1991-92 के दौरान सन्तरों के लदान हेतु कितने मालडिब्बों/रेकों की मांग की गई है तथा सरकार ने कितने माल डिब्बे/रेक दिये हैं; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु चालू वर्ष के दौरान की गयी मांग के अनुरूप आवश्यक संख्या में मालडिब्बे/रेक उपलब्ध कराने के लिये किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991-92 के दौरान 311 माल डिब्बों की मांग थी। इनमें से 304 माल डिब्बों की शुद्ध आवश्यकता को छोड़ करके 7 माल डिब्बों के लिए मांग पत्र रद्द कर दिये गये थे। 216 माल डिब्बों की मांग पूरी की गई थी।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 20 माल डिब्बों की मांग थी। 88 माल डिब्बों को पिछली पूरी न की गई मांग सहित कुल 108 माल डिब्बों की जरूरत थी। इनमें से शेष 92 माल डिब्बों जिसकी मांग पूर्णतः पूरी की गई थी, को छोड़ करके 16 माल डिब्बों की मांग रद्द कर दी गई थी।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए धन

1260. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर अनुमानतः कितना धन खर्च होता है;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने हेतु समुचित धन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलेजा) : (क) प्रथम वर्ष में भवन की लागत के अतिरिक्त नये एकल वर्ग के केन्द्रीय विद्यालय का अनुमानित व्यय इस प्रकार है :

(i) कक्षा (I-V)	6.4	लाख रुपये
(ii) कक्षा (I-VIII)	12.3	लाख रुपये
(iii) कक्षा (I- II)	20.25	लाख रुपये

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में और केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

कलकत्ता में संग्रहालय की स्थापना

1261. **श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में हेरिटेज इण्डिया के नाम से जाना जाने के लिए भारतीय सभ्यता पर एक संग्रहालय की स्थापनार्थ एशिएटिक सोसायटी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या एशिएटिक सोसायटी ने उक्त प्रस्ताव के संकल्पनात्मक योजना का उल्लेख करते हुए कोई नोट भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

1262. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कार्य योजना के तहत पहचान किए गए उद्योगों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार बड़े एवं मझौले प्रदूषण सेक्टरों में प्रदूषण निवारण कार्य योजना के तहत मध्य प्रदेश में जिन उद्योगों की पहचान की गई है वे निम्नानुसार हैं :

1. मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई
2. मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी, कोरबा
3. मैसर्स हुकुम चन्द जूट मिल्स,
4. मैसर्स ग्रेसिम इन्डस्ट्रीज, नागदा
5. मैसर्स ओपियम अलक्लाइड वर्क, नीमच
6. मैसर्स जयन्त विटामिन्स, रतलाम
7. मैसर्स जीवाजी राव शुगर मिल, दलोदा
8. मैसर्स ग्वालियर शुगर कम्पनी, ग्वालियर
9. मैसर्स जोरा शुगर मिल्स, जोरा
10. मैसर्स मुरैना मंडल सहकारी शक्की कारखाना, दोगलतुर, मुरैना
11. मैसर्स रतलाम अल्कोहल प्लांट, रतलाम
12. मैसर्स कोक्स डिस्टीलरी, नौगांव
13. मैसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स, अमलाई
14. मैसर्स नेपा मिल्स लि०, नेपानगर
15. मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी० सी० आई०) मन्धार
16. मैसर्स सी० सी० आई०, नयागांव
17. मैसर्स सी० सी० आई, अकलतरा
18. मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज (ए० सी० सी०) जामूल
19. मैसर्स ए० सी० सी०, कैमोर

20. मैसर्स एम० डी० एस० नमौर, जिला मुरैना
21. मैसर्स अमरकंठक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई
22. मैसर्स सततुरा थर्मल पावर स्टेशन, बारनी, बैतूल
23. मैसर्स एम० पी० ई० बी० (ईस्ट) थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा
24. मैसर्स ग्वॉडिया कैमिकल्स, रतलाम
25. मैसर्स मालवा वनस्पति एंड कैमिकल्स, घाटाबिलोड
26. मैसर्स उज्जैनी त्रिपोल, रतलाम
27 मैसर्स कश्यप स्वीटनर्स (पी०) लि०, बदनावर
28. मैसर्स नवल सिंह का सहकारी शक्कर कारखाना, दरहनपुर
29. मैसर्स मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, बारलाई
30 मैसर्स भोपाल शुगर इण्डस्ट्री, सेहोर
31. मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी, कुम्हारी
32 मैसर्स राजधानी डिस्टीलरी, उज्जैन
33. मैसर्स मादीया डिस्टीलरी, भिलाई
34. मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टीलरी, बारवहा
35. मैसर्स भोपाल डिस्टीलरीज, भोपाल
36. मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़
37. मैसर्स राम डिस्टीलरी, साहतगंज
38. मैसर्स इंडिया लैदर एण्ड लिकर, घाटबिलोड
39. मैसर्स ग्वालियर डिस्टीलरी, रायरू
40. मैसर्स रायरू डिस्टीलरी, रायरू
41. मैसर्स अग्रवाल ब्रेवरीज, बारवहा
42. मैसर्स धार डिस्टीलरी, धार
43. मैसर्स सिओनी डिस्टीलरी, धार
44. मैसर्स भोपाल पेपर एंड बोर्ड लि०, राजगढ़
45. मैसर्स डायमंड सीमेंट, नरसिंहगढ़

दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में डाक्टरों की लापरवाही

1263. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री आर० जीवरत्नम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों में डॉक्टरों की लापरवाही

से सम्बन्धित कितनी शिकायतें गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट किये गये इन सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का डाक्टरों एवं अन्य पैरा मैडिकल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाली मौतों को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं पर निगरानी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों में डाक्टरों की कथित लापरवाही की चौबीस शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) और (ग) जहां कहीं भी प्रथमदृष्ट्या लापरवाही का प्रमाण पाया गया था, उन मामलों में जांच की गई है। ऐसे सात मामलों की जांच की गई है, इनमें से तीन मामलों में कोई लापरवाही नहीं पाई गई; एक मामले में दोषी डाक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शेष तीन मामलों की जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के नर्सिंग होम सेल अपने सामने आए कथित लापरवाही के सभी मामलों को मानीटर करते हैं और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

1264. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 11 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण से सम्बन्धित बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कितने आमंत्रण प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से प्रत्येक बैठक/सम्मेलन में शिष्ट-मण्डल के सदस्यों के रूप में कितने पत्रकार तथा वैज्ञानिक भेजे गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए विद्यालय

1265. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 1992 तक अपनाए गए विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है तथा ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण तथा इसके लिए खेल उपकरणों की खरीद हेतु दी गई अनुदान-राशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत 31-10-1992 तक 56 स्कूलों को अपनाया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एन० एस० टी० सी० योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता का प्रावधान है :

(I) खेलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार प्रसार/सृजित करने तथा अनिवार्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए 5.00 लाख रु० (पहाड़ी क्षेत्रों में 7.50 लाख रु०) तक की अनावर्ती वित्तीय सहायता।

(II) खेल सुविधाओं के अनुरक्षण तथा स्कूलों में प्रविष्ट एन० एस० टी० सी० बच्चों के लिए अपेक्षित उपभोज्य खेल सामग्री की खरीद के लिए 50,000 रुपये तक की आवर्ती वार्षिक वित्तीय सहायता।

विवरण

राज्य का नाम	स्कूल का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. वेसले बायज हाई स्कूल एवं कालेज, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)
	2. वी० पी० सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा
	3. लोयोला हाई स्कूल, वीनू कोण्डा
असम	4. सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा
	5. राजकीय बी० एच० एस०, गोलाघाट
	6. डोन बोसको स्कूल, गुवाहाटी
बिहार	7. सैण्ट इग्नेशियस हाई स्कूल, बिहार
	8. राजकीय बालिका हाई स्कूल, रांची
चण्डीगढ़	9. शिवलिक पब्लिक स्कूल, चण्डीगढ़
दिल्ली	10. एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली
	11. आर्मी पब्लिक स्कुल, धौला कुआ, नई दिल्ली
	12. मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली
गोवा	13. सैण्ट एन्टनी हाई स्कूल, गोवा
गुजरात	14. चारूत्तर विद्या मण्डल, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
हिमाचल प्रदेश	15. राजकीय हाई स्कूल, माजरा
हरियाणा	16. मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, राई
	17. सी०आर०जैड० सीनियर सैकंडरी स्कूल, सोनीपत

1	2
जम्मू और कश्मीर	18. टिनडेल बिसको स्कूल, शेखबाग
	19. मल्लिनसन बालिका विद्यालय, शेखबाग
कर्नाटक	20. सैंण्ट जोसफ इण्डियन हाई स्कूल, बंगलौर
	21. माउण्टेम व्यू हाई स्कूल, चिकमगलूर
	22. श्रीराम कृष्ण विद्याशाला, मैसूर
केरल	23. जी० वी० राजा स्पोर्ट्स स्कूल, केरल
मेघालय	24. सैंट एंटोनी हाई स्कूल, शिलांग
महाराष्ट्र	25. प्रावारा पब्लिक स्कूल, प्रावारानगर
	26. भौंसला मिलिटरी स्कूल, रामभूमी, नासिक
	27. संजीवन विद्यालय, पंचगणी, जिला सतारा
	28. मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे
मणिपुर	29. सैनिक स्कूल, इम्फाल
मध्य प्रदेश	30. राजकीय बहुउद्देशीय हायर सैकेण्डरी स्कूल, इन्दौर
	31. महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय बहुद्देशीय हायर सैकेण्डी स्कूल, जबलपुर
	32. जवाहरलाल नेहरू स्कूल, भेल, गोपाल
मिजोरम	33. राजकीय हाईस्कूल, मैकडोनाल्ड हिल, मिजोरम
नागालैंड	34. जोन राजकीय हाईस्कूल, विश्वेमा
उड़ीसा	35. सेण्ट मेरी बालिका हाई स्कूल, सुन्दरगढ़
	36. बी० एस० हाई स्कूल, सुन्दरगढ़
	37. डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर
पंजाब	38. राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, टण्डा उर्मार, होशियारपुर
	39. राजकीय बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल, जलंधर
	40. राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल, अमृतसर
राजस्थान	41. बनस्थली विद्यापीठ स्कूल, बनस्थली
	42. भूपाल नोबल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, उदयपुर

1	2
	43. श्री गुरुनानक खालसा हायर सैकण्डरी स्कूल, श्री गंगानगर
सिक्किम	44. ताशी नामग्याल अकादमी, गंगटोक
तमिलनाडु	45. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सैकेण्डरी स्कूल, चेतपुर
	46. श्री शारदा विद्यालय बालिका स्कूल, सलेम
	47. सैण्ट जोसफ हायर सैकण्डरी स्कूल, कूडूलौर
त्रिपुरा	48. उमाकांत अकादमी, अगरतल्ला, त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	49. उदय प्रताप इन्टर कालेज, वाराणसी
	50 कोल्विन लालुकदार कॉलेज, लखनऊ
	51. एम० के० पी० इन्टर कॉलेज, देहरादून
पश्चिम बंगाल	52. राजीय कन्या हाई स्कूल, कृष्णानगर
	53. विधान नगर हायर सैकेण्डरी स्कूल, साल्ट लेक सिटी
	54. विक्टोरिया बॉयज स्कूल, कुर्शियांग, जिला दार्जिलिंग
	55. डोव हिल स्कूल, कुर्शियांग
	56. ताल्डी मोहन चन्द्र हाई स्कूल, ताल्डी, पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में दूषित अल्पाहार की सप्लाई

1266. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उन घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में अल्पाहार लेने के बाद छात्र बीमार हो गए थे;

(ख) इन घटनाओं में बीमार होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) किन कम्पनियों ने इन विद्यालयों में दूषित अल्पाहार की सप्लाई की थी; और

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें 249 विद्यार्थी बीमार पड़े। तथापि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत किसी भी स्कूल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी।

(ग) कम्पनियों के नाम निम्नलिखित हैं :

(i) मैसर्स इण्डो विटा प्रोटीन प्राइवेट लि०

(ii) मैसर्स ब्राइट फूड इण्डस्ट्रीज

(घ) मैसर्स इण्डो विटा प्रोटीन प्राइवेट लि० का भुगतान रोक दिया गया और आगे की आपूर्ति बन्द कर दी गई। दूसरी घटना के सम्बन्ध में मंसर्स ब्राईट फूड इण्डस्ट्रीज को कोई भुगतान नहीं किया गया है और आगे की आपूर्ति रोक दी गई है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग टीका

1267. **श्री राम कापसे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई 1992 के इंडियन एक्प्रेसस (मुम्बई से प्रकाशित) में "आई० सी० एम० आर० हग्नोर्स रिपोर्ट आन लैपरोसी वैक्सीन फेल्योर" नामक शीर्षक के तहत समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस वैक्सीन को बाजार से हटा लिया है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सितम्बर, 1991 के बाद से इस वैक्सीन से कितने रोगियों का इलाज किया गया ?

स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वेनेजुएला लैपरोसी वैक्सीन के परीक्षण से यह पता चला है कि बी० सी० जी० की अपेक्षा यह वैक्सीन कुष्ठ के बचाव के लिए अधिक प्रभावकारी नहीं है। यह बात 22-2-92 को लान्सेट में प्रकाशित हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की लैप्रोसी वैक्सीन भारत में इस समय परीक्षण के अधीन है। जो एक अलग प्रजाति की है। भारत में इस परीक्षण में भारतीय स्थितियों के अंतर्गत इसमें तत्वों के प्रभावकारिता का परीक्षण किया जा रहा है। मई, 1992 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वेनेजुएला के इस परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को जारी रखने का सामान्य विचार है।

भारत में इस समय चार वैक्सीनों (कुष्ठ रोधी) नामतः विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन, आई० सी० आर० सी० वैक्सीन, एन० डब्ल्यू० वैक्सीन और सी० डी० आर० आई० वैक्सीन पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) चूंकि इस वैक्सीन को विपणन के रिलीज नहीं किया गया है। इसलिए इसे बाजार से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ये वैक्सीनें इस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं न कि इस रोग के उपचार करने के लिए। इस वैक्सीन का प्रयोग कितने व्यक्तियों पर किया गया इसकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

ईंट उद्योग को कोयला पहुंचाने के लिए प्राथमिकता देना

1268. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों को कोयला पहुंचाने सम्बन्धी निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं;

(ख) विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों के लिये निर्धारित की गई प्राथमिकता से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईंट उद्योग को गैर-औद्योगिक उपभोक्ता माना गया है तथा उसे कोयला पहूंचाने हेतु कम प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकताएं केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं और रेलें इन मार्ग-निर्देशों के अनुसार कोयले की ढुलाई की व्यवस्था करती हैं।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रायोजित कोयले के तमाम यातायात की केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिमान्य यातायात अनुसूची की प्राथमिकता "सी" के अन्तर्गत बुक किया जाता है। कोयले के यातायात को जिन विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है, वे नीचे दी गई हैं :

(क) नौवहन/निर्यात

(ख) धातुकर्मीय उद्योग

(ग) कोल वाशरीज

(घ) सशस्त्र बल

(ङ) अन्तर्देशीय रेलवे परिवहन

(च) जनोपयोगी वस्तुएं

(छ) भारी उद्योग

(ज) वृक्षारोपण

(झ) इंजीनियरी

(ञ) अयस्क और खदान

(ट) रासायनिक उद्योग

(ठ) फाइबर उद्योग

(ड) सिविलियन आवश्यकताएं

(ढ) खाद्य संसाधन उद्योग

(ण) टाइल्स और रोड्स

(त) विविध

(थ) दूर-संचार

ईंट उद्योग टाइल्स और रोड्स के अन्तर्गत आता है।

थर्मल पावर स्टेशनों और महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की सप्लाई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके सापेक्ष महत्व को देखते हुए की जाती है और शेष कोयले को कम महत्व के अन्य क्षेत्र के उद्योगों, जिनमें ईंट उद्योग भी शामिल है, के बीच समुचित आधार पर वितरित कर दिया जाता है।

इलावल्ली में रेलवे स्टेशन बनाना

1270. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार त्रिचूर-गुरवायूर रेल लाइन पर इलावल्ली में एक रेलवे स्टेशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी स्कूलों में तथाकथित अनियमितताएं

1271. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों विशेषत: वसन्त विहार नई दिल्ली में स्थित ऐसे स्कूलों में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वसन्त विहार स्थित दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूल से एक शिकायत मिली थी।

शिकायत और दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

शिकायत	की गई कार्रवाई
(i) प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे वर्ष के लिए 20 रु० का एक मुश्त शुल्क लिया गया और इसके लिए कोई रसीद या अभिभावक को कोई ब्यौरा नहीं दिया गया।	जांच करने पर यह पाया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी से लिए गए शुल्क का विधिवत् हिसाब रखा गया था।
(ii) विद्यार्थियों से शिक्षक-अभिभावक संघ के नाम पर रुपये लिए गए, जबकि कोई शिक्षक-अभिभावक संघ नहीं बनाया गया था।	हालांकि शिक्षक-अभिभावक संघ का कोई औपचारिक गठन या उसकी बैठक नहीं हुई थी, परन्तु अभिभावकों का एक समूह निर्णय लिया करता था। परन्तु उन्होंने कोरम नहीं बनाया था।
(iii) प्रस्तावित 10 तम्बुओं के स्थान पर 6 तम्बू लगाए गए और भुगतान किया गया।	इसके हिसाब में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
(iv) स्टॉक रजिस्टर पर दिखाए गए और फर्श पर बिछाई गई दरियों की संख्या में अन्तर था।	
(v) फर्श को समतल किए जाने, पेय जल की टंकियां/टेप और शौचालयों की सुविधाएं दी जाने की आवश्यकता है।	पेय जल के लिए अन्तरिम व्यवस्था कर दी गई है। अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटों का आरक्षण

1272. श्री डी० बाडे गौडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक बी० ए० कोर्स के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटों का आरक्षण करने और शुल्क में रियायत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रवत्त एम० बी० ए० कार्यक्रम निरीक्षात्मक प्रबन्धकीय पदों पर कार्यरत कार्मिकों के

लिए तैयार किया गया है । अत: इस कार्यक्रम वाले छात्रों को कोई शुल्क में कोई रियायत देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है । इस कार्यक्रम में दाखिल लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं और जो उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन सभी को दाखिला दिया जाता है । अत: विश्वविद्यालय में छात्रों को किसी भी श्रेणी के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है ।

दूरस्थ शिक्षण प्रणाली

1273. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहायता अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री : (**कुमारी शैलजा**) : (क) विश्व० अनु० आ० द्वारा दी गई सूचनानुसार 1991-92 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में दूरस्थ/पत्राचार शिक्षा पद्धति में छात्रों का राज्यवार नामांकन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय मुक्त स्कूल को दिया गया अनुदान निम्नलिखित अनुसार था :

	इं० गा० रा० मु० वि०	रा० मु० स्कूल (रु० लाखों में)
1989-90	1841 00	87.77
1990-91	1401.00	152.87
1991-92	1200.00	160.50

इसके अतिरिक्त, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय तथा आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय को 1991 के दौरान इं० गां० रा० मु० वि० ने क्रमश: 22.00 लाख रु० व 23.00 लाख रु० संस्वीकृत किए हैं ।

वि० अनु० आ० द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल दिल्ली को प्रदान किया गया अनुरक्षण अनुदान निम्नलिखित अनुसार था :

	(रु० लाखों में)
1988-89	96.14
1989-90	102.86
1990-91	117.29

वि० अनु० आ० ने कुरुक्षेत्र व इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को उनके पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 4 00 लाख रु० योजनागत सहायता के रूप में भी प्रदान किए हैं ।

(ग) और (घ) संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इं० गां० रा० मु० वि० तथा रा० मु० स्कूल को viiiवीं योजना के लिए क्रमश: 60.00 करोड़ रु० व 11.00 करोड़ रु० आवंटित किए जा चुके हैं ।

इं० गां० रा० मु० वि० द्वारा दी गई सूचनानुसार उनके viiiवीं योजना के आवंटन में से 5.00 करोड़ रु० का अस्थायी आवंटन, आठवी योजना के दौरान, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया है ।

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नामांकन
1.	आंध्र प्रदेश	94627
2.	बिहार	2159
3	गुजरात	168
4.	हरियाणा	14031
5.	हिमाचल प्रदेश	19602
6	जम्मू और काश्मीर	2858
7.	कर्नाटक	25229
8.	केरल	13686
9.	मध्य प्रदेश	8050
10.	महाराष्ट्र	32751
11.	उड़ीसा	10426
12	पंजाब	13775
13	राजस्थान	14688
14.	तमिलनाडु	284950
15	उत्तर प्रदेश	9752
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	117070
	कुल योग :	6,73,822

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तरणताल में बच्चों का डूबना

1274. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तरणताल में 11 नवम्बर, 1992 को कई बच्चे डूब गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच हेतु एक स्वतंत्र जांच बैठाई है अथवा बैठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। लगभग 10 और 8 वर्ष की आयु के दो बच्चे, 10-11-1992 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के तरणताल में डूब गए थे। घटना की वास्तविक परिस्थितियों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने, मामले की जांच करने के लिए, एक प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी है।

बच्चों के लिए अतिसार की दवाइयां

1275. **श्रीमती सरोज दूबे :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस कथित निष्कर्ष की जानकारी है कि अतिसार से गम्भीर रूप से पीड़ित बच्चों को उसके उपचार हेतु दी जाने वाली दवाइयों से उनकी मृत्यु हो सकती है और उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाइयों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बच्चों में अतिसार के उपचार के लिए गतिशीलतारोधी औषधों के प्रयोग के प्रति सावधान करती है और अतिसार के उपचार के लिए प्रतिजैविक तथा अधिशोषी औषधों के विवेकपूर्ण प्रयोग की सलाह देती है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन औषधों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से बच्चों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है।

औषधों के नामों में डाइफेनोक्साइलेट, लोपेरामाइड, स्ट्रैप्टोमाइसिन, न्योमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्वीनोलोन्स, कुछ सलफोनोमाइड और अधिशोषी औषध जैसे काओलिन और पैक्टिन शामिल हैं।

(ग) सरकार ने बच्चों के लिए कुछ औषधों के प्रयोग के खिलाफ पहले ही सावधान किया है और डाइफैनोक्सीलेट और उसके प्रतिपादनों अर्थात् "छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को न दी जाय" के पैकेट में रखी पर्ची में विनिर्माताओं द्वारा आवश्यक चेतावनी/एहतियाती कथन दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय बच्चों के लिए सभी अतिसार रोधी औषधों के लगातार विपणन की विवेकपूर्णता को पुनः जांच कर रहा है।

बच्चों के लिए कार्य योजना

1276. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिए कार्य योजना से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कार्य योजना एक दशक अर्थात् 2000 ई० तक की अवधि के लिए है। राष्ट्रीय बाल कार्रवाई योजना में यथा प्रस्तावित बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के लिए मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं :

(i) 2000 ई० तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रत्येक 1000 जीवित जन्में बच्चों के पीछे 60 से भी कम करना और बाल मृत्यु दर को घटाकर 10 से भी कम करना।

(ii) 1990 से 2000 ई० तक की अवधि के दौरान मातृ मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करना।

(iii) पांच वर्ष के कम आयु के बच्चों के गम्भीर और सामान्य कुपोषण में 2000 ई० तक 50 प्रतिशत कमी लाना।

(iv) सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और मल व्ययन के लिए बेहतर सफाई के साधन उपलब्ध कराना।

(v) सभी के लिए स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था करना, पढ़ाई जारी रखना, पढ़ाई का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना, असमानताएं कम करना, सबके लिए स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना।

(vi) महिला साक्षरता पर जोर देते हुए 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 80 प्रतिशत के प्रौढ़ साक्षरता दर का लक्ष्य प्राप्त करना।

(vii) विशेषकर कठिन परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण में सुधार करना।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

1277. श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितने चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय व्यवसायियों की आवश्यकता है और इस समय उनमें से कितने व्यवसायी उपलब्ध हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) इस समय इनकी संख्या लगभग इस प्रकार है :

अर्हताप्राप्त मनश्चिकित्सक	2200-2400
नैदानिक मनोविज्ञानी	600-700
मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	400-500
मनश्चिकित्सीय नर्सें	400-500

विकसिक देशों के मानन्दडों के अनुसार मौजूदा संख्या पर्याप्त नहीं है।

(ख) इस समय लगभग 200 मनश्चिकित्सक प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किए जाते हैं। नैदानिक मनोविज्ञानियों, मनश्चिकित्सीय नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां प्रतिवर्ष लगभग 30-40 नैदानिक मनोविज्ञानी और 30-40 मनश्चिकित्सीय नर्सें प्रशिक्षित की जाती हैं।

आठवीं योजना के दौरान देश के मैडिकल कॉलिजों में 11 क्षेत्रीय केन्द्रों को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यकरण की पुनरीक्षा करती है और इसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

अस्पताल खोलना

1278. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये अस्पताल खोलने के लिए सहायता देने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, नए अस्पताल खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार तथा उनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उनकी प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की सकल उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

पैलिस ऑन वील्स

1279. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान "पैलिस ऑन वील्स" से रेलवे को प्रतिवर्ष कितने राजस्व की आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पैलेस-ऑन-व्हील्स के परिचालन से रेलों की हुई शुद्ध राजस्व आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1989-90	1990-91	1991-92
		(करोड़ रुपयों में)	
	1.50	1.71	3.78

बेलाडिला तथा रियोघाट (म० प्र०) के बीच रेलवे लाइन

1280. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लौह अयस्क का सुचारू ढंग से परिवहन करने के लिए बेलाडिला तथा रियोघाट खानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एकल उपयोगकर्ता लाइन होने के कारण इस पर तभी कार्य शुरू किया जा सकता है जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात और खान मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था कर दी जाय। तदनुसार, उन्हें सूचित कर दिया गया है।

बिना शल्य चिकित्सा के गर्भपात

1281. **श्री शशि प्रकाश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिना शल्य चिकित्सा के गर्भपात के लिए तैयार की जा रही दवाइयों के काम में वैज्ञानिकों को कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या ग्रामीण भारत में ऐसे दम्पत्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिनकी परिवार नियोजन के यथोचित तरीकों और परिवार को नियोजित रखने तक पहुंच नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आर० यू० 486 एक एंटीप्रोजेस्टिन जिसके बाद प्रोस्टैगलैण्डीन दी जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में गर्भ समापन में प्रभावकारी है। नैदानिक परीक्षणों से पता चलता है कि आर० यू० 486 की 200 मि० ग्रा० मात्रा जिसके बाद 5 मि० ग्रा० 9 मिथाइलीन पी० जी० ई०-2 जैल दी जाती है। 90 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में गर्भ समाप्त करने में सफल रही है।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण सेवाएं दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में उप केन्द्रों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रदान की जाती है।

विश्व पर्यावरण कोष सम्बन्धी समिति

1282. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो में हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन में विश्व पर्यावरण कोष सम्बन्धी समिति का गठन किया गया था अथवा गठन करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस समिति द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता के संभावित उल्लंघन सम्बन्धी विकासशील देशों की आशंका व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या आम सहमति हुई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्व पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1990 में की गई थी। जून, 1992 में रियो-डी-जेनेरो में आयोजित संयुक्त पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में नई पर्यावरण निधि स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रोत्साहन

1283. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्टट्रो होम्योपैथी कोर्स की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या क्या है तथा इन संस्थाओं में इन पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या कोर्स में लगी संस्थाओं तथा विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार का इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो होमियोपैथी कोर्स को मान्यता प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो होमियोपैथी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसलिए सरकार के पास इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पाठ्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है।

(ख) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होमियोपैथी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधीन भूमि पर अतिक्रमण

1284. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधीन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जोन में अतिक्रमण की गई भूमि का डिवीजनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान अतिक्रमण की गई भूमि का डिवीजनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे की भूमि का अतिक्रमण न रोकने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का मंडल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आद्रा	:	59.88 एकड़
बिलासपुर	:	15.1 "
चक्रधरपुर	:	30.48 "
खोरधा रोड	:	57.00 "
खड़गपुर	:	58 64 "
नागपुर	:	20 60 "
विशाखापत्तनम	:	8.13 "

(ग) पिछले वर्ष के दौरान अतिक्रमण के कोई नए मामले नहीं हुए हैं।

(घ) ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कलाकारों को वित्तीय सहायता

†1285. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास केरल के कलाकारों को वित्तीय सहायता देने अथवा संकटपूर्ण स्थिति में पेंशन देने से सम्बन्धित कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के वास्ते केरल के कलाकारों से 19 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया, जिसने वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए एक मामले की सिफारिश की है।

सिन्धु घाटी में पुरातात्विक सर्वेक्षण

1286. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहनजोदड़ो के पहले अध्ययन के बाद से सिन्धु घाटी क्षेत्र में कितने पुरातात्विक अध्ययन किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की कालावधि का अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो यह अनुमानतः किस अवधि के हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मोहनजोदड़ो के प्रथम अध्ययन के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगभग 20 अध्ययन किए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी, हां । संरचनात्मक अवशेषों और उत्खनित वस्तुओं के आधार पर किए गए अध्ययनों, जिनमें सी-14 तिथि/समय के निर्धारण शामिल हैं के परिणामस्वरूप; हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम अस्थायी तौर पर लगभग 2800 से 1800 ईसा पूर्व के बीच लगाया गया है ।

महाराष्ट्र में मातृ और शिशु के स्वास्थ्य हेतु योजनायें

1287. **श्री अन्ना जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को 31 अक्तूबर, 1992 तक महाराष्ट्र से माता और शिशु के स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितनी योजनायें स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कितनी योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

माल परिवहन टर्मिनल

1288. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर माल परिवहन टर्मिनल बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे टर्मिनल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली क्षेत्र में गुड्स टर्मिनल के निर्माण की योजना 1992-93 में बनाये जाने की संभावना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जहां तक दिल्ली क्षेत्र का सम्बन्ध है, 1992-93 के दौरान ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

वन क्षेत्र का कम होना

1289. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1992 के इकोनोमिक टाइम्स में डिप्लिशन रेट ऑफ टेम्परेट/फॉरेस्ट/हाइऐस्ट इन इंडिया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व वन्यप्राणी निधि ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष वनभूमि में तेइस प्रतिशत की कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चाकलेटों का गुणवत्ता नियंत्रण

1290. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
डा० अमृतलाल कालिदास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चॉकलेटों पर बच्चों के स्वास्थ्य के सुरक्षोमाय की दृष्टि से एगमार्ग अथवा भारतीय मानक ब्यूरो का कोई मानक चिन्ह अंकित रहता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चॉकलेट जैसी मदों के लिए कोई मानक निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) चाकलेट एगमार्क के अन्तर्गत कवर नहीं की जाती क्योंकि यह कृषि उत्पादों के अन्तर्गत नहीं आती ।

भारतीय मानक ब्यूरो ने चॉकलेट के लिए मानकों का प्रतिपादन किया है लेकिन उनके

द्वारा प्रचालित प्रमाणन योजना स्वैच्छिक है और इसको अपनाना विनिर्माताओं का काम है। अब तक कोई विनिर्माता प्रमाणन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के पास नहीं गया है।

सांस्कृतिक विरासत का सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल

1291. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए पुरातत्व सम्बन्धी मिर्धा अध्ययन दल ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भांति एक सुरक्षा बल गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि अनेक स्मारकों और स्थल संग्रहालयों में सशस्त्र गार्ड पहले ही तैनात किए गए हैं, इसलिए इसे आवश्यक नहीं समझा गया था इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से स्मारकों/स्थल संग्रहालयों की सुरक्षा का देखभाल करने के लिए मंडल कार्यालयों में और अन्यत्र सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर तैनाती कर दी गई हैं।

बाघ संरक्षण योजना

1292. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों में कोई बाघ संरक्षण योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में बाघ परियोजना की वर्तमान व्यवस्था में किस हद तक सुधार करने पर विचार किया गया है;

(घ) इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार को परियोजना लागू करने का कोई कार्य सौंपा गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि बाघ को वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है तथा बाघ के संरक्षण के वर्तमान प्रयास जारी हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जोगीघोपा में पुल

1293. **श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा में नरनारायण सेतु के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-10-92 को प्रगति 71 प्रतिशत।

(ख) जून, 1994।

[हिन्दी]

रतलाम में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन

1294. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में रतलाम में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बात की है, जो रतलाम में केन्द्रीय विद्यालय के विद्यालय भवन निर्माण के लिए अधिकृत भवन निर्माण अभिकरण है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संशोधित नक्शा तथा प्राक्कलनों की प्राप्ति की प्रतीक्षा है।

नवयुग विद्यालयों का दर्जा बढ़ाना

1295. **श्री राम सागर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में चल रहे एन० डी० एम० सी० के जूनियर नवयुग विद्यालयों का दर्जा बढ़ाये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वर्तमान में किसी जूनियर नवयुग विद्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वसंत विहार, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

1297. **श्री सूर्यनारायण यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार और उसके आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यह औषधालय कब तक खोल दिया जाएगा; और

(घ) इस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने वाले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की वार्षिक योजना में वसन्त विहार में एक नया एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव शामिल करना सम्भव नहीं हुआ है। बहरहाल, उस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 50 और 52 (आर० के० पुरम III और IV) से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका अस्पतालों के डाक्टरों के बारे में टिक्कू समिति की रिपोर्ट को लागू करना

1298. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम में कार्यरत डाक्टरों के मामले में टिक्कू समिति की रिपोर्ट उपयोज्य है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार टिक्कू समिति की रिपोर्ट को उनके लिए लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश संख्या 24 में दिल्ली नगर निगम का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सेवारत डाक्टरों के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू समिति) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में 14-11-1991 के का० ज्ञा० संख्या ए० 45013/13/90-के० स्वा० से० दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम जैसे संगठन 14-11-1991 के का० ज्ञा० के खण्ड 15 के अन्तर्गत आते हैं।

विवरण

संख्या ए० 45013/13/90.सी० एच० एस०-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक : 14 नवम्बर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवारत डाक्टरों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू) की सिफारिशें, उन पर लिए गए निर्णय ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के भविष्य में उन्नति के अवसरों के सभी पहलुओं और संवर्ग पुनः संरचना की जांच करने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी । इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट में को गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(1) मौजूदा सामान्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900-6700 रुपए) के दो पदों का दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के अपर महानिदेशकों (7300-7600 रुपए) के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा । अपर महानिदेशकों के इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति अपर महानिदेशकों के मौजूदा पदों के अनुरूप ही की जाएगी ।

(2) 5900-6700 रुपए के सुपर टाइम वेतनमान में चार पदों का दर्जा बढ़ाकर केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के नियम 4 (9) के अंतर्गत 7300-7600 रुपए के वेतमान में चार अतिरिक्त पदों के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

(3) अस्थायी आधार पर प्रोफेसरों (4500-5700 रुपए) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग में निदेशक प्रोफेसर (5900-6700 रुपए) के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(4) अस्थायी आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-1 (4500-5700 रुपए) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ के उपसंवर्ग में परामर्शदाता (5900-6700 रुपए) के अतिरिक्त 35 पदों का सृजन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यात्मिक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) और कार्यात्मिक ग्रेड (4500-5700 रुपये) के बीच के अन्तर को दूर कर दिया जाएगा। गैर-कार्यात्मिक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) के सभी सह प्रोफेसरों को 1-12-1991 से प्रोफेसरों के रूप में पदनामित किया जाएगा । गैर-कार्यात्मिक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) के सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप संवर्ग) को 1-12-1991 से विशेषज्ञ ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया जाएगा ।

(6) सभी प्रोफेसर (4500-5700 रुपए) और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपए)

पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते की रिक्तियां उपलब्ध हों और 4500-5700 रु० के वेतनमान में उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। चाहे उक्त सेवा कार्यात्मक ग्रेड अथवा 4500-5700 रुपए के गैर कार्यात्मक ग्रेड में की गई हो। सह-प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारी जो इस समय गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड में हैं और जिन्हें 1-12-1991 से क्रमश प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना है, को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपए) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता सूचियां तैयार करने के उद्देश्य से क्रमशः मौजूदा प्रोफेसरों और विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों के नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

(7) जैसा कि शिक्षण उप संवर्ग के मामले में किया गया है उसी प्रकार गैर शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ के उप संवर्गों में भी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (3000-5000 रुपये) के रूप में भर्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्यता अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती किए गए सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों को 3000-5000 रुपये के वेतनमान में दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर 3700-5000 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि वे वरिष्ठता सह योग्यता में पूरे उतरें।

(8) सुपर स्पेशियलिटी से सम्बन्धित पदों की भर्ती जिसके लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता डी० एम० अथवा एम० सी० एच० अथवा समतुल्य है, को शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञता उप संवर्गों में (3700-5000 रुपये) के वेतनमान में की जाएगी।

(9) तीनों उप संवर्गों (शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) में 3700-5000 रुपये के वेतनमान में छः वर्षों की सेवा वाले अधिकारी अथवा 3000-5000 रु० और 3700-5000 रु० के वेतनमानों में कुल आठ वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को मौजूदा दिशा निर्देशों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल मिलाकर अच्छे कार्य निष्पादन और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम-से-कम दो (बहुत अच्छे मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है) के अनुसार 4500-5700 रु० के वेतनमान में रखा जाएगा। इस प्रकार से 4500-7300 रु० के वेतनमान में रखे जाने पर सह-प्रोफेसरों को प्रोफेसरों के रूप में और विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य) को विशेषज्ञ ग्रेड अधिकारियों के रूप में पदनामित हुआ समझा जाएगा।

(10) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रु०) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसमें कम से कम दो वर्षों की सेवा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में होगी, को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (3700-5000 रु०) के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा

बशर्ते कि उनको रिक्तियों से बिना किसी सम्बन्ध के "अच्छे" की श्रेणी में क्लीयर कर दिया गया हो। चयन का कोई क्षेत्र नहीं होगा। यह पदोन्नतियां पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए स्वस्थाने और व्यक्तिगत आधार पर होगी। प्रसंगवश यह बात जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक और सम्बद्ध पदोन्नति प्रदान करेगी। जैसा कि वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर चिकित्सा अधिकारियों (2200-4000 रु०) के स्तर मे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रु०) के स्तर पर पहली सम्बद्ध प्रोन्नति को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जैसा कि इस समय मौजूदा दिशा-निर्देशों (पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छा" मूल्यांकन सहित कुल मिलाकर अच्छा कार्य निष्पादन) के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के सभी वरिष्ठ ड्यूटी पदों की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक 4500-5700 रु० के ग्रेड में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाना जारी रहेगा। 4500-5700 रु० के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कुल सत्रह वर्षों की ग्रुप "ए" की सेवा वाले व्यक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रु०) पर पदोन्नति के लिए पात्र होते रहेंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(11) विभिन्न अस्पतालों और शिक्षण और अन्य संस्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों द्वारा धारित सभी पदों, जहां किए जाने वाले कार्य प्रमुखत: विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं और सामान्यतया जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, को विशेषज्ञ पदों में बदल दिया जायेगा और जिन्हें विशेषज्ञों के भर्ती नियमों में मौजूदा उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों के पदों की संख्या के बराबर पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के ऐसे पदों को विशेषज्ञ पदों में बदलने की बात खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेषज्ञ उप-संवर्गों में प्रवेश करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से सम्बन्धित अर्हता प्राप्त अधिकारियों के लिए अवसर उत्पन्न करेगी।

(12) 4500-5700 रु० के साथ-साथ 3700-5000 रु० के स्तर पर सीधी भर्ती की जा सकती है, जो पदों के पता लगाने की बात पर निर्भर होगी।

(13) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा में वृद्धि किए गए वर्षों के लाभ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

(14) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य के किसी भाग की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

के सदस्य को और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

(15) रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठन पृथक रूप से संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों और सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग पर लिए गए निर्णयों की बात को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

(16) डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को उसकी विवक्षा और प्रतिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तृत जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थगित रखा गया है।

(17) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) यथा समय राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए एक अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने के प्रश्न की जांच करेगा।

2. सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया है।

3.3. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 में संशोधन जहां कहीं भी आवश्यक होंगे, सथासमय जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर
(एस० हरिहरण)
उप सचिव, भारत सरकार
(दूरभाष सं० 3014495)

नागपुर में लोकल रेलगाड़ियां

1299. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर शहर में लोकल रेलगाड़ियां चलाने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, नागपुर-कन्हान/रामटेक खंड पर पर स्थानीय गाड़ियां पहले ही चल रही हैं। परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण इस खंड पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने अथवा किसी अन्य खंड पर स्थानीय गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राउरकेला में ह्वील एण्ड एक्सल प्लांट

1300. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राउकरेला में व्हील एण्ड एक्सल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने, कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) राउरकेला में उपरोक्त प्लांट की स्थापना कब तक होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे उत्पादन एककों का कार्य निष्पादन

1301. **श्री के० प्रधानी :**
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे उत्पादन एककों के लिए सातवीं योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) सातवीं योजना के दौरान वर्षवार और वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक उत्पादन एकक के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना के लिए ऊंचे लक्ष्य निश्चित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं जिससे कि लक्ष्य को पूरा किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) बिजली के 150 रेल इंजनों का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की क्षमता को दो चरणों में बढ़ाया जा रहा है। डीजल रेल इंजन कारखाने की क्षमता बढ़ाकर 155 रेल इंजन प्रति वर्ष की जा रही है। प्रति वर्ष 95,000 पहियों का निर्माण करने के लिए पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरू की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला और डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला ने भी स्थापना क्षमताएं प्राप्त कर ली हैं जो आठवीं योजना अवधि में उपलब्ध हो जाएंगी।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान चल स्टाक के उत्पादन और लक्ष्यों का ब्यौरा

उत्पादन इकाई	मद		85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	जोड़ सातवीं योजना	92-93 (अप्रैल से अक्तूबर '92 तक)
चितरंजन रेल इंजन	विद्युत रेल	लक्ष्य	52	70	81	100	100	403	66
कारखाना, पश्चिम बंगाल	इंजन	वास्तविक	54	71	66	100	105	396	67
	डीजल	ल०	31	40	44	44	44	203	16
	रेल इंजन	वा०	27	40	16	41	42	166	15
डीजल रेल इंजन	डीजल	ल०	126	140	140	140	140	686	79
कारखाना, वाराणसी	रेल इंजन	वा०	126	146	127	140	140	679	85
सवारी डिब्बा कारखाना	सवारी	ल०	825	850	900	900	925	4400	583
मद्रास	डिब्बा और बिजली गाड़ी	वा०	830	852	825	900	925	4332	627
रेल सवारी डिब्बा	सवारी डिब्बे	ल०	—	—	1	120	205	326	584
कारखाना, कपूरथला पंजाब		वा०			1	120	175	296	644

डीजल कलपुर्जा	रेल इंजनों	त०	—	—	—	—	3	3	42
कारखाना, पटियाला पंजाब	का पुनर्निर्माण	वा०	—	—	—	—	3	3	42
	पावर	ल०	—	—	—	—	15	15	—
	पैक	वा०	—	—	—	—	11	11	03
पहिया एवं धुरा	पहिए	ल०	19550	41250	52000	43300	56700	212800	46750
संयंत्र बेंगलूर		वा०	21032	47556	50599	43528	46812	209527	46490
	धुरे	ल०	15623	24500	25700	25900	32000	123723	29250
		वा०	16641	28279	28012	26931	29503	119416	29915

तटीय विनियमों सम्बन्धी समिति

1302. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और होटल सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी वर्तमान विनियमों और मानवदंडों और मानदंडों की पुनरीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पलामू बाघ अभयारण्य

1303. **श्री रामदेव राम :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू बाघ अभयारण्य में चीतों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस अभयारण्य के विकास के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही या लागू की जाने वाली योजनाएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1989 की गणना के अनुसार, पलामू बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या 55 है।

(ख) पलामू बाघ रिजर्व के विकास के लिए वहां कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें निम्नलिखित हैं :

(1) बाघ परियोजना

(2) बाघ परियोजना क्षेत्रों सहित राष्टीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकी-विकास

(ग) पिछले तीन वर्षों में स्कीम-वार दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. बाघ परियोजना	28.060	30.105	29.174
2. पारिस्थितिकी विकास स्कीम	—	—	4.920

[अनुवाद]

निर्माण कार्यों में लकड़ी के प्रयोग पर रोक

1304. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्माण कार्यों में लकड़ी के प्रयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) लकड़ी का संरक्षण करने की दृष्टि से, भवन निर्माण में वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में, सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बाजार में उपलब्ध ऐसी वैकल्पिक सामग्री के ब्यौरे एकत्र किए जाएंगे जो स्वीकार्य स्तर के हों और टिकाऊ भी हों, उसके बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 1 अप्रैल, 1093 के इस प्रकार के विकल्पों को उपयोग में लायेगा। इस तारीख से लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबन्ध लागू हो जाएगा।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा गया है और उनसे भी इसी प्रकार के कदम उठाने तथा राज्य स्तरीय आवास एवं भवन निर्माण एजेंसियों को निर्माण कार्य में लकड़ी के उपयोग को समाप्त करने के लिए लकड़ी के विकल्पों का प्रयोग करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया है। आवास क्षेत्र में आवास वित्त एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी सलाह दी गई है कि वे जिन आवास एवं भवन निर्माण स्कीमों को वित्तीय सहायता देते हैं, उनको लकड़ी के विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

मस्तिष्क ज्वर का इलाज

1305. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक द्वारा जापानी मस्तिष्क ज्वर को रोकने हेतु किसी प्रतिरोधक (वैक्सीन) औषधि का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त औषधि का व्यवहार्यता प्रयोग व्यापक स्तर पर इसकी उपयोगिता हेतु किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परीक्षण का स्थान एवं प्राप्त परिणाम सहित सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश से इस बीमारी को समाप्त करने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यहां इस बीमारी का इलाज देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि उन्हें किसी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक द्वारा जापानी मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए किसी वैक्सीन का विकास किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली में नेक्यामा स्टेन से जापानी मस्तिष्क ज्वर को वैक्सीनों का निर्माण किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस वैक्सीन के बारे में अध्ययन किए गए। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान द्वारा अध्ययन चलाए गए और स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा बर्दवा फील्ड क्षेत्रों में चलाए गए अन्वेषणों से पता चला है कि इन वैक्सीनों से जापानी मस्तिष्क शोध संक्रमण का बचाव होता है। इन वैक्सीनों की गोरखपुर में भी आपूर्ति की जा रही है :

(घ) इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(1) जिला/राज्य की रिपोर्ट और प्रहरी निगरानी के माध्यम से रोग की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

(2) रोगियों का शुरू में ही निदान और उपचार करना। इन क्षेत्रों के प्रमुख अस्पतालों में जापानी मस्तिष्क ज्वर के रोगियों के लिए विशेष वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० का छिड़काव और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मैलथियान-धूमन।

(4) जापानी मस्तिष्क ज्वर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकलापों में लगे हुए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवसायियों का प्रशिक्षण।

(5) प्रकोप फैलने सम्बन्धी कारणों का पता लगाने और विषाणु पुष्टि करने के कार्यों में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल, मेडिसिन, कलकत्ता और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता जैसे विभिन्न संस्थानों को शामिल किया गया है।

(ङ) से (छ) इस विषाणु संक्रमण के उपचार के लिए कोई विशिष्ट औषधियां नहीं हैं और रोगी को केवल लाक्षणिक उपचार ही दिया जाता है। लक्षणों के उपचार की सुविधाएं देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

मोतियाबिन्द के नियन्त्रण में लगे स्वैच्छिक संगठन

1306. डा० आर० मल्लू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्वैच्छिक संगठन देश से मोतियाबिन्द के उन्मूलन के कार्य में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के राज्यवार नाम क्या है और उनके द्वारा सरकार को दी गई परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां । राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र शिविरों का आयोजन करने वाले ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धन प्रदान नहीं किया जा रहा है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन-राशियों का आबंटन किया जाता है जो स्वयं-सेवी संगठनों को सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार मोतियाबिन्द के ऑपरेशनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करते हैं । वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वयंसेवी संगठनों के लिए प्रदान की गई धनराशियों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1991-1992 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को रिलीज की गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1991-92
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	असम	5.35
4.	बिहार	10.00
5	गोवा	0.27
6.	गुजरात	8 20
7.	हरियाणा	3.70
8.	हिमाचल प्रदेश	1 85
9	जम्मू और कश्मीर	1 85
10.	कर्नाटक	7.10
11.	केरल	3 70
12.	मध्य प्रदेश	9.25
13.	महाराष्ट्र	18.00
14.	मणिपुर	0.80

1	2	3
15.	मेघालय	0 27
16.	मिजोरम	0.90
17.	नगालैंड	0.18
18	उड़ीसा	6.42
19.	पंजाब	5.55
20.	राजस्थान	6.42
21.	सिक्किम	0.09
22	तमिलनाडु	4.07
23.	त्रिपुरा	0.92
24.	उत्तर प्रदेश	22.20
25.	पश्चिम बंगाल	4.60
26.	पांडिचेरी	0.35
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.09
28.	दादर और नगर हवेली	0.43
29.	चंडीगढ़	0.17
30.	दमण और दीव	0.43
31.	दिल्ली	0.09
32.	लक्ष्यद्वीप	0.09
	योग	134.04

"बाल बलात्कार" पर सेमिनार

1307. **श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "बाल बलात्कार" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में दिये गये प्रमुख सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग द्वारा बताए गए मुख्य सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

"बाल बलात्कार पर सेमिनार" में दिए गए मुख्य सुझाव

(1) चूंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना वर्जित है, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि खण्ड छः में विनिर्दिष्ट आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया जाए तथा संहिता की धारा 376 में भी संशोधन किया जाना चाहिए ताकि 12 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के पति द्वारा उसके साथ बलात्कार करने पर सजा बढ़ाई जाए।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच से सम्बन्धित आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 54 में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि यह उपबन्ध किया जा सके कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो तो उसकी चिकित्सा जांच केवल किसी महिला चिकित्सक द्वारा/की देख रेख में ही की जाए।

(3) बलात्कार की शिकार बालिका की पूछताछ री प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाए तथा आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 160 (1) के परन्तुक के उपबन्धों का उल्लंघन दण्डनीय बनाया जाए।

(4) जमानत पर रिहा करने से सम्बन्धित आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 447 को इस उपबन्ध के साथ और अधिक उदार बनाया जाए कि सामान्यता महिला की जमानत पर रिहा कर दिया जाए बशर्ते कि उसे हिरासत में रखने के कोई विशेष कारण न हो।

(5) साक्ष्य की विश्वसनीयता की पुष्टि करने सम्बन्धी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, 155 में उपयुक्त संशोधन करके अभियुक्त को लड़की के साथ हुए गत यौन सम्बन्ध के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए तथा बालिका और अन्य के साथ सांपार्श्विक यौन सम्बन्धों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति न दी जाए।

(6) बलात्कार के अपराधियों की जांच करने के लिए सरकार चिकित्सकों की औपचारिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराए।

(7) आपराधिक दण्ड संहिता के धारा 309 में दिन-प्रतिदिन सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि बलात्कार का मामला वर्षों तक चलता है। ऐसे विलंब से बचने के लिए बलात्कार के मामले के निपटान का समय निश्चित कर दिया जाए। विकल्पतः बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं।

(8) बलात्कार की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए (संवैधानिक अथवा अन्यथा) कोष सृजन किए जाने की आवश्यकता है। इस कोष में, अभियुक्त पर लगाया गया जुर्माना अथवा अन्य शास्तियां तथा स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त दान और राज्यों का अंशदान शामिल हो।

(9) बलात्कार की शिकार बालिका से कम से कम प्रश्न पूछे जाएं तथा प्रश्न बालिका के निवास स्थान पर उनके अभिभावकों अथवा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूछे जाएं।

(10) बालिका को पहुंचे मानसिक आघात को भली प्रकार समझना चाहिए तथा बालिका की स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए सभी प्रयास किए जाएं और ये प्रयास जहां तक संभव हो परिवार में ही स्वास्थ्य देखभाल के जरिए तथा समझा बुझा कर ही किए जाएं।

(11) अपराध होने के तुरन्त बाद न केवल बलात्कार की शिकार बालिका अपितु अभियुक्त की भी चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।

(12) बलात्कार की शिकार बालिका की गवाही ही बलात्कार कर्म का निर्णायक प्रमाण होनी चाहिए तथा इसके लिए किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(13) बलात्कार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से (जो कि वकील न हों) जूरी नियुक्त करने पर विचार किया जाए। इस प्रकार की जूरी में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व किया जाए।

(14) आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट में बलात्कार की शिकार बालिका की चिकित्सा जांच रिपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए।

(15) हिरासत में हुए बलात्कार की जांच किसी बाह्य एजेन्सी अर्थात् केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सी० आई० डी०) भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा की जानी चाहिए। जांच करने वाला अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होनी चाहिए।

(16) राज्य सरकार को बलात्कार की शिकार तथा अभियुक्त की तुरन्त चिकित्सा जांच और उसके परिणामों की रिपोर्ट की प्रक्रिया के लिए कानून बनाने चाहिए।

(17) बलात्कार के मामले की कार्यवाही को प्रकाशित करने की अनुमति होनी चाहिए। आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 327 में संशोधन किया जाए। परन्तु अभियुक्त तथा बलात्कार की शिकार के नाम गुप्त रखें जाने चाहिएं।

(18) बालिका बलात्कार के मामले की न्यायालय में पैरवी के लिए राज्य सरकार एक महिला पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त करें।

(19) बाल बलात्कार के लिए दण्ड कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास होना चाहिए जिसे लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए स्व-निर्णय से कम किया जा सकता है। हिरासत में हुए बलात्कार की सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए जिसे न्यायाधीश स्व-निर्णय से कम करके 10 वर्ष के कठोर कारावास तक कर सकता है, परन्तु इसके लिए कारणों का लिखित रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। सामूहिक बलात्कार की सजा कम से कम आजीवन कारावास होनी चाहिए।

(20) बलात्कार की शिकार को अभियुक्त द्वारा मुआवजा दिलाने के लिए न्यायालय को सक्षम बनाने हेतु कानून में संशोधन किया जाए।

(21) 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को पुलिस हिरासत में न रखा जाए, यदि उसे

हिरासत में रखना अनिवार्य हो तो उसे मान्यता प्राप्त सुधार गृह अथवा परिवार कल्याण के लिए कार्यरत मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था में ही हिरासत में रखा जाए।

(22) सामाजिक कार्यकर्ताओं, अभिभावकों तथा राज्य को चाहिए कि बच्चों को यौन शिक्षा देने का प्रयास करें। यह टिप्पणी विशेषज्ञों की इस राय को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि बाल बलात्कार के अधिकांश मामले पारिवारिक होते हैं अथवा अभियुक्त अवश्य ही बालिका का परिचित होता है।

(23) राज्य उनका पुनर्वास करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले।

(24) बाल बलात्कार के अपराध का मामला सामान्य कानून का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसे भारतीय दण्ड संहिता अथा विशेष कानून में पृथक प्रावधान करके निपटाया जाना चाहिए जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ हिरासत में हुए बलात्कार के लिए अभियुक्त को और अधिक दण्ड का प्रावधान हो। पृथक प्रावधान अथवा कानून में 18 वर्ष से कम आयु की बलात्कार शिकार के मामले में धारा 376-क से 376-घ के अन्तर्गत आने वाले मामलों में और अधिक दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

भीमनगर-चकरा रेल लाइन

1308. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीमनगर और चकरा के बीच रेल मार्ग बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे में इस नाम का कोई खंड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

1309. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक शिक्षा को उचित महत्व देने तथा ग्रामीण संसाधन को उन्नत करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या शिक्षा हेतु निधियों के निर्धारण के लिए कोठारी आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए निधि का अंश कम कर दिया गया है और उच्च शिक्षा के लिए बढ़ा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) संशोधित कार्य योजना 1992, जिसे संसद के दोनों पटलों पर 19 अगस्त, 1992 को रख दिया गया था, में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है :

(i) ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक प्रबन्ध के प्रभावी विकेन्द्रीकरण की एक प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म-आयोजना,

(ii) कक्षा v तथा viii पूरी करने वाले बच्चों की संख्या के अनुवीक्षण द्वारा स्कूलों में उन्हें रोके रखने तथा उपलब्धियों पर अधिक बल देना तथा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना कि शिक्षा का एक स्तर पूरा कर लेने पर सभी बच्चों द्वारा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त कर लिया जाए,

(iii) आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं में विस्तार तथा सुधार करना,

(iv) औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में विविधता तथा सुधार करना,

(v) प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिक्षा के पूर्व-स्कूल घटकों को मजबूत बनाना, और!

(vi) स्कूल शिक्षकों को सेवारत तथा सतत शिक्षा के लिए केन्द्रों का एक जालकार्य (नेटवर्क) प्रदान करके शिक्षक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों में सुधार तथा विस्तार करना ।

(ख) तथा (ग) कोठारी आयोग ने, शिक्षा के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 6% की सिफारिश की है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे कार्यान्वित करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अकबर की जन्म शताब्दी

†1310. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगल सम्राट अकबर की 450वीं जन्म शताब्दी का आयोजन करने हेतु निर्धारित प्रस्तावों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन से स्थल का चयन किया गया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सम्राट अकबर' की 450 वीं जन्म शताब्दी 1993-94 में मनाए जाने का प्रस्ताव है, चूंकि समारोह का आयोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, इसलिए निधियों के आवंटन और कार्यक्रमों के ब्यौरों को अन्तिम रूप बाद में दिया जाएगा।

प्राइवेट अस्पताल

1311. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 10 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखने वाला कोई सरकारी तंत्र है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल उन शर्तों को कहां तक पूरी कर रहे हैं जिन पर उन्हें राज्य सहायता तथा अनुदान दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है कि ये अस्पताल उन्हें मिल रहे प्रोत्साहनों के बदले निर्धन लोगों को समुचित सुविधाएं प्रदान करें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) प्राइवेट अस्पतालों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता या अनुदान नहीं दिया जाता। तथापि, चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों/क्लिनिकों को सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा दिया जाता है। कुछ संगठनों को दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायत दरों पर भूमि दी गई है। दोनों मामलों में कमजोर वर्गों के रोगियों के लिए किए जाने वाले बहुत से मुफ्त कार्य किए जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किए गए मुफ्त कार्य की मात्रा की गहन और निरन्तर मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक नर्सिंग होम सेल की स्थापना की गई है।

(ग) प्राइवेट अस्पतालों/संस्थाओं द्वारा दी जा रही मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है। एक योजना भी शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत ऐसे संस्थान जिन्होंने सीमा शुल्क छूट प्राप्त की है, उन्हें उपयुक्त सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध किया गया है जो विशेषीकृत जांच के लिए ऐसे प्राइवेट संस्थानों को 20%तक गरीब रोगियों को रेफर कर सकते हैं।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों के विकास हेतु बिहार को अनुदान

1312. **श्री रामलखन सिंह यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने राजकीय महाविद्यालयों के विकास

हेतु अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए बिहार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दल के दौरे के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितना अनुदान दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बिहार में पात्र कालेजों के आठवीं योजना विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए जनवरी, 1992 में एक समिति ने पटना का दौरा किया जिसमें वि० अ० आ० का एक सदस्य, दो शिक्षा-विद् और वि० अ० आ० अधिकारीगण शामिल थे। राज्य में 9 शासकीय कालेजों में से केवल 2 कालेजों, अर्थात राजकीय महिला कालेज, गुलजार बाग और राजकीय कन्या कालेज, मरदानी बाग, ने अपने आठवीं योजना विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनका मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया था।

समिति ने इन दो कालेजों के लिए 14 लाख रुपये के आवंटन की सिफारिश की (क्रमशः 8 लाख रुपये और 6 लाख रुपये) जिसमें से 1992-93 के दौरान 2.45 लाख रुपये की राशि पुस्तकों तथा पत्रिकाओं और उपस्करों की खरीद के लिए संस्वीकृत की गई है।

इन राजकीय कालेजों के अलावा समिति ने राज्य में 226 अन्य पात्र कालेजों के लिए 2284 लाख रुपये के आठवीं योजना आवंटन पर भी विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

परिवार नियोजन के झूठे मामले

1313. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सरकार के ध्यान में परिवार नियोजन आपरेशन का कोई झूठा मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जानकारी में बन्ध्यकरण के जाली मामलों के बारे में सात शिकायतें आई हैं। पांच मामले उत्तर प्रदेश के और दो बिहार के हैं।

(ग) चूंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये शिकायतें सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक जांच-पड़ताल और उपयुक्त

कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को ब्यौरेवार निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम की गुणवत्ता और स्तर को बनाए रखें।

गाजीपुर और मऊ के बीच नई रेल लाइन

1314. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजीपुर और मऊ के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हा, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस रेल लाइन के बिछाने के पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बस्ती जिले सीधे पूर्वी भारत से जुड़ जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना पर कब से कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसको प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्रतिफल की ऋणात्मक दर का पता चला है।

(ग) से (ङ) सर्वेक्षण द्वारा पता लगाई गई यातायात की अपर्याप्त सम्भावनाओं और परियोजना के प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ-साथ संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू कर पाना सम्भव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ढुलाई के दौरान चावल और गेहूं की क्षति

1315. **श्री मोहन रावले** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सिल्चर के रामनगर गोदाम में ढुलाई के दौरान हुई चावल और गेहूं की क्षति की पिछले कई वर्षों की बहुत बड़ी राशि बट्टे खाते डाल दी है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक क्षति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम की लेखा-परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान रामनगर डिपो में मार्गस्थ हानियां चावल के मामले में 3.1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और गेहूं के मामले में 2.5 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही हैं। तथापि, इन हानियों को बट्टेखाते नहीं डाला गया है।

(ख) मार्गस्थ हानियां ब्राड-गेज की वैगनों से माल उतार कर उसका मीटर गेज की वैगनों में लदान करने, बहु-हैंडलिंग, मीटर गेज की पुरानी वैगनों का इस्तेमाल आदि के कारण हुई हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया है कि वे मार्गस्थ हानियों और भारतीय खाद्य निगम के संदेहास्पद कर्मचारियों की भूमिका सहित रामनगर डिपों में हानियों/गबन की जांच करें और इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई करें।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच कार्य पूरा करने के लिए कोई निश्चित मीयाद नहीं बताई है।

दुआर्स एक्सप्रेस का पुनः चालू किया जाना

1316. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व सीमांत पर कटिहार तथा रंगापाड़ा के बीच चलने वाली दुआर्स रेलवे एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः चालू कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और असम सरकार द्वारा असम क्षेत्र में रात्रि में गाड़ियां चलाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण।

(ग) से (ङ) इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण, फिलहाल इस गाड़ी को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में नई रेल लाइनें

1317. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में नई रेल लाइनें बिछाने का है जिनके सम्बन्ध में विगत में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-दुधवा राष्ट्रीय पार्क लाइन

1318. **डॉ० जी० एल० कनौजिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, दुधवा राष्ट्रीय पार्क लाइन को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

गुजरात में रुग्ण चीनी मिलें

1319. **श्री छीतूभाई गामीत** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी मिलों की संख्या क्या है तथा उनमें से कितनी मिलें रुग्णावस्था में हैं;

(ख) क्या सरकार को गुजरात सरकार से रुग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितने आवेदन/प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त किए गए हैं और सरकार ने अब तक ऐसी कितनी रुग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गुजरात राज्य में इस समय 17 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत जो कम्पनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेज दिया जाता है । उक्त उपबन्धों का अब विस्तार कर दिया गया है जिससे कि सरकारी कम्पनियों को भी इसमें कवर किया जा सके । बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में किसी भी रुग्ण चीनी मिल के मामले को पंजीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) गुजरात राज्य की रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए प्राप्त प्रस्तावों/ज्ञापनों से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि हाल ही में कृषि भवन में आग लग जाने के कारण सभी संगत रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे ।

[अनुवाद]

पीलिया की नई औषधि

1320. **श्री सुब्रत मुकर्जी** :
डा० असीम बाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलिया के उपचार हेतु देश में किसी नई औषधि को तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी किसी नई औषध की जानकारी नहीं है जिसका पीलिया का उपचार करने के लिए इस देश में विकास किया गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और औषध नियंत्रक, भारत ने भी इसी तरह की सूचना दी है। तथापि, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान और स्कूल ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन, कलकत्ता में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि "नीम" की पत्तियां खाने से जिगर सम्बन्धी रोगों का खतरा कम हो सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेण्टल बायोलाजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह संरक्षणात्मक प्रभाव नीम की पत्तियों में ऐसे पदार्थों के समूह के कारण होता है जिसे फ्लेवोनोल-ओ-ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है।

हिन्दी विद्यालयों का चयन

1321. **श्री प्रवीन डेका** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 11 अगस्त, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान देने के लिए संस्थाओं के चयन में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

पुस्तकालयों की स्थिति

†1322. **श्री वी० कृष्ण राव** :
श्रीमती बासवा राजेश्वरी :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पुस्तकालयों की क्रय शक्ति कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पुस्तकालयों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) बजट में कटौती, स्थापना लागत में बढ़ोत्तरी और पुस्तकों तथा पुस्तकालय की अन्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारण हैं।

(ग) पुस्तकालय सम्बन्धित संस्थाओं/संगठनों/विभागों/मंत्रालयों के स्वतंत्र नियंत्रण के अन्तर्गत होते हैं और देश में कोई भी एक ऐसा प्राधिकरण नहीं है जिसका सभी पुस्तकालयों पर नियंत्रण हो। पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार लाना सम्बन्धित मूल निकायों का काम है। केन्द्र सरकार ने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ, पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों और इस क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर

1323. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औसत आयु, शिशु मृत्यु-दर का गत तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराकेदी सिद्धार्थ) : भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा शिशुदर के अनुमान उपलब्ध हैं। राज्यों के बारे में नमूना पंजीय पद्धति से उपलब्ध 1981-85 की अवधि के पांच वर्षों के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के नवीनतम अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। नमूना पंजीयन पद्धति में उपलब्ध वर्ष 1988, 1989 और 1990 के नवीनतम तीन वर्षों के शिशु मृत्युदर के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, नमूना पंजीयन पद्धति से मातृ मृत्युदर के अनुमान प्राप्त नहीं होते हैं।

विवरण-I

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के राज्यवार अनुमान (1981-85) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (1981-85 वर्षों में)

क्र०सं०	राज्य	व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58.4
2.	असम	51.9
3.	बिहार	52.8
4.	गुजरात	57.6
5.	हरियाणा	60.3
6.	कर्नाटक	60.6
7.	केरल	68.4
8.	मध्य प्रदेश	51.6
9.	महाराष्ट्र	60.6
10.	उड़ीसा	53.0

1	2	3
11.	पंजाब	63.1
12.	राजस्थान	53.5
13.	तमिलनाडु	56.9
14.	उत्तर प्रदेश	50.0
15.	पश्चिम बंगाल	57.4

विवरण-II

शिशु मृत्यु दर के राज्यवार अनुमान 1988-90

क्रम सं०	राज्य	1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्युदर		
		1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	83	81	70
2	असम	99	91	76
3.	बिहार	97	91	75
4.	गुजरात	90	86	72
5.	हरियाणा	90	82	69
6	हिमाचल प्रदेश	80	75	69
7.	जम्मू व कश्मीर	71	66	70
8.	कर्नाटक	74	80	70
9.	केरल	28	21	17
10.	मध्य प्रदेश	121	117	111
11.	महाराष्ट्र	68	59	58
12.	उड़ीसा	122	121	122
13.	पंजाब	62	64	61
14.	राजस्थान	103	96	84
15.	तमिलनाडु	74	68	59
16.	उत्तर प्रदेश	124	118	99
17.	पश्चिम बंगाल	69	77	63

[हिन्दी]

धनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि दुर्विनियोग

1324. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** 6 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 2272 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनराशि के दुर्विनियोग के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए दी गई धनराशि की दुर्विनियोग सम्बन्धी मामलों की सूचना कैरल वन और वन्यजीव विभाग तथा नागालैंड वन विभाग को छोड़कर किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है। उक्त दोनों राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में क्रीड़ा परिसर

1325. **श्री सत्यगोपाय मिश्र :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक क्रीड़ा परिसर की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता देने पर सरकार सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण को उपाध्यक्ष, हल्दिया अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण से सन्दर्भ प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने गैर-आवासीय प्रशिक्षण शिविर को खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर विचार उस समय किया जाएगा, जब यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

[हिन्दी]

सिवनी (मध्य प्रदेश) में सड़क उपरिपुल

1326. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के बारे में संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का पुल निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) संसद सदस्यों के अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में रेल राज्य मन्त्री ने मई, 1989 में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को लिखा था कि वह भूतल परिवहन मन्त्रालय के अनुमोदन से इस स्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को प्रायोजित करें। रेल राज्य मन्त्री ने यह भी उल्लेख किया था कि यदि राज्य सरकार ऐसा करती है तो रेलें इस काम को निर्माण कार्यक्रम में बिना बारी के शामिल करने पर भी विचार कर सकती हैं। राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

मंगलौर-मैसूर रेल लाइन

1327. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और मैसूर के बीच बरास्ता कोडागु एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गृहों/भवनों को किराए पर लिया जाना

1328. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए समयबद्ध पट्टे पर तथा मासिक किराए के आधार पर अधिकतर गृहों/भवनों को किराए पर लेता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के अधिकार में दक्षिणी दिल्ली में ऐसी संपत्तियों की भवन वार संख्या क्या है जिनकी पट्टा अवधि निकल चुकी है, इनका समयबद्ध पट्टा सीमा तथा प्रत्येक मामले में तिथि निकल जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सम्पत्तियों को कब तक खाली कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण करने के प्रयोजन के लिए दक्षिण दिल्ली में कोई मकान/बिल्डिंग किराये पर नहीं ली गई है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा दक्षिण दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किराये पर ली गई बिल्डिंगों/मकानों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) उपाबंध के क्रम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित बिल्डिंगों/मकानों के मालिक ही अपने परिसरों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए खाली करवाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं । चूंकि इन दोनों परिसरों का उपयोग नियम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान निगम के अधिकारियों को रखने के प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, इसलिए इन्हें उस समय तक खाली करना सम्भव नहीं है जब तक भारतीय खाद्य निगम का गुड़गांव में स्वयं का अपना प्रशिक्षण काम्प्लेक्स उपलब्ध नहीं हो जाता है । इस काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

विवरण

क्रम सं०	सम्पत्ति का ब्योरा	प्रयोजन	पट्टा समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4
1.	बी-192, एस० एफ० एस०, फेज-1, नई दिल्ली	वरिष्ठ अधिकारी के आवास के लिए	30-11-1992
2.	एफ-97 सरिता विहार, नई दिल्ली	वरिष्ठ अधिकारी के आवास के लिए	6-1-1994
3.	एफ-40, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए समस्त भारत से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिए	6-2-1980
4.	डी-74, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए समस्त भारत से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिए	31-12-1982
5.	5, कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	प्रिंसिपल, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय	5-1-1984
6.	बिल्डिंग नं० 44, दीनार भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (इसमें 18 फ्लैट्स हैं)	कार्यकारी निदेशक (इजी०) के कार्यालय भारतीय खाद्य निगम के परियोजना कार्यान्वयन प्रभाग के लिए	1-9-1991*
7.	बिल्डिंग नं० 42, डी० डी० ए०, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय के लिए	1-9-1991

*15-11-1985 —3 फ्लैट्स
31- 8-1987—3 फ्लैट्स
30- 9-1992—12 फ्लैट्स

[हिन्दी]

वृक्षों और पौधों में रहस्यमयी बीमारी

1329. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से फूलों की घाटी में, वृक्षों और पौधों में एक रहस्यममी बीमारी फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून ने पता लगाया है कि उत्तर प्रदेश के चीड़ के वनों में फफूद की तीन बीमारियां व्यापक रूप से फैली हैं।

(ख) दो बीमारियां चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से सम्बन्धित हैं, जिनके कारण पत्तिमां पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियों के मुरझा जाने से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तथा इस प्रकार वृक्ष का विकास रुक जाता है। तीसरी बीमारी अर्थात् चीड़ के तने में फफोले बन जाने से वृक्ष के तनों के रोग से घिर जाने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और परिणामस्वरूप वे मुरझा जाती हैं।

वन अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल ने यह भी पाया है कि फूलों की घाटी में पोलीगोनम और इम्पेसिएण्ट जैसी कुछ प्रजातियों की आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिन्होंने अन्य पौधों को ढक दिया है, इसके परिणामस्वरूप घाटी में प्रजातिमों की जैव विविधता में कमी आ सकती है।

(ग) वन अनुसन्धान संस्थान ने प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोक कर बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए "एलर्ट बुलेटिन" के जरिए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। वन अनुसन्धान संस्थान कुछ फफूंद नाशक दवाइयों का परीक्षण कर रहा है। परीक्षणों के परिणामों के आधार पर राज्य वन प्राधिकारियों को इनका उपयोग बड़े पैमाने पर करने की सलाह दी जाएगी।

अकादमियों को केन्द्रीय अनुदान

1330. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सत्यनारायण जटिया :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सांस्कृतिक अकादमियों, परिषदों तथा संग्रहालयों के नाम क्या हैं जिनको आर्थिक सहायता/अनुदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेफरल अस्पताल

1331. **डा० असीम बाला :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 21 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन रेफरल अस्पतालों के बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पैटर्न पर इस प्रकार के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) पूरी सूचना अभी एकत्र की जानी है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पैटर्न पर रैफरल अस्पताल खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मंदिरों/स्मारकों का रखरखाव

1332. **डा० के० वी० आर० चौधरी**
श्री गुरुदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितने मंदिरों/स्मारकों का रखरखाव किया जा रहा है;

(ख) सरकार ने उनके उचित रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण 'क' के अनुसार है।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के वार्षिक रखरखाव और देखभाल के अतिरिक्त, स्मारकों का संरचनात्मक मरम्मत-कार्य, रासायनिक परिरक्षण और पर्यावरणिक विकास उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि उचित रखरखाव और देखभाल का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) वर्ष 1991-92 हेतु राज्य-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण और परिरक्षण पर हुआ व्यय तथा वर्ष 1992-93 हेतु धन-आवंटन क्रमशः संलग्न विवरण 'ख' और 'ग' के अनुसार हैं।

विवरण 'क'

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की राज्य-वार और संघ-शासित क्षेत्र-वार सूची निम्न प्रकार है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	134
असम	49
अरुणाचल प्रदेश	5
बिहार	77
दिल्ली	166
दमन व दीव	9
गोवा	25
गुजरात	199
हरियाणा	88
हिमाचल प्रदेश	35
जम्मू व कश्मीर	63
कर्नाटक	505
केरल	28

1	2
मध्य प्रदेश	324
महाराष्ट्र	284
मणिपुर	1
मेघालय	8
नागालैंड	4
उड़ीसा	68
पांडिचेरी	8
पंजाब	24
राजस्थान	151
सिक्किम	3
तमिलनाडु	403
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	783
पश्चिम बंगाल	113
कुल	3562

विवरण 'ख'

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण और परिरक्षण पर वर्ष 1991-92 के दौरान हुआ व्यय (राज्य-वार)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	व्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40,99,912
2.	असम	22,94,135
3.	अरुणाचल प्रदेश	7,95,912
4.	बिहार	48,39,141
5.	दिल्ली	86,50,000
6.	दमन व दीव	4,26,071

1	2	3
7.	गोवा	12,90,501
8.	गुजरात	28,01,827
9.	हरियाणा	21,90,594
10.	हिमाचल प्रदेश	22,16,719
11.	जम्मू व कश्मीर	34,02,342
12.	कर्नाटक	79,38,716
13	केरल	4,83,203
14.	मध्य प्रदेश	68,95,660
15.	महाराष्ट्र	33,89,989
16.	मणिपुर	9,997
17.	मेघालय	38,997
18	नागालैंड	31,500
19.	उड़ीसा	41,94,033
20.	पांडिचेरी	1,41,613
21.	पंजाब	12,17,713
22.	राजस्थान	32,68,164
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	67,66,700
25.	त्रिपुरा	70,207
26.	उत्तर प्रदेश	1,27,75,318
27.	पश्चिम बंगाल	40,35,075

विवरण- (ग)

वर्ष 1992-93 के लिए राज्य-वार धन-आवंटन निम्न प्रकार है

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आवंटन (रु० लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40.00
2.	असम	18.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.00

1	2	3
4.	बिहार	29.00
5.	दिल्ली	111.30
6.	दमन व दीव	3.00
7.	गोवा	11.00
8.	गुजरात	36.00
9.	हरियाणा	16.00
10.	हिमाचल प्रदेश	22.00
11.	जम्मू व कश्मीर	39.00
12.	कर्नाटक	74.25
13.	केरल	10.00
14	मध्य प्रदेश	59.25
15.	महाराष्ट्र	47.30
16.	मणिपुर	00.10
17.	मेघालय	00.20
18.	नागालैण्ड	00.50
19.	उड़ीसा	33.00
20.	पांडिचेरी	3.00
21.	पंजाब	17.80
22.	राजस्थान	36.00
23.	सिक्किम	1.00
24.	तमिलनाडु	49.00
25.	त्रिपुरा	00.60
26.	उत्तर प्रदेश	111.00
27.	पश्चिम बंगाल	34.00

यात्री किराये को युक्तिसंगत बनाना

1333. **डा० वसन्त पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित सवारी डिब्बों और दूसरी श्रेणी के सवारी डिब्बों की पृथक-पृथक संचालन लागत कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के यात्री किराये निर्धारित करने में मानदंडों के रूप में संचालन लागत पर विचार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1990-91 की दर्जे-वार प्रति वाहन कि० मी० लागत (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) इस प्रकार थी :

(आंकड़े रुपयों में)

मेल/एक्सप्रेस सेवाएं/दर्जा	ब० ला०	मी० ला०
वातानुकूल पहला दर्जा	4.73	4.53
पहला दर्जा	3.64	4.58
वातानुकूल शयनयान	4.38	9.29
वातानुकूल कुर्सीयान	4.18	5.71
दूसरा दर्जा	3.88	5.12

(ख) से (घ) विभिन्न दर्जों के लिए यात्री किराए यातायात की अदायगी क्षमता एवं साधन सामग्री की लागत में आम वृद्धि के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं ।

उड़ीसा में चावल और गेहूं का भण्डार

1334. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डिपुओं में चावल और गेहूं के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डिपुओं में चावल का पर्याप्त भंडार रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) जी, हां । पहली नवम्बर, 1992 को स्थिति के अनुसार 36,300 मीटरी टन चावल और 20,000 मीटरी टन गेहूं के मासिक आवंटनों के प्रति उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डिपुओं में 63,095 मीटरी टन चावल और 23,174 मीटरी टन गेहूं उपलब्ध था ।

भारतीय खाद्य निगम की प्रत्येक मास चावल और गेहूं का संचलन करने की योजना है और वह यथापेक्षित स्टाक विभिन्न डिपुओं को भेजता है ।

[हिन्दी]

बेतूल और होशंगाबाद के बीच मासिक पास सुविधा

1335. **श्री असलम शेर खां** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मासिक रेल पास धारकों को इन टिकटों को जारी करने के लिए 161 कि० मी० की न्यूनतम दूरी यात्रा में छूट देकर मध्य प्रदेश के बेतूल और होशंगाबाद क्षेत्रों से गुजरने वाली लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोलकुंडा किले के भीतर की भूमि हथियाना

1336 **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में गोलकुंडा किले के भीतर की भूमि सहित पुरातत्व महत्व की भूमि माफिया द्वारा हथियाया और बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुरातत्व महत्व के स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित गोलकुंडा किले के भीतर की भूमि को इस प्रकार के कब्जे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) हैदराबाद स्थित पुरातत्व के क्षेत्र में ज्यादा अतिक्रमण हुए हैं जिनमें गोलकुंडा किले के अन्दर के अतिक्रमण भी शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन्हें हटाने और आगे अतिक्रमणों को रोकने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोलकुंडा किले के कुछ अतिक्रमणों को हटा दिया गया है।

बुक किये गए सामान की चोरी

1337. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा बुक किए गए सामान की ढुलाई के दौरान अथवा गंतव्य स्थानों पर चोरी हो जाने के तरीके की जांच करने हेतु रेलवे द्वारा भी किसी मामले में अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) हमारे अध्ययनों से पता चला है कि अपराधी बुक किए गए माल की चोरी करने की अपनी कार्य-प्रणाली लगातार बदलते रहते हैं, सामान्यतः माल डिब्बों/ब्रेकयानों को चालन के दौरान परिवहन के समय तथा यार्डों में तोड़कर चोरियां की जाती हैं, चोरी करते समय वे कभी-कभी माल डिब्बों की सील के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अपराधी प्रायः माल डिब्बों के दरवाजों के बीच खाली जगह से तथा माल डिब्बों के पेनलों को काटकर खाद्यान्न, तिलहन आदि जैसे माल की चोरी भी करते हैं।

गंतव्य स्थान पर कमी-कमजार दोषपूर्ण प्रणाली, अपर्याप्त पिंजरों आदि के कारण पार्सल कार्यालयों से कुछ चोरियां हो ही जाती हैं।

अपराधियों की चोरी करने की कार्य-प्रणाली की समय-समय पर मंडल/क्षेत्रीय रेलों तथा बोर्ड स्तर पर समीक्षा की जाती है। प्रणालियों अथवा सुरक्षा बलों की तैनाती में पाई जाने वाली खामियों को दूर कर दिया जाता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

1338. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण निर्धनों में लोकप्रिय योजना को पूरा करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) वन भूमि को किसी भी प्रकार के वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व मजूरी लेनी अपेक्षित है। केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसे कई उदाहरण आए हैं, जिनमें इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना ही वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कहा गया है कि वे अधिनियम के उल्लंघन का उत्तरदायित्व निर्धारित करें। ऐसे मामलों में वनेतर प्रयोजनों के लिए वनभूमि के उपयोग के बारे में अन्तिम निर्णय इस प्रकार की संबंधित संपूर्ण जानकारी पर विचार करने के बाद लिया जाता है, जिसमें अधिनियम के उल्लंघन की परिस्थितियां तथा वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई शामिल है।

[हिन्दी]

हिन्दी विश्वविद्यालय

1339. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या प्रयास कर रही है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए

आदि के स्थान, ढांचे, स्टाफ, वित्तीय आवश्यकताओं और संबद्ध अन्य मुद्दों के संबंध में सलाह देने के लिए, डा० शिव मंगल सिंह 'सुमन' की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति से 7 जुलाई, 1992 से तीन महीने की अवधि के अन्दर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

[अनुवाद]

उड़ीसा के लिए जल-मल निकास व्यवस्था संबंधी योजना

1340. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिए जल-मल निकास व्यवस्था की कुछ योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने हेतु उनके मंत्रालय के पास लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) इन योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शीघ्र शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कोच मरम्मत परिसर

1341. श्री रमेश चेन्निथला : रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल कोच मरम्मत परिसर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, बहरहाल, बढ़े हुए यात्री यातायात को संभालने के लिए कोचीन हार्बर/एर्णाकुलम में कोचिंग डिपो का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) 3.46 करोड़ रुपये की लागत से एर्णाकुलम में अनुरक्षण सुविधाओं के विस्तार को स्वीकृति दे दी गयी है। निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

कोयले की ढुलाई के लिए गुजरात को वैगन की सप्लाई

1342. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोयले के वैगन का वर्तमान कोटा गुजरात राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या कोयला वैगनों की आपूर्ति के लिए राज्य उद्योगों ने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से कई बार सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गुजरात में उद्योगों को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गुजरात को कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा की जाती है। ये कोलफील्ड्स पहले से ही अत्यधिक मात्रा में बुक हैं तथा ताप बिजली घरों, रेलों, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनके पास बहुत बड़े कार्यक्रम हैं। इन उच्च प्राथमिकता वाले उपयोगताओं की मांग पूरी करने के बाद शेष कोयला अन्य उद्योगों में बराबर-बराबर आवंटित किया जाता है।

महाराष्ट्र में लेवी चीनी के जोन

1343. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि लेवी चीनी के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र को इस समय के दो जोनों के बजाय तीन जोनों में विभाजित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) लेवी चीनी मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र को इस समय के दो जोनों के बजाय तीन जोनों में विभाजित करने के सम्बन्ध में फिलहाल महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दक्षिण महाराष्ट्र को दो जोनों में विभाजित करने का मामला औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) को भेज दिया गया है जिसे चीनी वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण हेतु चीनी उद्योग की लागत संरचना पर एक अन्वेषण करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

पेस मेकर बैंक

1344. **श्री सत्यदेव सिंह** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब और जरूरतमंद रोगियों के लिए देश में एक पेस मेकर बैंक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंक को किसी विदेशी सहायता से खोले जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पेस मेकर बैंक से कितने हृदय रोगियों को लाभ मिलने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार

1345. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "शिक्षा का अधिकार" के सम्बन्ध में 30 जुलाई, 1992 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की कठिनाइयों की अब तक जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अनेक निजी संस्थाओं के प्रबन्धकों ने कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में 30 जुलाई, 1992 को दिये गये उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और उच्चयम न्यायालय इस मामले की समीक्षा कर रहा है।

राजकोट में सौराष्ट्र मेल के सवारी डिब्बों को अलग करना

1346. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र मेल में वातानुकूलित, दूसरी श्रेणी और डबल डेकर के शयनयान सवारी डिब्बों को राजकोट में अलग कर दिया जाता है तथा हापा तक नहीं चलाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और उपरोक्त सवारी डिब्बों को हापा तक चलाये जाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) राजकोट से प्रारम्भ होने वाले यातायात के लिए सौराष्ट्र मेल के 17 सवारी डिब्बों में से 7 सवारी डिब्बे राजकोट में लगाये/हटाये जाते हैं और 10 सवारी डिब्बे आगे/हापा/ओखा जाते हैं, अतः इन सवारी डिब्बों को हापा/ओखा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी कारखाने

1347. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त चीनी कारखानों को चालू करने का कार्य वित्तीय संस्थाओं से धनराशि न मिलने के कारण रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिलों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई रेल लाइनें

1348. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन रेलवे लाइन परियोजनाओं के लिए गत दो वर्षों के दौरान नई रेल लाइन बिछाने हेतु आधार शिला रखी गयी थी;

(ख) उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं; जिन पर इस बीच निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) शेष परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए कोई आधार शिला नहीं रखी गयी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में यात्री सुविधाएं

1349. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी, न्यू अलीपुरद्वार और अलीपुरद्वार स्टेशनों पर न्यूनतम यात्री सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्टेशनों में अन्य सुविधाओं में सुधार करने के साथ-साथ वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात के अनुरूप पहले ही आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

साक्षरता अभियान में प्राइवेट संगठन

1350. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को साक्षरता अभियान में प्राइवेट संगठनों को जोड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना है जिसके तहत योजना में निर्धारित मानदण्डों तथा प्रक्रिया के अनुसार स्वैच्छिक एजेंसियों को पूर्ण साक्षरता अभियान आदि की परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं। अब तक 48 स्वैच्छिक एजेंसियों को पूर्ण साक्षरता अभियान की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख कार्यनीति तीन वर्ष तक की अवधि में विशिष्ट क्षेत्रों से 15-35 आयुवर्ग के लोगों को स्वैच्छिक आधार पर पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से शामिल करना है। अनुकूल वातावरण निर्माण, पठन-पाठन सामग्री तथा प्रशिक्षण परियोजना प्रबन्धन कार्य में शामिल पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं को अल्प भुगतान आदि पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिशिक्षु 65 रु० से 100 तक की लागत से निधियां संस्वीकृत की जाती हैं। अनुदेशकों/स्वयंसेवकों को कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता। स्वैच्छिक एजेन्सियों से आशा की जाती है कि वे प्रस्ताव तैयार करें तथा अपने-अपने प्रस्तावों को सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों जिनके अन्तर्गत जिला तथा राज्य स्तरीय जांच समितियां गठित की गई हैं, से जांच करवाकर उनकी सिफारिशों के साथ मन्त्रालय को भेज दें। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों को इस कार्य हेतु गठित केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ग) स्वैच्छिक एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए यह योजना राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रशासनों को परिचालित की गई है। स्वैच्छिक एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के अनुस्थापन के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ताकि योजना की जानकारी तथा परियोजनाओं को तैयार करने की सुविधा हो सके। राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा तकनीकी तथा शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

नेरल (मध्य रेलवे) में औषधालय

1351. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए नेरल (मध्य रेलवे) में एक पर्णांग औषधालय खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

कोपरगांव पर रेलगाड़ियों का हाल्ट बनाना

1352. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिरडी जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कोपरगांव रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों का हाल्ट बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न तो परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है और न ही वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य-पूर्ण।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र

1353. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) परभनी तथा नादेड़ जिलों में ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन केन्द्रों की संख्या वृद्धि करना चाहती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1991-92 तथा अप्रैल, 1992 से आज तक कितने लोगों ने परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराहेवी सिद्धार्थ) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनन्तिम रूप से सूचित किए गए अनुसार 1991-92 और अप्रैल 1992 से अक्तूबर, 1992 के दौरान परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई हैं :

वर्ष	नसबंदियों की संख्या
1991-92	5,35,774
1992-93 (अप्रैल, 1992 से अक्तूबर, 1992)	2,54,081

विवरण

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	कार्यरत एककों की संख्या
1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	428
2.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	82
3.	शहरी स्वास्थ्य चोकियां	278
4.	उप केन्द्र	7633
5.	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	53
6.	उप डिवीजनल स्तरीय अस्पतालों में प्रसवोत्तर केन्द्र	52
7.	रिकेनेलाइजेशन केन्द्र	1

क्रेडिट कार्ड सुविधा

1354. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेल-आरक्षण हेतु क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर ऐसी सुविधा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर यात्री आरक्षण करने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने का केनरा बैंक का प्रस्ताव दक्षिण रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों में कतिपय बैंकों के क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र०सं०	स्टेशन/आरक्षण कार्यालय का नाम	बैंक के नाम
1	2	3
1.	आई आर० सी० ए० आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली।	1. आंध्र बैंक
		2. बैंक ऑफ बड़ौदा
		3. सिटी बैंक
		4. विजया बैंक
		5. कैनरा बैंक
		6. बैंक ऑफ इण्डिया
		7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
2.	सिकन्दराबाद आरक्षण कार्यालय	1. आंध्र बैंक
		2. बैंक ऑफ बड़ौदा
		3. कैनरा बैंक
3.	अहमदाबाद	1. बैंक ऑफ बड़ौदा
		2. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

1	2	3
4.	बडोदरा	1. बैंक ऑफ बड़ौदा
5.	न्यू कोयलाघाट आरक्षण कार्यालय, कलकत्ता।	1. बैंक ऑफ बड़ौदा
6.	मूरे मार्केट आरक्षण कार्यालय, मद्रास	1. केनरा बैंक
		2. आंध्र बैंक
		3. बैंक ऑफ बड़ौदा
		4. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		5. बैंक ऑफ इण्डिया
		6. विजया बैंक
7.	बंगलूरू सिटी आरक्षण कार्यालय	1. विजया बैंक
		2. कैनरा बैंक
		3. आंध्र बैंक
		4. बैंक ऑफ इण्डिया
		5. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		6. बैंक ऑफ बड़ौदा
8.	बम्बई सेंट्रल	1. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		2. आंध्र बैंक
		3. बैंक ऑफ बड़ौदा
		4. बैंक ऑफ इण्डिया
9.	बम्बई चर्चगेट	1. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		2. आंध्र बैंक
		3. बैंक ऑफ बड़ौदा
		4. बैंक ऑफ इण्डिया
10.	बम्बई वी० टी०	1. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

[हिन्दी]

राज्यों को लेवी चीनी

1355. श्री राजवीर सिंह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को लेवी चीनी का कोटा आबंटित करने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के लिए लेवी चीनी के आबंटन का वर्तमान कोटा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को बढ़ाये गये चीनी के कोटे को उनकी जनसंख्या के आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति के तहत अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता हैं। ये मानदंड 1-2-1987 से प्रभावी हैं। तथापि कुछ राज्यों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लेवी चीनी का आबंटन उच्चतर स्केल पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को त्यौहार कोटे के रूप में लेवी चीनी की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करती है।

(ख) से (घ) सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से मार्च, 1993 तक के लिए मासिक आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दे दी है।

(ङ) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण वर्तमान मानदंडों में संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

स्थल से दूर/स्थल पर आपातकालीन तैयारी योजनाएं

1356. श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने स्थल से दूर/स्थल पर आपातकालीन तैयारी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर आने वाली अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकार के हिस्से का क्रमशः ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) ऑन-साइट आपात योजनाएं, परिसंकटमय रसायनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों द्वारा परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली, 1989 के तहत तैयार की जाती हैं। ऑफ-साइट आपात योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा नामित जिला कलेक्टर अथवा जिला आपात प्राधिकारी तैयार करते हैं। तथापि, इसमें सुबिधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा योजनाएं तैयार किये जाने के लिए रायगढ़ (महाराष्ट्र), थाणे (महाराष्ट्र), मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान), मैंगलोर (कर्नाटक), तूतीकोरिन और

कुड्डालोर (तमिलनाडु), मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) जिलों को चुना है, जो अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 9 जिलों के सम्बन्ध में ऑफ-साइट योजनाएं तैयार करने पर 68.48 लाख रुपये खर्च आएगा, जो पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उड़ीसा में गोदाम

1357. कुमारी फ्रिडा तोपनो :
डॉ० कृपासिंधु भोई :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा में गोदामों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) राज्य में कितने गोदामों को बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ये गोदाम जिला-वार किन-किन स्थानों पर हैं और इनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) अब तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उड़ीसा सहित समस्त देश में 1992-93 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु भारत सरकार द्वारा 27.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक राज्य के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) 10,000 मीटरी टन की अतिरिक्त गोदाम क्षमता मयूरभंज जिले के बादामपहाड़ में निर्माणाधीन है। बोलंगीर जिले के तितलागढ़, नये बनाए गए रायगाडा जिले (पुराना कोरापुट जिला) में रायगडा और कटक जिले में चौद्वार में अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

भारतीय बाल भवन सोसाइटी

1358. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल भवन समिति, नई दिल्ली वित्तीय संकट की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वित्तीय समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठन

1359. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास कितने महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठन पंजीकृत हैं और इन संगठनों के कार्यकलाप क्या है;

(ख) क्या सरकार स्वरोजनार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सरकारी आपूर्ति ठेके और आय प्रस्ताव देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन ठेकों को देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) महिला और बाल विभाग में स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग में इस प्रकार की कोई योजना अथवा कार्यक्रम नहीं है, जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सप्लाई ठेके दिए जाते हों। फिर भी, महिलाओं के लिए रोजगार, जिसमें स्वरोजगार भी शामिल है, उपलब्ध कराने हेतु रोजगार-सह-आयोत्पादक एकक स्थापित करने की योजना रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप) योजना तथा महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विदेशी सहायता से शैक्षणिक परियोजनाएं

1360. **श्री शंकर सिंह बाघेला :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्षीय धन व्यवस्था द्वारा विदेशी सहायता से बहुत-सी शैक्षणिक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए विदेशी धन प्राप्त करने हेतु क्या क्या शर्तें हैं; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं में रुचि लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विपक्षीय धन व्यवस्था से कार्यान्वित की जा रही मुख्य शैक्षिक परियोजनायें हैं : कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्य में महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम, जिसे डच सहायता से चलाया जा रहा है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बुनियादी शिक्षा परियोजना जिसे क्रमश: स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथार्टी और ओवरसीज डेवलपमेंट अथार्टी, यू० के० की सहायता से चलाया जा रहा है। यह सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार को दी जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शिक्षा में सहभागिता और कोटि में सुधार करना है।

सामाजिक वानिकी के अंतर्गत यूकलिप्टस के पेड़ लगाना

1361. **डा० सुधीर राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 90 प्रतिशत यूकलिप्टस के पेड़ लगाये गए हैं और उनमें से लगभग सभी शहरी औद्योगिक केन्द्र में उपजाऊ कृषि भूमि पर लगाये गये हैं;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी आई है, कृषि रोजगार में गिरावट आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन चारा और उर्वरक का संकट बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारी उपाय किये गए थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत यद्यपि यूकलिप्टस एक लोकप्रिय प्रजाति रही है तो भी देश के विभिन्न भागों में कैजूरीना, सुबबूल, बबूल, अकेसिया तथा अन्य प्रजातियों का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस बात का कोई आधार नहीं है कि यूकलिप्टस के रोपण से खाद्य पदार्थों की भारी कमी आई है, कृषि रोजगार में गिरावट आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन, चारा तथा उर्वरक का संकट बढ़ा है।

कलकत्ता में यूनानी डिस्पेंसरी

1362. **श्री अमर राय प्रधान** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित यूनानी डिस्पेंसरी/एकक संपूर्ण देश में एकमात्र ऐसी एकक है जो प्रारम्भ से ही केवल एक चिकित्सक से कार्य चला रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा वहां दूसरा चिकित्सक नियुक्त करने के आदेश कई बार जारी किए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आदेश लागू न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता के अन्तर्गत यूनानी यूनिट के लिए यूनानी चिकित्सकों के दो पद सृजित किए गये थे। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से दो चिकित्सकों का चयन किया गया था लेकिन केवल एक चिकित्सक ने ही पदभार ग्रहण किया। वह भी कुछ दिनों तक ड्यूटी पर उपस्थित रहा और 6 दिन के आकस्मिक अवकाश पर चला गया। काफी प्रयास करने के बावजूद भी वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ। उसके पश्चात् तदर्थ आधार पर चिकित्सकों को नियुक्त करने के प्रयास किए गए लेकिन केवल एक चिकित्सक ने ही कार्यभार ग्रहण किया जो कार्यरत है। यूनानी चिकित्सकों का चुनाव करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को एक मांग पत्र भेजा गया है।

खाद्य वस्तुओं पर राजसहायता

1363. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : **क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बढ़ते हुए दबाव के कारण सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर दी जा रही राजसहायता की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है :

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या खाद्य वस्तुओं पर राजसहायता की मात्रा में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस अतिरिक्त सुविधा से आम उपभोक्ता को क्या लाभ मिलेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां। खाद्य राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक प्रमुख मापदण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए केन्द्रीय पूल से अनाजों के उठान की मात्रा होता है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खाद्यान्नों के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्मुक्त की गई राजसहायता की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

1987-88	2,000.00
1988-89	2,200.00
1989-90	2,432.00
1990-91	2,142.00
1991-92	2,850.00

(ग) और (घ) जब तक खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य उतने ही रहते हैं तब तक उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके विपरीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन और अधिक उपभोक्ता लाए जाएंगे।

अध्यापकों के लिए पेंशन योजना

1364. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए पेंशन योजना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पेंशन देने के लिए कितनी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, सहायता-प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए, पेंशन योजना पहले ही प्रचलन में है। गैर-सहायता-प्राप्त मान्यता-प्राप्त स्कूलों में, जहां पेंशन योजना प्रचलन में नहीं है, वहां अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान (ग्रेच्युटी) योजना विद्यमान है।

(ख) और (ग) न्यूनतम अपेक्षित सेवा सहित पेंशन नियम वही हैं, जो सरकारी शिक्षकों

सहित, सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। पेंशन-सम्बन्धी लाभों के लिए, पात्र होने हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अपेक्षित है।

[हिन्दी]

बिहार में रहस्यमय रोग

1365. **श्री एन० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने बिहार में व्याप्त कालाजार फाइलेरिया रोगों के बार-बार होने के संबंध में अध्ययन करने के लिए उस राज्य का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने हाल में बिहार में हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले रहस्यमय रोग का पता लगाने के लिए भी कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिपद की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक संस्था राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज कालाजार के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिसमें इस रोग के नियंत्रण, रोक और उपचार पर विशेष बल दिया जाता है। यह संस्थान मरूमक्षिमाओं की जातियों का चयन मौसमी व्याप्तता, कीटनाशी सुग्राहयता परीक्षण आदि जैसे रोगाणु अध्ययन में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त कालाजार-रोधी औषधों के मिश्रणों पर सीमित नैदानिक परीक्षण भी किए जा रहे है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पटना में फाइलेरिया से सम्बन्धित कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विषाणुज रोग संस्थान, पुणे के डाक्टरों के एक दल ने अगस्त, 1992 में इस तथाकथित रहस्यमय बीमारी के प्रकोप की जांच करने के लिए अगस्त, 1992 में पटना का दौरा किया जब इस रोग की घटनाएं वहां पर हो रही थीं।

इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार पटना की 5 विभिन्न गंदी बस्तियों से कुल 50 मौतें सूचित की गई थीं। इनमें अस्सी प्रतिशत मौतें 17-19 अगस्त के बीच सूचित की गईं। ये मौतें 2-3 घंटे के अन्तर से हुईं। मृतकों और जीवित बचे रोगियों के पूर्व वृतान्त से उनके द्वारा अल्कोहल लिए जाने का पता चला। मृतकों के रिश्तेदारों में पता चला कि इन रोगियों को उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आने और अचेत होने से उनकी मृत्यु हुई थी। अधिकांश रोगियों को बुखार नहीं था। जो रोगी जीवित बचे वे पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनमें कोई अवशिष्ट/तंत्रिका सम्बन्धी शिकायतें/कमियां नहीं पाई गईं।

जिन क्लिनिशियनों ने इन रोगियों का इलाज किया था और जानपदिक रोग विज्ञान सम्बन्ध जांचें की थीं उनसे बात करने पर पता चला कि विषाक्त अल्कोहल के साथ टॉक्सिक एइटॉलॉजी के लक्षणों और विधियों के कारण मौतें हुईं।

(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप तेज कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मन्दिर का जार्णोद्धार

1366. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से हनमकोंडा वारंगल स्थित हजार खम्भों वाले मंदिर के जर्णोद्धार के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा : (क) जी, हां।

(ख) हनमकोंडा स्थित हजार-खम्भों वाले मन्दिर के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, वे उसके संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिक्षण, पर्यावरणिक विकास, बाढ़/सुरक्षा प्रकाशों का व्यवस्था और प्रसाधन का सुविधाओं से सम्बन्धित हैं।

(ग) अधिकांश सुझावों के कार्यान्वियन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहले ही कदम उठाए गए हैं।

गंगा सफाई योजना हेतु धनराशि

1367. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में गंगा सफाई योजना को कार्यान्वित करने हेतु और अधिक धन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक स्कीम की संस्वीकृति एवं आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि दी जाती है।

रोटेगांव और कोपरगांव के बीच रेल संपर्क

1368. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में मनमाड डोंड रेल लाइन के रोटेगांव स्टेशन से मध्य रेलवे

में मनमाड-डौंड रेल लाइन पर कोपरगांव तक सीधी रेल लाइन बिछाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रो० राम कापसे और श्री प्रमोद महाजन संसद सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

पुरी और भुवनेश्वर स्थित टर्मिनल

1369. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी और भुवनेश्वर स्थित वर्तमान कोच टर्मिनल के विस्तार का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उसे उपरोक्त रेलवे स्टेशनों से चलने वाली यात्री गाड़ियों की बढ़ती संख्या के अनुकूल बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तितिलागढ़ में उपरि पुल

1370. **श्री सुबास चन्द्र नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तितिलागढ़ में एक सड़क उपरि पुल का निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) प्रत्याशित लागत 353.14 लाख रुपये है। 1992-93 के लिये परिव्यय 10 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) अनुमान स्वीकृत हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों पर काम करना शुरू कर दिए जाने पर तत्काल इस काम को शुरू कर दिया जाएगा।

पुस्तकालय और सूचना प्रणालियां

†1371. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री आर्य कनौजिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान पुस्तकालयों का दर्जा बढ़ाने के क्षेत्र में तथा सभी स्तरों पर पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण तथा प्रबोधन कार्यक्रमों को अपनाने के लिए कदम उठाये हैं जिससे कि उनको देश में शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुस्तकालय के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्ध नेटवर्कों के माध्यम से बहु-स्तरीय सम्पर्क स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पुस्तकालय अपनी सबंधित संस्थाओं/संगठनों/विभागों/मन्त्रालयों के स्वतंत्र नियंत्रण के अधीन होते हैं। कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है, जिसका सभी पुस्तकालयों पर पूर्ण नियंत्रण हो। पुस्तकालयों के विकासात्मक कार्यकलाप सम्बन्धित मूल संगठनों द्वारा किए जाते हैं। कई पुस्तकालयों ने अपने हाउस कीपिंग कार्यों में और स्वचालन के विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटरीकरण शुरू कर दिया है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही, किसी पुस्तकालय को पुस्तकालय नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इस समय, पुस्तकालय के तीन नेटवर्क अर्थात् इनफिलबनेट, डेलनेट और कालिबनेट कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) अलग-अलग पुस्तकालयों के सम्बन्ध में प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

भारत में पुस्तकालय-नेटवर्क से सम्बन्धित स्थिति

इनफिलबनेट —विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है, जिसमें संसाधन भागीदारी के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और शोध संगठनों के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना को "इनफिलबनेट" के रूप में जाना जाता है और इसके लिए एक निदेशक और आवश्यक कर्मचारीगण नियुक्त किये गये हैं। इस परियोजना को अन्तर्विश्वविद्यालय खगोल-विज्ञान और खगोल-भौतिकशास्त्र केन्द्र, पुणे का अंग बना दिया गया है। वर्ष 1991-92 में पूरे किए गए इस कार्य में संपूर्ण नेटवर्क के लिए "सिस्टमडिजाइन' और अभिविन्यास लगभग 90 विश्वविद्यालय-पुस्तकालयों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, कंप्यूटर प्रणाली के अभिविन्यास से संबंधित दस्तावेज को तैयार करना और कार्यक्रम के परीक्षण के रूप में अहमदाबाद पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना से संबंधित कार्य प्रारंभ करना शामिल है।

कालिबनेट —कलकत्ता पुस्तकालय नेटवर्क (कालिबनेट) का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है। कालिबनेट के चरण 1 के दौरान, जादवपुर विश्वविद्यालय के नेटवर्क सेवा केंद्र और

सात सहभागी पुस्तकालय/सूचना केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। आवश्यक हार्डवेयर प्राप्ति, सॉफ्टवेयर विकास और स्थल की तैयारी का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली (निसात) ने क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र, कलकत्ता और भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र (इंसडोक) के कलकत्ता क्षेत्रीय केंद्र के सहयोग से कालिबनेट के लिए जन-शक्ति के विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

डेलनेट—कालिबनेट के आधार पर दिल्ली के लगभग 30 पुस्तकालयों के लिए दिल्ली पुस्तकालयों नेटवर्क (डेलनेट) की स्थापना की कल्पना की गयी है। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, सी० एम० सी० लिमिटेड ने व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। लगभग 10 पुस्तकालय/सूचना केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक मेल से जोड़ने के लिए डेलनेट चरण-0 अब शुरू किया जा चुका है।

इन नेटवर्कों के माध्यम से बहुस्तरीय सम्पर्क स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

शैक्षिक प्रणाली के सर्वेक्षण

1372. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने देश में शैक्षिक पद्धति के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) प्रथम अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण वर्ष 1957 में तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। तब तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना नहीं हुई थी। इसके बाद का सर्वेक्षण दूसरा (1965), तीसरा (1973), चौथा (1978) और पांचवां (1986) रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला में नवीनतम पांचवा सर्वेक्षण है जिसकी संदर्भ तिथि 30-9-1986 है।

(ख) पांचवें सर्वेक्षण के परिणामों में स्कूल शिक्षा के निम्नलिखित पहलू शामिल किए गए हैं :

(i) दूरस्थ, खासतौर से ग्रामीण बस्तियों और मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता।

(ii) आमतौर पर सामान्य कोटि के और खासतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों तथा बालिकाओं का नामांकन।

(iii) स्कूल भवन, खेल के मैदान, पेय जल, फर्नीचर जैसी मौलिक सुविधाओं और डाक्टरी जांच तथा प्रोत्साहन स्कीमों की सुविधाओं की उपलब्धता।

(iv) ब्लैक बोर्ड, चाक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और पाठ्यपुस्तक बैंक की उपलब्धता।

(v) शिक्षकों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता।

(ग) और (घ) पांचवां सर्वेक्षण केवल स्तर संबंधी अध्ययन है और इसमें सरकार द्वारा निश्चित समय में कार्यान्वित किए जाने के लिए कोई सिफारिश नहीं है। इसलिए पांचवें सर्वेक्षण के परिणामों को कार्यान्वित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पतालों में भौतिक चिकित्सक तथा पेशीय चिकित्सक

1373. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 21 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के भौतिक चिकित्सकों तथा पेशीय चिकित्सकों की एसोसिएशन से जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनके लिए कनिष्ठ तथा वरिष्ठ स्तर के श्रेणी-एक के पदों का कब तक सृजन करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोदामों की भंडारण क्षमता

1374. **श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय एजेंसियों तथा अर्ध-सरकारी संगठनों के गोदामों/माल गोदामों की संख्या क्या है, उनकी भंडारण क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें कितना-कितना बफर स्टाफ रखा गया तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना स्टाक रखे जाने की संभावना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इन गोदामों के रख-रखाव पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ग) गोदामों में दोषपूर्ण भंडारण के कारण कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या नुकसान के कारणों का पता लगाया गया है/सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) आठवीं योजना-अवधि के दौरान गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए कितनी

भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी तथा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) एक विवरण (विवरण-1) संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च को स्थिति के अनुसार अन्य केन्द्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों और राज्य सरकार की एजेंसियों तथा अन्यों से किराए पर लिए गए गोदामों सहित भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। एक विवरण (विवरण-2) संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च को स्थिति के अनुसार और वर्तमान वर्ष के दौरान 30-6-1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास क्षमताओं और स्टाक का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गोदामों, तौल सेतुओं, रेलवे साइडिंग आदि की मरम्मत और अनुरक्षण पर निम्नानुसार कुल खर्च किया गया :

वर्ष	अनुरक्षण लागत (लाख रुपये में)
1989-90	904.85
1990-91	990.48
1991-92	1187.98

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खाद्यान्नों का भण्डारण किया जाता है। खाद्यान्नों को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है। तथापि, वर्षा, बाढ़ों, चक्रवातों आदि जैसे नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों का कुछ स्टाक क्षतिग्रस्त हो जाता है जोकि 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गए औसत स्टाक का केवल क्रमश: 0.30%, 0.17% और 0.16% बैठता है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय उपलब्ध क्षमता और भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन राज्यों में आठवीं योजनावधि के दौरान निर्मित की जाने वाली अनन्तिम रूप से प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता निम्नानुसार है :

राज्य	30-6-1992 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध क्षमता (लाख मी० टन में)	आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता (लाख मी० टन में)
गोवा	0.17	0.10
महाराष्ट्र	14 81	0.50
मध्य प्रदेश	10.69	0.23

विवरण-I (क)

31-3-1990 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपने और किराए के/ढके हुए और कैंप) की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भा०खा०नि० के अपने	ढके हुए गोदाम निम्न से किराए पर लिए गए: राज्य सरकार	के० भं० नि०	रा० भं० नि०	प्राइवेट पार्टियां	जोड़ (किराए के) (4 से 7)	जोड़ (अपने और किराए के) (3+8)	कैंप (खुले) गोदाम: अपने	किराए के	जोड़	कुल जोड़ (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	एन० ई० एफ० जोन											
1.	असम (व० क्षे० प्र०)	18	2	1	3	21	27	45	—	—	—	45
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—असम	21	2	1	3	21	27	48	—	—	—	48
3.	एन० ई० एफ० क्षेत्र											
	(क) त्रिपुरा	1	4	1	—	1	6	7				7
	(ख) मणिपुर	2	1	—	—	—	1	3				3
	(ग) नागालैण्ड	3	1	1	—	—	2	5				5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(घ) मिजोरम	2	—	—	—	1	1	3				3
	(ङ) मेघालय	2	2	—	—	1	3	5				5
जोड़—एन० ई० एफ० क्षेत्र		10	8	2	—	3	13	23				23
जोड़—एन० ई० एफ० जोन		31	10	3	3	24	40	71	—	—	—	71
II. पूर्वी जोन												
	4. बिहार	19	2	9	7	33	51	70	—	—	—	70
	5. उड़ीसा	20	2	3	9	3	17	37	—	—	—	37
	पश्चिम बंगाल											
	6. पश्चिम बंगाल (व० क्षे० प्र०)	18	39	6	5	66	116	134	—	—	—	134
	7. सं० प्र० (पी० ओ०) कलकत्ता	7	1	—	—	1	2	9	—	—	—	9
जोड़—पश्चिम बंगाल		25	40	6	5	67	118	143	—	—	—	143
	8. सिक्किम	1	2	—	—	—	2	3	—	—	—	3
जोड़—पूर्वी जोन		65	46	18	21	103	188	253	—	—	—	253

III. उत्तरी जोन											
9. दिल्ली	7	—	3	—	1	4	11	3	—	3	14
10. हरियाणा	37	3	4	10	27	44	81	23	—	23	104
11 हिमाचल प्रदेश	1	13	2	—	2	17	18	—	—	—	18
12. जम्मू तथा कश्मीर	6	4	—	—	—	4	10	2	—	2	12
13. पंजाब	104	8	8	27	77	120	224	71	45	116	340
14. चण्डीगढ़	4	1	2	—	—	3	7	2	1	3	10
15. राजस्थान	35	—	2	22	1	25	60	9	5	14	74
16. उत्तर प्रदेश	48	16	21	25	39	101	149	26	6	32	181
जोड़—उत्तरी जोन	242	45	42	84	147	318	560	136	57	193	753
IV. दक्षिणी जोन											
आन्ध्र प्रदेश											
17. आंध्र प्रदेश (व० क्षे० प्र०)	33	—	25	11	13	49	82	—	—	—	82
18. सं० प्र० (पी० ओ०) विजाग	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
जोड़—आंध्र प्रदेश	34	—	25	11	13	49	83	—	—	—	83
19. केरल	20	3	—	1	10	14	34	—	—	—	34
20. कर्नाटक	10	—	5	20	7	32	42	7	—	7	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	तमिलनाडु											
	21. तमिलनाडु (क० क्षे० प्र०)	15	1	7	2	—	10	25	2	—	2	27
	22. सं० प्र० (पी० ओ०), मद्रास	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	जोड़—तमिलनाडु	16	2	7	2	—	11	27	2	—	2	29
	23. पांडिचेरी	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—दक्षिणी जोन	83	5	37	34	30	106	189	9	—	9	198
V.	पश्चिमी जोन											
	गुजरात											
	24. गुजरात (व० क्षे० प्र०)	11	4	8	—	4	16	27	1	1	2	29
	25. सं० प्र० (पी० ओ०) कांडला	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
	जोड़—गुजरात	13	4	8	—	4	16	29	1	1	2	31
	26. महाराष्ट्र	15	2	2	—	5	9	24	—	—	—	24
	27. गोआ	1	4	—	—	—	4	5	—	—	—	5
	28. मध्य प्रदेश	41	7	10	40	13	70	111	3	1	4	115
	जोड़—पश्चिमी जोन	70	17	20	40	22	99	169	4	2	6	175
	कुल जोड़ : (अखिल भारत)	491	123	120	182	326	751	1242	149	59	208	1450

विवरण—I (ख)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भा०खा० नि० के अपने	ढके हुए गोदाम निम्न से किराए पर लिए गए राज्य सरकार	के०भं० नि०	रा०भा० नि०	प्राइवेट पार्टियां	जोड़ (किराए के) (4 से 7)	जोड़ (अपने और किराए के) (3+8)	कैप (खुले) गोदाम अपने	किराए के	जोड़	कुल जोड़ (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	एन०ई०एफ० जोन असम क्षेत्र											
1.	असम (मे०को०प्र०)	18	3	—	3	21	27	45	—	—	—	45
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—असम	21	3	—	3	21	27	48	—	—	—	48
3.	एन०ई०एफ० क्षेत्र											
(क)	त्रिपुरा	1	4	1	—	1	6	7	—	—	—	7
(ख)	मणिपुर	2	1	—	—	—	1	3	—	—	—	3
(ग)	नागालैंड	3	1	1	—	—	2	5	—	—	—	5
(घ)	मिजोरम	2	—	—	—	1	1	3	—	—	—	3
(ङ)	मेघालय	2	2	—	—	2	4	6	—	—	—	6
	जोड़—एन०ई०एफ० क्षेत्र	10	8	2	—	4	14	24	—	—	—	24
	जोड़—एन०ई०एफ० जोन	31	11	2	3	25	41	72	—	—	—	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	पूर्वी जोन											
4.	बिहार	19	2	7	5	28	42	61	—	—	—	61
5.	उड़ीसा	20	1	5	14	3	23	43	—	—	—	43
	पश्चिम बंगाल											
6.	पश्चिम बंगाल (व०क्षे०प्र०)	19	31	3	4	59	97	116	—	—	—	116
7.	सं०प्र० (पीओ), कलकत्ता	7	1	—	—	1	2	9	—	—	—	9
	जोड़—पश्चिम बंगाल	26	32	3	4	60	99	125	—	—	—	125
8.	सिक्किम	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	जोड़—पूर्वी जोन	66	36	15	23	91	165	231	—	—	—	231
III.	उत्तरी जोन											
9.	दिल्ली	7	—	3	—	1	4	11	3	—	3	14
10.	हरियाणा	37	4	5	19	28	56	93	23	5	28	121
11.	हिमाचल प्रदेश	2	12	2	—	2	16	18	—	—	—	18
12.	जम्मू तथा कश्मीर	8	4	—	—	—	4	12	2	—	2	14
13.	पंजाब (व०क्षे०प्र०)	104	14	9	37	88	148	252	74	54	128	380
14.	चंडीगढ़	4	1	2	1	—	4	8	2	4	6	14

15.	राजस्थान	35	—	3	28	6	37	72	9	4	13	85
16.	उत्तर प्रदेश	49	23	23	34	32	112	161	25	12	37	198
	जोड़—उत्तरी जोन	246	58	47	119	157	381	627	138	79	217	844
IV.	दक्षिणी जोन											
	आन्ध्र प्रदेश											
17.	आन्ध्र प्रदेश (व०क्षे०प्र०)	33	—	41	78	42	161	194	—	—	—	194
18.	सं०प्र० (पीओ), विभाग	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	जोड़—आन्ध्र प्रदेश	34	—	41	78	42	161	195	—	—	—	195
19.	केरल	20	3	—	1	10	14	34	—	—	—	34
20.	कर्नाटक	10	—	7	31	6	44	54	6	—	6	60
	तमिलनाडु											
21.	तमिलनाडु (व०क्षे०प्र०)	16	1	6	6	—	13	29	2	—	2	31
22.	सं०प्र० (पीओ), मद्रास	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	जोड़—तमिलनाडु	17	2	6	6	—	14	31	2	—	2	33
23.	पांडिचेरी	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—दक्षिणी जोन	81	5	54	116	58	233	317	8	—	8	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V—पश्चिमी जोन												
	गुजरात											
24.	गुजरात (व०क्षे०प्र०)	11	3	8	1	9	21	32	2	4	6	38
25.	के०प्र० (वि०जो०), कांडला	2	—	1	—	—	1	3	—	—	—	3
	जोड़—गुजरात	13	3	9	1	9	22	35	2	4	6	41
26.	महाराष्ट्र	15	2	7	7	5	21	36	—	—	—	36
27.	गोआ	1	4	1	—	—	5	6	—	—	—	6
28.	मध्य प्रदेश	41	8	12	43	19	82	123	—	1	1	124
	जोड़—पश्चिम ज़ोन	70	17	29	51	33	130	200	2	5	7	207
	कुल जोड़ (अखिल भारत)	497	127	147	312	364	950	1447	148	84	222	1679

विवरण I (ग)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भा०खा० नि० के अपने	ढके हुए निम्न से किराए पर लिए गए: राज्य सरकार	के०भ० नि०	रा०भा० नि०	प्राइवेट पार्टियां	जोड़ (किराए के) (4 से 7)	जोड़ (अपने और किराए के) (3+8)	कैंप: अपने	किराए के	जोड़	कुल जोड़ (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. एन०ई०एफ० जोन											
	असम क्षेत्र											
1.	असम (ब०क्षे०प्र०)	18	2	—	2	19	23	41	—	—	—	41
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—असम	21	2	—	2	19	23	23	—	—	—	44
3.	एन० ई० एफ० क्षेत्र											
	(क) त्रिपुरा	1	5	1	—	1	7	8	—	—	—	8
	(ख) मणिपुर	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
	(ग) नागालैण्ड	3	1	1	—	—	2	5	—	—	—	5
	(घ) मिजोरम	2	—	—	—	1	1	3	—	—	—	3
	(ङ) मेघालय	2	3	1	—	—	4	6	—	—	—	6
	जोड़—एन०ई०एफ० क्षेत्र	10	9	3	—	2	14	24	—	—	—	24
	जोड़—एन०ई०एफ० जोन	31	11	3	2	21	37	68	—	—	—	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. पूर्वी जोन											
4.	बिहार	19	2	7	5	28	42	61	—	—	—	61
5.	उड़ीसा	20	1	4	11	3	19	39	—	—	—	39
	पश्चिम बंगाल क्षेत्र											
6.	पश्चिम बंगाल (व०क्षे०प्र)	19	27	3	4	56	90	109	—	—	—	109
7.	सं०प्र० (पीओ), कलकत्ता	7	1	—	—	1	2	9	—	—	—	9
	जोड़—पश्चिम बंगाल	26	28	3	4	57	92	118	—	—	—	118
8.	सिक्किम	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	जोड़—पूर्वी जोन	66	32	14	20	88	154	220	—	—	—	220
	III. उत्तरी जोन											
9.	दिल्ली	7	—	1	—	—	1	8	3	—	3	11
10.	हरियाणा	37	1	6	13	28	48	85	23	1	24	109
11.	हिमाचल प्रदेश	2	12	2	—	2	16	18	—	—	—	18
12.	जम्मू तथा कश्मीर	8	4	—	—	—	4	12	2	—	2	14

	पंजाब क्षेत्र											
13.	पंजाब (व०क्षे०प्र०)	104	16	11	43	83	153	257	74	38	112	369
14.	चंडीगढ़	4	3	2	2	—	7	11	2	1	3	14
	जोड़—पंजाब	108	19	13	45	83	160	268	76	39	115	383
15.	राजस्थान	35	—	3	20	2	25	60	9	—	9	69
16.	उत्तर प्रदेश	50	17	20	28	30	95	145	25	7	32	177
	जोड़—उत्तरी जोन	247	53	45	106	145	349	596	138	47	185	781
	IV. दक्षिणी जोन											
	आन्ध्र प्रदेश											
17.	आन्ध्र प्रदेश (व०क्षे०प्र०)	33	—	33	39	20	92	125	—	—	—	125
18.	सं०प्र० (पीओ), विभाग	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	जोड़—आन्ध्र प्रदेश	34	—	33	39	20	92	126	—	—	—	126
19.	केरल	20	3	1	1	10	15	35	—	—	—	35
20.	कर्नाटक	10	—	6	19	6	31	41	4	—	4	45
	तमिलनाडु क्षेत्र											
21.	तमिलनाडु (व०क्षे०प्र०)	16	1	6	3	—	10	26	2	—	2	28
22.	सं०प्र० (पीओ), मद्रास	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	जोड़—तमिलनाडु	17	2	6	3	—	11	28	2	—	2	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	पांडिचेरी	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—दक्षिणी जोन	84	5	46	62	36	149	233	6	—	6	239
	V पश्चिमी जोन											
	गुजरात क्षेत्र											
24.	गुजरात (व०क्षे०प्र०)	11	2	7	2	5	16	27	3	—	3	30
25.	सं०प्र० (पीओ), कांडला	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
	जोड़—गुजरात	13	2	7	5	5	16	29	3	—	3	32
	महाराष्ट्र क्षेत्र											
26.	महाराष्ट्र (व०क्षे०प्र०)	15	2	6	11	5	24	39	1	—	1	40
27.	गोआ	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2
	जोड़—महाराष्ट्र	16	2	7	11	5	24	41	1	—	1	42
28.	मध्य प्रदेश	40	6	12	42	16	76	116	1	1	2	118
	जोड़—पश्चिमी जोन	69	10	26	55	26	117	186	5	1	6	192
	कुल जोड़ (अखिल भारत)	497	111	133	245	317	806	1303	149	48	197	1500

विवरण-II

प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों की संख्या, उनकी क्षमता और उनमें रखे गए स्टाक के ब्यौरे बताने वाला विवरण

(क्षमता/स्टाक लाख मीटरी टन में)

	31-3-1990 को			31-3-1991 को			31-3-1992 को			31-3-1993 को		
	गोदामों की संख्या	क्षमता	स्टाक	गोदामों की संख्या	क्षमता	स्टाक	गोदामों की संख्या	क्षमता	स्टाक	गोदामों की संख्या	क्षमता	स्टाक
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. अरुणाचल प्रदेश	3	0.15	0.04	3	0.15	0.04	3	0.15	0.04	3	0.15	0.04
2. आंध्र प्रदेश	83	14.99	9.90	195	23.93	22.68	126	16.99	8.84	113	15.55	9.63
3. असम	45	2.98	0.96	45	2.88	1.55	41	2.80	1.01	44	2.81	1.63
4. बिहार	70	6.64	2.57	61	6.41	2.61	61	6.40	1.56	61	6.39	2.27
5. गोवा	5	0.24	0.08	6	0.28	0.15	2	0.16	0.07	2	0.17	0.08
6. गुजरात	31	6.53	4.33	41	9.04	6.55	32	7.64	3.99	31	7.66	4.35
7. हरियाणा	104	15.28	6.41	121	15.93	6.70	109	15.58	5.73	106	15.41	6.64
8. हिमाचल प्रदेश	18	0.23	0.14	18	0.25	0.08	18	0.28	0.13	18	0.28	0.17
9. जम्मू तथा कश्मीर	12	0.85	0.80	14	0.95	0.37	14	0.93	0.32	14	0.93	0.34
10. कर्नाटक	49	3.47	0.86	60	3.99	2.59	45	3.12	1.21	40	3.27	1.74
11. केरल	34	5.20	1.89	34	5.35	3.31	35	5.47	4.02	33	5.38	3.59

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. मध्य प्रदेश	115	11.19	5.81	124	13.47	10.76	118	11.23	7.34	109	10.69	6.05
13. महाराष्ट्र	24	13.96	5.15	36	14.99	7.22	40	14.96	5.15	32	14.81	5.66
14. मणिपुर	3	0.19	0.005	3	0.14	0.01	2	0.12	0.06	3	0.14	0.06
15. मेघालय	5	0.19	0.07	6	0.21	0.04	6	0.21	0.06	6	0.21	0.05
16. मिजोरम	3	0.13	0.02	3	0.12	0.04	3	0.12	0.002	4	0.13	0.03
17. नागालैंड	5	0.13	0.03	5	0.16	0.02	5	0.18	0.12	6	0.18	0.07
18. उड़ीसा	37	3.52	2.86	43	3.83	2.89	39	3.72	2.62	41	3.75	2.47
19. पंजाब	340	48.83	27.74	380	54.22	36.44	369	51.33	36 96	352	48.91	35.17
20. राजस्थान	74	10.18	4.47	85	12.06	9.63	69	8.01	2.16	69	8.11	2.20
21. सिक्किम	3	0.08	0.02	2	0.07	0.05	2	0.07	0.05	2	0.07	0 02
22. तमिलनाडु	29	6.67	2.15	33	6.90	3.68	30	6.80	2.07	30	6.62	2.86
23. त्रिपुरा	7	0.28	0.13	7	0.38	0.17	8	0.40	0.12	9	0.40	0.16
24. उत्तर प्रदेश	181	25.91	11.92	198	26.99	15.94	177	25.20	10.77	180	25.68	11.78
25. पश्चिम बंगाल	143	13.60	5.38	125	13.06	4.49	118	12.80	5.13	117	12.77	4.95
26. चण्डीगढ़	10	0.60	0.32	14	0.54	0.48	14	0.66	0.42	11	0.57	0.23
27. दिल्ली	14	4.31	3.04	14	4.37	2.12	11	3.91	1.93	11	3.96	1.67
28. पाण्डिचेरी	3	0.41	0.06	3	0.41	0.10	3	0.41	0.09	3	0.41	0.19
जोड़	1450	196.74	97.16	1679	221.08	143.71	1500	199.65	101.97	1450	195.41	104.10

विवरण-III

भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय।

(1) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण किया जाता है और चूहों और जन्तुओं पर नियन्त्रण पाने के लिए नियमित रूप से कीट नियन्त्रण उपाय किए जाते हैं।

(2) मानसून से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी के रिसाव को रोकने के लिए गोदामों की मरम्मत की जाती है।

(3) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाते हैं।

(4) भण्डारण गोदाम आधुनिक पद्धति से बनाए जाते हैं ताकि वे मूषक प्रूफ और नमी प्रूफ हों।

(5) सभी स्तरों पर अनाजों को सावधानीपूर्वक सम्भालने पर जोर दिया जाता है। श्रमिकों को छोटे आकार के हुकों का इस्तेमाल करने के लिए राजी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि अनाज के बिखरने से होने वाली क्षति को कम-से-कम किया जा सके। रेलवे द्वारा निर्धारित पैंकिंग की शर्तों और विशेष रूप से बोरियों की सिलाई और चिह्नन से सम्बन्धित शर्तों के सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करने पर जोर दिया जाता है और उनके अनुपालन पर निगरानी रखी जाती है। खाद्यान्नों की बोरियों का पल्ले वाले दरवाजों से दूर लदान करने पर जोर दिया जाता है ताकि रास्ते में वर्षा के कारण होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(6) खुले में भण्डारित स्टाक के मामले में, खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित और उपाय किए जाते हैं :

(क) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेष रूप से तैयार की गई वाटर प्रूफ पोलोथीन की चादरों से ढका जाता है।

(ख) तूफान के दौरान पोलोथीन की चादरों के उड़ने से होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए पोलोथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की गई हैं।

(ग) मौसम की अनिश्चितता से खाद्यान्नों की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैम्प काम्प्लेक्सों में मोनाफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी मुहैया किए गए हैं।

(घ) पोलीथीन की चाद्ररों को आवधिक रूप से बदला जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाजों की हमेशा अत्यधिक सुरक्षा की जाती रहे।

(ङ) अनाज को अच्छी हालत में रखने के लिए साफ मौसम के दौरान स्टाक का खुले में वातन किया जाता है।

[अनुवाद]

राजस्थान के विश्वविद्यालयों को अनुदान

1375. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये विशेष अनुदान (योजनागत और गैर योजनागत) की राशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्हें और अन्य विश्वविद्यालयों को किस-किस प्रयोजन हेतु अनुदान दिया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कितनी विशेष योजनायें स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए लम्बित पड़ी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग पुस्तकों की खरीद, पत्रिकाओं और उपस्कर, स्टाफ की भर्ती, भवनों और छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को योजनागत अनुदान प्रदान करता है। आयोग विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान दिए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में विभिन्न पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए गये थे :

(रु० लाखों में)

संस्था	सातवीं योजना अवधि के दौरान दिया गया कुल अनुदान	
	योजनेत्तर	योजनागत
विश्वविद्यालय	61.58	1137.74
कालेज	3.24	600.06

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष सहायता के लिए राजस्थान में विश्वविद्यालयों और कालेजों से वि० अ० आ० द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और प्रत्येक प्रस्ताव को उनकी योग्यता के आधार पर संस्वीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

संस्कृत को प्रोत्साहन

1376. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत की विकास और प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्कृत के छात्रों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा संस्कृत की शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित सभी योजनाएं/कार्यक्रम, संस्कृत छात्रों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा, संस्कृत शिक्षकों के रूप में और केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्तियों के प्रयोजनार्थ विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित संस्कृत परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार समय-समय पर आदेश जारी करती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं, सरकारी माध्यम से संस्कृत पढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

संस्कृत के विकास तथा प्रोत्साहन देने के लिए, निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं :

(1) संस्कृत के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय-अनुदान।

(2) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय अनुदान।

(3) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता।

(4) संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता।

(5) दुर्लभ पाण्डुलिपियों की खरीद तथा प्रकाशन के अलावा संस्कृत-साहित्य के सृजन के लिए वित्तीम सहायता।

(6) पुरालेखशास्त्र तथा प्रतिमा-विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक विषयों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(7) वेदमन्त्रों के गायन (स्तुति) की मौखिक परम्परा का परिरक्षण।

(8) अखिल भारतीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता तथा वेद सम्मेलन का आयोजन।

(9) वैदिक अक्षय निधि।

(10) संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान-प्रमाणपत्र पुरस्कार।

(11) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधीन स्थापित एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय सस्कृत संस्थान, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है तथा सात केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ चलाता है।

(12) पारम्परिक तथा वेद-शिक्षा के विकास के लिए, इस मन्त्रालय के अधीन, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को, एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना की गई है।

(13) भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड स्थापित किया गया है ताकि यह बोर्ड संस्कृत शिक्षा के विकास से सम्बन्धी नीति-विषयों पर भारत सरकार को सलाह दे सके। इस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तथा इसे पुनर्गठित किया जा रहा है।

अकादमिक कैलण्डर-1

1377. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अकादमिक कैलंडर को लागू किया है; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक वर्ष 1990-91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वियन के लिए जुलाई, 1989 में एक माडल शैक्षिक कैलेण्डर परिचालित किया था। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यद्यपि मगध विश्वविद्यालय शैक्षिक कैलेण्डर अपनाने पर सहमत हो गया है, तथापि बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी है। आयोग शैक्षिक कैलेण्डर कार्यान्वित करने के लिए इस मामले पर राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से बातचीत कर रहा है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय भवनों का निर्माण

1378. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा में कोंकोना और वालपोई में नवोदय विद्यालय भवनों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी;

(घ) इस पर अब तक कितनी धन-राशि जारी की गई है; और

(ङ) वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों स्थानों पर स्कूल पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं। विद्यालयों के लिए भवन संस्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोंकोना	वालपोई
स्कूल-भवन	स्कूल भवन, रसोई और भोजन कक्ष
कर्मचारी-निवास	कर्मचारी निवास।

छात्रों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए, भवन स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) अब संस्वीकृत किए गए भवनों पर, किया जाने वाला संभावित व्यय, वालपोई के लिए, 80.20 लाख रु० तथा कोंकोना के लिए, 58.75 लाख रु० हैं। तथापि, प्रत्येक विद्यालय के लिए समग्र-परियोजना पर, कुल व्यय, लगभग 2.5 करोड़ रु० है।

(घ) प्रत्येक स्थान के लिए 20 लाख रु० मुक्त (रिलीज) किए गए हैं।

(ङ) इन निर्माण-कार्यों पर आज की तारीख तक खर्च की गई वास्तविक राशि, 12.00 लाख रुपये है।

मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1379. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार मिजोरम में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सहमत हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने मिजोरम राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई वचन नहीं दिया है।

केन्द्रीय विद्यालयों का रख-रखाव

1380. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के ठीक रख-रखाव न होने तथा इनकी सफाई व्यवस्था खराब होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्कूलों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में ठीक रख-रखाव न होने और उनकी सफाई व्यवस्था खराब होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) जब भी रख-रखाव की समस्याएं, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी०पी०डब्ल्यू०डी०)/एम० ई० एस० को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए निर्देश दिया जाता है। दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों की हालत में सुधार हेतु, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से, एक पृथक केन्द्रीय रख-रखाव प्रभाग, उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि

1381. **श्री विजय कुमार यादव** :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखा प्रभावित राज्यों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में राज्यवार तथा वस्तुवार कितनी-कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) क्या इस मद में बिहार राज्य को अब तक कोई विशेष कोटा नहीं दिया गया है?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) इस समय बिहार और आंध्र प्रदेश के कई भागों में सूखे की स्थिति चल रही है।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1992 से दिसम्बर, 1992 के तीन महीनों के लिए बिहार राज्य को प्रत्येक मास हेतु 10,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित की गई है। यह मात्रा बिहार राज्य के लिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इन महीनों के दौरान किए जा रहे 51,580 मीटरी टन गेहूं और 24,580 मीटरी टन चावल के सामान्य आवंटनों के अलावा है ।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीद हेतु खुली निविदायें

1382. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खरीद करने हेतु खुली निविदायें आमंत्रित करने की एक नई योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा;

(ग) नई योजना की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारां नई योजना को स्वीकार कर लिया गया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारियां करने हेतु खुले टैंडरों की नई योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्यान्नों की खरीद और सप्लाई

1383. **श्रीमती गिरजा देवी** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्यान्नों और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों का अनुपात कितना है;

(ख) आवश्यकतानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई के लिए प्रतिमाह कितना खाद्यान्न दिया जाता है;

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों को खरीद तथा उन्हें इसकी सप्लाई में अनुमानतः कितना अन्तर रहा;

(घ) क्या उत्पादन में स्थिरता तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों की कम खरीद किए जाने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्यान्नों और वसूल किए गए स्वदेशी खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया जाता हैं ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन केन्द्रीय

पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन केवल बाजार उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं और इनसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की समस्त मांग को पूरा करने की आशा नहीं की जाती है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 1992 के दौरान चावल और गेहूं का किया गया औसत मासिक आवंटन क्रमशः कमशः लगभग 9 लाख और 8 लाख मीट्रिक टन है।

(ग) 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की वसूली और आपूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं था। 1992-93 के दौरान गेहूं की आवश्यकता में कमी को आयातों के जरिये पूरा किया जाएगा।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपयुक्त स्तर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करने के लिए पहले ही पग उठा लिए गए हैं।

[हिन्दी]

नई चावल मिलों पर लेवी

1384. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद तथा इलाहाबाद खण्डों में 1 अक्तूबर, 1991 के बाद स्थापित की गई नई चावल मिलों पर पांच वर्ष के लिए लेवी में छूट देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 12 दिसम्बर, 1991 को भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में (जहां चावल पर लेवी की प्रतिशतता 40% है) 1-10-1991 के बाद स्थापित की जाने वाली नई चावल मिलों की स्थापना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए और सिंगल हलर्स, जो आधुनिकीकरण का कार्य करते हैं, को आधुनिकीकरण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए लेवी से पूरी छूट देने हेतु उत्तर प्रदेश चावल और धान (लेवी और व्यापार का विनियमन) आदेश, 1985 के अधीन राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्योत्तर सहमति मांगी गई थी।

(ग) इस मामले पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि पहले वर्ष लेवी से पूरी छूट दी जाए, उसके बाद दूसरे वर्ष चावल पर 10% तीसरे वर्ष 20%, और चौथे वर्ष 30% लेवी लगाई जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना अथवा सिंगल हलर्स के आधुनिकीकरण की तारीख से पांचवें वर्ष और उनके बाद 40% की पूरी सामान्य लेवी लगाना अपेक्षित होगा।

भारतीय प्रतिमाएं

1385. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिमाएं विदेशों के संग्राहलयों में पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिमाओं को स्वदेश वापिस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विदेशों के संग्रहालयों में भारतीय प्रतिमाओं के रखे जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, बशर्ते कि उन्हें "पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम" के लागू होने के बाद बाहर नहीं ले जाया गया है। यदि ऐसी पुरावस्तुओं के बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि उन्हें भारत से तस्करी कर अथवा चुराकर बाहर ले जाया गया है, तो भारत द्वारा अनुमोदित यूनेस्को समझौते के अन्तर्गत उन्हें वापस लाया जा सकता है।

[अनुवाद]

गन्ने के लिए समर्थन मूल्य

1386. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना तथा चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु नेशनल फैडरेशन आफ कापरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने गन्ने के अधिकतम सरकारी समर्थन मूल्य की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 1992-93 मौसम के लिए देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने विषयक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय लिया गया है।

सम्राट अकबर की वर्षगांठ के बारे में दिनांक 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं सम्राट अकबर की वर्षगांठ के सम्बन्ध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के दिए गए उत्तर में अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो इस प्रकार था :

(क), (ख) और (ग) सम्राट अकबर की 450वीं वर्षगांठ 1992-93 में मनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अभी तक कोई राष्ट्रीय समिति गठित नहीं की गई है। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित लिए जाने का

प्रस्ताव है। समारोह के अन्य कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरे यथासमय तैयार किए जाएंगे।

प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) का संशोधित उत्तर कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए :

"सम्राट अकबर की 450वीं वर्षगांठ मनाने का कार्यक्रम 450वें वर्ष के प्रारम्भ में रखने की बजाय इस वर्ष के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए कोई राष्ट्रीय समिति गठित नहीं की गई है। समारोह के कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरे यथासंभव तैयार किए जाएंगे।"

समारोह वर्ष में त्रुटि का पता बाद में ही चला। इसलिए उत्तर को सही करने वाला विवरण सभा पटल पर पहले नहीं रखा जा सका।

असुविधा के लिए खेद है।

[हिन्दी]

12.00 मध्याह्न

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाने के लिए हमको इजाजत दी। आज वर्ल्ड एड्स डे है उस सिलसिले में एड्स के मायने ह्यूमन इम्यून (Human Immuno Deficiency Virus) के बारे में है एड्स के मायने सहायता के बारे में नहीं है। अध्यक्ष जी, आज फोतेदार जी यहां बैठे हैं तो मैं उनसे और खास करके सदन से कहना चाहता हूं कि अभी तक भी भारत सरकार का जो मानस है, जबकि तथ्य कहता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु में और खास करके मणिपुर में एक एपीडेमिक के स्तर में चला गया है। मैं आज हाउस को यह बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड एड्स डे के सिलसिले में एक स्टडी हुआ है और उसको कहते हैं "पानस स्टडी", जिसका रिकोमेंडेशन आज सारे अखबारों में निकला है और उसका यह आशय है कि हिन्दुस्तान में कोई एक डिसइनफोरमेशन का शिकार सरकार बनी है, एड्स के बारे में, कि यह एक फोरन डिसीज है। इसलिए मैं उस किताब से जो एक फानस इंस्टीट्यूट की ओर से निकली है, उस किताब का नाम है "हिण्डन कास्ट्स आफ एड्स"(Hidden Costes of AIDS)

इसलिए कि आज वर्ल्ड एड्स डे है तो उस किताब से हिन्दुस्तान के लिए और जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर किस तरीके से इसके चलते खतरनाक आपत्तियां आ रही हैं तो मैं यह कुछ उद्धरण जो कि बहुत प्रासंगिक हैं उस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं। उस पानस इंस्टीट्यूट की स्टडी के सिलसिले में कहा गया है उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"भारत और थाईलैंड जैसे देशों में एच० आई० वी० की संक्रमण दर बहुत ऊंची है परन्तु अभी एड्स के बहुत ही कम मामलों में अगले 5 से 10 वर्षों तक बहुत अधिक लागत आने की संभावना है।"

[हिन्दी]

फिर आगे चलकर कहते हैं :

[अनुवाद]

"यदि सरकार ने आठवें दशक के मध्य में समुचित उपाय किए होते तो भारत में एड्स

के मामले होते। बहुत से भारतीय लोग भविष्यवाणी करते हैं कि यह एक विदेशी बीमारी बनी रहेगी परन्तु सच्चाई यह है कि यह बीमारी भारत के हर शहर में फैल चुकी है।"

"बहुत विकासशील देश जिनके पास एड्स को रोकने के लिए तकनीकी या वित्तीय संसाधन नहीं हैं उन देशों में परिवारों, समुदायों कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर इस महामारी का अत्यधिक अप्रत्यक्ष प्रभाव का खतरा हो गया है। विश्व में प्रत्येक सप्ताह लगभग 15,000 महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हो रही हैं।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, ये इनकी फाइंडिंग्स हैं। इन व्यू आफ दी स्टडी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन ने की है और खासकर हिन्दुस्तान के बारे में जिक्र किया है, आज दुनिया भर में "वर्ल्ड एड्स डे" मनाया जा रहा है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश को और इस सदन को विश्वास में लेने के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह समस्या जो अपेडेमिक रूप लेने जा रही है, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का भी परीक्षण कराया जाए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मुझे मालूम नहीं है कि यह प्रश्न उठाया गया है। अन्यथा मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े और अन्य जानकारी अपने साथ लेकर आता। मैं मानता हूं कि आज एड्स दिवस है। पूरे विश्व में लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि लोग आज एड्स दिवस मना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोग आज जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप कह सकते हैं कि लोग आज एड्स दिवस मना रहे हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एड्स जैसी घातक बीमारी का विश्व में कहीं भी कोई इलाज नहीं है। मैं इस बीमारी को मृत्यु का दूत कहूंगा। जिस किसी भी व्यक्ति को एच० आई० वी० लग जाते हैं उसे यह मालूम ही नहीं होगा कि उसे यह बीमारी है कि नहीं। एच० आई० वी० को पूरी तरह से एड्स की बीमारी के रूप में विकसित होने के लिए आठ से दस वर्ष तक लग जाते हैं और यहां तक कि कभी-कभी इसमें 13 वर्ष का समय भी लग सकता है। पूरे विश्व में वैज्ञानिक इस बीमारी का कोई टीका या इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। फिलहाल हमारी नीति इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने की है क्योंकि रोकथाम ही इसका एकमात्र इलाज है। सावधानी इलाज से बेहतर है। इस उद्देश्य के लिए हमें राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करनी होगी कि संभोग सुरक्षित होना चाहिए। यह बीमारी दूषित रक्त ट्रांसफ्यूजन, रक्त उत्पादों और इस्तेमाल की गई सिरिंजों से होती है। हमने इस सम्बन्ध जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मार्च के अन्त देश में सभी ब्लड बैंकों को उन्नत बनाया जाएगा। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी ब्लड बैंकों को उन्नत बनाया जाएगा।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उन्नत करने का क्या मतलब है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : उन्नत करने का मतलब है ब्लड बैंकों में रक्त की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना । एच० आई० वी० परीक्षण तत्काल किया जाएगा और उसके बाद क्षेत्रीय परीक्षण किए जाएंगे । यदि रक्त में एच० आई० वी० पाए जाते हैं तो उसे तत्काल अलग कर दिया जाएगा । परन्तु हम इस बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान बताना नहीं चाहते हैं । देश में चल अधिकांश रक्त बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं । हमने इस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने और कानून के अन्तर्गत अन्तिम रूप से लागू करने में कुछ समय लगेगा ।

इस कानून के तहत किसी भी रक्त बैंक के लिए देश में कार्य करते रहने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा । हम रक्त बैंकों की गुणवत्ता में सुधार लाने की भी कोशिश करेंगे । जनता में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए हम इसी तरह के कई उपाय कर रहे हैं । जहां तक रक्त बैंक प्रणाली का सम्बन्ध है हम उनके बारे में भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं । यदि मुझे इस सम्बन्ध में पहले सूचना मिल जाती तो मैं हर हाल में तथ्यों और आंकड़ों सहित इसका जवाब देता । मुझे कल बताया गया था कि इस समय देश में एड्स रोग के पोजीटिव एच० आई० वी० वाले लगभग 10,000 मामलों का पता लगाया गया । अधिक जोखिम का काम करने वाले 15 से 16 लाख लोगों में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 10,000 है ।

श्री रवि राय : 230 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें एड्स पूरी तरह से विकसित हो चुका है ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं समझता हूं कि पूर्ण विकसित एड्स के 24 मामले हैं । कुछ राज्य हैं उदाहरण के लिए बिहार, मैं बिहार के बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, हमें बिहार से आवश्यक जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि बिहार का कहना है कि वहां एच० आई० वी० के पोजीटिव का कोई मामला नहीं है । मैं नहीं समझता हूं कि यह बात सही है । हमने बिहार सरकार से अनुरोध किया है । मैंने इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से बिहार सरकार को लिखा है ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : बिहार में ऐसा कोई मामला नहीं है ।

श्री एम० एल० फोतेदार : नहीं-नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं । मैं किसी अन्य राज्य की बात कर रहा हूं । मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस बीमारी के विस्तार के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा है । आज की स्थिति के अनुसार इस बीमारी की स्थिति बहुत भयावह है । मैं इस राष्ट्रीय समस्या का उत्साह और संकल्प के साथ सामना करने के लिए इस सदन की सहायता मार्गदर्शन और शरीयत चाहता हूं ।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : पुणे के निकट भोसारी में 30-11-92 को एक रासायनिक कारखाने के टैंक से क्लोरीन गैस रिसाव होने के कारण उसके वाष्प से कम से कम 85 स्कूली बच्चे प्रभावित हुए थे । 15 बच्चों, जिनमें से अधिकांश 6 से 12 वर्ष की आयु के थे, को सासोन अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में निरीक्षण के लिए रखा गया ।

यह घटना उस समय घटित हुई जब ये बच्चे अपना शाम का भोजन करने ही वाले थे । उन्होंने दम घुटने और घबराहट होने और उबकाई आने की शिकायत की ।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि रसायन फैक्टरी एक रुग्ण इकाई रही है, जिसे हाल ही में सोडियम क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए पुनः चालू किया गया है।

स्थानीय अधिकारियों तथा फैक्टरी-निरीक्षकों के लिए यह अनिवार्य था कि वे परीक्षण करते और इस बात की पुष्टि करते कि क्या मशीनरी के सभी घटक ठीक-ठाक और दोष-रहित हैं। लेकिन अनर्थकारी कारण सम्बन्धित अधिकारियों और प्रबन्धन की लापरवाही को सिद्ध करते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और उद्योग मन्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि इस बात की जांच करें और इसके लिए दोषी व्यक्तियों को सामने लायें तथा प्रभावित बच्चों को वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, अभी सदन में लगभग तीन दिन तक 8-10 घण्टे बहस चली अनाज का आयात और खाद के दामों को लेकर। मुझे अफसोस है कि उस बहस में वित्त मन्त्री ने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा होता यदि वे आते और कौन-सी आर्थिक नीतियां हैं जो हम लोगों को आयात करने के लिए मजबूर कर रही हैं, इसके बारे में कुछ कहते। लेकिन कल वित्त मन्त्री ने पार्लियामेंट के चलते हुए दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के मंच और उसके साथ जुड़े कंफेड्रेशन आफ इंजीनियरिंग इण्डस्टरी दोनों के संयुक्त मंच पर खड़े होकर ऐसे नीति विषयक निवेदन किए हैं जो एक तरह से इस सदन का अपमान है। क्योंकि यह मानी हुई परम्परा है कि यदि सदन चलता है तो सरकार का कोई भी मन्त्री और सरकार सदन के बाहर किसी भी प्रकार का नीति विषयक निवेदन नहीं करेगी। ऐसी घटनाएं इसके पहले भी हुई हैं और प्रीवीलेज के मामले सदन में उठाए गए हैं।

मैंने आपको प्रीवीलेज का मोशन नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात को इसलिए आपके सामने उठाना चाहता हूं कि दो ऐसी बड़ी बातें कल वित्त मन्त्री महोदय ने सार्वजनिक तौर पर कहीं है जिनके बारे में सदन में किसी भी प्रकार का अभी तक अधिकृत किस्म का निवेदन सरकार का नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि फ्री कनवरशन आफ रूपी—यानी अब खुले बाजार में रुपया और डालर या रुपया ओर विदेशी पैसे का जो भी सौदा होना है, जो दाम तय होना है वह करने का फैसला सरकार को करना है। इसमें अभी ऐलान करना बाकी है।

दूसरी बात इन्होंने यह कही कि 1.2 बिलियन यू० एस० डालर, मतलब होता है 300 करोड से अधिक रुपया, के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर हम अभी फिर मार्किट में ला रहे हैं।

दूसरे सदन में जिन विषयों पर बहस होती है वह यहां पर नहीं की जा सकती है। लेकिन अखबार में आज यह खबर आई है कि राज्य सभा में इस मुद्दे पर जब चर्चा हो गयी तो वहां यह तय हुआ कि वित्त मन्त्री सदन में आयेंगे और सरकार की इस मामले में क्या भूमिका है उसकी रखने के साथ पार्लियामेंट को विश्वास में लिए बगैर और पार्लियामेंट की राय जाने बगैर हिन्दुस्तान की पब्लिक सैक्टर अंमरटेकिंग्स के शेयर्स को देश में और विदेश में, चूंकि दोनों जगह पर बेचने की बात अभी शुरू हुई है, बेचने का कोई भी काम नहीं किया जायेगा। इसको बेचने का काम नहीं

किया जायेगा। हम जानना चाहेंगे कि किस आधार पर वित्त मन्त्री ने यह जो एलान वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के मंच पर किया क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह भी तय करेगा कि हमारी संसद कैसे चलेगी, हमारे वित्त मन्त्री किस मंच से निवेदन करें। जो लोग विदेशों से हिन्दुस्तान में आये हैं वे अपने व्यापार को बढ़ाने आये हैं, वे हमारा कल्याण करने नहीं आये हैं। उनके बीच में वित्त मन्त्री का निवेदन करना बिलकुल गलत था और हम उसकी निन्दा करते हैं।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे बी० एच० ई० एल० और फ्रांस के अलस्ट्राम और ए० बी० बी० इन दोनों में सौदा हो रहा है। सरकार बात कर रही है, बी० एच० ई० एल० बोलती है कि बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं किसी स्तर पर बात कर रही है। ऐसे ही आज खबर आई है कि आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन था इसको अब कार्पोरेशन सेक्टर में ले जा रहे हैं यानि कल इसके भी शेयर्स बाजार में बेचने का काम करेंगे। पब्लिक अंडरटेकिंग्स का मतलब है इस पार्लियामेंट के द्वारा दिये हुए पैसे ये खड़े हुए ये संस्थान, इसलिए किसी को भी इस पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर इस तरह का फैसला करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम निन्दा करके साथ-साथ आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि वित्त मन्त्री को सदन में बुलायें और उनसे पहले तो इस बात पर माफी मंगवायें और दूसरे उनकी क्या नीतियां हैं उनकी चर्चा इस सदन में की जाये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक अति गम्भीर मामला है। हम देख रहे हैं, जब से इस नई सरकार ने सत्ता संभाली है, जहां तक इस सरकार का आर्थिक नीति अथवा औद्योगिक नीति तैयार करने का सम्बन्ध है, संसद बिल्कुल असंबद्ध बन गई है।

हमें विश्वास में नहीं लिया जाता है। बिना किसी पूर्व परामर्श अथवा सभा में चर्चा किये बिना ही समूची आर्थिक नीति, पूरी औद्योगिक नीति और व्यापार-नीति बदल दी गई। इस मामले में किसी भी दल को विश्वास में नहीं लिया गया। अब महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं और कभी-कभार कार्य करने के पश्चात् संसद को जानकारी दे दी जाती है तथा कई बार संसद को जानकारी भी नहीं दी जाती है। इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे वे हमें समाचार-पत्रों अथवा प्रचार माध्यमों के द्वारा ही जानकारी हासिल होती है। यह एक अति गम्भीर मुद्दा है।

हमें रेडियो-समाचार द्वारा पता चला है कि जहां तक बजटीय संसाधनों का सम्बन्ध है, ऊर्जा क्षेत्र और यातायात-क्षेत्र के सिवाय अन्य किसी भी संस्था को कोई बजट सहायता नहीं दी जायेगी। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय से अर्थ है कि अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य रुक जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में पहले ही मंजूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, न्यूनतम कच्चे माल हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तथा बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बड़े-बड़े उपक्रमों के उदाहरण ज्ञात हैं, जहां दो-दो तीन-तीन महीनों तक वेतन और मजदूरी नहीं दी जाती है, लेकिन बाद में कुछ धनराशि दे दी जाती है, लेकिन कामगार कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कच्चे माल के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होती वे किसी चीज को छू नहीं सकते। साधारणतया सार्वजनिक क्षेत्र में

इन बड़े उपक्रमों के लिए आम प्रचालन-लागत प्रदान नहीं की जाती है। हमें यह सारी बातें समाचार पत्रों से जाननी पड़ती हैं। यह एक बहुत गम्भीर बात है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक इस संस्कार सम्बन्ध है, आप यह देखें कि संसद का अस्तित्व विद्यमान है। इसे एक विनिमेय अथवा एक प्रमोज्य जैसी वस्तु के रूप नहीं समझा जा सकता है। जब कभी हमको उपयुक्त लगता है, मात्र संवैधानिक बाध्यता के निर्वाहण के उद्देश्य से, इसमें यहां कुछ पारित करवा लेते हैं और हमें, संसद सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जाता है। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस जी ने जो कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। वित्त मन्त्री जी को इस सभा से माफी मांगनी चाहिए और हमें परिस्थितियों को स्पष्ट करवा ही चाहिये।

दूसरा, एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मैंने अयोध्या में क्या घटित होने जा रहा है, इस पर हमारी गहरी चिन्ता के बारे में एक पूर्व सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सराहना करते हैं कि ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा सभा में उठाया गया है, लेकिन अगर आप प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते, तो फिर सभा के समक्ष वांछित जानकारी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

वित्त मन्त्री महोदय को एक पत्र भेजना अथवा पूर्व सूचना देना एक सही-प्रक्रिया होती और उनसे यह मालूम किया जा सकता था कि क्या उन्होंने इस प्रकार का एक वक्तव्य दिया है। अगर वे कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है, तो फिर माननीय सदस्यों को यह पूछने का पूर्ण अधिकार है कि सभा के बाहर इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दिया गया था और सभा-पटल पर इस प्रकार का वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया। जो कुछ होता है, उसमें अब एक अन्तराल है। अब मुद्दा उठाया गया है। इसे वित्त मन्त्री जी के पास भेजा जाना है। इस पर वित्त मन्त्री जी समय लगाते हैं। इस बीच एक अन्तर है और यह अन्तर वास्तव में बहुत जुझारू और बहुत नुकसान दायक भी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें चार बजे आने दें।

अध्यक्ष महोदय : यह अति सटीक और अति नुकसानदायक भी हैं। अतः, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अगर कोई हों, तो अच्छा यह होगा कि वे अध्यक्ष को और संबद्ध मन्त्री को पूर्व सूचना दे दें, उनसे उत्तर प्राप्त कर और फिर वे यह मामला उठायें? मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से हमें अत्यधिक सचेत रहना होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया क्या आप वित्त मन्त्री महोदय को सभा के समक्ष पेश होने का निर्देश देंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैं

मामले पहले भी उठ चुके हैं। बजट पर चर्चा के दौरान यह बात कही थी और मैंने भी इस पर बल दिया कि सार्वजनिक उद्योग हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और अगर सार्वजनिक उद्योगों में लगे हुए हिस्सों को बेचने का फैसला होता है तो सारा गम्भीरता के साथ होना चाहिये और यह इस आश्वस्ति के बाद होना चाहिये कि उनके अच्छे-से-अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि एक संसदीय समिति होनी चाहिये जिसके साथ वित्त मन्त्रालय लगातार बात करता रहे और इस सम्बन्ध में संसदीय समिति की सलाह से चलता रहे लेकिन ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री कोई नियन्त्रण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाचार पत्रों से पता लगता है कि शेयरों की बिक्री जारी है, विदेश में जारी है, विदेशी बैंक भी खरीद सकते हैं। अब यह स्थिति ऐसी है कि जिसमें संसद के लिए तय करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह ठीक है कि अगर इस सूचना वित्त मन्त्री को दे दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन वित्त मन्त्री ने सदन में उठाये गये मामलों का उत्तर भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, फिर कोई ऐसा भी कदम नहीं उठाया कि जिससे यह प्रश्न हमेशा के लिए हल हो जाये और 'हल हो जाये" का मतलब यह है कि "उद्योगों को बन्द करना" सरकार की नीति है। और अब वह उद्योग बन्द करना उचित है या नहीं है? कर्मचारियों का क्या होगा? क्या रिनुअल फण्ड के लिए अमेरिका से अन-रिफांइण्ड ऑयल मंगाकर उसकी नीलामी करके पैसे इकट्ठे किये जायेंगे? वह एक अलग पहलू है लेकिन अगर सरकार पब्लिक सैक्टर के शेयर बेचना चाहती है तो किस सीमा तक और किस को बेचना चाहती है और जिस आधार पर बेच रही है, वह ठीक है या नहीं, यह केवल मन्त्रालय पर छोड़ दिया जायेगा? क्या इस मामले में संसद तस्वीर में नहीं रहनी चाहिये? और इसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि एक संसदीय समिति बनाइये लेकिन सरकार की ओर से इस बारे से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लोगों के मन शंकायें खड़ी हो रही हैं और आपके सारे आर्थिक सुधार खटाई के विषय बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई महत्व के विषय को यहां उठा रहे हैं तो उसको सीधे, अच्छे ढंग से अगर चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। अगर ऐन मौके पर जीरो ऑवर में फाइनेंस मिनिस्टर को नोटिस दें या गवर्नमेंट को नोटिस दें कि उन्होंने क्या कहा है या नहीं कहा है, इसका पता नहीं है, ऐसी चर्चा करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपने यह बता दिया है। मैं इससे सहमत हूं कि ये विषय महत्व के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में मालूमात लिखे जायेंगे और उनका क्या कहना है, सुनने के बाद, अगर जरूरी हुआ, जो यहां पर कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है···गवर्नमेंट के आर्थिक नीतियों पर अगर आपको कोई चर्चा करनी है तो उसकी चर्चा हो सकती है। अगर ऐन वक्त पर कोई विषय उठायेंगे, आप उठायेंगे या वे उठायेंगे तथा उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो उससे हल नहीं निकलेगा। इसलिए कृपया ऐसा मत कीजिये। दूसरी बात मैं सोमनाथ जी के लिए कह रहा हूं। कल जैसे आप दूसरा विषय उठाना चाहते थे तो उस सम्बन्ध में कल हाउस में तय हुआ था कि ऐसे विषय ऐन वक्त पर नहीं उठाये जाएँ और वे नोटिस देकर उठाए जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ मुझे नोटिस देना काफी नहीं, सरकार को भी नोटिस देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस मामले पर सरकार को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्हें कैसी सूचना चाहिए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए कल यह विषय उठाया गया था। सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी हुई है और शायद वह कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के सम्बन्ध में···।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह हमारे संविधानिक तन्त्र पर योजनागत आक्रमण है। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं और उससे पता चलेगा···(**व्यवधान**) विपक्ष के माननीय नेता ने न्यायपालिका की इस प्रकार आलोचना की है कि हमेशा सविधानिक तन्त्र दाव पर लगा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह बी० जे० पी० और सरकार के बीच मामला चल रहा है। आप इस सवाल को कितने दिन तक अवॉइड करेंगे ? 6 दिसम्बर को कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तब बहस होगी क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। मेरा गला खराब है।

···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कृपया प्रक्रिया के किसी नियम के अंतर्गत मामला उठाएं। हम साथ बैठकर इस बारे में निर्णय करेंगे कि क्या इस पर चर्चा की जानी है। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन कृपया इस मामले को ऐसे न उठाएं, क्योंकि यदि आप इसे इस प्रकार बिना सूचना दिए उठाएंगे तो इस पर चर्चा ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी और इससे कठिनाई पैदा हो सकती है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं अपने कक्ष में जाऊंगा तो वहां मैं आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा और तब हम निर्णय करेंगे कि क्या किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज आप निर्णय कर लें···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उत्तर प्रदेश के अन्दर नारे लग रहे हैं। वहां काफी टेन्शन हो रही है।···(**व्यवधान**)···

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : क्या इन्होंने देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? ये वहां गए भी हैं ?···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महोदय, श्री मनोरंजन भक्त के अपने विचार हैं। वह सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी राय है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है···

···**(व्यवधान)**···

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वित्त मन्त्री आज वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी आर्य साहब और सोमनाथ जी ने जो बात उठाई, अगर सरकार में हमेशा कोई कमी रही है तो सदन में उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हर बात में राजनीतिक उद्देश्य से सरकार की निन्दा करना ही लक्ष्य हो तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है और मैं उसका विरोध करता हूं।···**(व्यवधान)**···

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह राजनीति है।

श्री मनोरंजन भक्त : राजनीति में ऐसा नहीं होता।

श्री तरित बरण तोपदार : तो राजनीति में क्या कीर्तन होगा ?···**(व्यवधान)**···

श्री मनोरंजन भक्त : कल अगर अखबार में कुछ आया तो उसके लिए आपको बहस के लिए नोटिस देना चाहिए और तब बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। इस प्रकार और अचानक देश के लोगों को यह बताना है कि हमेशा राजनीतिक उद्देश्य से सरकार की निन्दा करना ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, यह राजनीतिक मामला है और यदि सत्तारूढ़ दल यह कहता है कि वे गैर-राजनीतिक हैं तो उन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है···**(व्यवधान)**

12.20 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि मानसून में देरी हो सकती है और इससे कृषि कार्यों को धक्का लगेगा। बाद में बहुत अधिक वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप तेल, रेत, संदोल, उदन्ति और इन्द्रावती नदियां पल में आप्लावित हो गईं। प्रमुख जिलों की सड़कों और गांवों की सड़कों का शेष भाग से सम्बन्ध टूट गया। इस जिले में बाढ़ ने इतना अधिक विनाश किया कि हजारों एकड़ भूमि में मक्का की फसल नष्ट हो गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निर्धन वर्ग के हजारों व्यक्तियों के घर बह गए अथवा ढह गए। अधिकांश एम० आई० परियोजनाएं, एस० सी० (डब्ल्यू० एच०) ढांचे और

सिंचाई क्षमता के अन्य जलाशय नष्ट हो गए तथा ये परियोजनाएं विलोप हो गईं। अनेक बिजली के खम्भे उखड़ गए, नष्ट हो गए। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आवश्यक एल० आई० प्वाइंट्स बेकार हो गए हैं। जो भी फसल बची है वह भी नष्ट हो रही है। यह भी पता चला है कि पिछले छः महीनों से कालाहण्डी मण्डल के एस० आई० कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ये लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

मानसून का मौसम अब समाप्त हो गया है। लेकिन पिछले तीन महीनों से जिले में वर्षा नहीं हुई है और मक्का के खेत सूख गए हैं। जिले में मैं जहां भी गया वहां प्रकृति का विनाश ही विनाश था। वहां सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मक्का के खेत, जिन्हें अब हरे-भरे होना चाहिए था, वीरान दिखाई पड़ रहे थे।

मुझे विभिन्न ब्लॉकों के सम्बन्ध में जानकारी मिली है। मुझे यह बताया गया कि ब्लॉक विकास अधिकारी श्रम गहन कार्यों के माध्यम से रोजगार देने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास धन नहीं है। इसी कारण लोग जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी नहीं चल रहे हैं और राज्य सरकार स्थिति से निपटने में पूर्णतया असफल रही है। जिला प्रशासन पूर्णतः लापरवाह है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक यह शून्यकाल है। यह नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने का समय नहीं है। आपने बहुत समय ले लिया। आगे आपके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब के उन जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। वर्ष 1971 की जंग के बाद इस देश की सरकार ने एक पोलिसी बनायी थी···**(व्यवधान)**···

हमारा नाम आपने बोला है, उपाध्यक्ष जी।···**(व्यवधान)**···

डा० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में एस० पी० डी० ए० केन्द्रों की स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास और उन्नयन के लिए खेल अवस्थापनाओं के निर्माण की परम आवश्यकता है। इन खेल केन्द्रों का निर्माण जिला स्तर पर होना चाहिये परन्तु इनका निर्माण तभी सम्भव है जब केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारों की सहायता करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और प्रदेश में 36 एस० पी० डी० ए० केन्द्रों की स्थापना का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। अभी तक केन्द्र सरकार ने इस विषय में अपनी स्वीकृति या अनुमोदन नहीं भेजा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई धनराशि प्रदेश सरकार को उपलब्ध नहीं करायी

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गयी है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करके केन्द्र सरकार वहां एस० पी० डी० ए० केन्द्रों की स्थापना शीघ्र कराने की व्यवस्था करे, स्वीकृति भेजने के साथ-साथ, आवश्यक केन्द्रीय अनुदान राशि वहां भेजे ताकि जिला स्तर पर इन केन्द्रों की स्थापना हो सके और खेलों का विकास हो सके। धन के अभाव में आज वहां सभी खेलों के विकास से सम्बन्धित योजनाएं खटाई में पड़ी हैं। धन्यवाद। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन का पद भारत सरकार के सचिव के समतुल्य माना जाता है। मेरे विचार से यह पूरी स्त्री जाति का अपमान है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां प्रो० सावित्री लक्ष्मणन का नाम है। आप कैसे बोल रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यहां आपका नाम है तो आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। आप इस प्रकार अवसर नहीं ले सकते हैं।

(व्यवधान)*

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, महिला आयोग का एक ऐसा अपमान उचित नहीं है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन का पद केबिनेट मंत्री के समतुल्य कर दिया जाए और इसी प्रकार अन्य सदस्यों का दर्जा भी बढ़ाया जाए।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में गंभीर सूखे की स्थिति है। इस वर्ष वर्षा न होने से 70% खड़ी फसल नष्ट हो गई। सुन्दरगढ़ के सभी 17 जिले इससे प्रभावित हुए हैं और जनता खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रही है तथा यदि समय से इस संबंध में कदम नहीं उठाए गए तो वे भूख से मर जाएंगे। तालाब और जलाशयों में पानी का स्तर गिर गया है और यह मार्च, 1993 तक सूख जाएंगे। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि स्थिति से निपटने के लिए उचित कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त।

एक माननीय सदस्य : वह बोल चुके हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : नहीं, नहीं, मैं नहीं बोला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। उनका नाम यहां सूची में है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह गया था और उस दौरान मैंने पाया कि वहां मिट्टी का तेल चीनी, डीज़ल तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की भिन्न-भिन्न समय पर कमी रहती है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यह संघ शासित प्रदेश है जिसका प्रशासन सीधे गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और यह अत्यंत आवश्यक है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को मिट्टी का तेल, चीनी और डीज़ल की आवश्यक आपूर्ति की जाए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सुदूरवर्ती संघ शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पंजाब के उन जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं जैसे फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर आदि। उनमें इस देश की सरकार ने 1972 की पाकिस्तान की जंग के बाद एक नीति बनाई कि जो मुलाजिम 16 कि०मी० की पट्टी, जो बार्डर के साथ लगती है, उसमें काम करेंगे, उनको बॉर्डर अलाउंस देगी, लेकिन 1988 में वह बॉर्डर अलाउंस गवर्नमेंट ने बन्द कर दिया, जिसके कारण मुलाजिमों में बहुत बड़े पैमाने पर निराशा फैली हुई है और बॉर्डर के 16 कि० मी० की पट्टी में जो मुलाजिम काम करते थे, उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया है जिसके कारण आज स्थिति यह है कि इस 16 कि०मी० की पट्टी के अंदर सैकड़ों की संख्या में पोस्टें खाली पड़ी हैं। डिस्पेंसरी में कोई डाक्टर जाने को तैयार नहीं है, स्कूल में कोई टीचर जाने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से बॉर्डर के लोगों का विकास बिलकुल रुक गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट 15 परसेंट आया है जिसमें 2 प्रतिशत देहातों का और 13 प्रतिशत शहरों का रिजल्ट है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह बॉर्डर अलाउंस, उस 16 कि०मी० की पट्टी में काम करने वाले कर्मचारियों को फौरी तौर पर देना शुरू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब इलैक्शन से पहले, देश के गृह मंत्री पंजाब में डेरा बाबा नानक नामक स्थान पर गये थे और उन्होंने वहां यह घोषणा की थी कि पंजाब के बॉर्डर से लगने वाले क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को फौरी तौर पर बार्डर अलाउंस देना शुरू करेंगे, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट ने उन मुलाजिमों पर रिकवरी डाल दी, देना तो दूर रहा, जिसके कारण मुलाज़िमों में बहुत बड़े पैमाने पर निराशा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कठिनाई बॉर्डर के किसानों की है, वह भी मैं इस मौके पर उठाना चाहता हूं। सरकार ने पालिसी बनाई कि कांटे की बाढ़ के आगे की जो जमीन है उसको सरकार 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हर फसल पर कम्पैनसेट करेगी। लेकिन अभी तक सरकार ने वह पालिसी लागू नहीं की है जिसकी वजह से, बाढ़ के बाहर जो किसानों की जमीन है, उसकी पूरी देखभाल नहीं हो रही है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि किसानों की समस्या का फौरी तौर पर समाधान किया जाए और मुलाजिमों का कटा हुआ बॉर्डर अलाउंस फौरी तौर पर शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्वारका नाथ दास । कृपया आप पढ़िए नहीं; आप एक मिनट ही बोलिए ताकि अन्य माननीय सदस्य भी बोल सकें ।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, असम विशेष रूप से बरक घाटी में कैंसर भयानक रोग के रूप में सामने आया है और जब कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो उस व्यक्ति के पास इसके अतिरिक्त और विकल्प नहीं रहता कि वह इस धरती पर अपने आखिरी दिन गिने । वे यह भी नहीं समझ पाते कि वे कैंसर का शिकार हो गए हैं और जब इसका पता चलता है तब कलकत्ता, वेल्लोर, दिल्ली या बंबई जैसे सुदूर स्थानों में जाकर इसका इलाज कराना उनके बस की बात नहीं होती और इससे उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है । यहां तक कि अमीर व्यक्ति भी इस बीमारी के इलाज में आने वाले अधिक खर्च को वहन नहीं कर पाता । वर्तमान समय में गुवाहाटी में ऐसे मरीजों की जांच करने की प्राथमिक व्यवस्था की गई है और जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह किया गया है, करीमगंज में एक कैंसर संस्थान स्थापित किया जाए, यह असम की सुदूर पूर्वी सीमाओं का मुख्यालय है और यह पूर्वी भारत के कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से अरुणाचल को पूंजीगत वस्तुओं और परिवहन पर औद्योगिक राजसहायता नहीं दी गई है और यहां तक कि सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा के एक-डेढ़ साल बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है । अब स्थिति यह है कि अनेक मझोले तथा लघु उद्योग बंद होने के कगार पर हैं । अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों की राजसहायता तत्काल दे दी जाए और इस बारे में तत्काल कार्यवाही करे कि उदारीकरण का लाभ हम सबको मिले ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि पी०टी०आई० मेरा नाम भिन्न-भिन्न प्रकार से देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० रूपचन्द पाल कहा है । क्या मैंने गलत कहा है ?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आपने ठीक कहा है लेकिन पी०टी०आई० मेरा नाम अलग-अलग प्रकार से देता है ।

सरकार गलत निजीकरण कार्य में लगी हुई है । जैसा कि आप जानते हैं, लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र में सौंपे जा रहे हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बारी है । हमें सरकार ने अनेक बार आश्वासन दिया कि वे प्रसार भारती अधिनियम लागू करने के बारे में राष्ट्र के प्रति अपने वचन को पूरा करेगी । एक समय हमने यह सुना कि एक चैनल का कुछ समय निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा था ।

अब एक बहुत ही विचलित कर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिये भेजा है कि चैनल का स्वामित्व और प्रबंधकीय नियंत्रण निजी क्षेत्र को, जो एक संकाय भी हो सकता

है, सौंपा जाएगा। यह एक बहुत ही खतरनाक समाचार है। विदेशी एजेन्सियां हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने पर तुली हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जायेगी। साम्प्रदायिक सौहार्द भी प्रभावित होगा और इससे भी बढ़कर हमारी आर्थिक और राजनैतिक संप्रभुता को भी ऐसी कार्रवाई से खतरा हो सकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि स्थिति को स्पष्ट कर इस सभा को आश्वासन दिया जाये, कि वे जैसा कि उनके चुनावी घोषणा-पत्र में उल्लिखित है राष्ट्र को किये गये अपने पहले वायदे को पूरा करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र प्रसार-भारती अधिनियम को लागू करेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : प्रसार-भारती अधिनियम को लागू करने से पूर्व निजीकरण के प्रस्ताव पर कैसे विचार किया जा सकता है? हमने केवल इस उम्मीद में प्रसार-भारती अधिनियम को स्थगित किया जाना स्वीकार किया है कि जब तक प्रसार-भारती अधिनियम लागू नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी लेकिन इसी बीच, वे निजीकरण की बात कर रहे हैं। यह सब क्या है?

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, भारत-भारती उद्योग निगम लि० के अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई रिफ्रेक्टरी सिरेनिक्स यूनिट बुरुस्टैंड एण्ड कंपनी लि० को बंद करने के लिए विगत आठ-नौ महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। वह रोजमर्रा के कामकाज के लिये इस इकाई को कच्चा-माल और अपेक्षित धन भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारियों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया है और सेवानिवृत कर दिया गया है। खाली पदों को भरा नहीं गया है। यही अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं और बुरुस्टैण्ड एण्ड कंपनी लि० के कर्मचारियों को अन्तरिम-राहत की अदायगी भी नहीं कर रहा है।

मैंने कई बार मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है परन्तु उसके कोई परिणाम नहीं निकले। एक बार फिर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या वे लोग सम्मानीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण-रेखा परियोजना के कारण संबंधित क्षेत्र के किसान ऊंची-ऊंची उम्मीदें लगा रहे हैं। परियोजना के लागू होने से किसान लोग खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन कर सकेंगे। हजारों एकड़ भूमि पर एक साल में दो अथवा तीन बार फसलें उगाई जा सकेगी।

जल संसाधन मंत्रालय ने परियोजना को पहले से ही स्वीकृति दे दी है। किन्तु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति वापिस ले ली है। इसकी वजह से किसानों के मन में हलचल मची है। वे आंदोलन कर रहे हैं और कभी-कभार तो वे इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा कर रहे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उन्हें इस मामले में पूरी रुचि के साथ आगे बढ़ना चाहिये, ताकि परियोजना को शीघ्र अति शीघ्र स्वीकृति मिल सके।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक एक जून, 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी से भेंट करके उन्हें अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या बहुत कम है और इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 50 स्थानों में चीनी मिल लगाये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुति की गई थी। यहां पर मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि देश के अन्य भागों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी प्रान्तों में गन्ने का उपयोग 75 प्रतिशत से अधिक होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश में 30 से 33 परसेंट तक इसका उपयोग होता है। इस कारण उत्तर प्रदेश के किसान अत्यधिक संकट में हैं और उन्हें अपनी उपज का उपयुक्त मूल्य भी नहीं मिल रहा है। एक जून की वार्तालाप में तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर लाइसेंस तत्काल दे दिये जायेंगे। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चार माह का समय बीत गया है और उन 17 स्थानों में अभी भी चीनी मिलों को लाइसेंस केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस संदर्भ में केन्द्र सरकार प्राथमिकता के साथ विचार करके उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर चीनी मिल लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : दुर्भाग्य की बात है कि 13 नवम्बर, 1991 को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय श्याम हरि शर्मा, जोकि कृष्णानगर, त्रिपुरा में 6 नवम्बर सीट पर उप-चुनाव के लिये खड़े हुए थे, उनकी कांग्रेस पार्टी के आपसी झगड़ों के कारण हत्या कर दी गई। समाचार-पत्रों में यह बात छपी है। इसके बाद अपराधियों का पता लगाने के लिये सी०बी०आई० जांच गठित की गई थी। लेकिन एक वर्ष बीत चला है और सी०बी०आई० ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की और कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप सारा मामला ठण्डा पड़ गया है और यह मामला हत्या के समय जैसा था, आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा है।

हम यह मांग करते हैं कि सी०बी०आई० द्वारा तत्काल एफ०आई०आर० दर्ज की जानी चाहिये और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये और उन्हें सजा होनी चाहिये। भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिये। सरकार को इस मामले में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पलामू में पड़े इस वर्ष के अकाल की विभीषिका भयावह ही नहीं, हृदय विदारक भी है। मानसून की वर्षा इस क्षेत्र में कम ही होती है, मगर इस वर्ष हुई ही नहीं, विश्वास के साथ कहा जा सकता है। सावन भादों के महीने में आकाश की ओर नजरें उठाये ही बीत गये। पलामू के किसानों को पानी की एक बूंद का भी दर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने हिम्मत करके कुछ फसलें बोईं भी तो वे फसलें खेतों में ही सूख गईं। किसानों के घर अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा।

देश के इस अत्यन्त पिछड़े प्रमण्डल के बनवासी तथा हरिजन बन्धुओं ने जंगली कन्द मूल खाकर अपने क्षुधा की आग बुझानी प्रारम्भ कर दी। प्रमण्डल की तमाम नदियां जलविहीन हो गई हैं। पोखर तालाब सूख चुके हैं, कुंओं का जलस्तर पाताल छू रहा है। भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोग जिले से पलायन कर सासाराम, रेणुकुट व बनारस काम की खोज में जा रहे हैं।

काल के क्रूर पंजे से छुटकारे के लिए प्रशासन कोई कदम उठाये, इसके पूर्व ही जिला मुख्यालय डाल्टनगंज से लगभग 25 किलोमीटर दूर सतबरवा पंचायत के कसियाडीह गांव के 45 वर्षीय शारदा साव ने भूख से तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। एक बीघा जमीन के स्वामी शारदा साव की पत्नी तथा दो बच्चे पहले ही मर चुके हैं तथा वह अपने एक मात्र जीवित पुत्र प्रदीप साव के साथ मेहनत मजदूरी करके पेट पालते थे। शारदा साव का दाह संस्कार एवं श्राद्ध संस्कार गांव वालों से चन्दा लेकर सम्पन्न हुआ !*···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ भी बोला जाएगा, उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं भी हाऊस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ पूरे भारत में लहलहाते खेत हैं, दूसरी तरफ हमारे बिहार में 29 जिलों में सूखे के आसार हैं। बारिश बहुत देर से हुई और खरीफ की फसल तकरीबन बर्बाद हो गई और जिलों में नुकसान का अंदाजा 50 फीसदी से लेकर 60 फीसदी तक का है, इससे उन किसानों की आमदनी कम हो गई तो अब रबी की फसल में लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उनको बैंक से, कोआपरेटिव से, सरकार से कोई क्रेडिट नहीं मिल रही है और जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, खाद, बीज और डीजल, उन सबों के दाम बढ़ गये हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि रबी की फसल भी बिहार में बहुत अच्छी नहीं हो पायेगी और इस वक्त ऐसी सिचुएशन में, जिसमें कि अगले तीन महीनों में उन 28-29 जिलों के वासियों का क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। लोग बड़ी संख्या में बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, भुखमरी के वाकयात हो रहे हैं और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। वहरें पास फाइनेंशियल संकट है इसलिए वह जनता की मदद नहीं कर सकते। अभी उन्होंने हर जिले के लिए बीस से तीस लाख रुपये तक डाउट रिलीफ के लिए सैंक्शन किये थे, जो हर ब्लाक में एक लाख पड़ता है और एक लाख में अगर 600 मैन डेज होते हैं, एक एक पंचायत में तो जिस पंचायत में 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत नुकसान हुआ हो, वहां पर सिर्फ 400 या 500 मेन डेज का काम देने से कोई फर्क नहीं होने वाला है। राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा, एक प्लान बनाकर दिया कि हमें 1200 करोड़ रुपये की जरूरत है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए। सरकार ने टीम भेजी, उस टीम ने समैरीली यह दरख्वास्त नामंजूर कर दी है। सिर्फ यह कहा है कि नैशनल कलैमिटी फंड से जो 13 करोड़ रुपए आपको साल में मिलने हैं, वह हम आपको एडवांस दे देंगे। इस तेरह करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं प्रोटैस्ट करता हूं और केन्द्रीय सरकार से कहता हूं कि बिहार राज्य की जो यह जायज मांग है, उस पर हमदर्दी के साथ गौर करे और बिहार की जनता को सूखे से और मरने से बचाने की कृपा करे।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[جناب سید شہاب الدین (کشن گنج): ادھیکش مہودے۔ آپکی اجازت سے میں بھی
توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پورے بھارت لہلہاتے کھیت ہیں دوسری طرف ہمارے
بہار میں ۲۹ ضلعوں میں سوکھے کے آثار ہیں۔ بارش بہت دیر سے ہوئی اور خریف
کی فصل تقریباً برباد ہوگئی اور ضلعوں میں نقصان کا اندازہ پچاس فیصدی سے
لے کر ساٹھ فیصدی تک کا ہے اس سے ان کسانوں کی جب آمدنی کم ہوگئی تو اب
ربیع کی فصل میں لگانے کے لئے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے' انکو بینک سے کوآپریٹو
سے سرکار سے کوئی کریڈٹ نہیں مل رہی ہے اور جو ایگریکلچرل انپٹس ہیں کھاد بیج اور
ڈیزل ان سبکے دام بڑھ گئے ہیں اور اسلئے ایسا لگتا ہے کہ ربیع کی فصل بھی بہار میں
بہت اچھی نہیں ہو پائے گی اور اسوقت ایسی سچویشن ہیں جسمیں کہ اگلے تین مہینوں میں اٹھائیس
اٹھائیس انتیس ضلعوں کے واسیوں کا کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ لوگ بڑی تعداد
میں بہار چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں بھوک مری کے واقعات ہو رہے ہیں اور راجیہ سرکار کے پاس
پیسہ نہیں ہے۔ وہاں فائننشل سنکٹ ہے اسلئے وہ جنتا کی مدد نہیں کر سکتے۔ ابھی انہوں
نے ہر ضلع کیلئے بیس سے تیس لاکھ روپے تک ڈراؤٹ ریلیف کیلئے سینکشن کئے تھے جو ہر بلاک
میں ایک لاکھ پڑتا ہے اور ایک لاکھ میں اگرچہ سو مین فیز ہوتے ہیں ایک ایک پنچایت میں تو جس پنچایت
میں تیس فیصد چالیس فیصد نقصان ہوا ہو تو وہاں پر صرف چار سو یا پانچ سو مین فیز کا کام دینے سے کوئی کام نہیں ہونے
والا ہے۔ راجیہ سرکار نے کیندر سے کہا ایک پلان بنا کر دیا کہ ہمیں بارہ سو کروڑ روپے کی ضرورت ہے اس سچویشن
سے نپٹنے کیلئے سرکار نے ٹیم بھیجی ٹیم نے سمریلی یہ درخواست نا منظور کر دی اور صرف یہ کہا کہ نیشنل کلیمیٹی فنڈ سے
جو تیرہ کروڑ روپے آپکو سال میں ملتے ہیں وہ ہم آپ ایڈوانس دیدیں گے۔ اس تیرہ کروڑ سے کچھ نہیں ہونے
والا ہے۔ اسکے لئے میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اور مرکزی سرکار سے کہتا ہوں کہ بہار راجیہ کی جو یہ جینوئن مانگ ہے
اس پر ہمدردی کیساتھ غور کرے اور بہار کی جنتا کو سوکھے سے اور مرنے سے بچانے کے لئے کرپا کریں ---]

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगौड़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग में सदस्यों के नामांकन के सम्बन्ध में दक्षिणी राज्यों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उस अत्यधिक महत्व के मामले की ओर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय, यद्यपि दक्षिणी राज्यों में अनेकों विख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद शिक्षा की दिशा में अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि दक्षिण मे किसी को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया।

1950 के दशक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण के किसी भी सदस्य को आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया।

नये पुनर्गठित आयोग में 12 से 7 सदस्य दिल्ली से लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में आज तक परम्परा यह रही है कि हर बार दक्षिणी राज्यों से लगभग दो सदस्यों का आयोग की सदस्यता दी जाती रही है।

नये आयोग में एक और बड़ी चूक यह है कि किसी भी महिला सदस्य को आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया। आज जबकि महिला संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, नई सूची में महिलाओं को शामिल न किया जाने से महिला-शिक्षा की प्रगति पद प्रतिकूल असर पड़ेगा। आयोग में एक और खामी यह है कि लाइफ-साइन्स और इंजीनियरिंग साइन्स के सदस्यों को भी इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। साक्षरता और आम स्वास्थ्य के प्रति शैक्षणिक गुणों का विकास विज्ञान तथा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के बीच सन्तुलित समन्वय पर निर्भर करता है।

अतः मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन करती हूं कि तत्काल उपचारात्मक उपाय किये जायें और दक्षिण से दो सदस्यों का तदर्थ आधार पर नामांकन करते हुए इस असन्तुलन को दूर किया जाये। (व्यवधान) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यहां पर विराज-मान हैं। मैं इस पर मन्त्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उत्तर की उम्मीद नहीं कर सकती।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : वह मेरी बात को सुन भी नहीं रहे। इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उत्तर की उम्मीद नहीं कर सकतीं।

(व्यवधान)

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : मन्त्री जी यहां विद्यमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि तत्काल उपाचारात्मक कदम उठाये जायें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में दक्षिणी राज्यों से दो सदस्यों को तदर्थ आधार पर नामित कर असन्तुलन को दूर किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी। सरकार तो इस पर कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : मई, 1990 से लेकर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1992 को दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। बाढ़ से जबलपुर, दमोह, अर्जुन सिंह जी के जिले सतना, रीवा, छत्तरपुर, पन्ना जिले प्रभावित हुए। विशेष रूप से पन्ना व छत्तरपुर जिलों में नुकसान हुआ। बाढ़ से 11024 मकान आंशिक रूप से तथा 11317 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए तथा 23 लोगों की तथा 3923 पशुओं की मृत्यु हुई। लगभग 8146 हैक्टेयर क्षेत्र की रबी की फसल नष्ट हुई। सार्वजनिक व निजी संपपियां, जो इस बाढ़ से प्रभावित हुई, का मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रदेश सरकार ने राहत के सभी कार्य त्वरित रूप से प्रारम्भ किए हैं, किन्तु राज्य के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु नौ करोड़ रुपए की मांग केन्द्र शासन से की है। केन्द्र सरकार उक्त राशि तुरन्त उपलब्ध कराए। मैं आपके माध्यम से माननीय अर्जुन सिंह जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार की इस मांग को दिलाने में सहयोग करें।

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मसला सदन के सामने रखना चाह रहा हूं। सभी सदस्य, शायद जो मसला मैं रख रहा हूं, उससे सहमत होंगे। हिन्दुस्तान जिंक लि० के चेयरमैन ने 19 तारीख को "इकोनोमिक्स-टाइम्स" में स्टेटमेंट दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० कम्पनी की 11 यूनिटों में से दो यूनिटें उन्होंने सही मानी हैं और नौ यूनिटों को उन्होंने बन्द करने का संकेत दिया है। इसमें कम से कम 20 हजार श्रमिक बेरोजगार होंगे और साथ-साथ एक लाख लोगों को नुकसान होगा। मैं चाहूंगा, हिन्दुस्तान जिंक लि० आज तक प्रोफिट में चली है और खासकर जिन माइन्स के उन्होंने नाम लिए हैं...

1.00 म० प०

मैं उस कम्पनी में काम करता था और आज भी हूं। आज तक वह कम्पनी लाभ में ही रही है। यहां के श्रमिकों ने अपने हाथ से परिश्रम एवं मेहनत करके इस माइन्स को चलाया है। यहां तक कि इस कम्पनी को चलाने के लिए श्रमिकों ने आर्थिक सहयोग भी दिया। परन्तु मुझे खेद है कि जैसे ही कम्पनी ए-क्लास में आई, उसी समय से कम्पनी अधिकारियों ने श्रमिकों को परेशान करना आरम्भ कर दिया। तीन वर्ष हो गये हैं—कम्पनी मैनेजमेंट श्रमिक प्रतिनिधियों को विभिन्न तरीकों से परेशान कर रही है। खासकर कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की निष्क्रिय नीति से श्रमिक औद्योगिक अशान्ति झेल रहे हैं।

मैं खासकर प्रधानमन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कम्पनी के सबसे पुराने माइन्स हैं जिनके बलबूते पर यह कम्पनी इतनी आगे बढ़ी है। उन्हीं माइन्स को बन्द करने की धारणा कम्पनी अध्यक्ष ने बनाई है।

मैं प्रधानमन्त्री जी से आशा करता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आने दें, जिससे श्रमिकों को बेरोजगार न होना पड़े। हमारी नीति यह है कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करें लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे लाभ देने वाली कम्पनी के श्रमिकों को बेरोजगार करने की धमकी दी जा रही है। अभी भी यह कम्पनी मुनाफे में चल रही है। अध्यक्ष का दिया बयान गलत है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० के अधिकतर माईन्स बेकार हो गये हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कहा है कि केवल रामपुरा आगोचा माइन्स और चन्देरिया स्मेल्टर ही इस कम्पनी को चलाने के लिए बहुत हैं। इससे साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि वे विदेश नीति अपना रहे हैं और वक्तव्य देकर राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। रामपुरा आगोचा माइन्स और चन्देरिया स्मेल्टर में विदेशी कम्पनी के शेयर हैं इसीलिए उन्होंने केवल उक्त यूनिटों का ही जिक्र किया है। यह हमारी औद्योगिक नीति के विरुद्ध है। इसलिए इस प्रकार के श्रमिक विरोधी उच्चाधिकारियों को जिम्मेदार पदों से अविलम्ब हटाया जाये। (व्यवधान)

मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल अब समाप्त होता है। अब हम अपने पूर्व-निर्धारित विषयों पर चर्चा करेंगे।

1.01 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना इस सभा को देनी है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 26 नवम्बर, 1992 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1992 को लोकसभा द्वारा 20 अगस्त, 1992 को पारित किया गया था, को निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया है :

खण्ड-I

1. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 3 व 4 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे :—

"I. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह 23 अक्तूबर, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।"

नया खण्ड-4

2. पृष्ठ I पर पंक्ति 11 के बाद निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाये :—

"4. (1) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 निरसित निरसन और व्यावृत्ति किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।"

इसलिये राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 128 के अनुसार उपरोक्त विधेयक इस अनुरोध के साथ वापिस लौटाया जाता है कि इन संशोधनों के बारे में लोक-सभा की सहमति इस सभा को भेजी जाये।

1.04 म० प०

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया।

महासचिव : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा कि राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

1.04 म० प०

कृषि समिति

पांचवा प्रतिवेदन

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : महोदय, मैं "ड्राईलैंड फार्मिंग एण्ड वाटर-शेड मैनेजमेंट इन रेनफेड एरियाज" के बारे में कृषि समिति का पांचवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.04-1/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के पांचवें और छठे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.05 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

जामिया मिलिया इस्लामिया

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, कृपया आपको याद होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुछ घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित हुआ था और सदन ने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थिति पर प्रत्येक ने चिन्ता व्यक्त की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल 7 जून, 1992 को मुझसे मिला था। अध्यापक व विश्वविद्यालय के अन्य प्रतिनिधि भी इस संबंध में मुझसे मिल थे तथा सभी ने शीघ्र समझौते के लिए आग्रह किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार-विमर्श के पश्चात् हमने जामिया मिलिया इस्लामिया की घटनाओं से सम्बन्धित संपूर्ण मामला प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल को सौंपने का निर्णय किया। दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :

(1) न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम० एम० इस्माईल, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय।

(2) प्रो० ए० एम० खुसरो, भूतपूर्व कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

(3) श्री सैयद हमीद, भूतपूर्व कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

(4) श्री जाफर जंग, सदस्य वक्फ बोर्ड, दिल्ली।

मैं दल की सलाह को उद्धृत करता हूं, जो कि निम्नलिखित है :

1. प्रो० मुशीरूल हसन ने खेद व्यक्त किया है और स्पष्ट रूप से क्षमा याचना की है इसे तहे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्षमा करना ईश्वरीय गुण है और कुरान ने तथा इस्लाम के पैगम्बर ने इसे प्रोत्साहित किया है। हमें विश्वास है कि जामिया समुदाय के छात्र, शिक्षक तथा अन्य स्टाफ, माफी के इन सिद्धान्तों को हल्का नहीं पड़ने देंगे।

2. संयोगवश, यह भी उल्लेखनीय है कि विशाल हृदय वाली यह प्रवृत्ति, विश्वविद्यालय समुदाय के परिवर्तित स्वभाव में भी प्रतिबिम्बित होती है। छात्र संघ, संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ सभी ने विश्वविद्यालय को पुन: खोलने में तथा इसके सामान्य कामकाज को बहाल करने के लिए उठाये गए कदमों में सहयोग दिया है। यह बात उस संस्था की खुशहाली के लिए उनके गहरे मोह तथा चिन्ता की सूचक है जिससे जुड़े रहने का उनका अधिकार है। प्रो० मुशिरूल हसन स्वयं सलमान रूशदी के ईशनिन्दात्मक, अपरिष्कृत, असहनीय और गैर धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के लगातार आलोचक रहे हैं, हमें यह विश्वास है कि जामिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सभी समझदार लोग इस पर ध्यान देंगे। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासन के बीच सार्थक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत के अलावा और कोई बेहतर तरीका नहीं है। बातचीत भी असहनशील व्यवहार तथा हिंसा में परिणित नहीं होनी चाहिए।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच उद्देश्य-पूर्ण समन्वय प्राप्त करने के लिए सतत् आधार पर बातचीत की अपेक्षा कोई अन्य बेहतर तरीका नहीं है। बातचीत कभी भी असहनीय परिणित नहीं होनी चाहिए।

दल ने यह भी नोट किया है कि परिसर के रखरखाव और इसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त तथा नीतियां निर्धारित नहीं हैं। दल ने इन कमियों को दूर करने तथा इन त्रुटियों के निदान के लिए तत्काल कदम उठाने का परामर्श दिया है।

सरकार ने इस रिपोर्ट को मान लिया है और इसे दल की सिफारिशों के सम्बन्ध में, तत्काल और उचित कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के द्वारा भेजा जा रहा है।

रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2801/92]

———

1.05 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्साधन, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 6(4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि

अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में शेष अवधि के लिए अर्थात् 20-8-1996 तक कार्य करने हेतु कुमारी शैलजा के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 6(4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1)(ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय परिषद, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में शेष अवधि के लिए अर्थात् 20-8-1996 तक कार्य करने हेतु कुमारी शैलजा के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

1.07 म० प०

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 1 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

1.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

श्री के० एम० मैथ्यू

(एक) भारी वर्षा से प्रभावित केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों के लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : केरल के इडुक्की और पठानथिट्ठा जिलों में एक महीने के दौरान दो बार हुई हाल की भारी वर्षा, चक्रवात, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा से बड़ी तादात में लोग मारे गए हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्र में अभूतपूर्व बर्बादी हुई है। इससे काटापन्ना, इरथापर, कांचीयर, वनथानमेडू, वाकूपल्लम, उदुमपंचोला, नेडूमकादम और सेनापति पंचायतों, कोम्पायार और उससे लगे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। केवल एक दुर्गम क्षेत्र में ही 63 भूस्खलनों से पूरा क्षेत्र बहकर साफ हो गया। सड़कें, पुल, संचार लाइनें, दुकानें, गोदाम, बांध सिंचाई प्रणालियां, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सार्वजनिक भवन और हजारों मकान बह गए हैं। राहत, चिकित्सा सुविधा, पुनर्निर्माण, पुनर्वास मरम्मत आदि पर बहुत अधिक लागत आएगी और इस भारी लागत को इन दो पिछड़े जिलों के लोग वहन नहीं कर सकते हैं। इडुक्की और पठानपिट्ठा जिलों के लिए विशेष अतिरिक्त सहायता आवश्यक हो गई है।

मैं केन्द्र सरकार से इन दो जिलों को विशेष मामला मानने और अधिकतम सहायता देने का आग्रह करता हूं।

(दो) महाराष्ट्र की गंगेश्वर, लांजा और राजापुर तहसीलों के लिए कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों की बार-बार मांग किए जाने के बावजूद भी दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र की रेंज से बाहर रखा गया है। इस बात का पता लगाया गया था कि राजापुर निर्वाचन क्षेत्र को दूरदर्शन प्रसारण कवरेज प्रदान करने के लिए पांच एकम शक्ति के ट्रांसमीटरों की आवश्यकता है। तथापि, यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सरकार ने कंकावली के लिए एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर मंजूर किया है परन्तु विभाग ने शहर में टावर का निर्माण करने की कोशिश की और इस प्रकार से अधिक से अधिक लोगों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाने से इन्कार कर दिया। कम शक्ति के ट्रांसमीटर को ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां से प्रसारण रेंज के सम्बन्ध में इसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यदि कम शक्ति के ट्रांसमीटर को सांदवे में लगाया जाता है या देवगढ़ तहसील के अन्तर्गत सिरगांव में ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है तो इससे कांकवली, देवगढ़ और नलवान तहसीलों को प्रसारण उपलब्ध होगा। तथापि 1993 में टावर स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमने इसके लिए उचित स्थान पर भूमि और भवन प्रदान करने का वायदा किया हुआ था, इस कम शक्ति के ट्रांसमीटर का निर्माण नवम्बर, 1993 तक किया जाना था। तथापि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि यह काम तत्काल किया जाए।

मैं केन्द्र सरकार से आगे यह आग्रह करता हूं कि वह महाराष्ट्र की गंगेश्वर, लांजा और राजापुर तहसीलों के लिए एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर मंजूर करे।

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान स्वर्गीय श्री काशाबा जाधव को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने और उनकी विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : स्वर्गीय श्री खशाबा जाधव, जो कराड़ के रहने वाले थे, एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कुश्ती पहलवान थे और भारत में खेलों के इतिहास में वह आज तक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक विजेता हैं। स्वर्गीय श्री जाधव महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत थे और 1984 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी विधवा को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें पद्मश्री देने के लिए उनके नाम पर विचार किया जाए और आज ओलंपिक पदक विजेताओं को जो सभी वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं वे उनकी विधवा को दिए जाएं।

(चार) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में एरोमेटिक्स काम्पलेक्स की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, सलेमपुर अलीगढ़ में एरोमेटिक काम्पलेक्स की स्थापना मै० जे० के० सिन्थैटिक लि० को मई, 1989 में आशय-पत्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इस परियोजना में लगभग 52,900 लाख का अनुमानित व्यय होगा और लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसके लिए 0.7 एम० एम० एस० सी० एम० डी० प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होगी। परियोजना हेतु सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा विद्युत जल, भूमि तथा दूरसंचार सुविधा हेतु पूर्व ही कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा 650.82 एकड़ ग्राम समाज की भूमि पुनर्ग्रहित हो चुकी है। 271.12 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 27 मैगावाट के लिए सहमति दी जा चुकी है एवं इकाई के उत्पादन के लिए तकनीक देश के बाहर से लेने हेतु मै० यू० ओ० पी० अमेरिका और मैं० एम० एम० ओ० सी० ओ० कारपोरेशन अमेरिका से अनुबन्ध हस्तान्तरित हो चुके हैं तथा परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। किन्तु भारत सरकार द्वारा विदेशी सहयोग प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति एवं टैक्नीकल फीस भुगतान की स्वीकृति न दिए जाने के कारण कार्य को पूर्ण क्षमता से प्रारम्भ करने में काफी परेशानियां हो रही हैं। कार्य में विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण महंगाई में अधिक धन व्यय होने की सम्भावना बढ़ती जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त परियोजना को शीघ्र गति से प्रारम्भ कराये जाने हेतु विदेशी सहयोग प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति तथा टैक्नीकल फीस भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कतिपय मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : राजस्थान राज्य रेलवे के विकास के क्षेत्र में अनेक

राज्यों से काफी पीछे है। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 18.81 किलोमीटर रेल मार्ग के राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान में केवल 16.41 कि०मी० रेल लाइन है और उसमें से बड़ी लाइन बहुत ही कम है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है और इसकी वजह से औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है। उससे विद्युत संयंत्रों और सीमेंट विभाग, रौक फास्फेट और अन्य सम्बन्धित उद्योगों के लिए कोयला उत्पादन क्षेत्रों से सम्पर्क प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तथापि यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय रेल मन्त्री ने पूरे देश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिया है। जयपुर होते हुए दिल्ली-अहमदाबाद छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और सवाई माधोपुर, जयपुर, फुलेरा, जोधपुर, जैसलमेर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लंबित हैं। राज्य में व्यापार, उद्योग और पर्यटन के विकास की तत्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करती हूं कि इन लाइनों को जल्दी परिवर्तित किया जाए ताकि वह आठवीं योजना अवधि के दौरान ही पूरी की जा सकें। मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि राजस्थान में आठवीं योजना अवधि के दौरान रतलाम-बांसवाड़ा के बीच एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण किया जाए।

(छः) बिहार के रोहतास जिले में दुर्गावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : बिहार के रोहतास जिला अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास सन 1976 में किया गया था तथा सन 1980 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। जबकि इस परियोजना पर अब तक सरकार का 68 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, फिर भी परियोजना का मुख्य हिस्सा आज तक नहीं बन सका है। इस परियोजना से निकलने वाली मुख्य नहरों की जो खुदाई हुई है, वह भी आज प्रायः नहीं के बराबर रह गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि परियोजना निर्माण का कार्य तेजी से नहीं चल पा रहा है। उपरोक्त परियोजना का आवश्यक हिस्सा आठवीं योजना में पूरा किया जाना है। लेकिन अभी इस परियोजना में चल रहे कार्य को देखने से नहीं लगता है कि यह आठवीं योजना में पूरा हो पायेगा। इस तरह परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब होने से इसकी प्राक्कलित राशि में भी वृद्धि होगी तथा जनता के बीच दिन-प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु अलग से एक निश्चित धनराशि का आवंटन कर परियोजना का निर्माण कार्य एक किसी बड़ी कम्पनी से कराया जाये ताकि ये कम्पनी एक निश्चित समय सीमा के भीतर परियोजना निर्माण का कार्य पूरा कर सके।

(सात) सीमा पार से बंगलादेश के घुसपैठियों को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में बांग्ला देशियों की निरंतर घुसपैठ केवल पश्चिमी बंगला के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद राज्य सरकार के लिए भी काफी चिन्ता का विषय बन गया है जो कि कठिन वित्तीय संकट, बेरोजगारी और राज्य के विकास को जारी रखने के लिए भी संसाधनों के अभाव के दौर से गुजर रही है। मोटे अनुमान के अनुसार

केवल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या 50 लाख से एक करोड़ के बीच है। यह उन सात लोगों के अतिरिक्त है जो वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार इससे पहले भारत में आ चुके हैं। परन्तु जिनके लौटने के बारे में कभी भी कोई खबर नहीं मिली।

इस घुसपैठ से बड़े पैमाने पर तस्करी और दूसरे अपराधों की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि होने के अलावा अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूर लम्बे संघर्ष के बाद सांविधिक रूप से निर्धारित न्यूनतन दिहाड़ी अर्जित करते है जिसे ये घुसपैठिए निष्फल कर रहे हैं।

सीमाओं और उनसे लगे क्षेत्रों में यह स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। इस घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। मैं संघ सरकार से सीमाओं को सुरक्षित रखने और इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय करने हेतु पुरजोर आग्रह करता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य पहले ही घुसपैठियों की जमात को खपा पाने की अधिकतम सीमा को पार कर चुका है।

1.18 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.25 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री कमल नाथ की ओर से मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम 1992 जो 23 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 825 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2792/92]

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना और रेलवे में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उनकी भर्ती के बारे में हुई प्रगति से सम्बन्धित प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1992, जो 8 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 374 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2794/92]

(2) रेलवे में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उनकी भर्ती के सम्बन्ध के बारे से हुई प्रगति से सम्बन्धित एक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2794/92]

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचना और अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 32 की उपधारा 2 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियम, 1992 जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2795/92]

(2) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञास संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के लेखाओं सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2796/92]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2797/92]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1990 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(ख) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते में हुए विलम्ब के कारण दर्शन वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 2798/92]

(3) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालन वाराणसी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते में हुए विलम्ब के कारण दर्शन वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2799/92]

(5) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2800/92]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री धनंजय कुमार अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

2.31 म० प०

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक—(जारी)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मन्त्री सदन में मौजूद नहीं हैं । क्या किसी जरूरी काम के लिए उन्हें विदेश भेजा गया है ? उनकी अनुपस्थिति में यदि मैं कोई सुझाव देता हूं तो मैं नहीं जानता कि वह उन तक पहुंचेंगे या नहीं । फिर भी इसी आशा से कि संसदीय कार्य मन्त्री मेरे द्वारा दिये गये सुझावों को नोट करेंगे और उन्हें लागू करायेंगे । इसी आशा के साथ मैं अपना भाषण शुरू करता हूं ।

कल मैं पासपोर्ट जारी करने के लिए वसूल की जा रही फीस के विषय में बोल रहा था । अब मैं पासपोर्ट जारी करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के विषय में कुछ कहूंगा ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पासपोर्ट आवेदनकर्त्ता को अपेक्षित जानकारी देनी होती है । उसके बाद उसे कब पासपोर्ट मिलेगा इस विषय में उसे कुछ नहीं बताया जाता है । यह इस कारण है कि विभाग को पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पुलिस जांच इत्यादि की आवश्यकता होती है । छह महीने पहले निर्देश के नाम पर एक परिपत्र जारी किया गया था । इस परिपत्र में यदि आवेदक आवेदन पत्र के साथ जांच रिपोर्ट भेजता है तो उसे जल्द ही पासपोर्ट जारी कर दिए जाने संबंधी निदेश दिए गए थे । इस जांच प्रमाणपत्र को पुलिस अधिकारी से जो पुलिस अधीक्षक के रैंक से ऊपर का हो या भारत सरकार के अन्य अधिकारियों से जो उप सचिव (डिप्टी सैक्रेटरी) के स्तर से ऊपर का हो या किसी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जा सकता हैं । मेरा निवेदन है कि आम आदमी के लिए ऐसे अधिकारियों से पहले से जाँच प्रमाण पत्र करना कठिन कार्य है । सरकार इसे अनिवार्य बना सकती है और सम्बन्धित अधिकारियों का यह निदेश जारी कर सकती है कि जब कभी आवेदनकर्ता उनसे आवेदन करे तो उसको जांच प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाये । अन्यथा इससे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है केवल ऐसे लोग जिनकी ऐसे अधिकारियों तक पहुंच है वे अपना पासपोर्ट जल्दी प्राप्त कर सकते हैं । बहरहाल, इस पुलिस जांच की क्या आवश्यकता है ? यदि कोई वैध कारण है तो आपके पास पासपोर्ट को जब्त करने, वापिस लेने या रद्द करने का अधिकार है । अलबत्ता यदि आपको किसी भी वक्त किसी पासपोर्ट धारक के कुचरित्र का पता चलता है तो आप उसी समय पासपोर्ट को रद्द भी कर सकते हो ।

जब प्राधिकारियों के पास ऐसे अधिकार हैं तो आप पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस जांच प्रमाणपत्र जल्दी क्यों समझते हो । यदि सरकार ऐसे पुलिस जांच प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर देती है तो कम से कम उसे समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसमें पुलिस अधिकारी समय के भीतर ऐसे जांच प्रमाणपत्र को उपलब्ध करा सकें ।

ऐसा अनुभव है कि पुलिस जांच प्रमाणपत्र कई महीनों तक जारी नहीं किए जाते । ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पुलिस जांच प्रमाणपत्र एक वर्ष से भी बाद में दिये गये हैं । अतः सरकार को कम-से-कम समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके भीतर पुलिस अधिकारियों द्वारा भेजे जाने चाहिए ।

लोग कई उद्देश्यों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने, विदेशों में इलाज कराने के लिए, पर्यटक के रूप में घूमने के लिए, किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाने के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन पासपोर्टों को प्राप्त करने वालों के बीच अन्तर स्थापित करना चाहिए। आप अलग-अलग प्रकार के पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। आप एक सीमित समय के लिए पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, जिससे कि पासपोर्ट जल्दी से जारी किए जा सकें, बहरहाल सरकार को भी प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उत्सुक होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि आवेदककर्ता इसके लिए आवेदन करता है तो उसको यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। अतः सरकार को उचित कदम उठाने होंगे उन्हें अधिनियम में अन्य कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, वे एक परिपत्र या अधिसूचना या कोई उचित आदेश जारी करके दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है।

अतः में मैं माननीय सदस्य को याद करवाना चाहता हूं कि कम-से-कम वह इस विशेष विभाग के भार से मुक्त होने से पहले उन्हें मंगलौर आकर एक नये पासपोर्ट कार्यालय की घोषणा करनी चाहिए, श्री एडुआर्डो फैलीरो की तरह नहीं जो वायदा करके पूरा नहीं कर सके और अन्ततः उन्हें कहना पड़ा था कि उनके पास अधिकारी नहीं रहे। अतः मैं माननीय मन्त्री से आज ही इस सदन में उत्सुकतापूर्वक एक घोषणा करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि यह वायदा हो जाये और कम से कम कल वे यह न कह पायें कि धन की कमी के कारण और स्टाफ की कमी के कारण, मंगलौर में एक पासपोर्ट कार्यालय नहीं खोल सकते।

अतः इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं इस विधेयक में प्रस्तावित उपायों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनु) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी पासपोर्ट बिल में जो संशोधन लेकर आये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज राजस्थान में पासपोर्ट की समस्या बहुत भयंकर है। राजस्थान में सिर्फ जयपुर में ही पासपोर्ट जारी करने की सुविधा है जबकि सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान से बाहर गल्फ कन्ट्रीज में जाने वाले लोगों में झुंझुनू और सीकर जिलों के लोग होते हैं। वहां से सबसे ज्यादा लेबर फौरेन कन्ट्रीज में काम करने के लिए जाती है। मन्त्री जी आप चूंकि हमारे यहां जनरल सैक्रेटरी की हैसियत से राजस्थान के इन्चार्ज भी रहे हैं, आपको राजस्थान के प्रत्येक जिले के बारे में पूरी जानकारी है, आपके होते हुए, मैं चाहूंगा कि आप शीघ्र झुंझुनु में एक पासपोर्ट ऑफिस खोलने की अनुमति प्रदान करें ताकि वहां के गरीब लोगों को पासपोर्ट के लिए जयपुर न जाना पड़े। जयपुर आने-जाने में उनको भारी परेशानी उठानी पड़ती है, हर जगह पर उन्हें परेशानी होती है क्योंकि हमारे यहां राजस्थान में एक ऐसी सरकार है। भ्रष्ट सरकार में वहां पर कदम-कदम पर लोगों से पैसा लिया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कथन गलत है। राजस्थान में कोई पैसा नहीं लिया जाता है बल्कि जयपुर में तो ज्यादा सहूलियत है। आप पासपोर्ट पर बोलते-बोलते, कहां पहुंच गए। **(व्यवधान)**

श्री अयूब खां : इसमें अनियमितताएं हैं, उनको दूर करने के लिए सरल तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि पासपोर्ट की वैरीफिकेशन पुलिस द्वारा न करवाई जाए बल्कि ग्राम के सरपंच द्वारा हो। जब सरपंच किसी व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट दे दे कि वह आदमी सही है, तो फिर पुलिस वैरीफिकेशन की आवश्यकता न पड़े और उसे पासपोर्ट बना दिया जाना चाहिए। इससे पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों को भी काफी सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर पासपोर्ट अधिकारी के बारे में काफी शिकायतें थीं, मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय के पद संभालते ही उसका स्थानांतरण वहां से कहीं और कर दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वन-विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे कि एक ही खिड़की पर पासपोर्ट सम्बन्धी सभी काम हो जाएं और हर हालत में 5 हफ्ते के अंदर उसे पासपोर्ट दे दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रकरण ध्यान में लाना चाहता हूं। रोलसर साहब, तहसील फतेहपुर के एक्स प्रधान श्री यासीन खां के छोटे भाई युसुफ खां की लीबिया के एम्बैसेडर की एम्बैसी त्रिपोली में मडर हो गया और लाश को भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी उन एम्बैसेडर की थी, किन्तु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया बल्कि जो भारत के लोग वहां काम कर रहे हैं, उनको उनकी ओर से उल्टी धमकियां दी जा रही हैं कि मैं तुम्हारे पासपोर्ट जब्त कर लूंगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि लीबिया के एम्बैसेडर को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स दिए जाएं कि वे इस प्रकार की डराने-धमकाने की कार्रवाई न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान से बहुत लोग अरब देशों में जाते हैं। जिस प्रकार से हिन्दुस्तान की फौजों में सबसे अधिक लोग झुंझुनू और सीकर से जाते हैं और देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र झुंझुनू से देश में सबसे ज्यादा लोग अरब देशों में गए हैं। वहां पर हालत यह है कि जमींदार लोग अपनी जमीनों को गिरवी रखकर और दस रुपया सैकड़ा ब्याज पर रुपया लेकर इनको देते हैं और फिर ऊपर से और पैसा खर्च करते हैं तब जाकर उनको पासपोर्ट मिलता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र झुंझुनू में पासपोर्ट का सबऑफिस खोला जाए जिससे इन लोगों को पासपोर्ट आसानी से मिल सके। इसी प्रकार से महोदय मेरा यह भी निवेदन है कि जब ये लोग बाहर से हिन्दुस्तान आते हैं, तो उनकी चैंकिग इत्यादि में भी उनको काफी परेशान किया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में भी झुंझुनू के लोगों का ख्याल रखेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए एक घंटे का समय दिया गया है और हम एक घंटा बीस मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। चूंकि कई माननीय सदस्य बोलने के उत्सुक हैं अतः वे अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वे चाहें तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

[جناب ایوب خاں (جھنجھنو) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ۔ مانئے منتری جی پاسپورٹ بل میں جو سنشودھن لیکر آئے ہیں میں اس کا سمرتھن کرنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں ۔ آج راجستھان میں پاسپورٹ کی سمسیا بہت جٹیل ہے ۔ راجستھان میں صرف جے پور میں ہی پاسپورٹ جاری کرنے کی سُودھا ہے جبکہ سب سے زیادہ ہندوستان سے باہر گلف کنٹریز میں جانے والے لوگوں میں جھنجھنو اور سیکر ضلعوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں سے سب سے زیادہ لیبر فارین کنٹریز میں کام کرنے کے لئے جاتی ہے ۔ منتری جی آپ چونکہ ہمارے یہاں جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے راجستھان کے انچارج بھی رہے ہیں آپکو راجستھان کے پرتییک ضلع کے بارے میں پوری جانکاری ہے آپکے ہوتے ہوئے میں چاہونگا کہ آپ شیگھر جھنجھنو میں ایک پاسپورٹ آفس کھولنے کی اجازت انومتی پردان کریں تاکہ وہاں کے غریب لوگوں کو پاسپورٹ کے لئے جے پور جانا پڑے ۔ جے پور تک جانے میں انکو بھاری پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں راجستھان میں ایک ایسی سرکار ہے بھرشٹ سرکار ہے وہاں ہر قدم قدم پر لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے ۔ ..... (انٹرپشن)....]

[شری گردھاری لال بھارگو (جے پور) : اپادھیکش مہودے یہ ایک دم غلط ہے ۔ راجستھان میں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ جے پور میں تو زیادہ سہولت ہے ۔ آپ پاسپورٹ پر بولتے بولتے کہاں پہونچ گئے ۔ ..... (انٹرپشن) .....]

[جناب ایوب خاں : اسمیں اینیمتائیں ہیں انکو دور کرنے کے لئے سرل طریقہ اختیار کیا جانا چاہئیے اسلئے میرا سجھاؤ ہے کہ پاسپورٹ کی ویریفکیشن پولیس دوارا نہ کروائی جائے بلکہ گرام کے سرپنچ دوارا ہو ۔ جب سرپنچ کسی ویکتی کو یہ سرٹیفکیٹ دیدے کہ یہ آدمی صحیح ہے تو پھر پولیس ویریفکیشن کی آوشیکتا نہ پڑے اور اسے پاسپورٹ بنا دیا جانا چاہئیے ۔ اس سے پاسپورٹ کاریالیہ

کے ادھیکاریوں کو بھی کافی سُودھا ہوگی۔

اپادھیکش مہودے جے پور پاسپورٹ ادھیکاری کے بارے میں کافی شکایتیں تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مانّنیئے منتری مہودے کے پد سنبھالتے ہی اس کا استھانانترن وہاں سے کہیں اور کر دیا گیا ہے۔ میں منتری مہودے سے انورودھ کرونگا کہ ون ونڈو سسٹم ہونا چاہئیے جس سے کہ ایک ہی کھڑکی پر پاسپورٹ سمبندھی سبھی کام ہو جائیں اور ہر حال میں پانچ ہفتے کے اندر اسے پاسپورٹ دے دیا جانا چاہئیے۔

اپادھیکش مہودے میں آپ کے مادھیم سے ایک پرکرن دھیان میں لانا چاہتا ہوں، ردلسر صاحب تحصیل فتحپور کے ایکس پردھان شری یاسین خاں کے چھوٹے بھائی یوسف خاں کی لیبیا کے ایمبیسڈر کی ایجنسی ترپولی میں مرڈر ہو گیا اور لاش کو بھارت پہونچانے کی ذمہ داری اس ایمبیسڈر کی تھی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا بلکہ جو بھارت کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں انکو انکی اور سے الٹی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں تمہارا پاسپورٹ ضبط کرونگا، اس لئے میرا آپ کے مادھیم سے منتری مہودے سے انورودھ ہے کہ لیبیا کے ایمبیسڈر کو اس پرکار کے انسٹرکشنس دئیے جائیں کہ وہ اس پرکار کی ڈرانے دھمکانے کی کاروائی نہ کریں۔ اپادھیکش مہودے ہمارے راجستھان سے بہت لوگ عرب دیشوں میں جاتے ہیں جس پرکار سے ہندوستان کی فوجوں میں سب سے ادھک لوگ جھنجھنو اور سیکر سے جاتے ہیں اور دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی پرکار سے میرے چھیتر جھنجھنو سے دیش میں سب سے زیادہ لوگ عرب دیشوں میں جاتے ہیں، وہاں پر حالت یہ ہے کہ زمیندار لوگ اپنی زمینوں کو گروی رکھکر اور دو روپیہ سیکڑہ بیاج پر روپیہ لیکر انکو دیتے ہیں اور پھر اوپر سے اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تب جاکر انہیں پاسپورٹ ملتا ہے۔ اس لئے میرا آپ سے انورودھ ہے کہ میرے چھیتر جھنجھنو میں پاسپورٹ کا آفس کھولا جائے جس سے ان لوگوں کو پاسپورٹ آسانی سے مل سکے۔ اسی پرکار سے مہودے میرا یہ بھی نویدن ہے کہ جب یہ لوگ باہر سے ہندوستان آتے ہیں تو ان کی چیکنگ اتیادی میں بھی انکو کافی پریشان کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے انورودھ کروں گا کہ آپ اس سمبندھ میں بھی جھنجھنو کے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ آپنے سمے دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جے ہند۔ دھنیواد۔]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए एक घंटे का समय दिया गया है और हम एक घंटा बीस मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। चूंकि कई माननीय सदस्य बोलने के उत्सुक हैं अतः वे अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वे चाहें तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रसिद्ध मेनका गांधी मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने वस्तुतः पासपोर्ट के अधिकार की गारंटी दी थी। एक पुरानी कहावत है कि न्याय में विलम्ब का अर्थ न्याय से वंचित करना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकार में विलम्ब का अर्थ अधिकार न देना है।

महोदय, आपने हम लोगों से वायदा किया था कि पांच सप्ताह के अन्तर्गत ही पासपोर्ट जारी किये जायेंगे। इस सम्माननीय सभा में यह बात कही गयी है कि यह एक नियम नहीं बल्कि अपवाद है कि पासपोर्ट जारी करने में कभी-कभी एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है।

एक माननीय सदस्य : एक वर्ष से अधिक ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कभी-कभी और इस विलम्ब के अनेक कारण हैं। परन्तु सबसे प्रमुख कारण वहां व्याप्त भ्रष्टाचार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से माननीय मन्त्री को यह बताना चाहूंगा कि मेरे शहर पटना में पासपोर्ट के फार्म को पासपोर्ट कार्यालय के बाहर ही काला बाजारी से बेचा जा रहा है। इसे बन्द किया जा सकता है।

एक अन्य तथ्य भी है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह एक लाभकारी विभाग है। यह न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी राजस्व का अर्जन करने वाला संगठन है और इसलिए भ्रष्टाचार के दूसरे कारण अर्थात कर्मचारियों की कमी को प्रभावकारी तरीके से निपटाया जा सकता है।

माननीय मन्त्री ने आवेदनों की बढ़ती संख्या का उल्लेख किया है। वास्तव में मैं अभी हिसाब लगा रहा था। मैं कुल जनसंख्या में से उनका प्रतिशत, देश में पासपोर्टधारियों की संख्या नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत में यह प्रतिशत अनेक विकसित देशों की अपेक्षा अत्यधिक कम है। एक वर्ष में करीब 24 लाख आवेदकों की संख्या का जो उन्होंने उल्लेख किया है वह कुल जनसंख्या का करीब 0.2 प्रतिशत है। और यदि मैं यह कहूं कि आप अभी इन आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी की शुरुआत ही देख रहे हैं। असली बढ़ोतरी तो अभी होनी है और आने वाले वर्षों में उनकी बढ़ती संख्या से निपटने हेतु आपको तैयार रहना चाहिए।

मैंने यह देखा कि विगत वर्ष 1991 में आठ लाख आवेदक शेष हैं। आपने 1 जनवरी, 1991 को शेष रह गये आवेदकों की संख्या से हमें अवगत नहीं कराया है। मैं समझता हूं कि यह भी कुछ लाखों में होगी। मैं इस सम्माननीय सभा में माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि इन शेष आवेदकों से निपटने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि पासपोर्ट हेतु आवेदनों को उसी वर्ष निपटा दिया जाए जिस वर्ष यह प्राप्त होता है, मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

विलम्ब का एक कारण पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच बतायी जाती है। एक आंतरिक जांच भी होती है। मैं सोचता हूं कि आन्तरिक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु पासपोर्ट संगठन में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में प्रगति की गयी है। पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के सम्बन्ध में मैं

पुन: एक बार आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि हमें यह जानकारी दी गई थी कि यदि एक निश्चित समय के अन्तर्गत जिला पुलिस से उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो पासपोट कार्यालय बिना उनकी जांच की प्रतीक्षा किये ही पासपोर्ट जारी कर सकता है। आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस नियम का बहुत ही सख्ती से पालन होना चाहिए।

दूसरा कारण यह है कि आपके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। आपके वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर मैं पाता हूं कि एक दफ्तर में प्राप्त आवेदनों और दूसरे दफ्तर में प्राप्त आवेदनों में काफी विसंगति है। कुछ मामलों में यह 2,50,000 से अधिक है, मुम्बई के मामले में वह करीब तीन लाख है। अन्य मामलों में यह 10,000 या 8,000 अथवा 7,000 से भी कम है जो यह दर्शाता है कि पासपोर्ट कार्यालयों का क्षेत्रीय विभाजन असमान है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुभव के आधार पर मैं यह परामर्श दूंगा कि किसी भी ऐसे कार्यालय को जिससे एक वर्ष में 50,000 से अधिक आवेदनों को निपटाने के लिए कहा जाता है, वहां भ्रष्टाचार के होने और कार्य में विलम्ब होने की सम्भावना रहती है। अत: आपको पासपोर्ट पद्धति की सम्पूर्ण क्षेत्रीय विभाजन और संगठनों को इस प्रकार से युक्ति युक्त बनाना है कि एक कार्यालय कुछ निश्चित जिलों का कार्यभार सम्भाले और आमतौर पर यह करीब 50,000 आवेदनों को स्वीकार करे और इस कार्य के लिए इसके आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हों।

मैं दो और बातें कह रहा हूं। मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह भी परामर्श दूंगा कि प्रत्येक ऐसे मामले में जहां मन्त्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को किसी प्रकार से लागू नहीं किया जा सका हो तो इन मामलों की रिपोर्ट सी० पी० ओ० में करनी चाहिए और साथ ही यदि आप प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में एक परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते हैं तो वहां भी। उन सभी मामलों की, जहां तीन महीनों के अन्तर्गत पासपोर्ट जारी नहीं किये जाते हैं, रिपोर्ट न सिर्फ सी० पी० ओ० बल्कि परामर्शदात्री समिति को भी करनी चाहिए।

जहां तक शुल्क का सम्बन्ध है, मुझे दुःख है कि मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि आप उचित शुल्क निर्धारित करेंगे। अत: इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं और इस उद्देश्य हेतु हम आपको पूर्ण अधिकार दे सकते हैं।

जहां तक दक्षेस देशों का सम्बन्ध है, वास्तव में यह पासपोर्टों को रद्द करने के बारे में नहीं है बल्कि वीजा को रद्द करने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सभी बैठकों में यह प्रश्न उठाएंगे कि दक्षस देशों में बेरोक-टोक यात्रा की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हम एक-दूसरे को धीरे-धीरे भली प्रकार से समझ सकें और सभी गलत फहमियां दूर की जा सकें।

महोदय, इस विधेयक की धारा 12 अपने आप में बहुत कुछ कठोर है। मुझे एक शंका है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति का निशाना बने हुए हैं और जिनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। मान लीजिए उनमें से कोई एक संदेहास्पद व्यक्ति पारपत्र के लिए आवेदन करता है, तो मात्र पारपत्र के लिए आवेदन करने का कार्य ही विधेयक के इस खंड के उल्लंघन के अंतर्गत ला खड़ा करता है। अत: मुझे उम्मीद है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं किया जाता, तब तक धारा 12 के तहत दण्ड नहीं दिया जायेगा और इस विधेयक की धारा 12 को आपको बहुत सावधानी और सचेतता के साथ लगाना

चाहिये ताकि वास्तविक नागरिकों और उन व्यक्तियों को जिन्हें अभी विदेशी घोषित नहीं किया गया है, तकलीफ न उठानी पड़े।

अन्त में, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको पारपत्र जब्त करने, पारपत्र रद्द करने और इसे वापिस लेने का अधिकार है। इस सभा में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, कि कम से कम हमें यह तो बता दें कि कितने पासपोर्ट जब्त किए गए, कितने रद्द किये गये तथा कितने वापस लिए गए तथा ऐसा करने के क्या कारण थे। इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में अथवा एक वक्तव्य के रूप में एक वार्षिक विवरण अवश्य दिया जाना चाहिये।

ये कुछ सुझाव हैं, जो मैं देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इन विचारों से जो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर व्यक्त किए गए हैं, केन्द्रीय पारपत्र संगठन तथा विदेश मन्त्रालय यह देखने के लिए कि वर्ष 1992 के अन्त में हमारे पास उतने मामले नहीं हों जितने वर्ष 1991 के अंत में थे तथा पर्याप्त संख्या में स्टाफ की नियुक्ति के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। मेरे विचार में आप इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं और आपको हमारे पास और अधिक धन प्राप्ति के लिए नहीं आना पड़ेगा।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, हमें पता चला है कि हम नियमों को जितना कठोर बनाते हैं, उतना ही हम भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। मौजूदा स्थिति यही है। मगर हम मौजूदा नियमों का सरलीकरण करें तो हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं अथवा उस पर रोक लगा सकते हैं। यह बहुत अच्छा होगा, अगर हम नियमों और अधिक सरल बना लें और इसकी व्यवस्था करें कि आम जनता को पांच सप्ताह के भीतर पारपत्र जारी किया जाना चाहिये।

महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि 750 मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसियां हैं और ये भ्रष्टाचार की प्रमुख पोषक हैं क्योंकि वे धन एकत्र कर रही हैं और उस धनराशि से वे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से अवैध पारपत्र दे रही हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिये और जैसा कि पूर्व वक्ता ने सुझाया है। समिति में केवल अधिकारी ही होने चाहिये। कभी-कभी कुछ आवेदकों से किसी विधायक अथवा सांसद से प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जाता है। इसे किसी सांसद या विधायक से नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जाना आवश्यक किया जाना चाहिये क्योंकि चूंकि वे स्थानीय लोग होते हैं और ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है।

बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों को बिना किसी प्रमाणीकरण के पारपत्र दिये जाते हैं। इन लड़कियों को अवैध-कार्य के लिए विदेश ले जाया जाता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों की सत्यता प्रमाणित की जानी चाहिये और पारपत्र कर्मचारियों द्वारा जांच की जानी चाहिये।

पश्चिम बंगाल में, और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पारपत्र चाहने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या में पारपत्र प्राप्त करने के लिए महीनों तक इन्तजार करते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री से इस मामले को देखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नये कार्यालय खोलने का अनुरोध करूंगा ताकि पारपत्र चाहने वालों को अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि पुलिस सत्यापन अनिवार्य है और पुलिस को प्रार्थना-पत्रों की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिये। अन्यथा भ्रष्ट लोगों को फलने-फूलने के लिए

का, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भरपूर अवसर मिलेगा। अगर सत्यापन उचित नहीं होता है तो भी अवैध पारपत्र के अवसर रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से पासपोर्ट के बिल के प्रावधानों पर जो बहस चल रही है, उसको मैं गौर से सुनता आया हूं। चूंकि हमारे मन्त्री महोदय बहुत उदार प्रकृति के आदमी हैं, जनता की डिफिकल्टी को, जो रायली सामना करना पड़ता है, उसको जानते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि कुछ माह पूर्व हमारे जिले के ही एक नौजवान, जो बाहर पढ़ने जाना चाहता था, पासपोर्ट पर वैरीफिकेशन को तो आपने डी० एम० से नीचे रखा नहीं है, अब उस डी० एम० के यहां मैंने कई बार खुद कहा कि आप वैरीफाई कर दीजिए, चूंकि वह मेरे क्षेत्र का है, मैं उसको जानता हूं। फिर भी डी० एम० ने हील हुज्जत की और आखिर में उन्होंने उसको वैरीफाई नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उस लड़के को खुद पटना जाना पड़ा। आप सोच लीजिए कि कोई आदमी जो मोतिहारी में रहता है, बेतिया में रहता है, छपरा से रहता है, उसको बिहार की राजधानी पटना में जाना पड़े, पासपोर्ट लेने के लिए तो कितना खर्च होगा, यह आप खुद अंदाज कर सकते हैं।

बड़ी संख्या में मजदूर लोग, हमारे गांव के लोग भी दुबई में रहते हैं, उन लोगों को पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाना पड़ता है, जो गरीब अपने देश में एम्पलायमैण्ट नहीं मिलने से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें यह सुविधा तो होनी चाहिए और पासपोर्ट इश्यू करने में जनता को जो डिफीकल्टीज हो रही हैं, उस विभाग में जो घूसखोरी चलती है और जिस पर तमाम माननीय सदस्यों ने एक स्वर से कहा है, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कह रहा हूं कि पासपोर्ट सिस्टम को आप और जनसुलभ बनाइये।

वैरीफिकेशन के मामले में आप केवल डी० एम० पर, डिप्टी सैक्रेटरी रैंक, उसके ऊपर के रैंक को मानते हैं तो आम लोगों के लिए यह सुलभ नहीं होता है। इस कठिनाई को आप महसूस कीजिए और वैरीफिकेशन को कैसे सरल बनाया जाय, यह सोचिये कुछ माननीय सदस्यों ने और फातमी साहब ने सुझाव दिया है कि कलेक्टर के आफिस में ही एक ऐसा विभाग खुलवाइये, जिसका काम हो कि पासपोर्ट के वैरीफिकेशन के लिए जो दरख्वास्त दी जायें, 15 दिन के अन्दर पुलिस से, डी० एम० से इसका वैरीफिकेशन हो और यह हो सकता है, सम्भव है। क्यों सम्भव है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी जानते हैं कि गांव में कौन आदमी भला है या बुरा है, कौन आदमी उसके लिए योग्य है या अयोग्य है, वह रिपोर्ट भेज सकता है लेकिन आपके पुलिस सुपरिण्टैण्डैण्ट के यहां जाइये, दरोगा जी के यहां जाइये, कई विभागों में घूमते-घूमते उसकी डी० एम० के यहां पहुंच ही नहीं होती है। बहुत सारे गरीब लोग, अपढ़ लोग अभी भी डी० एम० के यहां जाने में हिचकिचाते हैं और या तो हम लोगों की सहायता लेते हैं या दूसरे कुछ विधायकों की सहायता लेते हैं इसलिए इसको सुलभ बनाने की दिशा में आप स्पष्ट नीति का एलान कीजिये।

दूसरी बात, आपने बिल में कहा कि पासपोर्ट इश्यू करने के लिए जो फीस की बात है, वह बहुत वेग है। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि इस सभा में अपने उत्तर में साफ अनुमान से आंकड़ा निकालिये, आपके लोग यहां बैठे हुए हैं कि फीस का कितना खर्च पड़ेगा, उतना स्पष्ट कर

दीजिये ताकि जनता को जानकारी हो सकेगी और पूरे देश में इसका प्रचार होगा और लोगों को कठिनाइयों में सहूलियत मिल पायेगी।

वैसे ही एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, माननीय मन्त्री महोदय को, कि स्टूडेन्ट पासपोर्ट बनाया जाय, मैं उससे सहमत हूं, मेरा भी सुझाव है कि खासकर जो हिन्दुस्तान के लड़के बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए एक कैटांगोरिकल पासपोर्ट स्टूडेण्ट्स के लिए बनाने की दिशा में कोशिश कीजिए।

हमारे बिहार में दो ही पासपोर्ट आफिस हैं, एक पटना में है, एक रांची में है। अब सोचिये कि बिहार की आबादी 8 करोड़ है···(व्यवधान)···तो 8 करोड़ की आबादी में एक पासपोर्ट कार्यालय पटना में हो तो 8 करोड़ लोगों का आप अंदाज कर सकते हैं कि उनको कितनी कठिनाई होती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा तो सुझाव है कि हर डिविजनल आफिस में हैड क्वार्टर में आप पासपोर्ट कार्यालय खुलवाएं ताकि उस डिवीजन के लोगों को वहां जाकर पासपोर्ट लेना पड़े और सुसंगत रूप से उनको पासपोर्ट मिल सके और कम परेशानियां उठानी पड़ें।

अन्त में मैं आपका ध्यान दो बातों पर दिलाना चाहता हूं कि पासपोर्ट विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाइये और जनता को पासपोर्ट मिलने में जो विलम्ब होता है, मन्त्री जी आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कृपया आप मेरी बातों पर ध्यान दें कि पासपोर्ट जनता को अधिक विलम्ब से नहीं मिले बल्कि चार सप्ताह के अन्दर पासपोर्ट जनता को मिल सके, इस बात की गारंटी करें और इसके लिए सदन को आश्वस्त करें कि हम ऐसा ही करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 1992 के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद प्रदान करता हूं।

महोदय, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करने के लिए इस संशोधन विधेयक में जिन कतिपय उपबन्धों का उल्लेख किया गया है, मैं उनसे सहमत हूं। इस विधेयक में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि पासपोर्ट फीस कितनी लगाई जायेगी। सरकार का कहना है कि फार्मों को तैयार करने में कितनी लागत आती है और अन्य खर्चे क्या-क्या हैं, इसके बारे में सम्बन्धित विभाग से परामर्श किया जायेगा। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि लागत का ध्यान म रखते हुए उचित फीस ही ली जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि विदेश मन्त्री द्वारा इस सभा में किये गये वायदे के बावजूद अभी भी पासपोर्ट पांच सप्ताह में जारी नहीं किये जाते, पांच सप्ताह ही नहीं बल्कि पांच महीनों में भी जारी नहीं किये जाते। पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का प्रमुख कारण पुलिस द्वारा सत्यापन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अपने बारे में भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। कई बार पासपोर्ट आवेदकों ने हमारे पास आकर यह कहा है कि पुलिस आयुक्त अथवा जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जाये और पुलिस विभाग से सत्यापन प्रमाण-पत्र शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त किया जाये और उसे पासपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न कर पासपोर्ट कार्यालय को भेजा जाये, जिससे उन्हें यथासंभव शीघ्र

पासपोर्ट मिल सकें। दूसरी तरफ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदन भेजने और पुलिस द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन भेजने में काफी समय लगता है। इसलिये इस दिशा में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये और मैं अपने पूर्व वक्ताओं के सुझाव से सहमत हूं कि पुलिस द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दो सप्ताह की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये और यदि दो सप्ताह के भीतर पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता तो पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट जारी कर देने का अधिकार होना चाहिये।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस सभा के बीच जो वक्तव्य दिया था उसको कथनी और करनी में पूरा नहीं किया गया। मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय विदेश मन्त्री महोदय ने कहा है कि हैदराबाद पासपोर्ट कार्यालय में 31 दिसम्बर, 1991 को 84,085 पासपोर्ट आवेदन लंबित थे।

3.00 म० प०

23 मार्च, 1992 को माननीय मन्त्री जी ने कहा था :

"हैदराबाद पासपोर्ट कार्यालय में प्रतिदिन औसतन 988 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए हैं और औसतन 1,222 पासपोर्ट प्रतिदिन जारी किये गये हैं।"

इस प्रकार यदि हम इन तथ्यों पर विचार करें तो हमें यह पता चलता है कि हैदराबाद पासपोर्ट कार्यालय इन सभी 988 आवेदकों को उपयुक्त समय में पासपोर्ट जारी कर रहा है और इसके अतिरिक्त पिछले बकाया आवेदनों में से भी वह 344 आवेदन प्रतिदिन निपटा रहा है। इसका यह अथ हुआ कि जून, 1992 तक पिछले बकाया आवेदन केवल 20,000 ही रह जायेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार कहा गया है :

"हैदराबाद कार्यालय के पास 19 जून, 1992 को पासपोर्ट के लिए बकाया आवेदनों की संख्या 91,075 है।"

इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मन्त्री जी द्वारा सभा को दिया गया आश्वासन वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि विजयवाड़ा में जहां पर पहले भी कुछ समय के लिए पासपोर्ट कार्यालय खोला गया था, पासपोर्ट कार्यालय दोबारा खोलने के लिए उचित कदम उठाये जायें। पहले वहां पर 1983-84 में पासपोर्ट कार्यालय खोला गया था जो 1985 तक काम करता रहा और 1985 में इस कार्यालय को बन्द कर दिया गया और इसे बन्द करने के कारणों का हमारे अधिकारियों को भलीभांति ज्ञान होगा। मैं अपने साथी श्री शहाबुद्दीन के इस कथन से सहमत हूं कि वर्तमान समय में कुछेक कार्यालय के पास कार्य का भार बहुत अधिक है और वहां पर आवेदन-पत्रों की उचित ढंग से जांच नहीं हो पाती। अतः ऐसे कार्यालयों का कार्यभार कम किया जाना चाहिये और अन्य कार्यालय खोले जाने चाहिए।

केरल में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं, जो कि त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड और कोची में है। तमिलनाडु में मद्रास और त्रिची में पासपोर्ट कार्यालय हैं। महाराष्ट्र में मुम्बई और नागपुर में पासपोर्ट कार्यालय हैं। जहां इन राज्यों में ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझता कि विजयवाड़ा में पासपोर्ट कार्यालय दोबारा न खोलने के पीछे कोई कारण हो सकता है। जब विजयवाड़ा में पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहा था, तो इसने कई अन्य कार्यालयों की तुलना में अधिक आवेदनों को निपटाया। उदाहरण के लिए नागपुर कार्यालय में लगभग 10,000 आवेदन निपटाये जाते हैं, जबकि विजयवाड़ा में लगभग 30,000 आवे-

दम निपटाये जाते थे। अतः आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों श्रीकाकुलम से नल्लौर जिलों में रहने वाले लोगों, जहां पर कि साक्षरता की दर अधिक है और जहां से बहुत से लोग रोजगार की तलाश में, अध्ययन अथवा अन्य कार्यों के लिए खाड़ी देशों तथा अन्य देशों को जाते हैं, की सुविधा के लिए मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि विजयवाड़ा में पासपोर्ट कार्यालय दोबारा खोलने के प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिये। मैं सरकार से यह भी पुरजोर आग्रह करूंगा कि पासपोर्ट कार्यालय में अद्यतन मशीनरी जैसे कि लैमिनिटिंग मशीन इत्यादि लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये और इसके साथ-साथ पासपोर्ट जारी करने की समूची प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाना चाहिये, ताकि बहुत कम समय में ही पासपोर्ट जारी किए जा सकें और यदि कुछ कमियां हों तो उन्हें भी दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक से केवल दो ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मैं उचित समय पर इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। यदि इस सीमित उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमें उनसे मांग करनी होगी कि पासपोर्ट कार्यालयों में कुछ चीजों को ठीक किया जाता है।

मैं लक्षद्वीप का रहने वाला हूं और हमारा क्षेत्राधिकार केरल में पड़ता है और वह भी ईर्नाकुलम में, मैं कई बार वहां गया हूं। हम बड़ी कठिनाई के बाद इससे बाहर आ सके। इसमें दम घुट रहा था। हम उस कार्यालय मे आसानी से बाहर आने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति है। क्योंकि कार्यालय के लिए जगह बहुत कम है और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है। मैं नहीं जानता कि वे लोग कैसे रह रहे हैं। मुझे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के साथ आपस में व्यवहार करना होता है।

उसने कहा कि "आप खुद ही देख लो कि हम कैसे काम कर रहे हैं।" कुछ कर्मचारी तो दिखते ही नहीं क्योंकि फाइलों का ढेर उनसे ऊंचा होता है। ऐसी स्थिति है। हम मंत्रालय को पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने के लिए प्राधिकृत कर रहे हैं। इस समय यह शुल्क 50 रुपए है। यदि आप इसको बढ़ाकर 1,000 रुपए भी कर दें तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है परन्तु अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। आवेदकों को कम से कम कठिनाई के साथ कम से कम समय में पासपोर्ट जारी किए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का यह उचित समय है।

आप इस विधेयक के माध्यम से कठोर दण्ड देना चाहते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। मैंने कुछ भागों से विशेष रूप से कालीकट कार्यालय से कुछ शिकायतें होने के बारे में सुना है। ईर्नाकुलम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की कुछ ख्याति है। कर्मचारियों को बहुत सी समस्याओं से निपटना होता है। मुझे बताया गया है कि कालीकट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जनता से, विशेष रूप से संसद सदस्यों और विधायकों से, भी विरोध करने में सबसे आगे है। पासपोर्ट अधिकारी टेलीफोन का रिसीवर उठाने का कष्ट ही नहीं करते। मैंने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को सूचित किया जाए कि जब कोई जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक, उनसे संपर्क करें, तो वह विनम्रतापूर्वक उनकी बात सुनें और इन अधिकारियों को यह भी कहा जाए कि पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाया जाए। हमें बताया गया है कि कुछ

कार्यालयों में यह एक धोखाधड़ी बन गया है। गुप्त रूप से धन दिया जाता है। इस प्रकार एक तरह से कुछ निश्चित धनराशि दलाली के रूप में देने के बाद ये लोग पासपोर्ट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यदि ऐसी बातें पाई जाती हैं तो केवल उन्हीं लोगों को नहीं जिनके पास दो-दो पासपोर्ट हैं बल्कि इसमें शामिल कर्मचारियों को भी दण्डित किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है तो उन्हें भी फटकारा जाना चाहिए।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आता हूं। हमारी आबादी 51,000 है। मैं जब कभी भी कोई समस्या समाधान के लिए लाता हूं तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि तुम्हारी आबादी ही बहुत कम है। मैंने जब यह मांग की कि वहां पर निर्वाचित ढांचा होगा तो तत्कालीन गृह मंत्री ने मुझे बताया था कि आपकी आबादी केवल 51,000 है। हम आपको यह सब कैसे दे सकते हैं? अतः निर्वाचित ढांचे के लिए हकदार होने के लिए भी मुझे द्वीपसमूह की आबादी बढ़ाने के लिये नेतृत्व प्रदान करना होगा। मेरे मामले में ऐसा हुआ। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत है। यदि मैं लक्षद्वीप के लिये पासपोर्ट कार्यालय की मांग करूं, तो मुझे उसकी कोई सीमा का ज्ञान है। माननीय मंत्री, जो मेरे मित्र हैं, तत्काल कहेंगे कि यह संभव नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इर्णाकुलम क्षेत्रीय पासपोट कार्यालय में लक्षद्वीप के लोगों के लिये एक काउन्टर खोलें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह उत्तर चाहता हूं कि हमारे लोगों के लिये कम से कम यह सुविधा तो उपलब्ध होनी ही चाहिये। लक्षद्वीप के लोग जब इर्णाकुलम पासपोर्ट कार्यालय में जाते हैं तो वे लोग आवेदकों की उस भीड़ में तकरीबन खो ही जाते हैं। वे इर्णाकुलम में आवेदकों की भीड़ में एक बूंद बन गये हैं। अतः कृपया लक्षद्वीप के आवेदकों की कलाई के लिये एक काउन्टर खोला जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस उपाय का पूरे दिल से समर्थन करता हूं ताकि हमारे आवेदकों को अच्छे दिन नसीब हो सकें। उनके लिये यहां पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। जब वे अन्यत्र जाकर रोजगार प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। उन्हें आरम्भ से ही पासपोर्ट के साथ प्रसन्नचित होकर जाना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं इस विधेयक में दो या तीन मुद्दों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों में उन्होंने यह मुद्दे दिए हैं। मैंने सभी मतों को पढ़ लिया है। वे या तो दण्ड बढ़ाने से सम्बन्धित हैं या शुल्क बढ़ाने से संबंधित हैं, या यह सब काम करने के लिए अधिकारियों को और अधिक अधिकार देने से संबंधित है। परन्तु इस विधेयक या वक्तव्य में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है या पास के बारे में सेवाओं में सुधार करने के संबंध में उन्होंने अपना इरादा व्यक्त नहीं किया है।

3.12 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

मैं प्रारम्भ में ही नौकरशाही को शुल्क निर्धारण के लिए असीम अधिकार देने का जबरदस्त विरोध करता हूं क्योंकि शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय लेना या उसमें वृद्धि करना इस सदन का अधिकार है। कम से कम इस बहाने से तो आप अनुरोध लेकर समय-समय पर हमारे पास आएं। हमें शिकायतों पर प्रकाश डालने और लोगों की कठिनाइयों को आपके सामने रखने का अवसर मिलता

है। यदि शुल्क में वृद्धि करने और इन सभी बातों के असीम अधिकार आपको दे दिये जाते हैं तो मुझे डर है कि आप सदन में नहीं आएंगे और हमें अपनी शिकायतें आपके समक्ष रखने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः मैं समझता हूं कि विशेष रूप से आंकड़े निर्धारित किए बगैर शुल्क में वृद्धि करने का अधिकार आपको देना अच्छा नहीं होगा। अतः मैं उस प्रावधान का विरोध करता हूं।

महोदया, अब तक कई वक्ता अपनी शिकायतों पर प्रकाश डाल चुके हैं और उन सभी ने पासपोर्ट जारी करने में विलब या उसमें लगने वाले समय के बारे में शिकायत की है।

अनेक उदाहरण हैं। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि पासपोर्ट जारी करने में इतना अधिक विलम्ब क्यों होता है। आपने कहीं कहा था कि पहले-आओ पहले पाओ की पद्धति अपनाई हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जहां आपने प्रतीक्षा-सूची की उपेक्षा की है। उदाहरणार्थ, आमतौर पर कुछ गम्भीर रूप से बीमार लोग होते हैं। कुछ विद्यार्थियों को विदेशों, विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश पाना होता है। एक विशेष तिथि निर्धारित है अगर वे विदेशों में नहीं जाते, तो वे अवसर से हाथ धो बैठते हैं। यह बात प्रदेश-हेतु और सरकारी सेवाओं में आने वालों पर इसी प्रकार से लागू होती है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने की तिथि एवं समय निर्धारित किया जाता है। यदि आप पासपोर्ट जारी करने में अनावश्यक समय लगाते हैं, अगर आप उन्हें पंक्ति में आने को कहते हैं, तो फिर उन सभी को अपने अवसरों से हाथ धोना पड़ेगा। अतः, कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए कि जिन्हें तत्काल पासपोर्ट की जरूरत है—चाहे वे छात्र अथवा सैनिक अथवा डाक्टर अथवा रोगी अथवा वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ अथवा हमारी ही तरह राजनीतिज्ञ क्यों न हों—प्राथमिकता के आधार पर पासपोर्ट दिया ही जाना चाहिए। निस्संदेह, उन्हें कारण बताना चाहिए कि उन्हें पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता क्यों है, मात्र इसलिए नहीं कि वह उस व्यवसाय से आया है, उसे पासपोर्ट दिया जाना चाहिये अगर उसे विदेश में उपस्थित होने के लिये एक समय-सीमा दी हुई है, तो फिर उसको पासपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिये।

जैसा कि मेरे परम मित्र, श्री शाहाबुद्दीन ने सुझाव दिया है, आपको इसका हिसाब अवश्य लगाना चाहिए कि इतनी अधिक संख्या में पासपार्ट हेतु आवेदन-पत्र लम्बित क्यों हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आपको सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट हेतु आवेदन-पत्र लम्बित क्यों हैं। मुझे विदित नहीं है कि आपने उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है अथवा नहीं। लेकिन ऐसा चार अथवा पांच सप्ताह के अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिए। यदि सामान्य-प्रक्रिया में उस अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता, तो अधिकारी विशेष को उत्तरदायी ठहराया ही जाना चाहिए और विलम्ब आदि के लिए उसे अवश्य ही जवाबदेह होना ही चाहिए। अतः, मैं पासपोर्ट देने की प्रक्रिया को सुचारू और कारण बनाने का सुझाव दूंगा। आपको नये क्षेत्रीय कार्यालय अवश्य खोलने चाहिये।

महाराष्ट्र में, बम्बई में मात्र एक पासपोर्ट कार्यालय है। उसके बाद बारम्बार अनुरोध पर, इस पर समुचित विचार करने के पश्चात्, आपने एक अन्य कार्यालय नागपुर में खोला है। मैं इसकी सराहना करता हूं। अब मांग यह है कि पुणे में भी एक और क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोला जाये। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने अरणाकुलम का नाम लिया है, यदि आप आपने उत्तर में यह घोषणा कर दें कि एक क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में भी खोला जाएगा, तो मैं आपका अति आभारी हूंगा। इसके लिए व्यापक संभावना है। आपको लोगों को अधिकाधिक पासपोर्ट प्राप्त करने और अपने आपको

अनेक कारणों से विदेश जाने हेतु तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। जैसाकि माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है, और अधिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिये।

फिर, स्टाफ के बारे में, स्टाफ पर्याप्त होना चाहिए। रिक्तियों को भरा जाना चाहिये। आपकी व्यवस्था तो सुचारु और कारगर बनाना ही चाहिए। आपको इस प्रभाव में नहीं रहना चाहिये कि जो भी पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु आता है, वह अपराधी अथवा अवांछित तत्वों में से एक है। अतः आपको प्रक्रिया को साधारण बनाना है। उससे आपके स्टाफ और पासपोर्ट धारको, दोनों को ही सहायता मिलेगी।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। बहुत-से लोग विदेशों में जाते हैं और कई बार वहां अपना पासपोर्ट खो बैठते है। यद्यपि, पासपोर्ट संख्या और सभी वे चीजें उनके पास हैं। फिर, दूतावासों को अस्थायी राजनैयिक-पासपोर्ट जारी करने हेतु प्राधिकृत कर दिया जाता है। लेकिन, राजदूतों अथवा विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों का व्यवहार बहुत संतोषजनक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति में, उस देश में हमारे राजदूत की हमारे नागरिक की कठिनाई में सहायता करनी चाहिये। लेकिन उसके रुख का भी अध्ययन किया जाना चाहिये और उन्हें उचित हिदायतें दी जानी चाहिये। अगर पासपोर्ट-धारक गुम हुए पासपोर्ट के बारे में संख्या विशेष अथवा निश्चित सूचना दे सकते हैं, तो दूतावास के स्टाफ को तत्काल एक अस्थाई पासपोर्ट जारी कर देना चाहिये। अगर ऐसा कर लिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात होगी और वह विधेयक पारित किया जा सकता है।

अन्त में, मेरी पुणे में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की प्रार्थना के पक्ष में विचार किया जाना चाहिये इन सुझावों सहित, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : सूची में पांच और नाम शेष हैं तथा चार अन्यों ने कुछेक शब्द कहने की इच्छा व्यक्त की है। अतः, हरेक को मौका देने हेतु, मेरा सुझाव है कि सभी माननीय सदस्य दो अथवा तीन मिनट का समय बोलने में लगायें।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिंकिल) : महोदया, इस विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता लम्बे अरसे से अनुभव की जा रही थी। जो भी हो, यह अच्छी बात है कि कम-से-कम अब मंत्री महोदय ने इस प्रकार का एक विधेयक सामने रखा है।

धारा (5) में इस संशोधन के बारे में, मुझे भय है कि इस राशि को कौन निर्धारित करने जा रहा है। अन्यथा एक पासपोर्ट प्राप्त करने में बहुत-सी कठिनाइयां हैं और यदि इसे स्पष्ट नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा। अगर इसे विधेयक में स्पष्ट नहीं भरा जा सकता है, तो इसे अन्यथा नियत किया जा सकता है। लेकिन लोगों को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वह कितनी राशि है। अन्यथा, वास्तव में ही उनको मूर्ख बनाया जायेगा। ऐसी सम्भावना है। इसे समझना होगा और इसे स्पष्ट करना चाहिये तथा लोगों, विशेषकर गरीब लोगों, को जो ये बातें नहीं जानते, इनके बारे में जानकारी भी देनी होगी। वे पासपोर्ट प्राप्त करने तथा इससे सम्बन्धित सभी चीजों के लिए जा रहे हैं। अतः, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए और मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय इसे नियत करने के लिए कदम उठायेंगे।

पासपोर्ट आवेदक के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में यह एक बाधा है। यह न केवल उनके

लिए एक बाधा है बल्कि हमारे लिए भी बाधा है क्योंकि ये व्यक्ति अक्सर संसद सदस्यों से संपर्क करते हैं और विशेष रूप से केरल जैसे स्थानों में ऐसा होता है जहां आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है। वे हमसे सम्पर्क करते हैं लेकिन हम उनकी सहायता नहीं कर पाते। हम उन्हें टेलीफोन करते हैं, उन्हें लिखते हैं। हम सब कुछ करते हैं फिर भी इसमें विलम्ब होता है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि पांच सप्ताह के भीतर पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें पांच या छः महीनों के बाद भी पासपोर्ट नहीं दिए जाते। आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। इसके बाद पुलिस जांच का प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए जो दो सप्ताह की होनी चाहिए और उस समय-सीमा के भीतर वे उसे भेज सकते हैं। लेकिन इसमें अब काफी विलम्ब होता है और पूर्ण जांच के बाद भी जब इसे भेजा जाता है तो पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी यह कहते हैं कि उन्हें यह प्राप्त नहीं हुई है। मैं ऐसे बहुत से मामलों के बारे में जानता हूं और मुझे ऐसा अनुभव हुआ है इसलिए मैंने इसके बारे में जानने के लिए टेलीफोन किया। अतः ऐसी बातें हैं और इसलिए पांच सप्ताह की समय-सीमा देनी चाहिए। जो उचित भी होगी। लेकिन यदि आप दो महीने के बाद भी देते हैं तो ये साधारण लोग इसका स्वागत करते हैं। वे इस पासपोर्ट के कारण परेशान हैं।

पासपोर्ट कार्यालयों को मजबूत किया जाना चाहिए। पूर्व वक्ता ने इस सभा में बताया कि इरनाकुलम जिले में पासपोर्ट प्राप्त करना कितना कठिन है। वहां जगह बहुत कम है और मेरे विचार से केवल पचास अतिरिक्त व्यक्ति ही वहां नियुक्त किए गए थे और उन्हें वापिस आने के लिए कहा जाएगा। लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए। केवल यही नहीं, त्रिवेन्द्रम जैसे क्षेत्रों में 75,000 आवेदक हैं और कोचीन में 1,65,000 आवेदक हैं। कालीकट में भी इससे कम नहीं होंगे। केसरगढ़ से यह मांग रही है कि वहां एक पासपोर्ट कार्यालय हो क्योंकि कालीकट से पासपोर्ट प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। अतिरिक्त कर्मचारी देने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि अनेक व्यक्ति केरल जाना चाहते हैं। वे स्थानांतरण चाहते हैं। उन्हें पासपोर्ट कार्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं होगा तथा अनेक व्यक्ति इन कार्यालयों में जाने के लिए तैयार हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे बहुत सहायता मिलेगी। सभी कार्यालयों में अधिक कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं और केसरगढ़ में पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए। मेरे विचार से तब पासपोर्ट प्राप्त करना आसान होगा।

सरकार को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और जो व्यक्ति पासपोर्ट के मामले में धोखाधड़ी करते हैं उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। हमें यह देखना है कि ऐसे मामलों में ईमानदार व्यक्ति को परेशान न किया जाए। अन्यथा कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिली है, उन्हें परेशानी होगी। मैं दी जाने वाली यातनाओं के बारे में जानती हूं। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जो पासपोर्ट बेचते हैं। पैसा लेने जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। अनेक एजेंसियां पैसा लेती हैं और फिर भी काम नहीं देती हैं। उनके पासपोर्ट भी बेचे जाते हैं। अतः उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हमें केवल यही देखना है कि ईमानदार व्यक्तियों को परेशानी न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : अध्यक्ष महोदया, मैं पासपोर्ट (संसोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विभिन्न राज्यो की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में

कहा गया है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का होने के कारण मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के छः-सात राज्यों में बोलूंगा। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान तीन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह उनका समाधान करे।

सबसे पहले, पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिव केवल गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट केन्द्र है। यह पूर्वोत्तर क्षेड़ के सभी छः-सात राज्यों के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी में है जहां पहुंचने के लिए मिजोरम जैसे स्थान से तीन दिन का समय लगता है। आप कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में लिए जाने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों की ओर से मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यहां और अधिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाएं।

मेरे विचार से पूरे देश में केवल दो राज्यों में आवेदकों को दोहरी जांच करवानी पड़ती है। दोहरी जांच से मेरा तात्पर्य है कि राज्य की स्थानीय पुलिस आवेदक की जांच करती है और फिर गृह मन्त्रालय भी उसकी जांच करता है। आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना समय लगता है। सरकार, प्रधान मन्त्री तथा सम्बद्ध मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और यहां तक कि इस सभा में भी मैंने इस समस्या को उठाया है।

मैं समझता हूं कि केवल नागालैंड और मिजोरम के आवेदकों कि ही दोहरी जांच की जाती है। मेरे विचार से इन दोनों राज्यों के लोगों के साथ अन्याय किया गया है मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें और इस दोहरी जांच तथा नागालैंड और मिजोरम के लोगों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा सौतेला व्यवहार करना समाप्त करें।

जैसा कि ऑस्कर फर्नांडीज ने कहा है, मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्यों की समस्यायें भिन्न हैं मैं सुझाव देता हूं कि सांसदों का एक दल राज्यों की विभिन्न राजधानियों में जाए, ताकि इन सांसदों के, दल के माध्यम से सभी राज्यों की कठिनाइयों का समाधान हो सके।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा *(रामपुर) : सभापति महोदय, मानमीय मंत्री जी की ओर से पासपोर्ट बिल में जो संशोधन यहां लाये गये हैं, उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में रूलिंग है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट रखने का अधिकार है और वास्तविकता यह है कि इस विषय में, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले* 45 वर्षों में गम्भीरता से विचार किया है तो उस व्यक्ति का नाम है— माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ! तो उनका नाम है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने अपने विदेश मंत्रित्व काल में उदार नीति के माध्यम से इस देश के लाखों लोगों को इस सुविधा से जोड़ा।

मान्यवर, मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि मात्र दो वर्षों के अन्दर रामपुर नगर के 25 हजार लोगों के पासपोर्ट मैंने बनवा दिए और इसका श्रेय यह है कि देश को विदेशी मुद्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई। हजारों लोगों ने मिडिल-ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज के अन्दर जाकर धन कमाया और भारत भेजा। यदि हम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवा दें, तो इन देशों में स्थान, हमारे यहां के लोगों को मिलते रहते हैं, और हमारे यहां विदेशों में जाकर काम करने वाले लोगों को अभाव नहीं है, लेकिन इस पासपोर्ट के समय, पर न मिलने के कारण या इसमें अन्य कठिनाइयां होने के कारण हमारे लोगों को काफी कठिनाई का

सामना करना पड़ता है। इसके मूल में शायद वह कारण हो सकता है कि इससे उग्रवाद को बढ़ावा मिल सकता है। असामाजिक तत्त्वों पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए, शायद इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वे लोग, जो उग्रवादी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वे पासपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कोई न कोई सहारा ले लेते हैं, लेकिन आम जनता को उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आज इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर अपनी चिन्ता जाहिर की है कि पासपोर्ट मिलने की जो व्यवस्था है वह अत्यन्त जटिल और कठिन है।

सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ में खुला फिर उसके बाद 1978 में बरेली में खुला। लगभग 7 वर्ष पूर्व बरेली में पासपोर्ट कार्यालय का इतना बड़ा रैकट पकड़ा कि उसमें वहां के एजेंट और अधिकारी संलिप्त पाए गए, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। उसमें एजेंट मिल गए और ऊंचे दाम लेकर लोगों को कुछ ही दिनों में पासपोर्ट देने लगे थे।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में लोग जाते हैं उनको बैठने के लिए अपर्याप्त स्थान है, कार्यालयों में स्टाफ थोड़ा है। मन्त्री जी इस बात पर ध्यान दें कि जब वे फीस बढ़ाने का विधेयक यहां लाए हैं, तो कार्यालयों में भी पर्याप्त स्टाफ और लोगों को बैठने आदि की पर्याप्त सुविधाएं मिलें। मैं मन्त्री जी के इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं, किन्तु मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक निश्चित अमाउंट, इसके अन्दर हम लोगों को बताएं, हमारी जानकारी के लिए दे दें भले ही उसमें 500 रुपये किए जा सकते हैं। इस निश्चित अमाउंट की जानकारी आप देते हैं, तो मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन वह निश्चित अमाउंट सामने आना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर में एक-एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और खोलना चाहिए जिससे कि उस क्षेत्र की जनता को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

मान्यवर महोदया, पुलिस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो पासपोर्ट की पुलिस द्वारा जांच होती है, यह ठीक नहीं है। इसमें तो होता यह है कि जिसने पैसे दे दिए, उसकी रिपोर्ट तो अच्छी आ गई और जिसने पैसे देने में अवरोध पैदा किया, उसकी गलत टिप्पणी देकर रिपोर्ट भेज दी गई। ऐसी स्थिति में उस बेचारे को कभी भी पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यह सब जगह हो रहा है। यह पहले से ही चला आ रहा है। उसको सुधारने में समय लगेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि इस व्यवस्था को भी सुधारने की ओर ध्यान दें और यह निश्चित कर दें कि दो महीने या 3 महीने में, एक निश्चित अवधि के अन्दर यदि पुलिस से रिपोर्ट नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को सही मानकर उसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा।

विद्यार्थी, डाक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात विशेष रूप से कही है। मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अधिकांश विद्यार्थी पासपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई अनुभव करते हैं। जो असामाजिक तत्व हैं वे कई जगहों से पासपोर्ट उपलब्ध करवा लेते हैं। उनके लिए जो कठोर दंड का प्रावधान है, वह उनको मिलना चाहिए। जब आप इस तरह के लोगों को दंड देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ेगा।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त करता हूं। एक्स एम० पीज० के लिए डिप्लोमैट्स पासपोर्ट रहना चाहिए। वे एक बार एम० पी० रहने पर ऐसा स्थान पा लेते हैं कि उनको अपने स्टैट्स के अनुसार विदेशों में भी जाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनका पासपोर्ट कंटीन्यू रहना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : सभापति महोदया, मेरे लिए दो मिनट के समय में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन, फिर भी मैं आपके निर्देश के अनुसार ही बोलूंगा। मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय उनका उत्तर देंगे। मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत दो संशोधनों का समर्थन करता हूं। निःसन्देह एक मुद्दे पर सतर्क करना चाहता था। लेकिन समय कम होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा। जब फीस बढ़ाने की यह शक्ति दी जा रही है तो इस बात के पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय हों कि इसका दुरुपयोग न हो। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इन मुद्दों का ध्यान रखेंगे।

इन दो मुद्दों का समर्थन करते हुए मैं एक या दो बातें कहना चाहूंगा, मेरे मित्र पहले ही इनका सुझाव दे चुके हैं। यह पासपोर्ट कार्यालयों के मौजूदा कार्यकरण से सम्बन्धित है। हम चाहते हैं कि माननीय मन्त्री अपना मत व्यक्त करेंगे या जो कुछ पहले ही कहा जा रहा है उस पर कुछ कहेंगे।

कोचीन स्थित पासपोर्ट कार्यालय के बारे में श्रीमती सुशीला गोपालन ने कुछ कहा है। आज वहां 1,80,000 पासपोर्ट के आवेदन लम्बित पड़े हैं। वे एक दिन में अधिकतम 600 पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बकाया आवेदन निपटाने में आठ महीने से अधिक समय लगेगा। वे इस बकाया के निपटान हेतु 50 या 60 अस्थायी कर्मचारी चाहते थे। वे बहुत ही कठिनाई के बाद केवल कोचीन कार्यालय के लिए कुछ अतिरिक्त कर्मचारी मजूर करा सके। ये कर्मचारी तीन या चार महीने के लिए दिए गए थे। कुछ बकाया का निपटान हुआ। लेकिन अब इन कर्मचारियों को वापस लिया जा रहा है या इस मंजूरी को वापस लिया जा रहा है।

श्री भाटिया बहुत ही योग्य प्रशासक हैं। जब इस विभाग में शीर्ष पर हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों से यह विभाग प्रभावित हो रहा है और आवेदकों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें दूर किया जाए।

मेरे क्षेत्र से सैकड़ों लोगों के पास रोजगार वीजा है। भाटिया जी 'आप यह समझिए कि रोजगार वीजा का अर्थ है प्रति माह 1000 या 2000 या 3000 अथवा 5000 डालर। यह रोजगार वीजा है। लोग रोजगार वीजा लेकर पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केरल में पासपोर्ट प्राप्त करने में कम-से-कम 10 महीने से डेढ़ वर्ष तक समय लग जाता है। यह क्यों हो रहा है? हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं इस अवसर पर इन खामियों पर गौर करना चाहता हूं। हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं। विशेषकर इस कार सेवा के सम्बन्ध में संभवतः इस एक सुझाव का भाजपा के मित्रों ने भी स्वागत किया है। हम सब इस पर सर्वसम्मत हैं। लेकिन माननीय मन्त्री बता सकते हैं कि जब लाखों आवेदन लम्बित पड़े हैं तो कुछ अतिरिक्त कर्मचारी देने में सरकार को क्या कठिनाई है।

एक माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए। माननीय मन्त्री ऐसा कह सकते हैं। आप जो भी फीस बढ़ाना चाहें इस सभा से सरकार को यह प्राधिकार प्राप्त है। लेकिन बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि कितने दिनों अथवा महीनों में एक नागरिक को पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। आप सारी जांच कीजिए। कृपया इस बारे में विचार करें कि आप इस प्रक्रिया को कैसे सरल कर सकते हैं और कृपया इस बारे में सभा को आश्वस्त करें। विगत में भी आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन हमें कम से कम यह आश्वासन तो मिले कि एक नागरिक को तीन महीने के अन्दर पासपोर्ट मिल जाएगा। खाड़ी के देशों में बहुत अवसर हैं। लोग वीजा प्राप्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० सी० चाक्को : महोदया मैं समाप्त कर रहा हूं।

वीजा की अवधि समाप्त दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। और जब लोगों को महसूस होता है कि वीजा की अवधि समाप्त हो रही है तो वे ससद सदस्यों के चक्कर लगाने लगते हैं। एक दिन में हम कम से कम 15 पत्र लिखते हैं और हम जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम और अपर्याप्त होने के कारण वे हमारे पत्रों पर गौर नहीं कर पाते। ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट पासपोर्ट कार्यालयों, जो देश में व्यस्ततम पासपोर्ट कार्यालय हैं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या अपेक्षित संख्या से काफी कम है ये बकाया पड़े काम को निपटाने के लिए कम से कम 50 से 100 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाने चाहिए। चाहे आगामी 6 माह के लिए यह एक अस्थायी व्यवस्था ही क्यों न हो। अन्यथा मौजूदा स्थिति में विद्यमान आवेदन पत्रों को निपटाने में ही एक वर्ष से अधिक समय लग जाएगा। और प्रतिदिन हजारों आवेदन पत्र और आ जाते हैं। इस प्रकार इन छोटी-छोटी बातों से विभाग का कार्य अत्याधिक लम्बित एवं बाधित हो रहा है। यदि सभा के समक्ष प्रस्तुत सभी सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से विभाग के कार्यकरण में सुधार आएगा। इसलिए पासपोर्ट विधेयक में लाए गए दो संशोधनों का समर्थन करते हुए मेरा माननीय मन्त्री भाटिया जी से अनुरोध है कि वे कृपया सभी पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बद्ध संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति का गठन करें। इस समय पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बन्धित कोई लोकप्रिय समितियां नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। श्री चाक्को जी अन्य सदस्य भी बोलने की प्रतीक्षा में हैं।

श्री पी० सी० चाक्को : महोदया, मैंने अपना नाम कल दिया था और जिन्होंने अपना नाम दिया वे भी बोल रहे हैं। आप और अन्य संसद सदस्य यह सोच सकते हैं कि हम जो पत्र पासपोर्ट कार्यालयों को लिखते हैं। यह तो मात्र खाना पूर्ति है। हम प्रत्येक को खींचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यदि पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बद्ध एक परामर्शदात्री समिति होगी तो हम अपने सुझावों को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे पहले सभा के समक्ष ऐसा सुझाव नहीं आया और इसलिए सभा के समक्ष प्रस्तुत सभी सुझावों का स्वागत करते हुए मैं सभा के समक्ष यह नया सुझाव प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदया आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अनुमति से ही मैं माननीय मंत्रीजी के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं और उनसे मेरा अनुरोध है कि सभा के समक्ष पहले प्रस्तुत किए गए सभी सुझावों पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : मैं भी इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। मूल समस्या तो आवेदन पत्रों के बढ़ते जाने और पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने की है जैसा कि कल ठीक ही बताया गया था। मैं विभिन्न कार्यालयों में उक्त विलम्ब होने, इनमें कर्मचारियों, कार्यालय सम्बन्धी उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं का अभाव होने के बारे में अभिव्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं जिससे विशेषकर मेरा राज्य केरल प्रभावित होता है। 1991 की जनगणना की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि केरल देश में सबसे अधिक गैर-कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कृषि मजदूरों की संख्या वहां की जनसंख्या का मात्र ढाई प्रतिशत हिस्सा है। जनसंख्या का 62 प्रतिशत भाग गैर कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ अधिकांश लोग देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से केरल के एक लाख से अधिक लोग निकाल दिए गए। 10 लाख से अधिक लोग खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे सब केरल राज्य के ही हैं। इससे पता चलता है कि केरल से लाखों लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं राज्य में 30 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं। उन्हें केरल या हमारा देश रोजगार नहीं दे सकता।

जब उन्हें बाहर जाना होता है तो वे पासपोर्ट लेने हेतु कार्यालय को आवेदन करते हैं। पासपोर्ट जारी करने करने में अत्यधिक विलम्ब अवश्य है। यह बात यहां पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

जैसा कि कल श्री रमेश ने सुझाव दिया था, मेरा भी यही सुझाव है कि केरल के मध्य भाग में स्थित कोट्टायम में एक नया पासपोर्ट कार्यालय, कम से कम एक उप कार्यालय अवश्य खोला जाना चाहिए। इतना ही नहीं बाहर जाने के इच्छुक कई लोग इसी क्षेत्र के होते हैं।

मैं श्री पी० सी० चाक्को के इस विचार का भी समर्थन करता हूं कि देश में सभी पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बद्ध संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : माननीया, काफी चर्चा हो चुकी है और समय भी, जो, आपने दिया है कम है।

ऐसे में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। ट्रेवल एजेंसी और सरकारी तन्त्र के हाथों गरीब जनता प्रताड़ित होती है, पासपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है। मैं जिस महाराजगंज क्षेत्र की रहने वाली हूं, वह सघनतम आबादी वाला क्षेत्र है, गरीब है, जमीन लोगों के पास नहीं है इसलिए वहां से प्रत्यावर्तित होकर लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह मांग करती हूं कि उत्तरी बिहार में कोई भी पारपत्र का कार्यालय नहीं है तो इसको मद्देनजर रखते हुए और विलम्ब की जो कठिनाइयां होती हैं और उस विलम्ब में जो कदाचारिता होती है, उसको दूर करने के लिए इस कार्यालय को सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में खोला जाय जिससे कि यह आम जनता सर्वसुलभ हो जाय।

दूसरी बात लोगों ने उठाई है कि फार्म उपलब्ध होने में भी कठिनाइयां होती हैं तो ऐसी स्थिति में अगर प्रखण्ड स्तर पर फार्म उपलब्ध हो जाय तो बहुत सारे लोग जो पेशेवर एजेण्ट होते

हैं, उनके हाथों में पड़ेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं और पारपत्र के इश्यू करने में समय की कमी ले आने में भी यह बहुत सक्षम होगा।

और भी बातें कही गई हैं कि किन किनको पासपोर्ट दिया जाय, उन सारे लोगों को पासपोर्ट देने में सहमति हो, चाहे वह सार्क नेशन या विद्यार्थियों के लिए या वर्तमान/भूतपूर्व विधायक, सांसद या पार्षद के लिए हो।

एक वर्ग जो इससे छूट गया है, जो अपनी आजीविका विदेशों से ले आते है, वह है कलाकारों का वर्ग, देश में तो कोई इस वर्ग को पूछता नहीं है और जब तक वह विदेश से लौटकर नहीं आते हैं, उनकी अच्छी डिग्री नहीं होती है, जहां भी एनाउंसमैंट होता है कि यहां-यहां इन्होंने अपना प्रसारण किया है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस देश में घूसने का इन्होंने काम किया है लेकिन जो गरीब कलाकार हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको इसमें बड़ी परेशानी होती है। वह कला की साधना करें या इन पारपत्र कार्यालयों में चक्कर लगायें? तो मेरा अनुरोध है कि सरकार कलाकारों को विशेष श्रेणी में रखकर उनको आवश्यक रूप में पारपत्र उपलब्ध कराने का काम करे, साथ ही जो इस विषय के विद्यार्थी भी हैं, उनको भी विद्यार्थी जीवन में पारपत्र जारी किया जाय और ताजिन्दगी उसका रिन्युअल होता रहे और यदि कदाचारिता के आरोप में वह पाये जायें तो इस दोष में उनका पारपत्र रद्द कर दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अभिमत समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। संसद और देश उन लोगों के प्रति बड़ा कृतज्ञ है जिन्होंने जनता और संसद की सेवा की है। उन्हें कई रियायतें और सुविधाएं दी गई हैं लेकिन जो लोग संसद में पहले थे उन्हें राजनयिक पासपोर्ट की यह सुविधा नहीं दी गई है। कुछ वर्तमान संसदविद बिगत समय में संसद के सदस्य रहे हैं और आज के संसद सदस्य आगे भूतपूर्व संसद सदस्य बन जाएंगे। यह तो देश का कानून है और यह मतपेटियों की लड़ाई है। मेरा अनुरोध है संसद के भूतपूर्व सदस्यों को भी राजनयिक पासपोर्ट की सुविधा देने पर विचार किया जाय।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : इस सभा के प्रत्येक सदस्य पासपोर्ट धारी हैं। इस सभा के केवल दो सदस्यों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। उनमें से एक श्री सैयद शहाबुद्दीन हैं और दूसरा मैं स्वयं हूं। मैं श्री सैयद शहाबुद्दीन की बात नहीं कह सकता लेकिन इस सभा की सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत सदस्यों की ओर से, जिन्हें पासपोर्ट जारी किए गए हैं, मेरा विदेश राज्य मंत्री जी से एक अनुरोध है। अनुरोध यह है कि उन्हें विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट जारी करने की जिम्मेवारी से मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि जब तक यह मौलिक प्रक्रियागत परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक यह मन्त्री अपने पूर्ववर्ती मंत्री या पदाधिकारियों से बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा अर्थात् पासपोर्ट जारी करने के लिए एक नियत अवधि निर्धारित करना और उक्त अवधि के अन्दर पासपोर्ट जारी नहीं करवा पाएगा।

यह अधिकांशत: तथा अत्यन्त विकसित देशों का अनुभव रहा है जिनमें पासपोर्ट जारी करने का दायित्व पासपोर्ट कार्यालयों का न होकर स्थानीय कार्यालयों का है। इस विधेयक के पारित होने के तुरन्त बाद हम पंचायत और नगर पालिकाओं से सम्बन्धित संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

मेरा विदेश राज्य मन्त्री से अनुरोध है कि जैसे ही ये विधेयक पारित हो जाते हैं और संविधान का एक अंग बन जाते हैं, तो सभी पासपोर्ट कार्यालयों को बन्द करने के लिए एक अन्तिम समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके बाद पासपोर्ट जारी करने का दायित्व स्थानीय प्राधिकरण को, चाहे वह ग्राम पंचायत हो अथवा शहरी क्षेत्र में कोई समुचित प्राधिकरण सौंप दिया जाएगा। इस आमूल परिवर्तन से ही हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भारत के ऐसे प्रत्येक नागरिक को, जिसे पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है, वस्तुत पासपोर्ट प्राप्त हो सके।

इस प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि विदेश जाने के लिए किसी के द्वारा गांव या मोहल्ला छोड़ने का पहला लाभ उस गांव अथवा मोहल्ले को मिलना चाहिए। यदि पासपोर्ट नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा तो उससे प्राप्त होने वाली फीस स्थानीय जनता के लाभार्थ उसी गांव अथवा मोहल्ले में ही रहनी चाहिये। इस प्रकार विदेश मन्त्रालय हमारे नागरिकों पर अत्याचार करने में अपना समय बरबाद करने की बजाय अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर विशेष बात तो नहीं करनी है मुझे संक्षिप्त में इतना निवेदन करना है कि अभी इसकी प्रक्रिया कोई आसान नहीं है। पांच महीने में पासपोट मिल जाएगा या पांच हफ्ते में, यह कहीं कोई एश्योरटी नहीं है। लोग आते हैं, लोग परेशान हैं और लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता है। एस०पी० से रिपोर्ट आएगी यह प्रक्रिया बहुत लम्बी है इसलिए इस प्रक्रिया का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है यह मेरा आपसे पहला निवेदन है। बाकी पासपोर्ट कार्यालय में लोगों को ठीक प्रकार से न बैठने की व्यवस्था है और जो दुःखी हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह जो वेरिफिकेशन करने का अधिकार मेम्बर आफ पार्लियामेंट को दे रखा था वह अधिकार भी हमसे ले लेने के कारण लोग आते हैं, परेशान होते हैं। डिस्पेंसरी का डाक्टर हो उसकी रिकोमेंडेशन तो चल जाएगी लेकिन मेम्बर आफ पार्लियामेंट दस्तखत न कर सकता हो उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी जो पहले थी। मैं समझता हूं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का इस प्रकार से अपमान है। इसलिए मेम्बर आफ पार्लियामेंट का वेरिफिकेशन उन पर हो सके या हम कर सकें उनको वैधानिकता मिले, इस सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन करता है। बाकी आपने जो जुर्माने वाली बात की है, जुर्माने वाले प्रावधान से तो मैं समझता हूं कि कि कहीं पर कोई सहमति जुर्माने वाले मामलों में आपने ज्यादा रखी है यही मुझे कहना है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया को आप सरल करें।

मेरा एक निवेदन और है सम्पूर्ण राजस्थान में केवल जयपुर शहर में ही एक पासपोर्ट कार्यालय है, राजस्थान के अन्य नगरों में पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने के कारण लोगों को जयपुर आना पड़ता है इससे उनका काफी खर्चा होता है और वहां पर लोगों को महीनों इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए राजस्थान के और जो बड़े नगर हैं, उन सबमें पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे, उस समय उन्होंने पासपोर्ट सिस्टम का बहुत सरलीकरण किया था। पाकिस्तान आदि देशों में जाने वाले लोगों को सहूलियतें दी थीं, आज भी पाकिस्तान जाने वाले लोग या पासपोर्ट कार्यालय जाने वाले लोग वाजपेयी जी को याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मंत्री महोदय भी इस सारी

प्रशिक्षित करें और लागू करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे लोगों को निर्धारित समय के अन्दर पासपोर्ट मिल सकेगा, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं कि जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने भी पासपोर्ट की कीमत बढ़ाने के बारे में विचार किया है। मैं माननीय श्री मणि शंकर अय्यर जी के विचारों से सहमत हूं कि पासपोर्ट का मुद्दा विदेश मन्त्रालय के पास होना चाहिए लेकिन सभी तरह की जांच-पड़ताल सी० आई० डी० तथा पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। इसलिए यह एक मूल भ्रम है कि पासपोर्ट का मुद्दा विदेश मन्त्रालय के हाथों में है।

मैं सामान्यतः यह महसूस करता हूं कि यदि इस विधेयक को पारित करना है तो गृह मन्त्री को भी यहां होना चाहिए था ताकि वे हमारे विचार सुन सकें कि हम आपसे क्या चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप पासपोर्ट के लिए प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, सभी कागजात सी० आई० डी० और स्थानीय पुलिस इत्यादि के पास चले जाते हैं और उनके द्वारा जांच-पड़ताल कर लिए जाने के बाद जानकारी वापस भेज दी जाती है। वे कागजातों पर केवल 'स्टैम्प' लगाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि केवल स्टैम्प लगाने के लिए ही मंत्रालय ने अपने कार्यालयों को सब जगह फैला रखा है जहां कहीं भी उनके लोग मौजूद हैं। पासपोर्ट जारी करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग वे विदेश मन्त्रालय के लिए भी कर सकते हैं जो कि वे यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को सुधारने तथा विदेशी मामलों में अपना समय व्यतीत कर योगदान दे सकते हैं।

इसलिए मैं श्री मणि शंकर अय्यर जी से सहमत हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् हमें इस बारे में फिर सोचना चाहिए ताकि हम वास्तव में अपनी मूल समस्या हल कर सकें।

दूसरे, मैं अपने माननीय भा० ज० पा० सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिनके विचार हैं कि संसद के भूतपूर्व सदस्यों को भी राजनयिक पासपोर्ट जारी किये जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मन्त्री जी वास्तव में हम पर इतनी उदारता दिखाते हैं तो यह एक बहुत अच्छा संकेत होगा।

महोदय, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जाली पासपोर्टधारकों को सख्त से सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए। यह गिरोह देश में सक्रिय हैं और इसे रोकना केवल स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्राधिकरणों के हाथ में है। यहां हमें एक साथ काम करना चाहिए चाहे राज्यों में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों न हो। यह देश के लिए हानिकारक है और हमें इसे सुधारना चाहिए।

अन्त में, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक फीस में वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं सामान्यतः यह महसूस करता हूं कि आज के समय में धनी व्यक्ति तो इसका बोझ सहन कर सकते हैं परन्तु गरीब वर्ग इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए जहां तक फीस में वृद्धि का सम्बन्ध है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो पासपोर्ट अमेंडमेंट बिल

प्रस्तुत किया गया है उसको देखकर लगता है —"हीरे की लूट और कोयले पर छापा" बैंकिंग स्कैम में हजारों करोड़ रुपया उड़ा लिया गया और पासपोर्ट की फीस बढ़ाने जा रहे हैं। भाटिया साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे मन्त्री भी हैं, इनके जिम्मे तो पेट्रो-डालर वाला एरिया है, तो ये क्यों इस बिल को ला रहे हैं, जिसके द्वारा गरीब और साधारण लोगों को पासपोर्ट लेने के लिए अधिक फीस देनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, असल समस्या पासपोर्ट कार्यालय की है। खासकर के जो लोग रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए तो कोई फीस होनी ही नहीं चाहिए। कम से कम

4.00 म० प०

इस देश पर बोझ तो नहीं बन रहे। वे बाहर जाकर इम्पलायमेंट तलाश कर रहे हैं। पढ़ने वाले लोग भी, जहां पर शिक्षा में जो खर्च हो रहा है, उसमें कटौती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और ज्यादा छूट देनी चाहिए और पासपोर्ट फीस उनके लिए माफ कर देनी चाहिए।

दूसरी बात है कि पासपोर्ट आफिस कहां बना दिया गया, अभी हमारे साथी कह रहे थे वाजपेयी जी के टाईम में पासपोर्ट आफिस कहां बना दिया गया, मंत्री का कोई टाईम नहीं होता है, प्रधान मंत्री का टाईम होता है। वह जनता पार्टी का शासनकाल था, मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम जी उप-प्रधान मंत्री थे। पासपोर्ट के सम्बन्ध में सुविधा देने का काम उस समय किया गया था। अकेले वाजपेयी जी चाहते तो यह नहीं होता। पूरी सरकार का फैसला था, इसको लिब्रेलाइज किया गया। वाजपेयी जी भी थे उस सरकार में। पूरी सरकार का, जनता पार्टी की सरकार का यह कांट्रीब्यूशन है जिसमें पासपोर्ट के लिए राज्य की राजधानियों में यह व्यवस्था करायी। लेकिन अब राज्यों की राजधानियों में यह व्यवस्था है। राज्य में यह व्यवस्था अभी सही सलामत नहीं। पटना के पासपोर्ट आफिस में हम किसी के पासपोर्ट के लिए टेलीफोन करते हैं तो पासपोर्ट आफिसर अपनी समस्याएं गिना देते हैं। वह हम लोगों को कह देता है कि आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस सवाल को देखिए, उस सवाल को देखिए। मतलब वहां इम्पलाइज की कमी है। बिहार में गर्मी के दिनों में राजधानी रांची होती थी, पटना में पासपोर्ट आफिस है, आजकल झारखण्ड का भी मामला उठ रहा है, आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि रीजनल ऑफिस पासपोर्ट बनाने का रांची में भी खोला जाए।

एक बात मैं मंत्री जी और सदन को बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पासपोर्ट लेने में बहुत दिक्कत होती है। हमको मालूम होता है कि एक साल, डेढ़ साल लगता है। आम लोगों को दिक्कत होती है और एम० पी० का तुरन्त पासपोर्ट बन जाता है। एम०पी० होने के बावजूद हमने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया।...(**व्यवधान**)...पासपोर्ट हमने लोगों के साथ सिम्पैथी में, लोगों के साथ सोलिडैरिटी में नहीं बनवाया। साल, डेढ़ साल लगता है लोगों को पासपोर्ट बनवाने में, एक साल हो गया, इसके बाद हम बनवायेंगे, क्योंकि डेढ़ साल में बनता है। इसी के चलते विदेश जाने का मौका आया, स्पीकर साहब ने मेरे लिए ऐसा देश चुना जहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं, मेरे लिए नेपाल चुना। जब पासपोर्ट की जरूरत थी हमने कहा पासपोर्ट नहीं बनवायेंगे, एक साल से डेढ़ साल लगता है लोगों को बनवाने में, इसलिए हम उनकी सोलिडैरिटी में पासपोर्ट नहीं बनवा रहे हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी-से-जल्दी पासपोर्ट बनें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर भी विचार होना चाहिए कि सार्क देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए जैसे नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है वैसे ही सार्क देशों में जाने के

लिए परमिट की आवश्यकता हो, पासपोट की आवश्यकता हो न हो। कोई कार्ड बन जाए या परमिशन का सिस्टम हो, फुल-फलैज्ड पासपोर्ट की जरूरत न पड़े।

अन्त में, जो मणि शंकर अय्यर साहब ने कहा है अगर यह मान लिया जाए तो भयानक बात हो जाएगी। आइडियल तौर पर यह बड़ी अच्छी बात है कि पंचायत को यह अधिकार दे दिया जाए। मधुकर जी, बड़े अनुभवी नेता हैं, ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे। मैडम चेयरपरसन, डीसैंट्रलाइजेशन में मेरा पूरा विश्वास है, जितना ज्यादा मणि शंकर अय्यर जी 72 अमेण्डमेंट के लिए लगे थे उतना हम भी लगे थे, वे बता देंगे, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर पासपोर्ट बनाने की अनुमति दी गयी, पासपोर्ट आफिस से हटा कर तो पासपोर्ट आफिस में तो 10-15 हजार से काम चल जाता है, डिस्ट्रिक्ट में गए तो इसकी राशि बढ़ जायेगी। इसलिए पासपोर्ट आफिस बने रहने दीजिए। इम्पलाइज की संख्या बढ़ा दीजिए और रीजनल आफिस ज्यादा बना दीजिए। यही हमारा सुझाव है। बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

नयी आर्थिक नीति तथा नई औद्योगिक नीति को अपनाने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि रोजगार की समस्या को हल करने के लिए दो प्रकार के उपाय अपनाये जायें। पहला यह है कि जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाये जिससे हम अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकें। उसी समय में सरकार अधिक पासपोर्ट जारी करके जनजातीय वर्ग के लोगों की बाहर जाने में मदद कर सकती है जो विदेश जाने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तथा जो पैसा कमा सकते हैं। हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं, जिसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अधिक से अधिक विदेशों में भेजा जाए ताकि वे अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें। जिला मुख्यालयों या कम से कम राजस्व संभागीय आयुक्त के कार्यालय में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना चाहिए।

4 06 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

महोदय, मान लीजिए कि पासपोर्ट कार्यालय दूरस्थ स्थान पर स्थापित है; तो जनजातीय वर्ग के लोग तथा विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग पासपोर्ट लेने के लिए वहां अथवा दिल्ली नहीं आ सकते। इसलिए यह अधिक उचित होगा और तर्कसंगत होगा कि जिला मुख्यालयों या कम से कम राजस्व संभागीय आयुक्त के कार्यालय में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : सभापति महोदय, आजकल नौजवानों को सबसे बड़ी कठिनाई पासपोर्ट प्राप्त करने में हो रही है। हजारों नौजवानों को एक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर केरल के हजारों लोग नौकरी की तलाश में विदेशों में अर्थात् खाड़ी देशों में जाते हैं। उन्हें महीनों तक पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अंत में न तो उन्हें पासपोर्ट मिलता है और न ही नौकरी। देश का बहुत नुक-सान हो रहा है। मैं यह नहीं समझ सकता कि उन्हें पासपोर्ट के लिए महीनों इंतजार क्यों करना पड़ता है। जब वे पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि उनके पास कर्मचारियों

की कमी है या पासपोर्ट बुक नहीं है। ये कठिनाइयां हैं। यदि कर्मचारियों की कमी है तो सरकार को चाहिए कि इन कार्यालयों में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करे। हजारों प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं लेकिन पासपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। यह स्थिति हमारी समझ में नहीं आती।

श्री भाटिया एक बहुत ही प्रगतिशील मंत्री हैं। मैं जानता हूं कि वे एक प्रगतिशील व्यक्तित्व के इन्सान हैं और इसलिए वे समस्याएं हल कर सकते हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक नवयुवक को पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र देने के एक माह के भीतर पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। इस समय सत्यापन में छः-छः माह तथा कभी-कभी सालों लग जाते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे पास आए और मुझे बताया कि उनको वर्षों से पासपोर्ट नहीं मिला है। मैं इस स्थिति को समझ नहीं सकता। पासपोर्ट लेने के लिए नवयुवकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसलिए हम यह ध्यान रखें कि पासपोर्ट एक माह की अवधि में जारी कर दिए जाने चाहिए। यदि कर्मचारियों की कमी हैं तो आप कर्मचारी उपलब्ध करवाइए। यदि पासपोर्ट बुक की कमी है तो उनकी सप्लाई कीजिए।

कुछ समय पहले तक संसद सदस्यों को पासपोर्ट के कार्य सत्यापित करने का अधिकार था। अब यह अधिकार वापस ले लिया गया है। मैं नहीं जानता क्यों? इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमें इस कारण काफी खाली समय मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की सेवा करने के लिए यहां हैं। यदि यह उत्तरदायित्व हमें दिया जाये तो हम इसे निभाने को तैयार हैं और हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने को तैयार हैं। हम इस जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते। अब पुलिस कर्मचारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। वे काफी समय ले लेते हैं। इन सब बातों को समझना है और लोगों के दुःखों को दूर करना है।

यहां, आपने उल्लेख किया है कि फीस बढ़ाई जायेगी। लेकिन फीस में कितनी वृद्धि होगी। क्या आप इसे 500 रु० अथवा 1000 रु० तक बढ़ाने जा रहे हैं? इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "विशेष प्रतिभूति कागजात, मुद्रण, लेमीनेशन तथा पासपोर्ट जारी करने में हो रहे अन्य सम्बन्धित सेवाओं तथा यात्रा दस्तावेजों के खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित ऐसी फीस।"

हम यह जानना चाहते हैं कि आप फीस में कितनी वृद्धि करने जा रहे हैं। क्या आप केवल 25 रु० अथवा 50 रु० तक ही इसे बढ़ाने जा रहे हैं? आप इतने महत्वपूर्ण अधिकार चाहते हैं लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ऐसी चीजें मदद नहीं करती हैं।

मैं मंत्रीजी से चाहता हूं कि प्रत्येक नवयुवक को एक माह के समय के भीतर पासपोर्ट मिलना चाहिए। उसे नौकरी के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि उन्हें भारत में नौकरी नहीं मिलती है। वे केवल आतंकवाद फैलाने के इरादे से ही बाहर नहीं जाते हैं बल्कि वे इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें यहां नौकरी नहीं मिलती है। इससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वास्तव में हम नवयुवकों को पासपोर्ट जारी न करके देश के हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलना चाहिए। यदि यह स्थिति नहीं बदली तो भविष्य में इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

श्री बूटा सिंह (जालोर) : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे केवल एक-दो सुझाव देने हैं।

सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के बारे में कहा है और जिसमें कार्यालय का काम अधिक न हो। फिलहाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से पंजाब में, मैं हरियाणा के बारे में अधिक नहीं जानता हूं, विशेष स्थिति होने के कारण पासपोर्ट प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो गया है। पंजाब में प्रतिबंध लगाए गए हैं। जालंधर और चण्डीगढ़ स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को इसमें कठिनाई हो रही है। जो लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं उन्हें महीनों नहीं बल्कि वर्षों इन्तजार करना पड़ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कर्मठ और चतुर मंत्री श्री आर०एल० भाटिया पंजाब के रहने वाले हैं और वह पंजाब में लोगों की समस्याओं से अवगत हैं। पंजाब के अधिकांश लोगों की दोहरी परिवार प्रणाली है। आधा परिवार पंजाब में है और आधा परिवार विदेशों में है। विशेष रूप से जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और अमृतसर जिलों से लोग आजादी से भी पहले ही विदेशों में चले गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग दोहरे पासपोर्ट देने के लिए कह रहे हैं। मैं एन०आर०आई० एसोशिएशन का अध्यक्ष हूं। पड़ोसी देशों सहित दुनिया के कतिपय अन्य भागों के साथ-साथ भारत में भी हमारे पांच सम्मेलन हो चुके हैं। एक सम्मेलन में श्री आर० एल० भाटिया मौजूद थे और उन्होंने इस मांग पर विचार किया था। मैं समझता हूं कि अपने मौजूदा पद पर रहते हुए वह विदेशों में रह रहे उन भारतीय लोगों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे जिन्होंने विदेश से रहकर धन अर्जित किया है। यदि आप दोहरे पासपोर्ट के लिए विशेष शुल्क लें, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा और शायद वह लोग भी इसका बुरा नहीं मानेंगे। एक पासपोर्ट उनके पास उस देश का उस देश में रहने के अधिकार के कारण है और दूसरा पासपोर्ट अपनी मातृभूमि, अपने देश का उनके पास होना चाहिए। यह नई प्रणाली नहीं है। विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रथा है। मुझे विश्वास है कि श्री मणि शंकर अय्यर इस सम्बन्ध में मेरा साथ देंगे और अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरे पासपोर्ट जारी करने के मेरे अनुरोध का भी वह समर्थन करेंगे, सरकार को इससे धन भी प्राप्त हो सकता है।

मैं श्री इब्राहिम सुलेमान सेट के उस सुझाव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट को संघ सरकार की प्रतिष्ठा का दस्तावेज माना जाना चाहिए।

मुझे कश्मीर, राजस्थान और गुजरात इत्यादि सीमावर्ती राज्यों के सभी लोगों को पहचान पत्र देने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। हम धन की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? हमें उन्हें पासपोर्ट देने चाहिए। सीमावर्ती राज्यों के प्रत्येक गांव में एक पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए जिसके लिए सरकार को एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। उन्हें पासपोर्ट कार्यालय की सुविधा मिलेगी और वे इसके लिए भुगतान करेंगे।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री, जो प्रगतिशील और क्रांतिकारी हैं, ने अपना प्रभाव डाला है। मैं विदेश गया था। लोगों ने उनकी यात्रा के बारे में बातें करनी शुरू कर दी हैं और वह पंजाब में नए वातावरण बनाने के लिए बहुत अधिक समर्थन जुटाने में समर्थ होंगे, हमें नए मुख्य मंत्री और पंजाब सरकार को नई स्थिति बनाने, जिसमें लोग बहुत खुश हैं, के लिए बधाई देनी चाहिए, वहां पर अब डर नहीं है और आतंकवादी भाग गए हैं। अतः उन्हें पंजाब में पासपोर्ट नीति को उदार बनाना चाहिए और उन्हें पासपोर्ट की दोहरी प्रणाली शुरू करनी चाहिए जिससे लोगों के अधिकार प्रदान करने में बहुत हद तक सहायता मिलेगी। भारत से विदेशों में पासपोर्ट ले जाते समय उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।

इस निवेदन के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अपने सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनन्दन लाल भाटिया) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में अपना योगदान दिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मूल रूप से इस विधेयक पर दो घण्टे के अन्तर्गत चर्चा होनी थी परन्तु मैं समझता हूं कि चार घण्टे से अधिक समय हो गया है अनेक सदस्यों ने इसमें रुचि ली है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया है क्योंकि उनमें से कुछ सुझाव बहुत ही मूल्यवान या महत्वपूर्ण हैं और मैं इन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हो गया हूं।

सभी माननीय सदस्यों ने पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलंब पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। यह बात सत्य है। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु मेरी कुछ विवशताएं हैं जिनकी वजह से मैं निर्धारित समय पर या उससे पहले पासपोर्ट जारी करने में असमर्थ हूं। इससे पहले कि मैं मेरे मित्रों, इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूं, मैं अपनी उन विवशताओं से अवगत कराऊं जिनका मुझे पासपोर्ट शीघ्र जारी करने में सामना करना पड़ता है। मेरी पहली विवशता यह है कि हमें हर वर्ष आमतौर पर लगभग 7-8 लाख आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद यह संख्या बढ़कर एक मिलियन और उसके बाद 12 लाख हो गई। परन्तु पिछले आवेदन पत्रों की संख्या अचानक बढ़कर 25 लाख हो गई। मेरे कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम है और वह आवेदन पत्रों अन्तःप्रवाह को निपटाने में असमर्थ हैं। इसके लिए मैंने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया कि मुझे और कर्मचारी चाहिए परन्तु वहां से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। अतः मैंने प्रधान मंत्री को लिखा और उन्होंने मुझे मौजूदा कर्मचारियों के अतिरिक्त 400 कर्मचारी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है और इन 400 कमचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन पहले ही दिया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि हमें जल्दी ही 400 कर्मचारी मिल जाएंगे। यह स्थिति को आसान बनाने का एक तरीका होगा।

दूसरी विवशता पासपोर्ट की किताबें हैं। यह नासिक प्रतिभूति मुद्रणालय में मुद्रित हो रही हैं। इस मुद्राणालय की एक मिलियन या 12 लाख से अधिक की क्षमता नहीं है। अतः मैंने उनके साथ बैठकें की हैं और हमने उन्हें अपनी कार्यप्रणाली और आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए राजी किया है। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि वे नई मशीनें लगाएंगे और अगले वर्ष के आरंभ से हमें 25 लाख किताबें दे सकेंगे क्योंकि उन्हें नई मशीनों को स्थापित करने और इसी तरह के अनेक काम करने हैं, अतः उन्होंने मुझसे वायदा किया है कि वह हमारी मांग को पूरा करके मेरी सहायता करेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि क्या वे 25 लाख पुस्तकों के लिए मशीनें लगाएंगे। यह मांग 30 लाख तक बढ़ सकती है क्योंकि पासपोर्ट की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। परन्तु हम इस मामले पर निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं। मेरी एक कठिनाई यह है कि मैं निजी क्षेत्र में यह काम नहीं करवा सकता, क्योंकि यह एक बहुमूल्य दस्तावेज है और गृह मंत्रालय मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। अतः मुझे नासिक मुद्रणालय पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

दूसरी विवशता यह है कि पासपोर्ट हमारे कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखे जाते हैं। मैंने इस काम के लिए सरकार से कम्प्यूटर की मांग की है। सरकार ने मुझे कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए हैं और अब मैंने दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू कर दी है। परन्तु मुझे धन की आवश्यकता है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं। यदि आप धन देकर मेरा समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं इस मांग को पूरा सकूंगा और सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली

आरंभ कर सकूंगा । यह निश्चित रूप से हमारे लिए सुविधाजनक होगा और पासपोर्ट शीघ्र जारी करने में हमारी सहायता करेगा ।

पासपोर्ट आवेदकों की कठिनाइयों का मेरे कई मित्रों ने यहां पर उल्लेख किया है । ट्रैवल एजेंट्स स्थानीय पासपोर्ट अधिकारियों के साथ जालसाजी करके आवेदकों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं । वे मनमाने ढंग से धन वसूलते हैं । अत: इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने ट्रैवल एजेंट प्रणाली को समाप्त कर दिया है । अब कोई भी आवेदक पासपोर्ट के लिए सीधे ही पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकता है । उसे व्यक्तिगय रूप से आने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वह अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकता है ।

श्री चित्त बसु ने एक प्रश्न उठाया था कि उन्हें पासपोर्ट आवेदन फार्म मिलने में कठिनाई होती है । ट्रैवल ऐजेंट्स केवल आवेदन फार्म के लिए ही उनसे बहुत अधिक पैसा लेता है । मैंने उस प्रणाली को समाप्त कर दिया है और देश में 2000 स्थापित किए डाकघरों में लोगों को पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र उपलब्ध होंगे । लोगों को जिला प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों के पास जाने की अथवा पासपोर्ट कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं है । वे डाकघरों से पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र सकते हैं । ले वे पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें डाकद्वारा पासपोर्ट मिल जाएंगे ।

अब तक हम पासपोर्ट जारी करने के लिए पच्चास रुपए शुल्क ले रहे हैं । यह राशि 1975 में बढ़ाई गई थी । यह राशि बहुत कम है । पासपोर्ट की एक किताब की एक प्रति की लागत लगभग 160 रुपए पड़ती है । सरकार को इस पर नुकसान हो रहा है । इसीलिए मैं धन उपलब्ध कराने के लिए आपके पास आया हूं ताकि पासपोर्ट शीघ्र और संशोधित रूप में जारी किए जा सकें ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट का स्तर बहुत कुछ बदल चुका है । मौजूदा रूप में फोटो हटाना या हस्ताक्षर बदलना बहुत आसान है । परन्तु नवीनतम इलैक्ट्रानिक और लेमीनेटेड प्रणाली में, जो कि विश्व में आ चुकी है, इन चीजों को बदलना बहुत मुश्किल है । हम यह प्रणाली भी शुरू कर रहे हैं । मुझे इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि इस पर कितना पैसा लगेगा और मुझे इस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हर्षद मेहता से कुछ लेने का काम कीजिए ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपका सजेश्शन नोट कर लिया है—आप हर्षद मेहता को सपोर्ट कर रहे हैं । ··(व्यवधान)···

[अनुवाद]

पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे । अत: मुझे इसके लिए धन की आवश्यकता होगी और मुझे आशा है कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे । अधिकांश मित्रों ने आश्वासन दिया है कि वह निश्चित रूप से मेरे साथ सहयोग करेंगे ।

साधारणत: जो भी व्यक्ति विदेश जाता है वह हवाई अड्डा कर के रूप में 300 रुपए अदा करता है । ट्रैवल एजेंट बहुत सा धन लेते हैं । मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए बिचौलियों को पांच से दस हजार रुपए दे रहे हैं । बहुत से मित्र इस बात

को मेरे ध्यान में लाए हैं। बिचौलियों को दी गई धनराशि वास्तव में ऊपर बताई गई राशि से कहीं अधिक होती है। मैं इस बात को मानता हूं। इस सब को समाप्त करने के लिए मैं प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पासपोर्ट शीघ्र जारी हों और मैं बिचौलियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इन सभी सेवाओं के लिए मुझे धन की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि आप इस सम्बन्ध में मेरी सहायता करने की कृपा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मन्त्री जी, क्या एअरपोर्ट फीस खत्म हो रही है।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं इस बात पर आ रहा हूं। यह बात मेरे विभाग के अधीन नहीं है।

इसके अलावा मैं 'जम्बो' पास जारी करने वाला हूं। व्यापारी अक्सर विदेश आते-जाते रहते है। ट्रैवल एजेण्ट भी अक्सर आते-जाते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन सिंगापुर जाते हैं और यहां से सामान ले जाते हैं और वहां से सामान लाते हैं यह एक व्यापार बन गया है। यही बात अब मध्य एशिया के सम्बन्ध में भी हो रही है। सभी हवाई जहाज आने-जाने वाले लोगों से भरी हुई होती हैं। लोग सप्ताह में एक बार अथवा दो बार विमान यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि पासपोर्ट में पृष्ठों भी संख्या सीमित है। इन लोगों के लिए आपको एक बड़ी पुस्तक की जरूरत है। उनके लिए मैं अधिक पृष्ठों वाले भारी-भरकम पासपोर्ट जारी करने हेतु 500 रुपये के शुल्क का प्रस्ताव करता हूं। जो लोग अक्सर विमान-यात्रा करते है उन पासपोर्टों को प्राप्त कर लेंगे, ताकि उन्हें बार-बार पासपोर्ट कार्यालय में न जाने की आवश्यकता न हो और उनका अपना एवं हमारा समय भी व्यर्थ न हो।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने पुलिस जांच के बारे में शिकायत की है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि पुलिस वाले एक महीने में भीतर चरित्र-सत्यापित कर दें, तो सही है; अन्यथा पासपोर्ट अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उनकी उपेक्षा कर दे और पासपोर्ट जारी कर दे। (व्यवधान)

चरित्र-सत्यापन का कार्य बाद में हो सकता है। मैंने इस प्रकार से अधिक शक्तियां देने के लिए कहा है। एक माननीय सदस्य ने पूछा, मैंने अधिक शक्तियों की मांग क्यों की। यदि मान लीजिये 3 से 4 महीने की अवधि बाद एवं सत्यापन के बाद, मेरे ध्यान में लाया जाता है कि पासपोर्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति वांछनीय व्यक्ति नहीं है, तो मैं उसका पासपोर्ट जब्त करने में सक्षम हूंगा। लेकिन मात्र पुलिस-सत्यापन न हो पाने के कारण पासपोर्ट जारी करने में देरी नहीं होगी। अगर पुलिस चरित्र-सत्यापन एक माह के भीतर कर देती है, तो सही है; अन्यथा पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट जारी करने हेतु आगे कार्रवाई कर सकेगा। (व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : आप ऐसा मत कहिये कि चार महीने की अवधि के अन्दर पासपोर्ट जारी कर 'सकते' हैं, आप कहिये 'अवश्य' जारी करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : एक महीने के अन्दर पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। मैंने पहले ही हिदायतें दे दी हैं। वे उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते। अगर एक महीने के अन्दर सत्यापन-रिपोर्ट प्राप्त आती है, इसे रहने दीजिए; हम ऐसा कर देंगे।

कुछ मित्रों ने यह भी सुझाव दिया है कि संसद-सदस्यों को इसका सत्यापन करना है। लेकिन उनमें से अधिकांश ने कहा है कि 'खुदा के लिए, इस पद्धति को लागू मत करिये, यह मुश्किल होगा'। अतः मैं इस पद्धति को लागू नहीं कर रहा हूं।

महोदय, श्री ओस्कर फर्नान्डीज तथा कुछ अन्य साथियों ने भी सुझाव दिया था कि संसद-सदस्यों की कोई समिति होनी चाहिए, जिसे पासपोर्ट कार्यालय में जानी चाहिये और आवेदकों की मुश्किलों का पता लगाना चाहिये। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में प्रत्येक पासपोट कार्यालय में सलाहकार समितियां, जिनमें संसद-सदस्य, विधायक एवं विशिष्ट स्थानीय लोग होंगे, भेजने की शुरुआत की है। अतः इन सभी स्थानीय समस्याओं की देख-रेख आप लोगों द्वारा की जायेगी। अतः, एक संसदीय समिति को भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्थानीय पासपोर्ट समितियां छोटी-छोटी समस्याओं, की देखरेख करने में सक्षम होंगी। **(व्यवधान)**

महोदय, कुछ मित्रों ने प्राक्कलन समिति के प्रस्ताव और पासपोर्ट विधेयक तथा आप्रवासन विधेयक के बारे में सिफारिशों का हवाला दिया है। वह मामला पहले ही विधि मन्त्रालय को सौंपा हुआ है, वे इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं और जब उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, मैं आपके समक्ष व्यापक-विधेयक सहित उपस्थित हो सकूंगा, लेकिन इस बीच विधि मन्त्रालय उन विधेयकों की जांच-पड़ताल कर रही है।

फातमी जी ने सुझाव दिया है कि जिला मुख्याभयों द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने चाहिये। ऐसा करना एक ओर एजेन्सी का आविर्भाव करना होगा, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। मैंने सभी बिचौलियों तथा एजेन्सियों को समाप्त कर दिया है। अब, आप डाक द्वारा सीधे पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, आपको डाक द्वारा पासपोर्ट मिल जायेगा। मेरे विचार से अन्य एजेन्सियों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। **(व्यवधान)**। मैं एक-एक करके आप सभी द्वारा उठाये गये मुद्दों को ले रहा हूं। मैं सभी के सुझावों पर आ रहा हूं।

अनेक सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया था कि जो लोग—विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं और जो मजदूर, रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पासपोर्ट मिलना चाहिये। श्री जोशी जी ने ऐसा सुझाव दिया है तथा अनेक अन्य मित्रों ने इसके बारे में कहा है। इसके लिए मैंने पहले ही अपने पासपोर्ट अधिकारियों को यह हिदायतें दी हैं कि जिस किसी को विदेश में रोजगार मिल गया है और आश्वासन तथा एक पत्र मिल गया है, उस पत्र को दिखाने मात्र से ही, उसे तत्काल पासपोर्ट दे दिया जायेगा। दूसरे, जो कोई विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर उसके पास प्रवेश-पत्र है, उसे भी सीधे अधिकारी के पास पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जाना चाहिये और यह पासपोर्ट उसे जारी कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : ऐसा लगता है कि आप तो वाजपेयी जी से भी आगे जाएंगे?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपकी दुआ से।

[अनुवाद]

प्रो० राम कापसे ने किसी ठाकुर सिंह जो टी० ए० डी० ए० अन्तर्गत थे, का उल्लेख किया है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि मैंने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है क्योंकि बाद में जब कोई व्यक्ति मेरे पास आवेदन-पत्र सहित आता है और पुलिस सत्यापित करती है, तो मेरे पास उस प्रार्थना-पत्र को लेने से इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अगर यह बात मेरे पास लाई जाती है, तो इसी वजह से मैं इसे जब्त करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं, जिसका कि आपने यह कहकर, 'आप शक्ति प्राप्त करना क्यों चाहते हैं', विरोध कर दिया था।

श्री राम कापसे : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसका समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, मैं एक और प्रस्ताव आपके समक्ष लाया हूं। लोगों को पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु पासपोर्ट कार्यालय में आना पड़ता है। अतः, मैंने पासपोर्ट की काल-अवधि को दस वर्ष बढ़ा दिया है। अब, मैं पांच वर्षों तक पासपोर्ट जारी नहीं करूंगा, लेकिन कोई पासपोर्ट प्राप्त करने वाला आवेदक अब दस वर्षों तक पासपोर्ट प्राप्त नहीं करेगा, ताकि वह मेरे कार्यालय पर भीड़ नहीं करता और उसे बार-बार कार्यालय आने की असुविधा भी नहीं होती। एक और आपत्ति यह थी कि लोगों को एक वर्ष तक अस्थायी पासपोर्ट प्रदान नहीं किया जाता है। मैंने अपने प्राधिकारियों को कहा है कि पासपोर्ट दस वर्ष के लिए दिया जाना चाहिये। कारण वही है कि इन लोगों को बारम्बार आने की आवश्यकता नहीं है।

कालीकट, मंगलौर, अरनाकुलम, विजयवाड़ा और देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के अनेक प्रस्ताव थे। (व्यवधान)। अगर आप मेरी मदद करें और मुझे काफी शुल्क वसूल करने की अनुमति दे दें, तो फिर मैं इन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर सकता हूं, मैं और अधिक कार्यालय खोल सकता हूं और मैं और अधिक कर्मचारी रख रख सकता हूं। कुछ अन्य माननीय सदस्य मुझसे यह जानना चाहते हैं कि मैं यहां घोषणा करूं कि मुझे कितनी धनराशि चाहता है। मुझे विदित नहीं है कि मुझे कितने कार्यालय खोलने हैं और इसलिए मैं उन सदस्यों से जिन्होंने सुझाव नहीं दिया है, उन्हें मुझे लिखना चाहिए, ताकि मैं तैयार करने के योग्य हो जाऊं कि कम्प्यूटरीकरण आदि जैसे आधुनिकीकरण के लिए कितना खर्च आयेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वाणिज्यिक विभाग नहीं है, बल्कि यह एक सेवा-विभाग है। अतः, जो कुछ भी आप मुझे देंगे, वहां तक मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूंगा, लेकिन कृपया उस पर कोई शर्त न लगायें।

दक्षेस राष्ट्रों के बारे में एक और प्रस्ताव था। इस सम्बन्ध में पासपोर्ट जारी करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है तथा संसद सदस्यों एवं दक्षेस देशों में निर्णायकों के लिए कोई वीसा-पद्धति नहीं होनी चाहिये, इस पर कारंवाई चल रही है। अपने देश में, हमने यह स्टीकर जारी करने शुरू कर दिये हैं। अभी तक 31 व्यक्तियों को ये स्टीकर जारी किये जा चुका है, जिनके द्वारा वे बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका जा सकते हैं। उसके लिए संसद सदस्यों को किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है? अतः मैं, श्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि कम-से-कम मुझे एक आवेदन भेज दें, ताकि मैं उन्हें एक पासपोर्ट जारी कर सकूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : साल-डेढ़ साल लोगों को सौलीडेरिटी में लगता था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपके पास निपुणता के लिए भाईचारा होना चाहिए, न कि पासपोर्ट हेतु आवेदन न करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए। ज्यों ही आप पासपोर्ट हेतु आवेदन करते हैं, मैं आपको तत्काल इसे जारी कर दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो मन्त्री अच्छा बोलते हैं आजाद साहब उनको डिस्टर्ब करते हैं। भाटिया साहब अच्छा बोल रहे हैं, सारा हाउस उनके साथ हो रहा है और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस सम्बन्ध में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बीमा एजेंट हुआ करते थे और वे बताते थे कि वे देय-राशियों का भुगतान अतिशीघ्र कर देंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी कम्पनी इसका भुगतान एक माह की अवधि के अन्दर अदा कर देगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसकी कम्पनी इसका भुगतान आठ दिन के भीतर कर देगी। फिर, तीसरा व्यक्ति एक अमेरिकन नागरिक था और उसने कहा कि इस युग में, देय-राशियों का यह भुगतान तत्काल किया जाना चाहिये। उसने कहा, "हाल ही में एक व्यक्ति एक भवन की तेईसवीं मंजिल की छत से गिर रहा था। उस भवन में हमारा कार्यालय चौथी मंजिल पर था। अतः, जब वह मरने ही वाला था, हमने उसे एक चैक दिया है और यही हमारी निपुणता है।" अतः, कृपया मुझे धनराशि दीजिये और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं आपके प्रति अपने कर्त्तव्यों को निभाने में सक्षम हूंगा।

अन्य देशों में गुम हुए पासपोर्टों के बारे में भी उल्लेख किया गया था। मुझे अनेक शिकायतें मिली हैं कि हमारे अनेक मित्रों के, जो कि विदेश जाते हैं, के थैले चुराये गये हैं अथवा वे गुम हो गये हैं, आदि। ऐसी स्थिति में, मैंने अपने विदेशों में स्थित सभी दूतावासों को निर्देश दिये हैं कि फोटो अथवा पासपोर्ट की परवाह किये बिना, वे तत्काल उन्हें प्रमाण-पत्र दे दें, ताकि वे वापिस घर आ जायें।

राजनैतिक-पासपोर्टों के बारे में, सही है, सभी सांसद विशेषाधिकार प्राप्त हैं। श्री मोहन सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि अनेक अन्य मित्रों तथा भूतपूर्व संसद-सदस्यों को भी यह विशेषाधिकार मिलना चाहिये। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। स्वतंत्रता-दिवस से लेकर कुछ लोग एक कार्यकाल के लिए, कुछ-दो-कार्यकाल के लिए और इसी प्रकार ज्यादा कार्यकालों तक संसद सदस्य रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति जी, प्राइम मिनिस्टर ने दो बार आश्वासन दिया था कि पासपोर्ट आफिस जम्मू में खोल दिया जायेगा क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जम्मू में इसका आफिस खोल दें।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जम्मू में कार्यालय स्थापित करने के लिये आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हैं।

भूतपूर्व संसद-सदस्यों के लिए राजनैतिक पासपोर्ट के बारे में, ठीक है, मुझे अपने साथियों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। मेरे विचार से, ऐसा करना सम्भव होगा। लेकिन तत्काल में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं निश्चित रूप से इस मामले पर गौर करूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर ने क्रांतिकारी सुझाव दिया है। मेरे विचार से इसमें बहुत कठिनाइयां हैं और यह गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित है। हम ऐसी बातों की सम्भावना देखेंगे।

सरदार बूटा सिंह ने दोहरी पासपोर्ट प्रणाली के बारे में कहा है। मुझे अप्रवासी भारतीयों अथवा अन्य देशों में रहने वाले व्यक्तियों को दो पासपोर्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे लिए कठिनाई यह है कि भारत ने दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है और जब तक दोहरा पासपोर्ट देना सम्भव नहीं है।

डा० सी० सिलवेरा : मिजोरम और नागालैंड के लोगों को दोहरी जांच की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए? अन्यथा लोग स्वयं को अलग-थलग मानेंगे। केवल इन्हीं राज्यों में लोगों को दोहरी जांच का सामना करना पड़ता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैंने आपकी बात नोट कर ली है। लेकिन यह गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है, मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें लिखूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से यह विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मन्त्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस कारण इनका ऐलिवेशन कैबिनेट में होना चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ संशोधन हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मन्त्री जी ने नई राहत देने वाली बातें कही हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें जिनसे पासपोर्ट बनाने वालों को सुविधा हो सके। इसी निवेदन के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने की माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : मन्त्री जी ने कुछ अच्छी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से मेरी मजबूरी है। मैं इसके लिये उन्हें थोड़ा समय देना चाहता हूं। इस कारण मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने की माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2 में श्री राम बदन का एक संशोधन है।

मेरे विचार से वे उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं खंड 2 से 10 तक सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम अगली पद पर विचार करेंगे—मद संख्या 15 । श्री जी० वेंकट स्वामी ।

4.42 म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नए भाग 9 का अंतःस्थापन)

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :*

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।"

सबसे पहले मैं संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करना चाहता हूं । यह केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी यह दायित्व सौंपता है कि वे ग्राम पंचायतें स्थापित करें और उनका विकास करें ताकि उन्हें प्रभावी, स्वशासी सस्थान बनाया जाए । तथापि, 42 वर्ष बाद भी हम संविधान के निर्माताओं की आशाओं को पूर्ण नहीं कर सके । इसीलिए, हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार ने सविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 प्रस्तुत किया है । वास्तव में हम गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी ग्राम स्वराज को गांधीवादी संकल्पना हमारे राजनीतिक संघर्ष का मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रही है । 1947 से ही इस विचार को कार्य रूप देने का प्रयास किया जाता रहा । पंडित जी ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मूल यंत्र के रूप में स्थापित किया । श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया और श्री राजीव गांधी ने देश में लोकतन्त्र बनाए रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया । इन सभी प्रयासों के बावजूद, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश के अनेक भागों में पंचायती राज संस्थाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया ।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि समय-समय पर कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं । वास्तव में कुछ राज्यों— जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुपालन में पंचायती राज ढांचे को मजबूत किया गया था । हाल ही में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जिला और मध्यवर्ती स्तर पर शक्तियों का व्यापक दुरुपयोग किया गया है ।

तथापि, इन राज्यों को छोड़कर अधिकांश अन्य राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं राज का रिकार्ड अच्छा नहीं रहा । दूसरी ओर अनेक राज्यों में विद्यमान पंचायती राज ढांचे को कमजोर करने के लिए इसी स्तर पर अन्य नामांकित निकास स्थापिए किए गए । चुनाव अनियमित ढंग से होते हैं और कभी-कभी अनावश्यक विलम्ब किया जाता है अथवा उन्हें स्थगित किया जाता है ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

चयनित निकायों को बिना किसी कारण से सरकार ने मनमाने ढंग से निलम्बित कर दिया . जहां यह संस्थान कार्य कर रहे हैं वहां ग्रामीण समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का एकाधिकार है और इनका उपयोग ऐसे वर्गों के विदित हितों के लिए ही किया जाता है ।

अत: यह महसूस किया गया कि निम्न स्तर पर लोकतन्त्र के लिए संविधानिक स्वीकृति उतनी ही आवश्यक है जितनी राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर लोकतन्त्र के लिए । अत: हम संविधान में निम्न स्तर के लोकतन्त्र के मुख्य तत्व शामिल करना चाहते हैं ताकि उन्हें बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से दूर रखा जा सके .

मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमने विधेयक में यह प्रावधान सीमित विषयों तक ही रखे है । हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राव के विभिन्न संस्थान हैं । हम किसी भी प्रकार से राज्यों की उपेक्षा नहीं करना चाहते और न ही उस क्षेत्र का अतिक्रमण करना चाहते हैं जो संविधान द्वारा उन्हें सौंपा गया है । जैसाकि आप सभी जानते हैं कि जनता की राय जानने और विभिन्न उपबन्धों के बारे में राज्यों से परामर्श करने के लिए विधेयक दिसम्बर, 1991 में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था । संयुक्त समिति ने पिछले सत्र में अपना प्रतिवेदन दे दिया था । हमने संयुक्त समिति की सिफारिशों और संशोधनों की जांच की है और संसद में विभिन्न राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया था । इन बैठकों में व्यक्त विचारों को देखते हुए हमने कुछ सरकारी संशोधनों का प्रस्ताव किया और मुझे विश्वास है कि सभा इन्हें अपना पूर्ण समर्थन देगी । हम महसूस करते हैं कि वास्तव में लोकतन्त्र तभी पनप सकता है जब राज्य और केन्द्र मिलकर कार्य करें ।

व्यापक स्तर पर हम मूल और आवश्यक मुद्दों को सांविधानिक गारंटी देना चाहते हैं जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने और राज्यों के सहयोग से वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपना शामिल है । मैं संक्षेप में संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित संविधान संशोधन विधेयक की कुछ मूल विशेषताओं और उनके औचित्य के बारे में बताऊंगा ।

ग्राम सभा, जो हमारे पंचायती राज प्रणाली की नींव है, को व्यापक कार्य सौंपे गए हैं यह ऐसे कार्य करेगी और उन शक्तियों का उपयोग करेगी जो राज्य विधान सभा द्वारा इसे सौंपे गए हैं । इसमें संयुक्त निर्णय लेने की प्रथा होनी चाहिए और ग्राम स्तर पर भागीदारी लोकतन्त्र की छवि होनी चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राम सभा को केन्द्र बिन्दु माना ।

हमारा यह प्रयास रहा है कि राज्यों पर एकरूपता और कठोरता न थोपी जाए । इसलिए जहां विधेयक में ग्रामीण, माध्यमिक और जिलास्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वहां 20 लाख तक की जनसंख्या वाले छोटे राज्यों को माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठित न करने का विकल्प भी दिया गया है । यद्यपि हम संयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्तरीय ढांचे से सहमत हैं । हमने छोटे राज्यों को उसी तरह का विकल्प दिया है जैसाकि उस विषय पर 1989 के पहले संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है । मुझे उम्मीद है कि सभा हमारे इन विचारों से सहमत होगी ।

जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया था कि पंचायती राज संस्थाओं के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन, निर्धारित समय में नियमित रूप से चुनावों का न कराया जाना है । दूसरी ओर उन्हें बिना

किसी पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारणों के काफी लम्बे समय से निष्क्रिय वनाकर छोड़ दिया गया है। यदि इन संस्थाओं को कारगर, जीवन्त एक सक्रिय ढंग से कार्य करना है तो इनके लिए नियमित समयावधि से निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसी प्रयोजनार्थ हमने ऐसा प्रस्ताव किया है कि सभी पंचायत संस्थाओं की कार्यविधि 5 वर्ष होनो चाहिए और प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से इनका चुनाव होना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि का कार्यकाल युक्तिसंगत होगा और इस अवधि में ये संस्थाएं जनादेश कौ कारगर ढंग से लागू कर पाएंगी।

पंचायत राज संस्थाओं को बाहर से गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ता है। बरखास्तगी का खतरा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता है। ऐसा अनेक बार हो चुका है कि इन संस्थाओं को रद्द कर दिया गया और उसके पश्चात् वर्षों तक इनके चुनाव नहीं करवाए गए। पंचायत राज संस्थाओं को बाह्य अतिक्रमण से समुचित रूप से पृथक और प्रतिदलित किया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रथा को समाप्त करने हेतु हमारा यह प्रस्ताव है कि पंचायत संस्थाओं को विघटित किए जाने के 6 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से इन संस्थाओं का चुनाव हो जाना चाहिए। ऐसा किए जाने से कार्यपालिका और राजनीतिक दलों को अपनी इच्छा और अवसरवादिता पर पंचायती राज संस्थाओं को अनिश्चितता की स्थिति में रखने के वर्तमान अवाधित एव व्यापक अधिकार नहीं रहेगा। इससे इन सस्थाओं में सुदृढ़ता आएगी और उनकी छवि में सुधार आएगा उनकी कारगरता बढ़ेगी।

संयुक्त समिति ने ग्रामीण माध्यमिक और जिला स्तर अर्थात् सभी तीनों स्तरों पर पंचायत में सदस्यों के लिए सीधे चुनाव का प्रावधान किया है। हम जिला स्तर पर पंचायतों में सदस्यों के चुनाव के बारे में राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में विद्यमान विविधताओं से परिचित हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया राज्य विधानमण्डल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि सीधे निर्वाचित सदस्य स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं, उन्हें अधिकार सीधे मतदाताओं से प्राप्त हैं। इसलिए हम ग्रामीण और माध्यमिक स्तर पर सदस्यों का सीधे चुनाव कराए जाने से सहमत हुए हैं।

यद्यपि 1991 में पुरःस्थापित विधेयक में मतदान का अधिकार सभापति और सीधे निर्वाचित सदस्यों को दिया गया था। अब हम संयुक्त समिति द्वारा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर लोक सभा और राज्य सभा दोनों के संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व तथा इन स्तरों पर पंचायत के अन्य सभी पदेन सदस्यों को मतदान के पूर्ण अधिकार के बारे में की गई सिफारिशों से सहमत हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रावधान का स्वागत करेगी।

संयुक्त समिति ने ग्रामीण स्तर पर पंचायत के सभापति के सीधे चुनाव की व्यवस्था की है। हम समिति की इस सिफारिश से सहमत हैं यद्यपि कतिपय सदस्यों ने इस बारे में अपने अलग विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में ग्रामीण पंचायत का सभापति मतदाताओं के एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह सम्भव है कि वह व्यक्तिगत रूप से मतदाताओ में सीधा सम्पर्क साधे। इसलिए सीधे निर्वाचित ग्रामीण पचायत का सभापति अन्य निर्वाचित सदस्यों के समर्थन पर कम निर्भर करेगा और इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूप से निर्वाह करेगा। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रावधान का स्वागत करेगी।

हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुरूप होता है; वहीं महिलाओं के लिए हमने प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों के कम-से-कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। अगर हम यह सोचें कि महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होती है। तो उनके लिए किया गया यह आरक्षण भी अपर्याप्त माना जा सकता है। लेकिन अनेक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश राज्यों में इस दिशा में अब तक जो प्रयास किया गया है यह उससे अधिक ही है। यद्यपि संयुक्त समिति ने पंचायत और नगरपालिका विकासों के बीच अधिक समानता हासिल करने हेतु अनिवार्य परिक्रम आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित सीटों के आबंटन के बारे में हमारे पहले के प्रावधानों का समर्थन किया है, हमने परिक्रम की वास्तविक प्रक्रिया का निर्णय स्वयं राज्यों पर ही छोड़ने का प्रस्ताव किया है। मैं आशा करता हूं कि सभा इस तथ्य का समर्थन करेगी।

माननीय सदस्य इस बात पर भी गौर करें कि विधेयक में सभापति के पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। यह तथ्य अपने आपमें एक महत्वपूर्ण नवीनता लिए हुए हैं। हमारे विचार से इस तथ्य से आरक्षण और अधिक सार्थक हो जाएगा जिससे उन समुदायों के सदस्य, जो चिरकाल से आर्थिक और सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां से वे इन संस्थाओं के कार्यकरण में कारगर ढंग से भाग ले सकेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सन्दर्भ में इन आरक्षणों के लिए किए गए प्रावधानों के महत्व को स्वीकार करेंगे और पूरी तरह से इनका स्वागत करेंगे।

हम सदस्यता की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष करने के बारे में संयुक्त समिति की सिफारिशों से भी सहमत हैं क्योंकि कई राज्य पंचायत राज अधिनियमों में इसका प्रावधान किया गया है। अयोग्यता सम्बन्धी विवादों को निपटाने के अधिकार के बारे में संयुक्त समिति द्वारा किए गए संशोधन की भी हम समर्थन करते हैं। अब राज्यों को अपने एक अलग प्राधिकारी की नियुक्ति होगी। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रावधान से भी सहमत होगी।

विद्यमान पंचायती राज्य संस्थाओं की एक कमजोरी यह है कि उनके पास धन की कमी रहती है। उनके पास अपने बहुत कम संसाधन हैं, उन्हें अपनी वित्त व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

5.00 म० प०

वित्तीय अनुदान राजनीतिक कार्यकारिणी की इच्छा पर तदर्थ आधार पर दिये जाते हैं। जब तक पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वे उनका परिपूर्ण विकसित होना असम्भव रहेगा। इसलिए हमने विधेयक में प्रस्ताव किया है कि पंचायत राज संस्थाओं को अनिवार्यता आधार पर वित्त अन्तरण प्रणाली लागू की जाए। इस प्रयोजनार्थ हमने प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया है जो पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित मानदण्ड निर्धारित करेगा एवं समुचित सिफारिशें करेगा? संविधान संशोधन विधेयक का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें उम्मीद है कि इससे पंचायत राज संस्थाओं को एक ठोस वित्तीय आधार सुनिश्चित हो पाएगा जिससे उनकी स्वायत्ता और उनके अधिकार में अभिवृद्धि होगी।

पंचायतों के चुनावों के बारे में पुनः स्थापित विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य को मुख्य चुनाव अधिकारी की देखभाल और सचालन में पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि राज्य विधान मण्डल इस प्रयोजनार्थ एक पृथक प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। इस सुझाव को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने यह सुझाव दिया है कि पंचायतों के चुनावों की देखरेख, संचालन और नियन्त्रण का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को दे दिया जायेगा जिसका प्रमुख राज्य चुनाव आयुक्त होता है। यह एक स्वतन्त्र आयोग होगा और स्थानीय निकायों के चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष कराने हेतु उत्तरदाई होगा। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रावधान का स्वागत करेगी।

हमने संविधान संशोधन विधेयक सघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू करने का प्रावधान किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होगी। उक्त अपवादों एवं सम्बन्धित संशोधनों का भी प्रावधान किया गया है। हमने अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों—नागालैण्ड, मेघालय, एवं मिजोरम तथा कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों को इससे मुक्त रखा है। मैं आशा करता हूं कि सभा इन प्रावधानों का समर्थन करेगी।

हमें इस बात की जानकारी है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अनुरूप राज्यों में कानून बनने में कुछ समय लग सकता है। यद्यपि इनमें से उपबन्ध धीरे-धीरे किसी न किसी रूप में कई राज्य के कानूनों का अंग बनने लगे हैं। तथापि इनमें कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने विधेयक में यह प्रावधान किया है कि मौजूदा उपबन्ध संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष की अवधि तक या जब तक इन्हें सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त न किया जाए। जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।

हमने यह भी प्रावधान किया है कि संविधान संशोधन विधेयक लागू होने से तत्काल पूर्व विद्यमान पंचायती राज निकायों को उनकी अवधि समाप्त होने तक बनाए रखा जाएगा, जब तक कि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य के प्रत्येक विधानमण्डल द्वारा इस हेतु एक संकल्प पारित करके उसे भग नहीं कर दिया जाता है।

इस संशोधन की भावना तथा इसकी विद्यमान मुख्य बातों को बनाए रखते हुए राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे अपने राज्यों में स्थापित पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए अपने कानून बना सकती है। हम राज्य सरकार चाहें तो व्यापक कानून बनाने में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिए उचित दिशानिर्देश भी जारी कर सकती है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निचले स्तर तक ले जाने के प्रति वचनबद्ध हैं। हम लोकतान्त्रिक निकायों को निचले स्तर से ऊपर उठाने के लिए अपने वायदे के प्रति दृढ़ निश्चयी है जो समाजता और न्याय, जनता के सच्चे प्रनितिधि और सच्चे अर्थों में उनके विकास के लिए हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले में इस बात पर जोर देना चाहूंगा। कि यह संविधान संशोधन विधेयक केवल शुरूआत है और प्रयास में हमारी उत्सुकता दर्शाता है। गांधी जी ने कहा था:

"स्वतन्त्रता निचले स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए, अतः प्रत्येक गांव एक गणराज्य या पंचायत होगी, जिसके पास पूरे अधिकार होंगे।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : सरकार के संशोधनों के अलावा, सदस्यों के अन्य संशोधन हैं जिन्हें अभी परिचालित किया जाना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय मन्त्री जी जो बिल लाये हैं, यह अनकांस्टीट्यूशनल है और इनकी इंट्रोड्यूस करने का मैथड ठीक नहीं है। इस बिल को आफिसेंसलैंगवेज 1963 एक्ट की धारा 33 के अनुसार दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो केवल एक ही भाषा में आपने प्रस्तुत किया है। इसलिये यह अवैधानिक है। इसको देखा जाये। मैंने रूल के अनुसार यह प्वायंट ऑफ आर्डर रेज किया है। इसलिए माननीय मंत्री जी को हिन्दी में भी उपलब्ध कराना चाहिए था। मुझे इस बात पर आपत्ति है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : यह हिन्दी में उपलब्ध है, आप पब्लिकेशन काउंटर से ले लें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमको नहीं मिला है। जब तक हिन्दी नहीं मिलेगा, हम वाद-विवाद में कैसे भाग ले सकते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि काउंटर पर हिन्दी में प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं। आप काउंटर से उन्हें ले सकते हैं।

अब कार्य सलाहकार समिति में मुझे बताया गया था कि इस विधेयक तथा मद संख्या 17 पर दर्शाये गये विधेयक पर एक साथ चर्चा की जाएगी। यदि ऐसा किया जाना है तो नियम 66 को निलंबित किया जायेगा क्योंकि नियम 66 में बताया गया है :

"कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिए केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

अतः जब तक हम इस नियम का निलंबन नहीं करते, हम दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा नहीं कर सकते। अतः श्रीमती शीला कौल नियम 66 निलंबित करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

5.09 म० प०

नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, जितना कि वह संविधान (72वां संशोधन) विधेयक 1991 पर निर्भर है, जैसा कि संयुक्त समिति ने प्रतिवेदित किया है, पर क्रियान्वयन का निलम्बन करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, जितना कि वह संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 पर निर्भर है, जैसाकि संयुक्त समिति ने प्रतिवेदित किया है, पर क्रियान्वयन का निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नए भाग 9 क का अन्तः स्थापन)

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान, संयुक्त समिति द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस सदन को यह जानकारी है कि 1989 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, जो लोकतन्त्र को निचले स्तर पर सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्ध थे, ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु दो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए थे। दुर्भाग्यवश उस समय राज्य सभा में ये विधेयक पारित नहीं हो सकें। जब हमने 1991 में जनादेश मांगा, तो हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर हम इन विधेयकों को पुनः प्रस्तुत कर देंगे। हमने लोगों से किया गया वह वायदा निभाया और संविधान (73वां संशोधन) विधेयक 1991, जो नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है, को 16 सितम्बर, 1991 को सदन में प्रस्तुत किया।

महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन ने इस विधेयक को दोनों सदनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने का निर्णय लिया है। मैं यह निश्चित रूप से संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों विशेषकर उसके सभापति श्री सिंहदेव का इस बात के लिए आभारी हूं कि इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को देखने और अपनी स्वीकृति देने के लिए जो प्रयास किये उसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों की राय जानने के बाद इसका अनुमोदन किया है। समिति को विभिन्न नगरपालिकाओं का दौरा करने और राज्य सरकार तथा

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

नगरपालिकाओं के अधिकारियों के साथ चर्चा करने का सुअवसर मिला। अतः संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक में स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोगों का अनुभव भी शामिल है।

समय-समय पर यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि यह विधेयक राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें संविधान के मूल ढांचे और संविधान में प्रदत्त राज्य केन्द्र सम्बन्धों का पूरा ध्यान रखा गया है। राज्य सूची की प्रविष्टि 5 को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। राज्य विधायिकाओं की शक्तियों में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। हम केवल संविधान में संशोधन कर रहे हैं और राज्यों द्वारा बनाये जाने वाले स्थानीय कानून में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जैसा कि विधेयक पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय हमने राज्य विधायिकाओं और राज्य सरकारों पर छोड़ दिये हैं। हम संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से एक मूलभूत ढांचा बनाना चाहते हैं जिसमे यह सुनिश्चित हो सके कि शहरी स्थानीय निकाय एवं सरकार की लोकतांत्रिक इकाई असरदार तरीके से काम करने की स्थिति में हों।

5.13 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्थानीय निकायों की वर्तमान अपर्याप्तताओं को देखते हुए और स्थानीय निकायों के सही तरह से राजनैतिक संचालन हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें संवैधानिकों दर्जा दिया जाये और (क) नियमित और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना (ख) चुने हुए स्थानीय निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल और छह महीने के अन्दर चुनाव सुनिश्चित करना (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देना (घ) नगरपालिकाओं को कार्य संचालन तथा शक्तियों को हस्तांतरित करना (ङ) स्थानीय निकायों को नियमित संसाधन की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु हर पांच वर्ष की अवधि में राज्य वित्त आयोग का गठन।

आपके विचारार्थ जो संविधान (संशोधन) विधेयक है यह प्रक्रिया का प्रथम चरण है। एक बार यह विधेयक लागू हो जाये तो हमें निश्चित रूप से राज्य कानूनों में उचित संशोधन करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके बाद यह असरदार तरह से लागू हो सके इसे सुनिश्चित करना।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाये।"

श्री काशीराम राणा।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : संशोधनों के विषय में आपने क्या किया है? ऐसे भी सरकारी संशोधन हैं जो अभी परिचालित किये जाने हैं।

श्री शरद दिघे (उत्तर मध्य मुम्बई) : यह प्रस्ताव विचारार्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन परिचालित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अभी तक काउण्टर पर उपलब्ध नहीं है, सर्कुलेट नहीं किया गया है। अभी मैंने नियम से सम्बन्धित आपत्ति उठाई थी कि अभी तक इसको सर्कुलेट नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम राणा।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : 1963 के एक्ट की धारा 33 के मुताबिक यह आवश्यक है कि द्विभाषी रूप में इस विधेयक को प्रचारित/प्रसारित किया जाए। अभी तक प्रचारित/प्रसारित नहीं किया गया है, काउण्टर पर भी उपलब्ध नहीं है, मैंने पता किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हिन्दी में प्रति चाहते हैं, वह काउण्टर पर उपलब्ध है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : प्रकाशन काउण्टर पर अभी तक नहीं है। आप देख लीजिये हमें जो कापी मिली है, वह 1991 के बिल की है लेकिन लेटैस्ट अभी तक प्रकाशन काउण्टर पर भी उपलब्ध नहीं है। जब कापी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है तो यह बिल्कुल अवैधानिक है, कैसे यहां बिल पर डिस्कशन हो सकता है। नियमों में स्पष्ट किया गया है, आप आफिसेस (लैंग्वेज रूल्स को देख लीलिये, 1963 के एक्ट में, नियम 33 साफ है, जब तक कोई बिल द्विभाषी रूप से प्रसारित नहीं होगा, माननीय सदस्यों की नौलेज में नहीं लाया जाएगा, आप कैसे कानून बना देंगे, कैसे विधेयक पर चर्चा करायी जा सकती है। यहां डिस्कशन कैसे हो सकता है। मेरी नियम से सम्बन्धित आपत्ति है। माननीय सदस्यों की जानकारी में जब तक आप विधेयक को नहीं लायेंगे, कैसे उसे कानून बना देंगे, कैसे यहां उस पर डिस्कशन हो सकता है। विधेयक को माननीय सदस्यों की नौलेज में लाना मस्ट है, सदन में वह विधेयक सरकार के द्वोरा लाना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : माननीय सदस्य को एक गलतफहमी है। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कहे जाने के पश्चात भी इस विधेयक पर 1991 की ही तिथि बनी रहेगी, क्योंकि इसे सर्वप्रथम 1991 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 1991 की तिथि तब तक रहेगी जब तक यह पारित होकर कानून नहीं बन जाता है। कृपया देखिये उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। उन्हें जो हिन्दी में प्राप्त हुआ है यह संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक 1991 है। जो बात वह कह रहे हैं वह पूर्ववत् जानकारी के अभाव में कह रहे हैं, जो इस सम्माननीय सभा में जनता दल के सदस्य अक्सर करते हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी मणि शंकर अय्यर जी ने जो कुछ कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी 1991 का बिल ही इसको कहा जाएगा, जो हमको मिला है। यह ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद का नहीं मिला है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े सहज रूप से ''लैक आफ नौलेज'' का आरोप हम जे० डी० के सदस्यों पर लगा दिया, उसी बजह से हमें यहां उठकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, हमने ही नियमों की ओर आपका ध्यान दिलाया और उल्टे हम पर ही आरोप लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जरा पढ़कर तो देखिये, 1991 का अंग्रेजी का बिल भी हमने देखा है। सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार वाला वह बिल नहीं है, जो सर्कुलेट किया गया है, इस बात को मैं फिर कह रहा हूं। उसका कारण है कि अरलियर उसमें जो प्रोवीजन था चेयरपरसन के इलेक्शन का, उसी प्रोवीजन से आपको पता चल जाएगा, जिसमें कहा गया है कि गांवों के लेवल पर, ग्राम पंचायतों के लेवल पर और इण्टरमीडियेट लेवल पर डायरैक्ट इलैक्शन्स का प्रावधान होगा। यह प्रावधान 1991 में बिल में था लेकिन ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी को रिपोर्ट के बाद, यह प्रावधान प्राइमरी लेवल पर, ग्राम पंचायत लेबल पर हुआ और

इण्टरमीडियेट एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल को स्टेट लैजिस्लेचर पर छोड़ दिया गया। आपकी ही तरह, हमारी बुद्धि भी काम कर रही थी, जिसके चलते पहले मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन हुआ लेकिन अफसोस है कि हम तो समझ गये परन्तु हम पर ही "लैक आफ नौलेज" का यहां आरोप लगाया जा रहा है। आप पढ़ लीजिये, यह स्पष्ट गलती हुई है। अभी भी हमें लेटैस्ट बिल उपलब्ध नहीं हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब बिल ही उपलब्ध नहीं है उपाध्यक्ष महोदय तो यहां डिस्कशन कराना गलत प्रक्रिया है। हमें अभी कुछ पता ही नहीं है कि हम यहां क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे उसे डिस्कस कर सकते हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : इण्डियन लैंग्वेजेज़ एक्ट्स की धारा 33 ओब्लीगेटरी है। इसको सर्कुलेट करना ही पड़ेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मैं श्री मणि शंकर अय्यर को जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वे कह चुके हैं कि यह विषय सम्बन्धित जानकारी के अभाव के कारण है।

लेकिन यह नियम के अन्तर्गत वैधानिकता का प्रश्न है कि क्या एक संशोधित विधेयक को परिचालित किया जाना है। इसे परिचालित नहीं किया गया है और यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तरदायित्व है। चूंकि इसे परिचालित नहीं किया गया है, यह विचारार्थ नहीं रखा जा सकता है। अतः आप सभा स्थगित कर सकते हैं और कल हम इस मुद्दे को उठायेंगे। अभी कोई विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये गलती स्वीकार कर लें। ये माफी मांग लें। क्योंकि यह इनकी कमी शो करता है और हमने इसको एक्सपोज किया है इसलिए यह होना तो नहीं चाहिए। हो सकता है इन्होंने जानबूझकर टैक्नीकल और लीगल मिस्टेक की है ताकि फिर इस पर चर्चा न हो सके और यह पारित न हो सके। चूंकि यह डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं किया है इसलिए यह सारा भाषण माननीय मंत्री महोदया ने जो दिया है, यह बेकार हो जाता है। गुलाम नबी आजाद जी इतने पुराने और इंटेलीजेंट मिनिस्टर हैं, इसलिए उनसे यह गलती हो जाएगी, इस बात को मैं साधारणतः नहीं मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय यह हो सकता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। **(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपके कार्यालय की भी जिम्मेदारी है। जो विधेयक सदन के सामने आते हैं, उन सभी विधेयकों को 3 दिन पहले आपके कार्यालय की ओर से हम लोगों को परिचालित किया जाता है। यदि आपके कार्यालय में 3 दिन पूर्व यह विधेयक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हुआ है और केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हुआ है, तो श्रीमान् हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं और यह व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं यदि इन्होंने विधेयक मूल रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में आपके कार्यालय को 3 दिन पूर्व नहीं दिया और माननीय सदस्यों को वितरित नही हुआ, तो आपकी ओर से माननीय मंत्रीजी को इसे यहां पर प्रस्तुत किए जाने से रोका जाना चाहिए। हमारे मित्र ने सही नियम-आपत्ति उठाई है और मैं इसको जानबूझकर नहीं उठाना चाहता था, लेकिन हमारे पूरे दल पर बुद्धि-दोष लगाने का काम एक आदमी ने किया है इसलिए बुद्धि ठीक करने का काम होना चाहिए। इसलिए मैं इस नियम-

आपत्ति को फिर से बल प्रदान करता हूं और यदि यह नियम-सहित नहीं आया है, तो आज इसे यहां पेश नहीं किया जाना चाहिए और इस पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिये और यदि आप इस की इजाजत देते हैं, तो श्रीमन् मुझे यह कहना पड़ेगा कि आप नियमों के संरक्षक हैं और यदि आप की देख-रेख में नियम टूटते हैं, तो हमारी आस्था किसमें रहेगी। आप नियमों के संरक्षक होने के नियमों का पालन कराएं, यह आपकी जिम्मेदारी है और कोई दूसरा विधेयक विचार के लिए लाएं, यह मैं आपसे विनती करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, गलत परम्पराओं को स्थापित न किया जाए। यह सदन सर्वोच्च है। गलत परम्पराओं को यदि एक बार स्थापित किया जाएगा, यो यह उचित नहीं होगा और उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने फिर प्रयत्न किया है, लेकिन अभी भी एक ही कॉपी मुझे मिली है और वह भी अंग्रेजी में ही है, हिन्दी में नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : चूंकि अभी कोई अन्य मामला नहीं है यदि आप चाहें तो सभा 6 बजे तक बैठ सकती है और तब शून्यकाल जारी रह सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मित्रगण, मैं यह अनुरोध करता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे हम सभी सहमत हैं और संयुक्त प्रवर समिति ने इसका अध्ययन भी किया है। इस सम्बन्ध में हम लोगों की और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारी एक बैठक हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभा के सभी पक्षों के विचार समान हैं। अतः यहां हमारे मित्रों ने जिन बातों का उल्लेख किया है उस पर हमने बहुत ही अच्छी शुरूआत की है। मैं सोचता हूं कि इस पक्ष के मेरे मित्र इस दल पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाना नहीं चाहते थे। यह बात बहुत ही हल्के तौर पर कही गयी थी। चूंकि आज सवेरे शून्य काल का माहौल बहुत ही हल्का था, अतः आप इसमें कुछ गंभीरता लाना चाहते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि हमें यह मामला उठाना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह नहीं है कि हम यह स्थिति स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। चूंकि यह मुद्दा उठाया गया है, यह आपके निर्णय का प्रश्न है। इसका बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण होगा। यह इस सम्माननीय सभा की मर्यादा का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपकी रूलिंग चाहिए।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : नियम के प्रावधानों के अनुसार आप कार्यवाही बढ़ा नहीं सकते हैं। आप आगे नहीं जा सकते हैं। यही तो बात है। ऐसा नहीं है कि हम इस विषय पर आगे की कार्यवाही हेतु उत्सुक हैं। यदि आप नियम पुस्तिका का अनुसरण नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुद्दा सिर्फ यही है। चूंकि यह उठाया गया है, और कोई चारा नहीं रह गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या काउंटर पर हिन्दी संस्करण उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नियमानुसार तीन दिन पहले होना चाहिए, लेकिन आज तक भी उपलब्ध नहीं है। धारा 33 का नियम देखिए।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस बात के पूर्वोदाहरण हैं। अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण भी परिचालित किये जाने चाहिए। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नियम 333 के अन्तर्गत आप सभा का मत जान सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप अपना विनिर्णय दीजिए। यदि हिन्दी सस्करण परिचालित नहीं हुआ है तो आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप कोई वाया-मीडिया निकाल लीजिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमें अन्य मुद्दों को उठाने की अनुमति दीजिए। आप हमें अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दीजिए। शून्यकाल में हमें अपने मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी गयी थी। आप इसे कल ले सकते हैं। आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक अगस्त के महीने में ही सभी सदस्यों को परिचालित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट भी दी गई थी और अब अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण, दोनों हो उपलब्ध हैं। यदि कोई त्रुटि रह गयी है तो उसे दूर किया जा सकता है। यदि कोई कमी रह गयी है तो उसे दूर किया जा सकता है। उनका ध्यान रखा जायेगा। मैं श्री राणा से चर्चा शुरू करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं पाइंट आफ इनफार्मेशन में खड़ा हूं। जो जानकारी दी गयी है वह अगस्त की नहीं है जुलाई में प्रसारित की गई है। वह इंगलिश में है हिन्दी में नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी यह है कि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही संस्करण सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है। मुझे यही जानकारी प्राप्त हुई है। अतः मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : विधेयक का हिन्दी संस्करण कब परिचालित हुआ था।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यह राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : उन्हें यह मिल चुका है। यदि आप चाहते हैं कि यह आपकी सीट पर पहुंचा दिया जाए, तो मुझे खेद है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप बाहर जाकर इसे मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह तकनीकी प्रश्न अवश्य है, क्योंकि संयुक्त समिति का प्रतिवेदन वास्तव में हिन्दी में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप अगर देखेंगे तो आपको हिन्दी वर्णन मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यही मुद्दा उठाया गया है और मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। इस सम्बन्ध में मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री अनिल बसु : यही उचित होगा कि लोक सभा सचिवालय से यह निश्चित होना चाहिये कि हिन्दी संस्करण परिचालित किया गया है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दी संस्करण पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

(**व्यवधान**)

प्रो० रासा सिंह रावत : यह परिचालित नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच कर लेंगे। अब हम नियम के मुताबिक चलेंगे। श्री राणा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, गलत प्रोसिडेंट सदन में नहीं डाली जाये। जो हमने आपत्ति उठाई है, उस पर आप अपनी रूलिंग दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियल लेंग्वेज ऐक्ट पर राष्ट्रपति का निर्देश है··· (**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी यही प्रश्न श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, नीतीश जी और श्री जेना द्वारा उठाया गया था। मैं इस पर पहले ही निर्णय दे चुका हूं।

इस मद के लिए कुल समय 4 घंटे का दिया गया है। कांग्रेस को 1 घंटे 44 मिनट; भारतीय जनता पार्टी को 49 मिनट; जनता दल को 24 मिनट; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 14 मिनट; कम्युनिस्ट पार्टी को 6 मिनट; अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक को 5 मिनट; तेलुगु देशम को 3 मिनट; जे०एम०एम० को 2 मिनट और इसी प्रकार से जनता दल को 2 मिनट दिए गये।

सभा दोनों संविधान संशोधनों (बहत्तरवां संशोधन) तथा (तिहत्तरवां संशोधन) पर एक साथ विचार करेगी।

अब श्री राणा बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन विधेयक है। अतः इस पर समय बढ़ा दिया जाये।

(व्यवधान)

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक
(नये भाग 9 का अंत:स्थापन)
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित
और
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक
(नए भाग 9 क का अंत:स्थापन)
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 72वां और 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, मैं उन्हें आवश्यक मानता हूं। ये संशोधन विधेयक हाउस में बहुत देर से पेश किये गये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान संशोधन पूरी तरह से परफैक्ट नहीं हैं।

आज भी कई प्रदेशों में जो म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट चल रहा है वह बहुत पुराना है और उसमें किये गये प्रावधानों मे लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को पूरे अधिकार मिलते नहीं हैं। 1888 का म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट जो कि अंग्रेजों के राज के समय बना था, वही आज भी हमारे प्रदेश में चल रहा है। उसमें किये गये प्रावधानों से लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिये जाने चाहिए, वे नहीं दिये गये हैं। इनके परे न तो माननीय मंत्री जी ने और न ही ज्यौन्ट कमेटी ने पूरी तरह से विचार किया। म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट के जरिये से न तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को, न पार्टी द्वारा पसन्द किये गये मेयर को, न डिप्टी मेयर को और न ही चेयरपर्सन को पूरे अधिकार प्राप्त हैं। उनके ऊपर जो कमीशनर है या आफिसर है, उसको ही पूरा अधिकार मिला हुआ है। कभी-कभी कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी कोई रैजोल्यूशन पास करते हैं, लोगों के हित में कोई रैजोल्यूशन पास करते हैं तो भी कमिश्नर और आफिसर्स उस रैजोल्यूशन को एवोइड करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो संशोधन यहां रखे गये हैं, वह बड़े आवश्यक हैं लेकिन बहुत कम हैं। समय को देखते हुए उसमें बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता थी।

जहां तक पंचायत बिल का मामला है, उसमें तो बलवन्त राय मेहता कमेटी और अन्य कमेटियों की ओर से बड़े सुझाव और सिफारिशें आईं, उनका इम्पलीमेण्टेशन भी हुआ लेकिन म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में कोई भी ऐसा सुधार नहीं हुआ जिससे लोगों तक लोकशाही पहुंचे और लोगों के प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार मिले। मैं यह कहना चाहूंगा कि 72वां जो संशोधन है, इस संशोधन के जरिये जो भी अधिकार मिलेंगे, वह बहुत कम हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट हर एक प्रदेश में अलग-अलग है, इसमें कोई यूनिफोर्मिटी नहीं है और इसमें लोगों के प्रतिनिधियों को या चैयरपर्सन को अधिकार नहीं है, उस अधिकार को देने का अभी संशोधन रखना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर आग्रह करूंगा कि आज कारपोरेशन एरिया में, म्यूनिसिपल एरिया में जो भी स्थितियां हैं और हमारे एक्ट में जो प्रावधान है, इसको देखते हुए बहुत सारी गलतियां ये आफिसर कर रहे हैं, कमिश्नर जैसे लोग कर रहे हैं।

मैं एक और पाइण्ट कहना चाहता हूं। इस संशोधन के जरिए बहुत सारी जिम्मेदारियां कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों के ऊपर फिक्स कर दी गई हैं। मुझे खुशी है कि ऐसी जिम्मेदारियां लोकल बाडीज को दी जानी चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ जब-जब लोकल बाडीज को ऐसी जिम्मेदारियां सौंपते हैं, तब-तब हमें विचार करना चाहिए कि इसके अच्छे इम्पलीमेण्टेशन के लिए लोकल बॉडीज के पास फण्ड क्या हैं। आजकल सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट या स्टेट गवर्नमेण्ट्स का ऐसा रवैया है कि अपनी जिम्मेदारियां वह लोकल बॉडीज के ऊपर डाल देते हैं लेकिन उनको न ग्राण्ट मिलती है, न गवर्नमैण्ट की ओर से कोई फण्ड मिलता है और जिम्मेदारियां डाल देते हैं।

मैं एक ही इंस्टांस देना चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेण्ट की है और सभी जगह प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी कारपोरेशन एरिया में कारपोरेशन को दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तो कारपोरेशन के ऊपर डाल दी पर उसको जो पहले ग्राण्ट दी जाती थी, वह ग्राण्ट गुजरात में बन्द कर दी। इसी तरह पहले फैमिली प्लानिंग के फिर सेण्ट्रल गवर्नमैण्ट की तरफ से फण्ड देते थे, ग्राण्ट देते थे लेकिन अब इस बारे में भी कारपोरेशन एरिया में सरकार की ओर से जो ग्राण्ट देते थे, वह भी बन्द होने जा रही है। इसी तरह मलेरिया इरेडीकेशन स्कीम पहले गवर्नमैण्ट चलाती थी, उसमें भी पहले फण्ड दिया जाता था लेकिन वह भी स्टेट गवर्नमेण्ट की ओर से अभी बन्द हो गया है। मैं यह इंस्टांस देकर यह कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारियां तो फिक्स की जाती हैं और उनको एम्पावर किया जाता है लेकिन लोकल बॉडीज को इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए जो फण्ड की आवश्यकता है, उसके बारे में न तो संशोधन में कोई विचार किया गया है, न फण्ड के बारे में और कोई सुझाव या सिफारिश या स्टेट गवर्नमेण्ट को कोई आदेश ऐसा दिया नहीं गया है।

मान्यवर, इसीलिए ज्वाइंट कमेटी में रिपोर्ट में जो कहा गया है कि लोकल बाडीज जो जिम्मेदारियां आज उठा रही है, क्योंकि आज छोटे-छोटे गांव टाउन या कस्बा बन रहा है, टाउन बड़ी सिटी बन रहा है और बड़ी सिटी आज मैट्रोपोलिटन सिटी बनने जा रही है तो उसके प्रोब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं। प्राइमरी जो सिविल अमेनिटीस हैं वह पहुंचाने की और बाकी जो सुविधाएं हैं इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो उसके पास फंड्स चाहिए वह सरकार देती नहीं है और इस बारे में आल इंडिया मेयर काउंसिल ने भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट गवर्नमेंट को भी कई बार रिप्रैजंटेशन किया कि जिस तरह से लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकार एक्ट के अन्तर्गत ज्यादा मिलना चाहिए उसी तरह यह लोकल बाडीज का फंड भी पूरे तौर पर देना चाहिए। लेकिन आज तक कई सालों के बाद भी इसके बारे में न स्टेट गवर्नमेंट और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया है।

मान्यवर, यह जो रिपोर्ट ज्वाइंट कमेटी का दिया गया है, जो सारे देश में उसके मेम्बर घूमे और उन्होंने इस रिपोर्ट में जो पेश किया है पेज नं० 20 के ऊपर, पैराग्राफ नं० 2.7 और 2.8, इसमें मेंशन किया गया है वह यह है कि लोकल बाडीज को यह सब सुविधा देने के लिए और जो भी प्रोब्लम्स पैदा होते हैं उसके सोल्यूशन के लिए जो राशि चाहिए, फंड्स चाहिए उसमें बताया गया है कि एक हजार करोड़ रुपए से भी ऊपर ये लोकल बाडीज को पैसा चाहिए। लेकिन इस राशि को कैसे ये लोकल बाडीज अपने पास लें इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। कई बार फाइनेंस कमिशन बना—आठवां फाइनेंस कमिशन, नौवां फाइनेंस कमिशन, ये फाइनेंश कमिशन को भी कई बार रिप्रेजंटेशन किया गया है, म्यूनिसिपेलिटी की ओर से, कार्पोरेशन की ओर से, आल इंडिया मेयर कार्पोरेशन की ओर से कि हमारे फंड के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आज हरेक बड़े-बड़े शहर में से इन्कम टैक्स मिलते हैं। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट करोड़ों रुपया वसूल करती है लेकिन इसमें से न तो कार्पोरेशन को शेयर मिलता है, जो शेयर एक स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को यह शेयर सिटी को देना चाहिए चाहे वह म्युनिसिपल ऐरिया हो या कार्पोरेशन ऐरिया हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी वह शेयर देती नहीं है। मैं तीन-चार साल मेयर रहा लेकिन मुझे पूरा अनुभव है कि जब-जब शेयर के बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट से एप्रोच करते हैं तब-तब स्टेट गवर्नमेंट यह पैसा देने के लिए न कहती है। वे कई म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड बनाते हैं लेकिन इसमें से भी पैसा नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारियां, ये जो संशोधन रखे गये हैं उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां लोकल बाडीज के ऊपर ये डालने की कोशिश किए हैं, डालिए, अच्छा है, क्योंकि न तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, न सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वे सोल्यूशन लोकल बाडीज ही कर सकती हैं।

मान्यवर, मेरी मांग यह है कि जब ये जिम्मेवारियां स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो धीरे-धीरे ज्यादा करके लोकल बाडीज को दी जा रही हैं तो इसके साथ-साथ उसको फंड भी मिलें ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेज मिलते हैं उसका सीधा शेयर जाना चाहिए कार्पोरेशन और म्युनिसिपल को, न कि स्टेट गवर्नमेंट को सीधे जाना चाहिए। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट जहां कार्पोरेशन कोई विरोधी दल की हो वहां न तो काम करने के लिए कोई ग्रांट देती है, ग्रांट देना चाहिए लेकिन वह भी नहीं देती है इसलिए मेरी मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इस बारे में सिटी को सीधे जाना चाहिए बीच में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है जहां पर जो स्थिति है वहां वे प्राइमरी जो सिविल ऐमेनिटीस हैं वह लोकल बाडीज पहुंचाती है कोई कार्य स्टेट गवनमेंट नहीं करती। फिर भी सरकार पूरा एंटरटेनमेंट टैक्स ले लेते हैं। शहर के लिए आज प्राइमरी एमीनिटीज बहुत जरूरी हो गई हैं, सेनीटेशन है, सड़कें बनानी हैं, आज रोजी-रोटी के लिए लोग शहरों में काफी तादाद में आ रहे हैं, झोंपड़-पट्टी की समस्या सारे देश के शहरों में पैदा हो रही है और यह समस्या धीरे-धीरे उग्र होती जा रही है। रोजी-रोटी देने की क्षमता शहरों में है, लेकिन झोंपड़-पट्टी की समस्या समाप्त करने के लिए, लोगों को अच्छा आवास देने के लिए कारपोरेशन या म्युनिसपेलिटीज जो योजनाएं बनाती हैं, उनमें न तो राज्य सरकार सहयोग करती है और न ही केन्द्र सरकार सहयोग करती है। कहा जाता है कि "हुडको" वाले आपको लोन दे देंगे, कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लोन को लेने में कितना समय निकल जाता है और हुडको का लोन नहीं मिलता है। ऐसी बहुत-सी कठिनाइयां लोकल-बाडीज फेस कर रही हैं,

लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान मंत्री जी ने इस संशोधन में नहीं किया है, इसके विपरीत नई-नई जिम्मेदारियां लोकल-बाडीज पर डाली जा रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोकल-बाडीज की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मुझे याद है, कई साल पहले, जिसका जिक्र यहां किया गया, तत्कालीन प्रधान मंत्री कलकत्ता गए थे और 100 करोड़ रुपया कलकत्ता शहर के विकास के लिए देने की बात कही थी, इसी प्रकार मुम्बई में कांग्रेस पार्टी का जब सेंटेनरी सेशन हुआ था, तब भी कहा गया कि मुम्बई शहर के विकास के लिए इतना ही रुपया दिया जाएगा, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन शहरों को अनाउंसमेंट के मुताबिक कितनी-कितनी राशि दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं, उनके मुताबिक फण्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन अनाउंसमेंट होने से वहां के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : माननीय सदस्य ने अभी मुम्बई का जिक्र किया है और कहा गया कि वहां पर 100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बेलापुर-मानखुर्द रेलवे लाइन बननी थी, वह बन चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है। धारावी में स्लम्स की जगह मकान बनाने थे, परसों मैं मुम्बई गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर बीसियों मकान बनाए जा चुके हैं। तो यह कहना कि घोषणा होने के बाद साधन नहीं पहुंचते हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री काशी राम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, अय्यर जी ने शायद सुना नहीं होगा, मैंने जिक्र किया था कि लोकल बाडीज को जो मेंडेटरी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उसके लिए राशि मुहैया नहीं कराई जाती हैं। मुम्बई में आपने रेलवे के बारे में बताया, लेकिन कलकत्ता के बारे में आपने नहीं बताया। मुम्बई की झोपड़-पट्टी की समस्या को हल करने के बारे में आपने नहीं बताया, रेलवे के बारे में तो मुझे भी पता है। इसलिए लोकल बाडीज को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इस बारे में अच्छी तरह से सोच-विचार नहीं किया गया तो वहां पर केओस हो जाएगा। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकल-बाडीज में जाएंगे और सरकार द्वारा लोकल-बाडीज पर डाली गई जिम्मेदारियों के लिए फण्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो प्रतिनिधि को जनता का शिकार होना पड़ेगा। मुझे शंका है कि यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति जरूर आगे आ सकती है।

इसके साथ-साथ बड़े शहरों में कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, उन समस्याओं से निपटने के लिए लोकल-बाडीज के प्रतिनिधियों को ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिए, ताकि वे लोगों के लिए काम कर सकें। मुझे खुशी है कि इलेक्शन के बारे में कोर्ट के ज्यूरिजडिक्शन को बार किया गया है, लेकिन मेरा अनुभव है कि जब इन-एफीशेंट अधिकारी के खिलाफ रेजोल्यूशन किया जाता है तो कोर्ट बीच में आता है, उसको स्टे दे दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा अच्छा रैज्योलूशन ले आते हैं तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, कोर्ट से स्टे मिल जाता है, इसलिए जब कोर्ट स्टे दे देता है, कभी स्टेट गवर्नमेंट रुकावट पैदा करती है, इसके लिए भी विधेयक में कोई न कोई सोच होनी चाहिए। अन्यथा ऐसा होगा कि ये सब संशोधन रखते हुए हम कहेंगे कि देखो हमने बहुत अच्छा किया, पंचायत और नगरपालिका में एक अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए हम ऐसे संशोधन लाए हैं। ऐसे संशोधनों से कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। महिलाओं के बारे में

बड़ा अच्छा प्रावधान इस विधेयक में है। लोकल बाडिज में महिलाओं का 1/3 रिप्रीजेंटेशन होगा इसका संशोधन में ख्याल रखा गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब महिलाओं का 1/3 रिप्रीजेंटेशन होगा और चेयरपरसन के बारे में भी पूरा सोचा गया है, मैं जरूर आशा रखूंगा कि जो 1/3 रिप्रीजेंटेशन का महिलाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, क्योंकि आज तक का जो तजुर्बा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में किया है और वहां पर यह हो रहा है, जब हमने संशोधन रखा है तो सारे देश में महिलाओं में इस तरह से जागृति हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि आज महिलाएं जिस तरह से आगे आनी चाहिए, वे नहीं आती हैं। इसके लिए सरकार कोई वर्कशाप बनाए या ऐसे प्रोग्राम बनाए या प्लानिंग करें कि जो लोकल बाडीज होंगी 1/3 रिप्रीजेंटेशन का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। इस तरह से जो मुश्किल आती है वह नहीं आएगी।

चुनाव के बारे में कहा गया है कि पांच साल में चुनाव होगा। बड़ा अच्छा प्रावधान है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि बहुत सारी लोकल बाडीज ऐसी हैं जो डिजाल्व्ड हैं और सुपरसीड कर दी जाती हैं तथा वहां चुनाव नहीं होते हैं। 10, 15 और 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन वहां चुनाव नहीं करते। अगर चुनाव किया जाए तो विरोधी दल वाले आ जायेंगे, हाथ से सत्ता निकल गयी तो क्या होगा, इस सोच के आधार पर कई लोकल बाडीज सुपरसीडिड हैं या डिजाल्व की स्थिति में हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जब हम स्टेट लॉ बनाने के लिए एम्पावर करते हैं, मैं माननीय मंत्री जी को जरूर सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रावधान का इम्पलीमेंटेशन बराबर हो इसके बारे में वे स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दें। क्योंकि आज भी हमारे म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में कई प्रावधान तो हैं, जैसे पांच साल में चुनाव किया जाए विशेष परिस्थितियों में एक साल और एक्सटैंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं होता। गुजरात गवर्नमेंट में ऐसा प्रावधान होते हुए भी एक्सटैंड करने के लिए तैयार हो गए। हम हाईकोर्ट गए और वहां से जजमेंट लाए तब सरकार को मजबूर होकर चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। मैं यह कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के अन्तर्गत चुनाव की तिथि डिक्लेयर करने की म्युनिसिपल कमिश्नर को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट बीच में आकर चुनाव को रोकती है। यह बन्द होना चाहिए। प्रावधान सैंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है, इसलिए मैं मानूंगा कि पांच साल में चुनाव होगा ही। किसी भी स्थिति में इसको एक्सटैंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि गांव, शहर या बड़े कस्बे में अगर लोगों की इलैक्टिड बॉडी नहीं आयी, आफिसर रहें तो आफिसर कोई डिवेलेपमेंट वर्क नहीं करते। यह मुझे बड़ी हिम्मत के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है, क्योंकि आफिसर डिवेलेपमेंट का काम नहीं करते। लोगों के प्रतिनिधि वहां पर होंगे इससे विकास के कार्य करने का दबाव पड़ेगा इसीलिए जो पांच साल के बाद चुनाव कराने का निर्णय हुआ है यह स्वागत योग्य है। इसका इम्पलीमेंटेशन राज्य सरकार बराबर करे। क्योंकि हम बराबर राज्य सरकार को एमपावर करते हैं कि वही देखें। इसलिए पांच साल बाद चुनाव कराने का प्रावधान है तो पांच साल की अवधि समाप्त होने से 6 महीने पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो यह अच्छी बात है, और भी अच्छाइयां इस एक्ट में हैं। लेकिन कोई न कोई उसमें ऐसा तर्क ढूंढ लिया जाता है जिससे ऐसे प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए मैं मंत्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं कि कहीं यह मजाक न बन जाये आपको देखना चाहिए कि राज्य सरकार इसका इम्पलीमेंटेशन अच्छी तरह से करे। इससे लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का और लोकल बाडीज अच्छी तरह से काम कर सकें ये सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

इस संशोधन में यह भी कहा गया है कि जो भी राज्य सरकार होगी और राज्य सरकार के आडिटर जनरल होंगे, लोकल बाडी के जो एकाउंट्स रहते हैं इस संशोधन के जरिये अब हमारे सी० ए० जी० उसको देखेंगे। इसकी रिपोर्ट करेंगे। यह एक अच्छी बात है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सहमति कार्य-मंत्रणा समिति में जो आज शाम के 7.00 बजे तक चलेगी में हुई थी। अगर सभा की सहमति हो तो मैं उसी का प्रस्ताव करू।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल हम 2 बजे चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अगर माननीय सदस्य शून्य काल को हटाने के लिए सहमत हो जायें तो मैं दोपहर 12 बजे भी चर्चा शुरू करने पर सहमत हूं।

श्री अमल दत्त : जहां तक कल हमारे बोलने का अधिकार हैं, उसे हम शाम के 6.00 बजे तक जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि कार्य मंत्रणा समिति में, जिसमें राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधि वहां थे, उस वक्त आज की बैठक को एक घंटा और बढ़ाने के लिए सहमति हुई थी, इसलिए, क्या सभा, बैठक का समय एक घंटा बढ़ाने के लिए राजी है?

अनेक माननीय सदस्य : हां महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : बैठक का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

5.58 म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मैं कार्य मंत्रणा-समिति तेइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान संशोधन विधेयक लेंगे।

श्री काशी राम राणा अपना भाषण जारी रखें।

6.00 म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक,
(नए भाग 9 का अन्त:स्थापन)
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक
(नए भाग क का अन्त:स्थापन
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : मान्यवर, मैं एप्रिसिएट कर रहा था कि लोकल बाडीज का जो एकाउंट है, उसका किसके जरिए ऑडिट होगा। जब ऐसा ही संशोधन विधेयक रखा गया था, तो माननीय मन्त्री जी सोचें कि लोकल बाडीज के फण्ड की असुविधा को कैसे दूर किया जायेगा? यह एक गंभीर मसला है क्योंकि बिना पैसे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा मेरा यहां निवेदन है कि इसके लिए प्रावधान करने की कोशिश करें। जहां तक आल इण्डिया मेयर कांफ्रेंस और लोकल बाडीज कांफ्रेंस में फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में जरूर ही अच्छी तरह से प्रावधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मन्त्री महोदय ने संविधान संशोधन 72 एवं 73 के बारे में पंचायत और नगर पालिका या निगम को जो भी अधिकार दिये जा रहे हैं, यह इंटेंशन अच्छी है लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि जब-जब कोई कानून बनता है, संशोधन होता है तब-तब अच्छे इंटेंशन बतायी जाती है और यह कहा जाता है कि लोगों की सुविधा के लिए यह कानून बनाया जा रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है तो कहीं इन दोनों संशोधनों के बारे में भी ऐसा न हो क्योंकि छोटे-छोटे लोग करने वाले हैं कोई झोंपड़-पट्टी में रहने वाला है, उसको सुविधा चाहिए, कहीं गांव या शहर में अच्छी रोड बनानी है तो इसके लिए यह जरूरी है कि यह काम करने हैं। इससे लोगों को लगेगा कि हमारा राज है, हमारा स्वराज्य है जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकशाही को लोगों तक ले जाना है। अगर यह नहीं हुआ तो आम लोगों में यह मजाक का विषय बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही कहूंगा कि जो भी संशोधन किए हैं, जो भी प्रावधान अलग-अलग किये गये हैं, उनका लाभ तभी मिलेगा, जब इसके लिए फण्ड्स की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स से कहा जाये कि जहां विरोधी दलों की लोकल बाडीज हैं, वहां हस्तक्षेप न करें जिससे वह कानून के आधार पर चलें तो इस संशोधन का कोई अर्थ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : शुरू-शुरू में इस बारे में भ्रम पैदा हो गया था कि संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक का अंग्रेजी संस्करण तैयार हो गया है लेकिन हिन्दी संस्करण तैयार नहीं हो पाया। माननीय सदस्यों द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी थी।

कार्यालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 14 जुलाई को दोनों संस्करण परिचालित कर

दिए गये हैं। इसके सत्यापन के लिये दोनों पुस्तकें मेरे पास हैं जिनसे पता चलता है कि 14 जुलाई को वास्तव में इसे परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपके पास होगा, हमारे पास नहीं है। यही बात बार-बार कहे जा रहे हैं···।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बंडल को देखें तो उसमें आपको भी मिल जायेगा। इसके सत्यापन के लिये, मैं दोनों संस्करण अपने साथ लाया हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : यह स्वीकार किया जाये कि गलती होती है। हम लोगों ने अपील की है कि उस गलत बात को बार-बार दोहराने का कोई लाभ नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव जाति के इतिहास में लोकतंत्र, जैसा कि आज इसे समझा जाता है, तुलनात्मक रूप से कोई पुरानी प्रणाली नहीं है। परंतु इसका विकास पंचायत प्रणाली की इस अवधारणा से हुआ है जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रतिपादित की गई थी और अमल में लाई गई थी। हमने हमेशा किन्हीं पांच व्यक्तियों के निर्णय को भगवान का निर्णय माना है और हमारे पुराणों में प्राचीन समय से ही **पंच परमेश्वर** शब्दों का वर्णन किया गया है।

हमारी प्राचीन 'ग्राम प्रणाली' को किस तरह से भारी क्षति पहुंचाई गई है और लोकतांत्रिक परम्पराओं को विदेशी शासन व उनके दमन चक्र द्वारा व्यापारिक लाभ के लालच में अनेकों बार लम्बे समय तक क्षति पहुंचाई जाती रही है। इसे पुनः ठीक करने और इसमें जान डालने के लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए यह दलील दी कि स्वतंत्र भारत में ग्राम-स्तर पर प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिये। संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह उल्लेख किया कि ग्राम पंचायतों को स्व शासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया जायेगा। परन्तु आज तक हमारे राजनीतिक तंत्र में इन्हें कमजोर इकाइयों के रूप में ही रखा गया है। किसी भी अधिकारी ने इनको गंभीरता से नहीं लिया और इस प्रकार राष्ट्रपिता ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत की असली भावना की उपेक्षा की जाती रही है।

आज कुछेक राज्य यह दावा करते हैं कि उनके यहां स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु हम यह देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रभारी मन्त्री के माध्यम से इन सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखा जाता है और 'वीटो पावर' मंत्री के पास रहने के कारण ये संस्था में हमेशा कमजोर ही रही हैं और इनके सदस्यों की उपेक्षा की गई है और उन्हें बहुत ही कम शक्तियां दी गई हैं और असली शक्तियां तो गैर-जिम्मेदार अफसरशाह और अभिमानी राजनीतिज्ञों को सौंपी गई हैं। इस स्थिति को सही करने, लोकतन्त्र को देश के प्रत्येक नागरिक के लिये सार्थक और स्पन्दनशील बनाने और विकास की गति को तेज करने के लिये

श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार ने इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास किये और संविधान में संशोधन करने के लिये दो विधेयक प्रस्तुत किये ताकि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं तक संवैधानिक मर्यादा की गारन्टी कायम की जा सके। (व्यवधान) परन्तु दूसरी तरफ हमारे साथियों की राजनैतिक मजबूरियों के कारण राज्य सभा में इन विधेयकों को स्वीकार नहीं किया गया। तब हमने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर पूरा उतरने का अवसर हाथ से खो दिया। प्रशासन में और वितरण प्रणाली में व्यवस्थित परिवर्तन की लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। लोगों को उनके विकास कार्यों में शामिल करने के प्रयास को धक्का लगा। लेकिन श्री राजीव गांधी के उस सिद्धांत को लेकर कि भारत केवल तभी समृद्धि कर सकता है जबकि लोगों के हाथ मजबूत किये जायें, उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाय और उन्हें अपने भाग्य, अपने भविष्य को स्वयं बनाने दिया जाये। श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपना पहला दायित्व यह समझा कि विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाना चाहिए जिससे आम सहमति का रास्ता अपनाया जा सके। मुझे वास्तव में यह कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि जब इन दोनों विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की प्रवर समितियों के पास भेजा गया, तो सदस्यों ने फिर एक बार दल की राजनीति की सीमाओं को पार कर दोनों विधेयकों को पास करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट इस सभा को प्रस्तुत की।

आम राय ने अब हम सभी को इस बात के लिए विवश किया है कि अब हमें इन कदमों का समर्थन करना चाहिये।

महोदय, मुझे यह देखकर फिर से प्रसन्नता हुई है कि हमारे जिन कुछ माननीय मित्रों को कुछ समय पूर्व संभ्रांति ने जकड़ लिया था वह अब ऐसा नहीं करते हैं। फिर से यह देखकर सचमुच प्रसन्नता हुई कि हमारी दो प्रवर समितियां उससे दो कदम आगे बढ़ीं जो कि वास्तव में उनके समक्ष था, पहले के विधेयक दो विधेयकों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि राज्य योजना से सम्बन्धित मौजूदा दो विधेयकों में नहीं था और जो जिला योजना समितियां और महानगर योजना समितियां गठित करने के सम्बन्ध में था, उसे उसमें हुई आम सहमति के आधार पर हमारी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। मैं यह महसूस करता हूं कि यह वास्तव में पहले के विधेयकों का सारांश था। मुझे खुशी है कि दूसरे पक्षों के लोगों ने भी उसमें कुछ अच्छाइयां देखीं। हो सकता है कि उन्होंने उस समय किसी राजनीतिक मजबूरी के कारण इसे नामंजूर कर दिया हो। परन्तु उन्होंने भविष्य में होने वाली बातों को पहले ही भांप लिया। मैं कहूंगा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा है और संसद को वे सिफारिशें करने का निर्णय लिया है।

महोदय, संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 राज्य विधायिका को स्थानीय सरकार या ग्राम प्रशासन से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए पूरी तरह से अधिकार प्रदत्त करती है। इस मामले में वह अधिकार पूरी तरह से अछूता रह गया है कि यह उस समय किया गया था। अकेले अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत ही संसद की संशोधन करने की शक्ति के जरिए व्यवस्था में एकरूपता लाने सम्बन्धी न्यूनतम मानक स्थापित करने तथा स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा सकता है।

यह दोनों विधेयक पंचायती राज संस्थापन को केवल मौखिक रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त मानने के बजाय इसे संवैधानिक आदेश देने के लिए प्राथमिक रूप से अनुच्छेद 40 के सम्बन्ध में विस्तार कराना चाहते हैं। ये यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पंचायतों और नगर-

पालिकाओं के लिए चुनाव नियमित रूप से हों और ये यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्थानीय राज्य अधिपुरुषों की सनक नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को छह माह से अधिक समय तक के लिए न दबा सकें। इस सबंध में इन दो विधेयकों में समुचित प्रावधान किए गए हैं। इस सदन में सभी पक्षों ने इनका स्वगित किया है।

दूसरी अति महत्वपूर्ण विशेषता जो हमने पहले के दो विधेयकों में देखी है और जिन पर इन दो विधेयकों में जोर दिया गया है वह ये हैं कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिन माननीय सदस्य ने यह बहस शुरू की है उन्होंने ससाधनों के अभाव के बारे में ठीक ही शोक प्रकट किया है जिसका कि पंचायती राज संस्थानों को और नगरपालिकाओं को सामना करना पड़ रहा है। यह इन दो विधेयकों में है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इन्हें पढ़ लिया होगा। ऐसा ही इससे पहले के दो विधेयकों में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए प्रावधान किया गया है जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और कार्य-भार विनियोग विभिन्न तरीकों से संशोधनों के वितरण के बारे में समुचित सिफारिशें करेगा। दो प्रवर समितियों के सभापतियों द्वारा ली गई गहन रुचि के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। चूंकि मुझे 73वें संशोधन से सम्बन्धित समिति में काम करने का अवसर मिला इसलिए मैं इस समिति के अध्यक्ष श्री के० पी० सिंह देव द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 280 में भी संशोधन हो। यह बात विचारार्थ विषयों की सूची में बिल्कुल नहीं थी। अतः हमने यह देख लिया है कि यदि आप सचमुच यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन संस्थान लोकतन्त्र के वास्तविक सहयोगी संस्थान हैं और लोगों को सहायता पहुंचाने में समर्थ हैं और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं तो उन्हें वित्तीय शक्तियां देनी होंगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन करने की सिफारिश की और इस संशोधन विधेयक में एक नया खण्ड (3) जोड़ा गया है जिसके अनुसार अनुच्छेद 280 (3) में एक नया खण्ड (ग) जोड़ा जाएगा और जिसके अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यों में एक कार्य यह सिफारिश करना होगा :

> "कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरा करने के राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के जरूरी उपाय करना केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यों में से एक कार्य होगा।"

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और मुझे यह विश्वास है कि यह काफी लम्बे समय तक नगरपालिकाओं और पंचायतों के कार्यकरण में सुधार लाएगा।···(व्यवधान)···हमारे दूसरे पक्ष के सम्मानीय मित्र जहां कहीं भी थोड़ा-सा भी उल्लंघन होने की बात आती है अथवा राज्यों की शक्तियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने की बात हो वहां वे अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन मुझे इसके कारण मालूम नहीं हैं, फिर भी वे हमेशा केन्द्र से यह आशा करते हैं कि वह अपने सीमित संसाधनों में से उनके लिए धन जुटाए और इसे उन्हें आबंटित करे ताकि वे सभी प्रकार की फिजूल खर्चियां कर सकें।

इन दो विधेयकों के अन्य अति महत्वपूर्ण पहलू जिनका मैंने अभी-अभी दो प्रवर समितियों के कार्यकरण के बारे में बोलते समय उल्लेख किया था वह ये हैं कि हमने जिला योजना समिति और महानगरीय विकास समिति का गठन करने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य जिला

योजना समिति के मामले में पूरे जिले के समेकित और एकीकृत मसौदा विकास योजना तैयार करना है। उन दो जिलों के लिए भी उक्त योजना तैयार करने का प्रावधान है जहां 20 लाख की आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र दो जिलों में फैला हुआ हो। उस मामले में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं के आधार पर दो से अधिक राज्यों के लिए भी एकीकृत योजना तैयार की जाएगी। इन दो समितियों में उस क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों और नगर-पालिकाओं के पर्याप्त सदस्यों को इसमें लिया जाएगा। ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो कुछ विगत समय में देखा है कि हमारे आज के आयोजक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के बावजूद तथा अपने नेक इरादों के बावजूद आवश्यकताओं से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं और हमारे दूरदराज तथा दुर्गम्य गांवों की विशेष स्थानीय समस्याओं को वास्तविक रूप से पहचान नहीं पाते।

महोदय, श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की तरह, उसकी यह उत्कट इच्छा है कि जनता को यह अधिकार दिए जाएं जिससे स्थानीय निकाय आयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। उनकी इस इच्छा की अभिव्यक्ति दो संविधान संशोधन विधेयकों में हुई है। यह उपाय एक क्रांतिकारी व्यवस्था का द्योतक है और भारतीय लोकतन्त्र के उत्थान का प्रतीक है। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्रों को इससे सहमत होने में कठिनाई क्यों हो रही है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि इन दो विधेयकों में कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा स्पष्टतः प्रति-बिम्बित होती है, अर्थात् कुछेक लोगों के हाथों से निर्णायक अधिकार को लेकर उसे विकेन्द्रीकृत करके प्रत्येक नागरिक को सत्ता में भागीदारी देना तथा सच्चे अर्थ में लोकतन्त्र को अपनाकर महात्मा गांधी के सपनों के स्वराज्य की स्थापना करने के प्रति कांग्रेस वचनबद्ध है। वास्तव में ये विधेयक आज महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को पुनः कायम करते हैं।

पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यकरण को पुनर्गठित करने एवं उनका लोकतान्त्रिक ढंग से संचालन करने सम्बन्धी इन महत्वपूर्ण सुरक्षोपायों का प्रावधान करने के अलावा इन दो विधेयकों के अन्तर्गत अन्य सम्बन्धित सभी कार्य राज्य विधान मण्डलों और सरकारों पर छोड़ दिए गए हैं। राज्य विधान मण्डलों को ही नये उपबन्धों के अनुरूप, जिन्हें संविधान में स्थापित किया जाता है, पंचायतों और नगरपालिकाओं का दायित्व और सच्ची भावना से इनसे सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है।

मैंने रिपोर्टों से मतभेद की टिप्पणी देखी। शायद यह इन अनुसूचियों अर्थात् अनुसूची 11 और 12 में अलग से जोड़ी गई है। यह उपबन्धों की सही ढंग से निरूपित न किए जाने के बारे में है जिससे कुछ शंकाएं पैदा हो सकती हैं। उन राज्यों में अधिकार कम हो सकते हैं जिनमें आज हमारे मित्र सत्ता में हैं। जब वे राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ा अजीब-सा लगता है कि हमारे मित्रों को नगरपालिकाओं और पंचायतों के रूप में स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार चले जाने की शंका होने लगती है। ये दो अनुसूचियां राज्यों की अधिकार का झूठा दावा नहीं करते। मैं यही बात करना चाहता हूं। इनमें राज्यों से अधिकार लेने का कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं होता, बल्कि इनमें केवल उन मामलों का ही उल्लेख कर दिया गया है जिनसे स्थानीय निकाय अधिक सम्बन्धित हैं और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं करके वे और अधिक सुसज्जित हो सकते हैं।

इस तथ्य की अवहेलना नहीं की जा सकती कि हम संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल

सकते और हमने ऐसा प्रयास भी नहीं किया है। ये विधेयक तो वास्तव में संविधान के मौलिक ढांचे को सुदृढ़ ही बनाते हैं। संविधान का मौलिक ढांचा हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। हमारे समाज की मजबूत इमारत लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की सुदृढ़ नींव पर ही बनेगी। सरकार का निर्णय, सरकार की चिन्ता नगरपालिकाओं और पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं के माध्यम से इन सिद्धान्तों को आगे सुदृढ़ करने के प्रति अपनी अभिलाषा को प्रतिबिम्बित करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र इन संवैधानिक संशोधनों को कानूनी रूप देने की है।

यद्यपि पंचायत सम्बन्धी विधेयक में त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान है जो राज्य विशेष की आवश्यकता पर निर्भर है—20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में माध्यमिक स्तर के पंचायत की आवश्यकता नहीं होगी—तथापि यह अच्छी बात है कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू कर दी गई है। जैसा प्रावधान पहले नगरपालिका सम्बन्धी विधेयक में किया गया था, नगरपालिकाओं के मामले में भी यह प्रावधान किया गया है कि बड़े-बड़े शहरों में 'वार्ड' समितियां होंगी। इससे निम्न स्तर पर सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। स्थान विशेष की जनता को यह मालूम हो सकेगा कि उनकी मौलिक आवश्यकता क्या है और इसके लिए वे एकजुट होकर यह निर्णय कर सकेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए क्या किया जाए और किस चीज के लिए वे आगे प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी और उसे जन कल्याण के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। एक बार इन उपबन्धों को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी तो नगरपालिकाओं और पंचायतों को मनमाने ढंग से बरखास्त करने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। इससे, यहां तक कि चण्डीगढ़ जैसे संघ शासित प्रदेश की जनता को यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे अपने कार्यों की देख-रेख के लिए निगम अथवा परिषद के गठन में खुद को सम्मिलित कर सकें। यह प्रसन्नता की बात है कि दो समितियों ने संसद को यह सिफारिश की कि इन दो विधेयकों के प्रावधान संघ शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे और यदि राष्ट्रपति जी यह महसूस करते हैं कि कतिपय परिवर्तन करके कुछ प्रावधानों को प्रयुक्त करना चाहिए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अतः किसी भी पद पर आसन्न व्यक्ति संघ शासित प्रदेश की जनता को इन लाभकारी प्रावधानों से वंचित करने का निर्णय नहीं ले सकता, जैसाकि पहले भी हुआ था।

महोदय, मैं दो माननीय मन्त्रियों को, ये दो विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि चूंकि ये विधेयक विचार-विमर्श एवं परामर्श के विभिन्न चरणों मे गुजर चुके हैं, इसलिए इनका बेरोकटोक अनुमोदन कर दिया जाएगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं संक्षेप में उन संशोधनों, सरकारी संशोधनों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हें अब परिचालित किया गया है। मैंने महसूस किया है कि जहां तक वित्त आयोग का गठन करने सम्बन्धी प्रावधान का प्रश्न है, सरकार ने यह बहुत अच्छी तरह से सोचा होगा कि अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, दोनों के लिए की जा सकती है। महोदय, मुझे विषयवस्तु को नहीं अपितु इसके रूप को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। चूंकि हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हमें उस ओर ध्यान देना होगा।

मैं अनुच्छेद 243 (1) के लिए निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त समझता हूं :

"खण्ड (1) खण्ड (2) में जिस वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, वह नगर-

पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को यह सिफारिश करेगा कि···"

उसके बाद खण्ड (2) को निम्न रूप में समविष्ट किया जाएगा :

"अनुच्छेद 243-1 के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए भी वित्त आयोग होगा···"

महोदय, मैं समझता हूं कि इनको मिलाकर एक किया जा सकता है और उसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है—मैं यह प्रयास करता हूं :

"अनुच्छेद 243 (1) के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को यह सिफारिश करेगा कि···"

और केवल यही दूसरा मुद्दा है। मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि काफी बहस के बाद हमने यह निर्णय लिया था कि वित्त आयोग को नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। अब मैं समझता हूं कि सरकार शायद इस खण्ड को हटाना चाहती है। मेरा यह सुझाव है कि इस खण्ड को उसी तरह रखा जाए। अनुच्छेद 243 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) को हटाना युक्तिसंगत हो सकता है, जैसाकि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। मेरा यह सुझाव है कि उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि मन्त्री जी यह चाहते थे कि संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि उप खण्ड (ख) में आवश्यक अनुवर्ती परिवर्तन करके, उसे बरकार रखा जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे उन संशोधनों को हटा दें ताकि वह महत्वपूर्ण मुद्दों, जिस पर हमने एक लम्बी चर्चा की थी, बरकरार रह सके और संविधान में स्थान पा सके।

मुझे इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए तथा अपना समर्थन देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए यह 72वां और 73वां संशोधन विधेयक सदन के सामने विचार के लिए रखा।

बहुत पहले से राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर में ही भारत की जो स्वायत्त संस्थाएं थीं, स्थानीय निकाय थे, उनका राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत में जितने भी राष्ट्रीय नेता रहे, जवाहर लाल नेहरू जी की स्वयं की राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद में नगरपालिका के चुनाव से होती है। देशबन्धु चितरंजन दास से लेकर विट्ठल भाई पटेल और लियाकत अली तक स्थानीय निकाय की राजनीति से सम्बन्धित थे और मुझे इतिहास के उन पन्नों की याद आती है, जब इलाहाबाद नगरपालिका ने 26 जनवरी को, जो राष्ट्रीय दिवस था, जवाहर लाल जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की थी और वहां के कमिश्नर ने उनको राष्ट्रीय ध्वज नगर-पालिका पर फहराने से मना किया था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक राष्ट्रीय आन्दोलन वहां से शुरू हुआ था और राजनैतिक प्रशिक्षण का कार्य स्थानीय निकाय के चुनाव के जरिये होता

था लेकिन अंग्रेजी जमाने में भी निर्वाचन की जो निर्धारित अवधि होती थी, उस अवधि के भीतर ही स्थानीय निकाय के चुनाव हुआ करते थे।

मुझे पुराने बुजुर्गों की याद है कि जिला परिषदों के चुनाव स्थानीय स्तर पर सरकारी पक्ष और राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच के नेताओं के बीच में होते थे और सामान्य रूप से एक राजनैतिक प्रशिक्षण और राजनैतिक प्रक्रिया की भांति होते थे। 1937 में ही उत्तर प्रदेश विधान सभा ने पंचायती राज ऐक्ट एक कानून की सक्ल में बनाया था, जब उस प्रदेश में प्रीमियर की हैसियत से पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस जमाने में भी जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव सीधे निर्वाचन की पद्धति से होता था लेकिन भारत आजाद हुआ, नये हिन्दुस्तान का संविधान निर्मित होकर आया और हमने स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों की दया और कृपा के ऊपर छोड़ दिया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत की संविधान निर्मात्री परिषद् के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, आदरणीय डा० भीमराव अम्बेडकर जी, उनके प्रति सम्पूर्ण श्रद्धा और सम्मान रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी निष्ठा स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाने के बारे में नहीं थी और इसीलिए उनके मन के भीतर दो बातें रहा करती थीं, एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जोड़ न होना और 24 घण्टे वह इस बात से भयाक्रान्त रहते थे कि स्थानीय निकाय में दलितों की भूमिका क्या होगी। यदि आज वह जीवित होते तो सम्भवतः इस परिवर्तन को स्वयं लाते, संविधान में और इस बात की कोशिश करते कि जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिये, उनके अन्दर कितनी शक्ति पैदा हुई है और वह अधिकार स्थानीय स्तर पर मिलने से उनमें किस तरह की नेतृत्व की क्षमता जागृत हुई है और वह स्वयं अपनी आंख से वह देखते और भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व की धारा 40 के अन्तर्गत इसको कम्प्रोमाइज के तहत रखा गया, सम्भवतः यह धारा राष्ट्रीय संविधान निर्मात्री परिषद् में ही भारत की आवश्यक संविधान धाराओं में होती। नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत इसका प्रावधान नहीं होता।

आपने, शासन ने, सरकार ने चूंकि स्थानीय निकायों को सरकार की दया के ऊपर छोड़ दिया, उसका नतीजा क्या हुआ। राज्यों में कानून तो बने, नगरपालिकाएं बनीं, पंचायती कानून बने लेकिन पंचायत का जो मुखिया है, वह सरकार की दया पर आज भी है। यदि उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत है तो जनता द्वारा चुने हुए ग्राम पंचायत के प्रधान की एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट छुट्टी कर देता है और उसको अपने पद से बर्खास्त कर देता है, यह कहां का लोकतन्त्र है, यह बात समझ में नहीं आती।

1957 में जब पहली बार बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकारें बनीं, एक अभियान चलाया गया कि सभी राज्य सरकारें इस तरह के कानूनन बनायें कि आवश्यक रूप से हर पांचवें साल स्थानीय निकायों के चुनाव हों और सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधि आकर परिषद्, ब्लाक डवलपमेंट कमेटी और ग्राम सभाओं में आयें। पहली बार उत्तर प्रदेश में 1977 में संशोधन कथन और 10 साल का बालिक मताधिकार स्थानीय निकाय के युवकों को देने का काम उत्तर प्रदेश से बलवन्त राय मेहता कमेटी के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस जमाने में किया था। उस जमाने में मैं उत्तर प्रदेश की असेम्बली का सदस्य हुआ करता था और वह भी प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ था। हम लोगों ने इस बात का नियम बनाया था कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का भी निर्वाचन 18 साल

के वयस्क मताधिकार के आधार पर, सीधे निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा लेकिन वे बात धीरे-धीरे खत्म हो गई। उसमें नयी सरकार ने परिवर्तन किया है और कह दिया है कि जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव श्री एन० डी० तिवारी की सरकार ने उसमें परिवर्तन करके अप्रत्यक्ष ढंग से किया, लेकिन आज भी ग्राम सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है मैं इस बात के लिए इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो स्थानीय निकाय के पदाधिकारी हैं, खासतौर से ग्राम प्रधान और नगरपालिका के प्रतिनिधि, उनको अपने संवैधानिक हैसियत देकर राज्य सरकार की दया से बाहर किया है इतनी ही बात स्वागत योग्य है। लेकिन यह बात सही है कि स्थानीय निकाय अपने साधनों और संसाधनों के अभाव में जिस हिसाब से स्थानीय जनता की सेवा करनी चाहिए वह नहीं कर पाते।

महोदय, आपने इस संशोधन के जरिए बहुत ही उचित सुझाव दिया है कि हर पांचवें साल राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि उनके अपने वित्तीय अधिकारों के विस्तार के लिए एक फाइनेंस कमिशन की नियुक्ति किया करेंगे और उस पर पुनर्विचार होता रहेगा, यह भी एक स्वागत योग्य बात है लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि इतना ही काफी नहीं है। अभी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के साथी ने कहा कि इससे गांधीजी की विचारधारा इस देश में पुष्पित और पल्लवित हो जाएगी। केवल दो संवैधानिक संशोधनों से गांधी जी के सपनों का हिन्दुस्तान बन जाएगा ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। गांधी जी ने हिन्दू स्वराज में एक स्पष्ट बात गांवों के बारे में कही, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा कि :

[अनुवाद]

"ग्राम स्वराज्य के विषय में मेरा यह दृष्टिकोण है कि यह एक प्रकार का सम्पूर्ण गणराज्य है, जिसे अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अन्य ग्रामों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और फिर भी कई बातों के लिए, जहां स्वतंत्रता अनिवार्य होती है, वहां परस्पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस तरह से हर गांव में सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि वे अपनी फसल उगायें तथा कपड़ों के लिए कपास की पैदावार करें। गांव में मवेशी के लिए निधि, तथा बड़ों और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन तथा खेल के मैदान होना चाहिए। यदि गांव में और अधिक भूमि उपलब्ध होगी तो वहां पर गांजा, तम्बाकू, अफीम और इस तरह के कई उपयोगी फसल उगाये जायेंगे। गांव का अपना जल मार्ग होना जो निर्विघ्न जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। नियंत्रित कुओं और तालाबों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अन्तिम मौलिक पाठ्यक्रम तक अनिवार्य शिक्षा होगी। जहां तक सम्भव हो सके, हर एक काम परस्पर सहयोग के आधार पर होगा। वहां छुआछूत का कोई भाव नहीं रहेगा जैसा कि आज वर्ग अस्पृश्यता का भाव प्रचलित है। ग्रामीण समुदाय में सत्याग्रह तथा असहयोग रूपी साधनों से युक्त अहिंसा का प्रसार होगा।"

[हिन्दी]

गांधी जी ने अपने गांव के बारे में, जो उनकी कल्पना थी वह इतनी मुकम्मिल थी कि गांव दूसरे के ऊपर निर्भर ही नहीं होगा। अपनी आवश्यकता की सारी चीजें वहीं मुहैया होंगी। सभी को आवश्यक रूप से शिक्षा दी जाएगी और वहां छुआछात का कोई भाव नहीं रहेगा। यह गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज की कल्पना में इस बात को कहा था, लेकिन यदि केवल इतनी बड़ी

बात दो संवैधानिक संशोधनों से आप पूरी कर लेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए इसको और विस्तार देने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने एक सीमित कदम उठाया है इसको और विस्तार दीजिए और अधिकाधिक अधिकार गांवों की ओर जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि गांधी जी का सपना पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान निर्मात्री परिषद के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने ही उद्घाटन भाषण में इस बात की कल्पना की थी वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान के तंत्र का ढांचा इस तरह बनाया जाए कि उसके पिरामिड नीचे हों और उसका नोंक ऊपर हो। यहां शीर्ष में जो केन्द्र हो, उसके पास सीमित अधिकार हों और जो पृष्ठभूमि हो, वह ज्यादा मुक्ता और मजबूत तथा टिकाऊ हो, यह उनकी कल्पना थी, लेकिन जब वे इस देश को भारत का संविधान समर्पित करने लगे तो उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ कहा था कि हमने जिस कल्पना के साथ संविधान के निर्माण की शुरुआत की थी, उस कल्पना का पिरामिड इसमें उल्टा हो गया है और उल्टा इस तरह से हो गया है कि गांव नीचे हो गया है और केन्द्र ऊपर हो गया है। केन्द्र ही गांव पर काबिज हो गया, नीचे की सभी संस्थाएं नष्ट हो गई, यह बात उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं को, भारत की जनता को भारत का संविधान समर्पित करते हुए कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रधान मन्त्री जी भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और संविधान निर्मात्री परिषद में मद्रास प्रेसीडेंसी के जो लीडर थे, उन्होंने भी इस धारा पर सबसे अधिक बल दिया था। मैं याद करना चाहता हूं श्री अनंत शयनम आयंगर को, एन०जी०जी को जो अभी जीवित हैं, के संथानम को, टी प्रकाशन जी को, जिनके मजबूत आग्रह पर कंप्रोमाइज के रूप में इस धारा को अमेंडमेंट की शक्ल में, जो कि के० संथानम जी का अमेंडमेंट था, अम्बेडकर साहब को मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ता था और उसी कम्प्रामाइज के कारण यह धारा केवल भारत के डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में से आई थी, दूसरी धारा नहीं आ पाई थी, लेकिन उसमें उनका मजबूत आग्रह था। मुझे खुशी है कि उनकी उस परम्परा को ढोने का, उनको याद करने का काम प्रधान मन्त्री जी आज कर रहे हैं, अपने पुरखों को सही और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे है, लेकिन इसको आप और विस्तार दीजिए, इस अपेक्षा के साथ मैं इन दोनों संविधान संशोधनों का समर्थन करता हूं और सरकार में अपेक्षा करता हूं कि इन संशोधनों के पास होने के बाद एक वृहत्तर माडल प्रस्तुत किया जाए, जिसमें स्थानीय निकायों, नगर पालिका, ग्राम सभा से लेकर जो थ्री-टायर सिस्टम है, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं, जिला परिषद, नगर-महा पालिका, पालिका, इन सबके बारे में एक वृहत्तर माडल विधेयक केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को सकूलेट करिए।

एक चीज और सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1977 में ही एक माडल तैयार किया था, उसका भी आप पूरी तरह से अध्ययन कीजिए। उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ग्राम स्तर पर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिला परिषद का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उनके अलग अधिकार होंगे, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा न होने की वजह से राज्य सरकारें जब चाहती थीं, उनको बरखास्त कर दिया करती थीं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि गांव सभा के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। मैं अपने इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि वे अपने इस विचार पर पुनर्विचार करें। मैं इस बारे में साफ तौर पर मन्त्री जी से कहना चाहता हू कि यदि निचले स्तर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन शुरू किया गया, इस चीज को प्रोत्साहित किया गया तो यहां पर भी वैसे

ही होगा, जैसे आए दिन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी वाली नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव सीधे और प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन ऊपर की जो महापालिकाएं हैं, उनमें हम देखते हैं कि जब मेयर का चुनाव आता है तो 50,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया एक एक कारपोरेटर की फीस हो जाती है। क्या आप यही नीचे के स्तर पर गांव सभा के सभापति के चुनाव में भी चाहते हैं, ताकि असरदार लोग गांव सभा के चुने हुए पंचों को पैसे से खरीदकर अपने को कुर्सी पर आसीन करने का काम करें। यदि आप पार्टीसिपेटरी डेमाक्रेसी चाहते हैं, जनता की सच्ची साझेदारी चाहते हैं, नीचे के स्तर पर रुपए के लेन-देन के प्रवेश द्वार बंद करने का काम करना चाहते हैं तो यह तभी होगा जब ग्राम-स्तर पर भी सीधा निर्वाचन होगा। इससे हमारी कल्पना, महात्मा गांधी की कल्पना जो थी, जिसको हमारे देश के संविधान निर्माता पूरा नहीं कर पाए थे, उस जमाने में उनकी भी कल्पना थी कि नीचे के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना चाहिए, उस कल्पना को हम पूरा कर पाएंगे। इससे पिछड़ी हुई जातियां, अंत्य जातियां अपने एक वोट के अधिकार से अपने नेतृत्व को गांव में भी स्थापित कर सकते हैं, अपनी संख्या के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से निचले स्तर पर निर्वाचन का पूरी तरह में समर्थन करता हूं। मन्त्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने के समाजवादी दल के लोगों ने संविधान निर्मात्री परिषद का बहिष्कार किया था। अपने पुरखों को याद करते हुए मैं यह मानता हूं कि उन्होंने यह सही काम नहीं किया था। यदि भारत की संविधान निर्मात्री परिषद् में उस जमाने के तमाम समाजवादी नेता रहे होते, आचार्य नरेन्द्र देव रहे होते, जय प्रकाश जी रहे होते, अच्युत पटवर्धन रहे होते, डा० राम मनोहर लोहिया रहे होते, विकेन्द्रीकरण उनका एक मूल मन्त्र था भारत में समाजवाद स्थापित करने लिए मेरा विश्वास है कि उन लोगों के प्रयास से संविधान निर्मात्री परिषद् ने उस समय विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया होता। लेकिन अलग से उन लोगों ने, जो पहले संविधान निर्मात्री परिषद् के अध्यक्ष थे, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, उनकी जय प्रकाश जी ने समाजवादियों की ओर से एक ड्राफ्ट कांस्टीटयूशन का प्रस्तुत किया था। उसमें साफ तौर पर उन्होंने स्थानीय निकायों की वकालत करते हुए सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रतिस्थापित किया था। इस देश के सारे लोकतांत्रिक सिद्धान्त, इस देश के सारे गांधीवादी सिद्धान्त, इस देश के सारे सर्वोदयी सिद्धान्त और इस देश के सारे समाजवादी सिद्धान्त तथा इस देश की वे सारी शक्तियां जो प्रगतिशील हैं इस देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की वकालत करती रही हैं और उस विकेन्द्रीकरण की दशा में आपका यह सीमित प्रयास है। इसलिए इस सीमित प्रयास को बल प्रदान करें और इस बात का आश्वासन दें कि इसको और विस्तार देंगे। हमारी ओर से आपको पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा।

इस वचन और विश्वास के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपकी और आपको धन्यवाद देता हूं कि सही समय पर एक सही इलाज ढूंढने की सीमित कोशिश आपने की। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह विधेयक 16 सितम्बर, 1991 को पेश किया गया था। फिर इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था। फिर इसके बाद इस समिति ने 13 जून, 1992 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक हमारे समक्ष है

मेरे विचार से जब हमने इस विधेयक पर विचार किया, तो उस दिन हमारी संसद का एक

ऐतिहासिक दिन है, हमारी भारतीय संसद का एक 'रैड लेटर डे' है निचले स्तर से शक्तियों का विकेंद्रीकरण और शक्तियों का हस्तांतरण यद्यपि स्वतंत्रता-प्राप्ति के दिन से ही यह एक इच्छा हृदय में संजोये हुए थे उस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और हमारे देश में उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर और साथ-ही-साथ राज्य-स्तर पर लम्बे समय से हमारे देश के लोगों के हृदयों में संजोई हुई इच्छा के बारे में कोई ऐसी राजनैतिक मंशा नहीं थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद, अब इस प्रस्तावित संविधान संशोधन के माध्यम से, हम अपने देश की पंचायत राज्य-संस्थाओं को जीवन देने जा रहे हैं। इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य लोगों का हमारे देश का विकास और प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार होना है। पिछले 45 वर्षों से इन दो बातों की उपेक्षा की गई थी और हमारे देश के लोगों, विशेषकर हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को हमारे देश की विकास और प्रशासनिक प्रशासनिक प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी से वंचित रखा गया था।

हमने अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी कर ली है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं हमारे देश के विभिन्न आंचलों और क्षेत्रों के लोगों की यह भावना है कि सारे देश के लोगों को हमारे विकास का एक अहम् अंग नहीं समझा जाता है। हमारे देश के मानव संसाधन को, हमारे देश के लाखों लोगों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था और इसके साथ-ही-साथ हमारे देश की प्रगति दोनों ही में उचित भूमिका अदा करने हेतु नहीं दी गई है यही कारण है कि, हम देखते हैं कि हमारे जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में विमुख करने की भावना विद्यमान है हमारे देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक ताकतें, जातिगत ताकतें तथा विभाजक ताकतें अपना सिर ऊपर उठा रही हैं। ऐसा इसलिए घटित होता है क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं की उत्कट अभिलाषा तथा हमारे लोगों की इच्छा के बावजूद पंचायत संस्थायें फलफूल नहीं सकीं।

इसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग विकेंद्रीकरण की विचारधारा का विरोध करते हैं, जो लोग शक्तियों के हस्तांतरण के मत का खंडन करते हैं, चाहे वे दफ्तरशाही में हों अथवा राजनैतिक सत्ता में, इन बातों में बाधक हैं ऐसा इस कारण से है कि हमारी आजादी से हीं पंचायतें निचले स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकीं।

पश्चिम बंगाल में अपने अनुभव से हम देखते हैं कि 1977 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद, पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार ने घोषणा की कि शक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दी जायेंगी। वे पंचायत-राज संस्थाओं के माध्यम से विकासात्मक और प्रशासनिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और अपने भाग्य का निर्णय करेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों, उप-शहरी क्षेत्रों, महानगर क्षेत्रों आदि में नगरपालिकाओं को आवश्यक शक्तियां और वित्तीय सहायता दी गई थीं, ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रक्रिया में लोग हिस्सा ले सकें।

1977 से वामपंथी मोर्चे के सत्ता में आने से लेकर तीन पंचायत और नगर पालिका चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे और तब से यह चुनाव नियमित रूप से हो रहे हैं। इस बार चौथी बार पश्चिम बंगाल, पंचायत चुनाव करवाने जा रहा है अब हमने अपने राज्य में देखा है कि जब पंचायत संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं की समुचित शक्तियां और वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाती हैं, तो लोग विकासात्मक प्रकिया में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में क्या खामी थी ? हमारे देश की स्वतंत्रता से पूर्व अथवा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के दौरान खामी यह थी कि लोग यह नहीं सोच सकते थे कि यह देश उनका है और उन्हें इस देश की विकासात्मक प्रक्रिया में

एक भूमिका अदा करती है पंचायत-राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के माध्यम से पश्चिम-बंगाल में, हम अपने लोगों की प्रक्रिया में हिस्सेदारी हेतु प्रोत्साहित कर पाये हैं। अब पश्चिम-बंगाल में पंचायत निकाय और नगर पालिका निकाय न केवल एक स्थानीय स्व-शासन है, बल्कि एक सच्चे रूप में स्थानीय स्व-शासन है लोग, पंचायत और नगर पालिका की चुनाव प्रक्रिया, विकासात्मक कार्यों तथा प्रबन्धक में भी भाग ले सकते हैं।

हम यह देखते हैं कि निचले-स्तर पर लोगों की चेतना बढ़ी है और वे यह महसूस करने में समर्थ हैं कि उनके देश की प्रगति में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिये। पश्चिम बंगाल में, हम ओर आगे बढ़ गये है। हमने पंचायतों को अनिवार्य हिदायतें दे दी हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम में उचित संशोधन किया गया है, ताकि पंचायतों के पास उपलब्ध धनराशि में से किये गये खर्चे के लेखे की आम जानकारी सम्बन्धित पंचायतों को देनी है। ऐसा इसके लिए विशेष रूप से आमंत्रित जन सभा में किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन्हें जन सभा बुलानी होगी और उस क्षेत्र की जनता के समक्ष लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे, ताकि जनता को यह जानकारी रहे कि वे न केवल विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग हैं, बल्कि उन्हें यह जानने का भी अधिकार है कि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किस प्रकार किया गया और क्या यह सही है अथवा नहीं।

अतः मेरे विचार से पंचायतें वार्षिक व्यय रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं—चाहे वह नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश पंचायतें जनता की बैठकें बुलाती हैं और उनमें व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार दोनों ओर से जांच की जाती है। जनता चुनाव प्रक्रिया और पंचायत के प्रशासन में भाग लेती है। जनता विकास प्रक्रिया में भाग ले रही है और उसकी जानकारी भी बढ़ रही है। वे महसूस करते हैं कि वे पूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, वे इस देश के लोग हैं चाहे वे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। इसी कारण पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रणाली सुदृढ़ हुई है।

पश्चिम बंगाल में चौथी बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वहां पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसमें और संशोधन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक प्रवर समिति गठित की और उसने प्रस्तावित विधेयक के प्रत्येक पहलू की जांच की। उसने भी कुछ सिफारिशें की, जो राज्य विधान सभा के विचारार्थ हैं। मैंने देखा कि कुछ प्रावधान उसमें शामिल किए गए हैं।

अतः पश्चिम बंगाल के अपने अनुभव से मैं इस सम्मानीय सभा को बता सकता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की उपेक्षा की गई है लेकिन यही उचित अथवा उचित स्थानीय स्व-शासन है जो जनता को यह आश्वासन दे सकता है कि वे सरकार और विकासात्मक प्रक्रिया का एक अंग है और उनकी भी देश के विकास में एक भूमिका है। (व्यवधान)

अपने बंगाल के अनुभव से मैं कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के मित्र मेरे कटु शब्दों का बुरा नहीं माने, कि कांग्रेस शासित राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित नहीं हुई हैं, उन्हें अपेक्षित स्तर पर नहीं लाया जा सका है क्योंकि जिस कांग्रेस ने 42 वर्षों तक देश पर शासन किया है वह ऐसा करना नहीं चाहती।

श्री मणि शंकर अय्यर : इन 42 वर्षों में महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं और इन दोनों राज्यों में पंचायती राज पश्चिम बंगाल के समतुल्य है।

मैं पश्चिम बंगाल में वामपंथियों द्वारा किए गए इस कार्य का समर्थन करता हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी महाराष्ट्र और गुजरात में कांग्रेस के अच्छे कार्य की प्रशंसा करें।

श्री अनिल बसु : मैं श्री मणि शंकर अय्यर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे महाराष्ट्र सरकार के कार्यनिष्पादन का स्मरण कराया। हम भी इससे इंकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रमुख बात यह है कि इस सभा में सबसे अधिक योगदान अथवा अधिक सदस्य किसके हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। अतः मेरे विचार से श्री मणि शंकर अय्यर को अपने लोगों की प्रशंसा करते समय इस बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें क्या कठिनाइयां हैं और कांग्रेस दल में क्या कमियां हैं? आप देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। उनके विभिन्न राज्यों में अपने दल के भी चयनित निकाय नहीं है। जब भी मुख्य मंत्री का चुनाव करना होता है, विधान सभा में असहमति होती है अथवा सदस्य मुख्य मंत्री के विरुद्ध हो जाते हैं तो विधान सभी सदस्यों को मुख्य मंत्री चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए दिल्ली से अनुदेश जाते हैं। कांग्रेस दल में अभी भी ऐसी सोचनीय स्थिति चल रही है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और वामपंथियों को दोष देते हैं तथा कहते हैं कि वे लोकतंत्रवादी नहीं हैं। हमारे दल में नेताओं का चुनाव करने के लिए नियमित रूप से सम्मेलन और समागम करते हैं। लेकिन आपके दल में हमने यह देखा है कि विधान सभा के सदस्य, जिन्हें राज्य की जनता ने चुना है, नेता का चुनाव नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं।

श्री अनिल बसु : मैं कल भी अपनी बात जारी रखूंगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, क्या आप अपनी बात पूरी करना चाहते हैं?

श्री अनिल बसु : महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है। मैंने विधेयक के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। मैं कल इस बारे में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप कल भी बोल सकते हैं।

अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 दिसम्बर, 1992/11 अग्रहायण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053